ISSN: 3139-5260
BJAR (https://bjar.in) | January-March | 2026 | Volume-2 | Issue-1

BUNDELKHAND JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

An International Open Access,
Quarterly Peer Reviewed,
Referred Journal of Academic Research

बुन्देलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च

Bundelkhand Journal of Academic Research

अकादमिक शोध का त्रैमासिक पीयर रीव्यूड, ओपन एक्सेस, रेफर्ड, द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी)
अंतर्राष्ट्रीय जर्नल
A Quarterly Peer Reviewed, Open Access, Referred, Bi-lingual (Hindi & English)
International Journal of Academic Research

Year: 2026 **Quarter: January-March** **Volume: 02**

प्रधान संपादक
Editor-in-Chief
डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'
Dr. Gajendra Singh 'Madhusudan'
E-mail: gayatripublication2025@gmail.com

3

प्रबंध संपादक
Managing Editor
बृजेन्द्र सिंह
Brijendra Singh
E-mail: gayatri.kbs@gmail.com

Published by:
Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan,
Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201

In collaboration with:
Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi,
Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

Bundelkhand Journal of Academic Research
BJAR
2025

बीजेएआर का संपादक मंडल
(Editorial Board of the BJAR)

Dr. Ajay Singh, Professor, Department of Management & Information Systems, College of Business Administration, University of Hail: **Saudi Arabia,** E-mail: a.singh@uoh.edu.sa

Dr. Sunil Kumar, Professor (Sociology), Department of Sociology, Kurukshetra University, Thanesar: **Haryana.**
E-mail: sksoc@kuk.ac.in

Dr. Andrew T. Kugedera, Agriculture and Research, Morgenster Teachers College Morgenster, Masvingo: **Zimbabwe**
E-mail: kugederaandrew48@gmail.com

Dr. N. K. Gupta, Professor & Director (PM&E), Department of Basic Science, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.** E-mail: nkgupta.pphy@sknau.ac.in

Dr. Mukesh Kumar, Assistant Professor, Department of Economics, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: mukeshkumar@gtgdc.org

Dr. Atul Kumar Kushwaha, Assistant Professor, Department of Chemistry, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: atulkk2008@gtgdc.org

Dr. Siddhant Chaturvedi, Assistant Professor, Department of Botany, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: siddhantau1@gtgdc.org

Mr. Ram Lakhan Research Scholar, Department of Economics, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: potteras9125@gmail.com

Dr. Sanjaya Acharya, Professor, Department of Economics, Tribhuvan University Kirtipur; Kathmandu: **Nepal.**
E-mail: sanjaya.acharya@cdec.tu.edu.np

Dr. Bhupendra Kumar, Professor, Amity Business School, Amity University, Gwalior: **Madhya Pradesh.**
E-mail: bkumar@gwa.amity.edu

Dr. Shambhu Nath Singh, Professor, Institute of Economics & Finance, Bundelkhand University Jhansi; **Uttar Pradesh.** E-mail: drsnsingh@bujhansi.ac.in

Dr. Rajesh Kumar Pal, Principal, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: dr.rajeshkumar@gtgdc.org

Dr. Amit Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Sociology, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: amitkumarsingh@gtgdc.org

Dr. Sonu Jain, Assistant Professor (Agricultural Economics), S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: sonujain.ageco@sknau.ac.in

Dr. Rachit Jaiswal, Assistant Professor, Department of Commerce, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: rachitjaiswal@gtgdc.org

Dr. Amit Kumar Yadav, Assistant Professor (Sociology), Government Degree College Pahi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: sch.amitkum58@bujhansi.ac.in

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research
BJAR
2025

बीजेएआर के विशेषज्ञ (Experts of the BJAR)

Dr. C. B. Singh, Professor, Department of Economics & Finance, Former Dean of Arts Faculty, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.** E-mail: dr.cbsingh195@bujhansi.ac.in

Dr. Girdhari Lal Meena, Professor, Department of Agricultural Economics, College of Agriculture, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur: **Rajasthan.** E-mail: glm57@rediffmail.com

Dr. Rakesh Rana, Professor, Department of Sociology, Mahanand Mission Harijan College, Gaziabad, Chaudhary Charan Singh University, Meerut: **Uttar Pradesh.**
E-mail: ranarakesh@gmail.com

Dr. B. S. Badhola, Assistant Professor, Department of Agriculture Extension Education, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: bsbadhola.ext@sknau.ac.in

Dr. Sheela Kharkwal, Assistant Professor, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: sheela.ageco@sknau.ac.in

Dr. Krishna Kumari, Assistant Professor, Department of Psychology, Rajkiya Mahavidyalay Agra cantt, Agra, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra: **Uttar Pradesh.**
E-mail: kkumarigdc21@gmail.com

Dr. Dinesh Meena, Assistant Professor, Department of Commerce, Sri Aurobindo College, Malviya Nagar, New Delhi, Delhi University: **New Delhi.**
E-mail: dmeena_comm@aurobindo.du.ac.in

Dr. Vinay Kumar Patel, Assistant Professor (History), Department of History, Government Girls PG College Banda: **Uttar Pradesh.**
E-mail: vinay.net2012@gmail.com

Dr. Subhita Kumawat, Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.** E-mail: subhita.ageco@sknau.ac.in

Dr. Uma Ratan Yadav, Professor, Department of Economics, Bundelkhand Degree College Jhansi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: uryadav69@gmail.com

Dr. Hari Singh, Professor, Department of Agricultural Economics, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur (MPUAT): **Rajasthan**.
E-mail: singhhari71@gmail.com

Dr. Onkar Nath Mishra, Assistant Professor (Sr. Grade), Department of Economics, Bhupendra Narayan Mandal University, Madhepura, **Bihar.**
E-mail: aavirmishra@gmail.com

Dr. Mithilesh Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Sociology, Savitri Bai Fule Government College Chakia, Chandauli, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith University,Varanasi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: dr.mithileshkumarsingh@gmail.com

Dr. Prahlad Singh, Assistant Professor, Department of Mathematics, Rajkiya Mahavidyalay Agra cantt, Agra, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra: **Uttar Pradesh.**
E-mail: prahladanora9@gmail.com

Dr. Ajay Singh, Assistant Professor, Department of English, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: ajaysingh@gtgdc.org

Dr. Shyam Singh Gaur, Assistant Professor, Deptt. of Education & Humanities, Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Chitrakoot: **Madhya Pradesh.**
E-mail: shyamsinghedu3@gmail.com

Dr. Dharmendra Singh, Assistant Professor, Department of Zoology, Government Degree College Sirathu, Kaushambi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: dr.dharmendrasingh67@gmail.com

Dr. Pratibha Manohar, Assistant Professor, Department of Statistics, Mathematics & Computer Science, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: pratibha.maths@sknau.ac.in

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research
BJAR
2025

बीजेएआर के सलाहकार (Advisors of the BJAR)

Dr. Kiran Gaur, Professor, Department of Statistics, Mathematics & Computer Science, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner-Jaipur: **Rajasthan.** E-mail: kirangaur.stats@sknau.ac.in

Durgesh kumar Shukla, Principal & Professor, Government Degree College, Manikpur, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: durgeshshukla70707@gmail.com

Dr Vinod Kumar, Principal & Associate Professor, Government Model Degree College Piparahari, Banda, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: drvinodkumar786@gmail.com

Dr. Manjri Damele, Professor, Department of Economics, Bundelkhand Degree College Jhansi, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.** E-mail: manjridamele@gmail.com

Dr. Gajendra Nath, Principal, Rajarshi Purushottam Das Tandon Government Post Graduate, Lalitpur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: gajendranath11@gmail.com

Dr. Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Department of Statistics, Mathematics & Computer Science, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner-Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: mksharma.stats@sknau.ac.in

Dr. Virendra Pratap Chaurasia, Assistant Professor, Department of Economics, Government Degree College Kalpi, Jalaun: **Uttar Pradesh.**
E-mail: virendraauphd@gmail.com

Dr. Maneesh Kumar, Assistant Professor, Department of Economics, D.D.U. Gorakhpur University Gorakhpur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: maneeshkumar61@gmail.com

Dr. Brijendra Singh Boudh, Professor, Department of Economics, Bundelkhand Degree College Jhansi, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh**.
E-mail: dr.bsboudha1999@gmail.com

Dr. Vinay Kumar Chaudhary, Professor & Principal, Government Degree College, Mathura, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra: **Uttar Pradesh.**
E-mail: vkc2014eng@gmail.com

Dr. Sandeep Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government Degree College Sirathu, Kaushambi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: sandeepsps@gmail.com

Dr. Heeralal, Principal, Government Degree College, Ganeshpura, Babina Jhansi, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh**. E-mail: kkumarigdc21@gmail.com

Dr. Sachendra Kumar, Principal, Fundi Singh Launa Government Post Graduate College, Jalaun: **Uttar Pradesh.**
E-mail: sachendra877@gmail.com

Dr. Ravindra Singh Shekhawat, Senior Scientist, Indian Council of Agricultural Research (ICAR)-Indian Institute of Wheat and Barley Research (IIWBR), Karnal: **Haryana.**
E-mail: ravindra.shekhawat@icar.org.in

Dr. Jay Prakash Singh, Assistant Professor, Department of History, Government Girls PG College Banda: **Uttar Pradesh.**
E-mail: jayprakash7619@gmail.com

Dr. Ashutosh Kumar Shukla, Assistant Professor, Department of Political Science, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: ashutoshshukla0907@gmail.com

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research
BJAR
2025

बीजेएआर के समीक्षक (Reviewers of the BJAR)

Dr. Mahendra Singh, Assistant Professor (Economics), Veerabhumi Government PG College Bhatipura, Mahoba: **Uttar Pradesh.**
E-mail: mahendrasinghalld1990@gmail.com

Dr. Brijesh Kumar Pal, Assistant Professor (Hindi), Dr. B.R. Ambedkar Girls Government PG College, Fatehpur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: brijeshjaishree@gmail.com

Dr. Sanju Kumawat, Assistant Professor, Department of Agriculture, University School of Agriculture Science, Rayat Bahra University, Mohali: **Punjab.**
E-mail: sanju.19117@rayatbahrauniversity.edu.in

Dr. Deepak Gupta, Assistant Professor, Department of Genetics & Plant Breeding, Pulses, Pearlmittet, College of Agriculture, Fatehpur Shekhawati, Sikar, **Rajasthan.**
E-mail: deepakgupta.pbg@sknau.ac.in

Dr. Vinod Kumar, Assistant Professor, Library Science, Dr. S. R. Ranganathan Institute of Library and Information Science, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: drvinoddlis79@gmail.com

Dr. Shiv Kumar, Assistant Professor, Department of Economics, Government Girls Post Graduate College, Banda: **Uttar Pradesh.**
E-mail: shivkumar25678@rediffmail.com

Dr. Ramesh Chand Asiwal, Assistant Professor (Economics), S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: rcasiwalageco.coalalsot@sknau.ac.in

Dr. Sandeep Kumar Pundir, Assistant Professor, Department of Physics, University of Lucknow: **Uttar Pradesh.**
E-mail: pundir_s@lkouniv.ac.in

Dr. Shelly Gupta, Assistant Professor (Law), Vaish College of Law, Rohtak,Maharishi Dayanand University, Rohtak: **Haryana.**
E-mail: shellysushil@gmail.com

Dr. Anand Kumar, Assistant Professor, Department of Computer Science, Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University, Sitapur, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: anand_smsvns@yahoo.co.in

Dr. Devendra Nath Giri, Assistant Professor, Department of History, Smt. Indira Gandhi Government PG College Lalganj, Mirzapur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: giridevendranath@gmail.com

Dr. Amita Singh, Assistant Professor, Department of Sanskrit, Savitri Bai Fule Government College Chakia, Chandauli: **Uttar Pradesh.**
E-mail: singhamita1984@gmail.com

Dr. Veer Pratap Singh, Assistant Professor (Botany), Maharani Lal Kunwari (MLK) PG College, Balrampur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: drvpsingh1984@gmail.com

Dr. Ram Chiranjeev, Assistant Professor (Sociology), Chaudhary Mahadeo Prasad (CMP) Degree College, Prayagraj,University of Allahabad, **Uttar Pradesh.**
E-mail: chiranjivpal75@gmail.com

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research

बुंदेलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर)

Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR)

वर्ष: 02	त्रैमासिक: जनवरी-मार्च, 2026	वॉल्यूम-02	अंक-1
Year: 02	**Quarterly: January-March, 2026**	**Volume-02**	**Issue-1**

अकादमिक शोध का त्रैमासिक पीयर रीव्यूड, ओपन एक्सेस, रेफर्ड, द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) अंतर्राष्ट्रीय जर्नल

(A Quarterly Peer Reviewed, Open Access, Referred, Bi-lingual (Hindi & English) International Journal of Academic Research)

प्रारंभिक वर्ष: 2025 **The Starting Year:** 2025

प्रकाशन: सुरेन्द्र कुमार (महासचिव), गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश।

Publisher: Surendra Kumar (General Secretary), Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201

मुद्रक: गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश।

Printer: Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, Krishna Nagar, Atarra (Banda), Uttar Pradesh.

टिप्पणी: सभी प्रकार के भुगतान 'बीजेएआर' अतर्रा के नाम से देय है।

Note: All payments are payable in the name of 'BJAR' Atarra.

2. बीजेएआर के प्रधान संपादक और संपादक के पद मानद और अवैतनिक हैं। जबकि प्रबंध संपादक का वैतनिक है।

The positions of Editor-in-Chief and Editors of BJAR are honorary and unpaid, while the Managing Editor is paid.

हमसे संपर्क करें (कार्यालय):

: सुरेन्द्र कुमार, प्रकाशक, बुंदेलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर),गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, 226, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश: 210201

दूरभाष: +918750184716 ई-मेल: gayatripublication2025@gmail.com

: बृजेन्द्र सिंह, प्रबंध निदेशक, बुंदेलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, 226, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश: 210201

दूरभाष:+918423141082 ई-मेल: gayatri.kbs@gmail.com

Contact Us (Office):

: Surendra Kumar, Publisher, Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, 226, Krishna Nagar, Atarra (Banda), Uttar Pradesh: 210201.
Telephone: +91-8750184716, Email: gayatripublication2025@gmail.com

: Brijendra Singh, Managing Director, Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, 226, Krishna Nagar, Atarra (Banda), Uttar Pradesh: 210201
Telephone: +91-8423141082 Email: gayatri.kbs@gmail.com

सुरेन्द्र कुमार (महासचिव, गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, कृष्णा नगर, अतर्रा, बांदा) मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी द्वारा गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान से मुद्रित करवाकर प्रकाशित। प्रबंध संपादक: बृजेन्द्र सिंह, बुंदेलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश: 210201

Note: The views expressed in the published articles are their writers own. The agreement of the Editorial Board or the Shodh Pratisthan is not necessary Disputes, if any shall be decided by the court at Atarra (Banda), Uttar Pradesh.

Bundelkhand Journal of Academic Research

वर्ष: 02	त्रैमासिक: जनवरी-मार्च, 2026	वॉल्यूम-02	अंक-1
Year: 02	Quarterly: January-March, 2026	Volume-02	Issue-1

अनुक्रमणिका (Table of Contents)

01. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्षेत्रीय प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन 01-10
चंदा देवी, डॉ. निर्मला सिंह

02. भारत में सहकारी विकास हेतु सरकारी प्रयासों का अवलोकन 11-21
डॉ. गजेंद्र नाथ, डॉ. अजय सिंह

03. भारत में वित्तीय समावेशन में सहकारी समितियों की भूमिका का अध्ययन 22-31
डॉ. मुकेश कुमार, पवन कुमार सिंह

04. भारत में पेट्रोलियम उद्योग की प्रगति का सिंहावलोकन 32-58
डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'

05. भारत में सहकारी समितियों के प्रगति और प्रदर्शन का अध्ययन 59-66
पवन कुमार सिंह, डॉ. मुकेश कुमार

06. उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के प्रदर्शन का अध्ययन 67-81
डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन' डॉ. अमित कुमार सिंह

07. भारत में शहरी सहकारी बैंकों के प्रदर्शन का अध्ययन 82-90
राम लखन, रवि मिश्रा, प्रतीक कुमार

08. An Analytical Study of Fintech Utilisation and Digital Development in Primary Agricultural Credit Societies 91-98
Rachit Jaiswal, Dr. Abhilash Kumar Srivastava

09. Cooperative Development and Education in India: A Study of Institutional Growth, Capacity Building, and Socio-Economic Impact 99-103
Dr. Updesh Chhimwal, Lokesh Kumar

10. Digital Payments and Financial Inclusion in India: Assessing the Role and Preparedness of Cooperative Banks in the UPI Era 104-111
Dristi Jaiswal, Dr. Neelam Maurya

11. Development of Cooperation for the Creation of Prosperity for All in the Country 112-116
Jay Nath Sharma, Dr. Shakti Singh

Bundelkhand Journal of Academic Research

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्षेत्रीय प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन

चंदा देवी[1], डॉ. निर्मला सिंह[2]

1. **शोधार्थिनी (गृह विज्ञान),** ज्वाला देवी विद्या मंदिर पी. जी. कॉलेज कानपुर, उत्तर प्रदेश।
2. **शोध पर्यवेक्षक एवं प्रोफेसर (गृह विज्ञान),** ज्वाला देवी विद्या मंदिर पी. जी. कॉलेज कानपुर, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** patelchanda19@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21623812

सारांश

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) ने ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बडे बदलाव का सूचक है, लेकिन गैस सिलिंडरों की निरंतरता और लागत से जुड़ी समस्याओं को दूर करने हेतु निरंतर प्रयासों और लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है ताकि यह वास्तव में लाभार्थियों के लिए एक स्थायी समाधान बन सके। देश में 10.33 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा की पहुँच बढ़ी है। योजना ने महिलाओं को पारंपरिक ईंधन जलाने के धुएँ से मुक्ति दिलाई है, जिससे उनका बचा समय अन्य कार्यों में प्रयुक्त हो रहा हैं, और वे सामाजिक–आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से श्वसन संबंधी बीमारियों और बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य खतरों में कमी आई है। वर्ष 2024–25 में पीएमयूवाई परिवारों की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि देखी गई है, जो योजना के सफल क्रियान्वयन को दर्शाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में योजना के क्षेत्रीय प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन का औचित्य बताता है कि यह योजना ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त बनाती है, स्वास्थ्य में सुधार करती है, पर्यावरण की रक्षा करती है और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करके गरीबी कम करती है; इसके क्षेत्रवार अध्ययन से योजना के प्रभाव, जमीनी स्तर की चुनौतियों और निरंतर उपयोग सुनिश्चित करने के तरीकों को तुलनात्मक रूप से समझा जा सकता है, जो महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है।

आलेख सूचना			
	प्राप्त: 14 जनवरी, 2026	**स्वीकृत:** 17 फरवरी, 2026	**प्रकाशित:** 31 मार्च, 2026
	सारणी: 02	**चित्र एवं ग्राफ:** 03	**स्रोत एवं संदर्भ:** 27
	मुख्य शब्द: पीएमयूवाई, एलपीजी गैस, पीएमयूवाई 2.0, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सुधार।		

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि: पितृसत्तात्मक समाज वाले ग्रामीण भारत में महिलाएं प्रायः पारंपरिक घरेलू ईंधन के साथ खाना पकाने सहित अधिकांश घरेलू कामों के लिए जिम्मेदार होती हैं। इससे पारंपरिक ईंधन से घर की हवा प्रदूषित होती है। यह जोखिम विभिन्न स्वास्थ्य जोखिमों और ऊर्जा स्रोतों तक पहुँचने में कठिनाइयों को जन्म देता है। गरीब ग्रामीण परिवारों में घर के अंदर का वायु प्रदूषण समय से पहले मौत का एक प्रमुख कारण है। इस समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार ने एलपीजी को बढ़ावा देने और दूरदराज के क्षेत्रों में वितरक स्थापित करने के लिए 16 अक्टूबर 2009 को आरजीजीएलवी (राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना) शुरू की थी और इसी वर्ष सरकार ने एक सीएसआर फंड कार्यक्रम शुरू किया जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हालाँकि, राजीव गांधी ग्राम एलपीजी वितरक योजना योजना को 2015 में बंद कर दिया गया था। इनके तहत उज्ज्वला योजना से पहले 2009 से 2016 तक 1.62 मिलियन घरों में एलपीजी की आपूर्ति की गई थी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सीएसआर फंड के माध्यम से ईंधन खरीद के लिए सब्सिडी दी जाती थी, जो 31 मार्च 2016 को समाप्त हो गई। प्रधान मंत्री उज्ज्वला (पीएमयूवाई) कार्यक्रम 1 मई 2016 को भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों को रोकना था। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन महिलाओं को लक्षित करता है जो घरेलू ईंधन के प्रदूषण से ग्रस्त हैं और जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने जैसे कठिन काम करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये ज़िम्मेदारियाँ पारंपरिक रूप से महिलाओं को क्यों दी गई हैं और क्या उज्ज्वला कार्यक्रम

ने अंतर्निहित समस्या का समाधान किया है। 2015 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में प्रदूषण से संबंधित मौतों में इनडोर वायु प्रदूषण का प्रमुख योगदान है, जिसमें 124,000 समय से पहले मौतें होती हैं। यह गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग करने वाले परिवारों के लिए एक कड़वा सच है।

पीएमयूवाई का उद्देश्य सोशियो–इकोनॉमिक एवं कास्ट सेंसस (एसईसीसी–2011) के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की उन महिलाओं को डिपॉजिट–फ्री एलपीजी कनेक्शन देना था, जिनके पास एलपीजी की सुविधा नहीं थी। पीएमयूवाई के तहत योग्य लाभार्थियों की पहचान के लिए मानदंड, जो शुरू में सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 पर आधारित था, को अब विस्तारित कर दिया गया है जिसमें सभी एससी/एसटी परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, जंगल में रहने वाले लोग, सबसे पिछड़े वर्गों के सदस्य, चाय बागान और पूर्व चाय बागान जनजातियाँ, द्वीपों और नदी के किनारे रहने वाले लोग शामिल हैं।

1.2. अध्ययन के उद्देश्यः यह अध्ययन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्यक्रम के उद्देश्यों के माध्यम से भारत में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के अध्ययन पर केंद्रित है। अध्ययन का उद्देश्य पीएमयूवाई कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाली महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन करना और कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। साथ ही महिला लाभार्थियों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का भी मूल्यांकन करता है। यह अध्ययन क्षेत्रवार महिला सशक्तिकरण पर पीएमयूवाई कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन पर विचार करता है। इस तरह, प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1. भारत में क्षेत्रवार पीएमयूवाई के प्रदर्शन का अध्ययन करना।
2. भारत में क्षेत्रवार एलपीजी और पीएमयूवाई के प्रदर्शन का अध्ययन करना।
3. भारत में क्षेत्रवार एलपीजी सीलिंडरों की प्रति व्यक्ति खपत को समझना।
4. भारत में क्षेत्रवार पीएमयूवाई तक महिलाओं की पहुंच का आकलन करना।

2. साहित्य की समीक्षाः पीएमयूवाई का भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम पुरुषों और महिलाओं दोनों को फायदा पहुँचाता है। एलपीजी गैस देकर, इस कार्यक्रम से गरीब महिलाओं के जीवन में सुधार होने की उम्मीद है जो अभी खाना पकाने के लिए लकड़ी और बायोमास पर निर्भर हैं, जिससे बहुत ज़्यादा धुआँ और स्वास्थ्य समस्याएँ होती हैं। (भारत के गरीबों के लिए जमीनी स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा और महिला सशक्तिकरणः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का मूल्यांकन)

जब महिलाएँ सशक्त होती हैं, तो वे ज़्यादा स्वस्थ होती हैं और स्वस्थ परिवार पाल सकती हैं। इससे बच्चों को शिक्षा मिलने की संभावना बढ़ जाती है और लंबे समय में परिवार में ज़्यादा आय आने की संभावना होती है। उज्ज्वला कार्यक्रम उस पितृसत्ता को तोड़ने में मदद करता है, जिससे उन्हें सम्मान और महत्व मिलता है। साहू एवं अन्य (2018), गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में प्रकाशित भारत के गरीबों के लिए जमीनी स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा और महिलाओं को सशक्त बनाने के साधन के रूप में पीएमयूवाई के अपने मूल्यांकन में इसकी चर्चा करते हैं। पिल्लई और अम्माल (2017) के एक अध्ययन में पीएमयूवाई के आर्थिक मूल्यांकन ने देश के समग्र आर्थिक विकास में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। अध्ययन में शिक्षा, आय, व्यवसाय और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक–आर्थिक कारकों को पीएमयूवाई के विकास के लिए प्रमुख संकेतक के रूप में पहचाना गया और भारत में ऊर्जा के आयात, खपत और माँग पर उनके सकारात्मक प्रभाव को नोट किया गया।

उज्ज्वला योजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि महिलाओं के नाम पर एलपीजी सिलेंडर जारी करना है, जो कई हिस्सों में मान्यता के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं को पहचान देते हैं। इसके अलावा, आसान केवाईसी दिशानिर्देशों और स्व–प्रमाणन ने महिलाओं की स्वतंत्रता को बढ़ाने में योगदान दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 9.5 मिलियन नए आवेदनों के लिए केवाईसी मंजूरी मिली है। पटनायक एवं अन्य द्वारा किए गए एक अध्ययन में इसकी प्रगति को रेखांकित किया गया है। एशियन जर्नल ऑफ पब्लिक अफेयर्स (2018) में प्रकाशित भारत में स्वच्छ रसोई ऊर्जा तक पहुंच के लिए एक रोडमैप को रेखांकित किया गया है।

शर्मा, पारिख और सिंह (2019) के अनुसार, भारत में घरेलू वायु प्रदूषण के कारण सालाना अनुमानित 5 लाख से 1 मिलियन मौतें होती हैं। इसके समाधान के लिए, एलपीजी जैसे स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ईंधनों तक अधिक पहुंच प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए नए

एलपीजी कनेक्शन की लागत पर सब्सिडी दी जा सकती है। एलपीजी को अपनाने और उपयोग करने से महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति बढ़ सकती है और घरेलू वायु प्रदूषण सहित ग्रामीण परिवारों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों को कम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने इस परिवर्तन को बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे 2016 में इसकी शुरुआत के बाद से एलपीजी कनेक्शन में काफी वृद्धि हुई है।

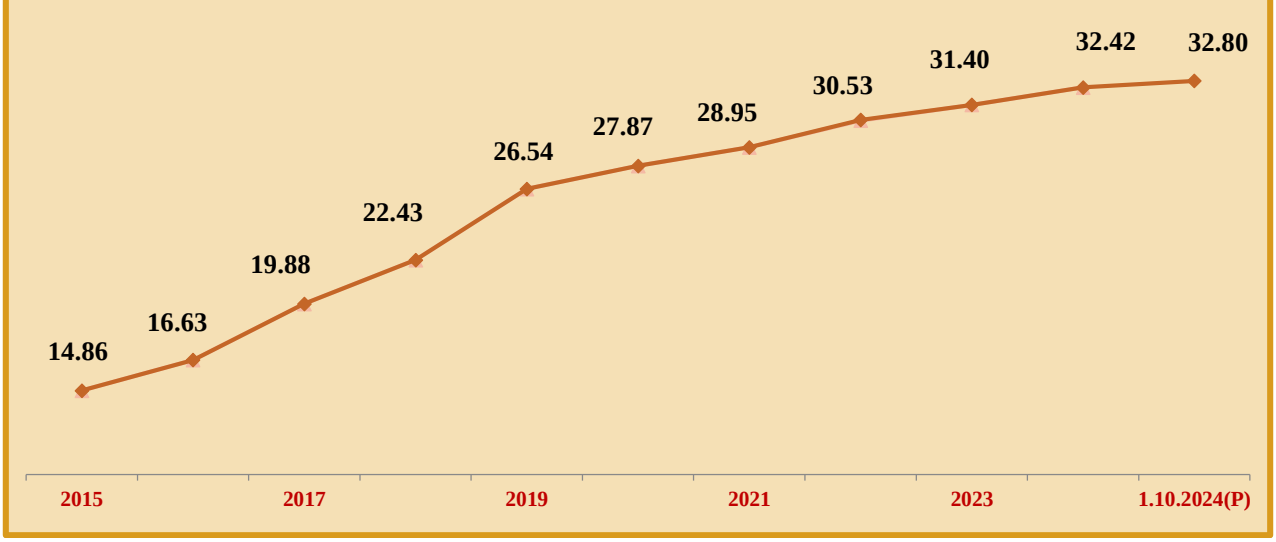
गोल्ड और उर्पेलेन (2018) के एक शोध अध्ययन में ग्रामीण भारत में स्वच्छ रसोई ईंधन के रूप में एलपीजी को अपनाने और उपयोग का आकलन किया गया। सीमित स्वच्छ ईंधन उपलब्धता वाले छह राज्यों के 8500 परिवारों का सर्वेक्षण करते हुए अध्ययन ने वर्णनात्मक सांख्यिकी और सहसंबंध का उपयोग करते हुए आंकड़ों का विश्लेषण किया। निष्कर्षो से पता चला है कि ईंधन और ईंधन स्टैकिंग की लागत ग्रामीण भारत में एलपीजी अपनाने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। हालांकि, उपयोगकर्ता और गैर–उपयोगकर्ता दोनों की रसोई ईंधन के रूप में एलपीजी के बारे में सकारात्मक धारणा है। कप्सालेमोवा एवं अन्य (2021) ने प्राकृतिक गैस तक पहुंच, मुफ्त ईंधन, सुविधा और ईंधन के बहु–उपयोग सहित रसोई ईंधन की पसंद पर विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कारकों के प्रभाव का पता लगाया। उन्होंने आर्थिक कारकों की पहचान महत्वपूर्ण निर्धारकों के रूप में की, जिसमें प्रति व्यक्ति अधिक खर्च और आय वाले परिवारों के ठोस ईंधन से एलपीजी में स्थानांतरित होने की अधिक संभावना है।

कर एवं अन्य (2021) ने बताया कि भारत में 70 मिलियन से अधिक वंचित महिलाओं ने सरकार के कार्यक्रम के 35 महीनों के भीतर एलपीजी सिलिंडर प्राप्त किए। हालांकि एलपीजी उपभोक्ताओं के नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन एलपीजी की बिक्री में इसी तरह की वृद्धि नहीं हुई है। अध्ययन में पाया गया कि सामान्य ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच एलपीजी की खपत में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

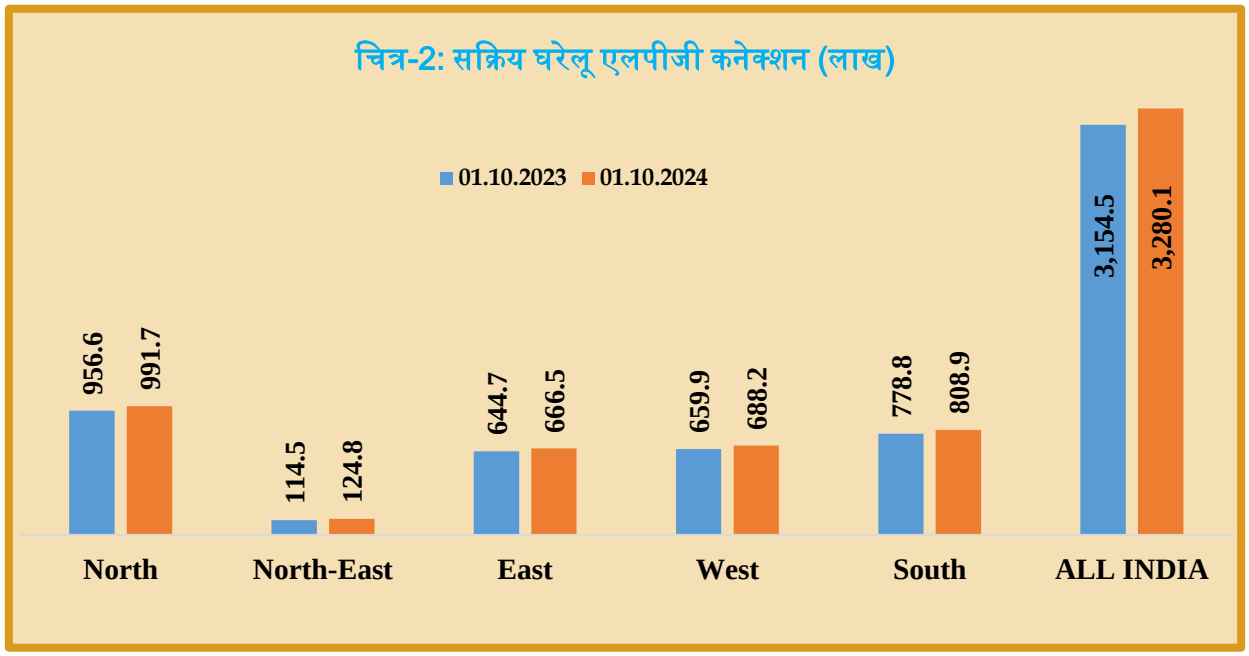
गिल–विह्ल (2022) ने एलपीजी उपयोग पर भारत की गरीबी–रेखा नीतियों के प्रभाव का अध्ययन किया और घरेलू वितरण या रसोई ऊर्जा पहुंच स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पाया। विश्लेषण खपत प्रोत्साहनों, रिफिल सब्सिडी के आकार और बीपीएल परिवारों को बेहतर ढंग से लक्षित करने की जांच की वकालत करता है।

3. एलपीजी के सक्रिय घरेलू ग्राहकों में निरपेक्ष प्रगतिः यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में एलपीजी कनेक्शन के सक्रिय घरेलू ग्राहकों की निरपेक्ष वृद्धि की स्थिति को देखे तो चित्र–1 से स्पष्ट है कि अप्रैल, 2015 में देश में एलपीजी कनेक्शन के सक्रिय घरेलू ग्राहक 14.86 करोड़ थे, जो बढ़कर अप्रैल, 2018 में 22.43 करोड़, अप्रैल, 2020 में 27.87 करोड़, अप्रैल, 2022 में 30.53 करोड़ और अक्टूबर, 2024 में 32.80 करोड़ एलपीजी के सक्रिय घरेलू ग्राहक हो गए। इस तरह पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में एलपीजी कनेक्शन के सक्रिय घरेलू ग्राहकों में 17.94 करोड़ की निरपेक्ष वृद्धि हुई है।

चित्र-1: अप्रैल में देश में सक्रिय घरेलू ग्राहकों की संख्या (करोड़ में)



यदि पिछले 2 वर्षों के दौरान देश में एलपीजी कनेक्शन के सक्रिय घरेलू ग्राहकों की क्षेत्रवार स्थिति को देखे तो चित्र–2 से स्पष्ट है कि अक्टूबर, 2023 में उत्तरी क्षेत्र में 956.7 लाख एलपीजी के सक्रिय घरेलू ग्राहक थे, जो अक्टूबर, 2024 में बढ़कर 991.7 लाख ग्राहक हो गए। इस दौरान एलपीजी के सक्रिय घरेलू ग्राहक उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 114.5 लाख से बढ़कर 124.8 लाख ग्राहक, पूर्वी क्षेत्र में 644.7 लाख से बढ़कर 666.5 लाख ग्राहक, पश्चिमी क्षेत्र में 659.9 लाख से बढ़कर 688.2 लाख ग्राहक और दक्षिणी क्षेत्र में 778.8 लाख से बढ़कर 808.9 लाख ग्राहक हो गए। जबकि इस दौरान देश में कुल एलपीजी के सक्रिय घरेलू ग्राहक 3154.5 लाख से बढ़कर 3280.1 लाख ग्राहक हो गए।



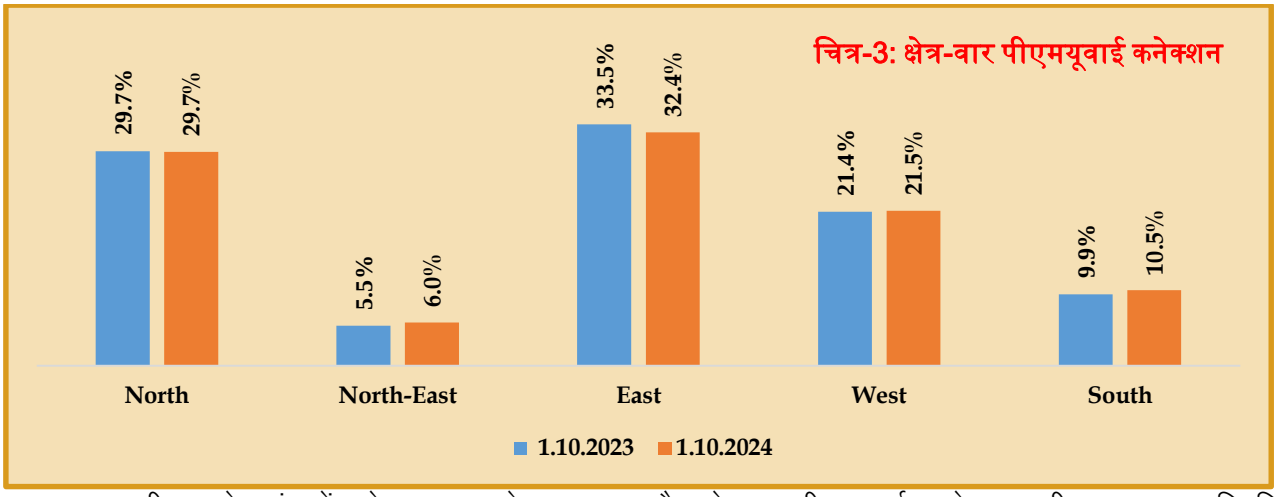
4. एलपीजी और पीएमयूवाई का राज्यवार और क्षेत्रवार प्रदर्शनः भारतीय परिवारों की वास्तविक और अनुमानित संख्या के एलपीजी और पीएमयूवाई कनेक्शन स्थिति को सारणी–1 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में परिवारों की कुल संख्या 24.67 करोड़ थी। हालांकि कुल भारतीय परिवारों में उत्तरी क्षेत्र के 10 राज्य एवं संघ क्षेत्रों में 6.47 करोड़, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 8 राज्यों में 92.66 लाख, पूर्वी क्षेत्र के 8 राज्य एवं संघ क्षेत्रों में 5.49 करोड़, पश्चिमी क्षेत्र के 6 राज्य एवं संघ क्षेत्रों में 5.71 करोड़ और दक्षिणी क्षेत्र के 7 राज्य एवं संघ क्षेत्रों में 6.07 करोड़ परिवार थे। इन परिवारों के सापेक्ष अप्रैल, 2025 में देश के उत्तरी क्षेत्र में 9.97 करोड़, उत्तर पूर्वी क्षेत्र 1.25 करोड़, पूर्वी क्षेत्र में 6.69 करोड़, पश्चिमी क्षेत्र में 6.91 करोड़ और दक्षिणी क्षेत्र में 8.15 करोड़ एलपीजी के सक्रिय ग्राहक थे।

सारणी–1 से स्पष्ट है कि अप्रैल, 2025 में देश में कुल 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन थे, जिनमें से उत्तरी क्षेत्र में 3.07 करोड़, उत्तर पूर्वी क्षेत्र 61.88 लाख, पूर्वी क्षेत्र में 3.35 करोड़, पश्चिमी क्षेत्र में 2.22 करोड़ और दक्षिणी क्षेत्र में 1.08 करोड़ पीएमयूवाई के कनेक्शन थे। यदि जनगणना, 2011 के कुल परिवारों के सापेक्ष पीएमयूवाई लाभार्थी परिवारों की क्षेत्रीय हिस्सेदारी देखें तो भारतीय परिवारों में उत्तरी क्षेत्र के कुल परिवारों के सापेक्ष अप्रैल, 2025 में 47.41 प्रतिशत परिवारों के पीएमयूवाई के कनेक्शन थे। इसी तरह, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुल परिवारों के सापेक्ष 66.78 प्रतिशत, पूर्वी क्षेत्र में 60.90 प्रतिशत, पश्चिमी क्षेत्र में 38.89 प्रतिशत और दक्षिणी क्षेत्र के 17.80 प्रतिशत परिवारों के पास पीएमयूवाई कनेक्शन थे। जबकि अखिल भारतीय स्तर पर 41.88 प्रतिशत परिवारों के पास पीएमयूवाई के कनेक्शन थे। इस तरह, पारिवारिक कवरेज और लाभांवित परिवारों की दृष्टि से उत्तर पूर्वी क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र का प्रदर्शन कमतर है।

सारणी-1: राज्यवार और क्षेत्रवार एलपीजी के सक्रिय ग्राहक और पीएमयूवाई कनेक्शन (संख्या लाख में)							
तुलनात्मक विवरण	जनगणना में परिवारों की संख्या	जनगणना में परिवारों की संख्या	पीएमयूवाई कनेक्शन	एलपीजी के ग्राहक	वर्ष 2019 के भारतीय परिवारों के सापेक्ष एलपीजी ग्राहक	वर्ष 2011 के भारतीय परिवारों के सापेक्ष पीएमयूवाई कनेक्शन	एलपीजी ग्राहकों के सापेक्ष पीएमयूवाई कनेक्शन
राज्य एवं क्षेत्र	**31.3.2011**	**01.4.2019**	**01.4.2025**	**01.4.2025**	**(प्रतिशत)**	**(प्रतिशत)**	**(प्रतिशत)**
चंडीगढ़	2.35	2.68	0.02	3.1	**115.67**	0.85	0.65
दिल्ली	33.41	39.13	2.60	56.9	**145.41**	7.78	4.57
हरियाणा	47.18	54.77	11.15	82.6	**150.81**	23.63	13.50
हिमाचल प्रदेश	14.77	16.31	1.51	22.4	**137.34**	10.22	6.74
जम्मू एवं कश्मीर	20.15	23.99	12.70	35.4	**147.56**	63.03	35.88
लद्दाख	0.0	0.0	0.11	1.0	**0.00**	0.00	11.00
पंजाब	54.10	60.18	13.59	96.3	**160.02**	25.12	14.11
राजस्थान	125.81	147.47	73.81	183.8	**124.64**	58.67	40.16
उत्तर प्रदेश	329.24	383.00	185.94	483.4	**126.21**	56.48	38.47
उत्तराखंड	19.97	23.01	5.30	32.3	**140.37**	26.54	16.41
उत्तरी क्षेत्र का योग	**646.98**	**750.53**	**306.72**	**997.3**	**132.88**	**47.41**	**30.76**
अरुणाचल प्रदेश	2.62	3.17	0.54	3.3	**104.10**	20.61	16.36
असम	63.67	72.47	50.97	91.8	**126.67**	80.05	55.52
मणिपुर	5.07	5.83	2.25	7.1	**121.78**	44.38	31.69
मेघालय	5.38	6.60	3.17	5.2	**78.79**	58.92	60.96
मिजोरम	2.21	2.63	0.36	3.7	**140.68**	16.29	9.73
नागालैंड	4.00	3.98	1.22	3.9	**97.99**	30.50	31.28
सिक्किम	1.28	1.41	0.20	1.9	**134.75**	15.63	10.53
त्रिपुरा	8.43	9.44	3.16	8.5	**90.04**	37.49	37.18
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का योग	**92.66**	**105.53**	**61.88**	**125.3**	**118.73**	**66.78**	**49.39**
अंड एवं निको. द्वीप समूह	0.93	0.98	0.14	1.3	**132.65**	15.05	10.77
बिहार	189.41	228.29	116.29	229.4	**100.49**	61.40	50.69
झारखंड	61.82	73.01	38.94	66.2	**90.67**	62.99	58.82
ओडिशा	96.61	107.54	55.49	100.6	**93.55**	57.44	55.16
पश्चिम बंगाल	200.67	220.29	123.75	271.3	**123.16**	61.67	45.61
पूर्वी क्षेत्र का योग	**549.44**	**630.11**	**334.61**	**668.7**	**106.12**	**60.90**	**50.04**
छत्तीसगढ़	56.23	66.50	38.01	63.3	**95.19**	67.60	60.05
दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	1.33	1.93	0.18	1.7	**88.08**	13.53	10.59
गोवा	3.23	3.44	0.02	5.8	**168.60**	0.62	0.34
गुजरात	121.82	140.82	43.08	127.8	**90.75**	35.36	33.71
मध्य प्रदेश	149.68	174.24	88.47	175.0	**100.44**	59.11	50.55
महाराष्ट्र	238.31	269.13	52.17	317.1	**117.82**	21.89	16.45
पश्चिमी क्षेत्र का योग	**570.59**	**656.05**	**221.93**	**690.7**	**105.28**	**38.89**	**32.13**
आंध्र प्रदेश	126.04	137.25	9.73	159.5	**116.21**	7.72	6.10
कर्नाटक	131.80	148.82	41.47	188.5	**126.66**	31.46	22.00
केरल	77.16	80.22	3.88	98.1	**122.29**	5.03	3.96
लक्षद्वीप	0.11	0.11	0.00	0.1	**90.91**	0.00	0.00
पुडुचेरी	3.01	3.70	0.19	4.1	**110.81**	6.31	4.63
तमिलनाडु	184.93	208.25	41.00	237.6	**114.09**	22.17	17.26
तेलंगाना	84.21	91.69	11.84	126.9	**138.40**	14.06	9.33
दक्षिणी क्षेत्र का योग	**607.26**	**669.64**	**108.11**	**814.9**	**121.69**	**17.80**	**13.27**
अखिल भारत	**2466.9**	**2814.6**	**1033.25**	**3297.0**	**117.14**	**41.88**	**31.34**

स्रोत: ओएमसी (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल), पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

यदि पिछले 2 वर्षों के दौरान देश में पीएमयूवाई कनेक्शन के ग्राहकों की क्षेत्रवार स्थिति को देखे तो चित्र–3 से स्पष्ट है कि देश के कुल पीएमयूवाई कनेक्शन में उत्तरी क्षेत्र का हिस्सा अक्टूबर, 2023 और अक्टूबर, 2024 में 29.7 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा है। इस दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मामूली वृद्धि देखी गई है और 5.5 से बढ़कर 6.0 प्रतिशत हो गया। पूर्वी क्षेत्र के हिस्से में मामूली कमी देखी गई है और यह 33.5 से घटकर 32.4 प्रतिशत रह गया। पश्चिमी क्षेत्र के हिस्से में मामूली वृद्धि देखी गई है और 21.4 से बढ़कर 21.5 प्रतिशत हो गया। इसी तरह दक्षिणी क्षेत्र के हिस्से में मामूली वृद्धि देखी गई है और 9.9 से बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गया।



सारणी–1 के आंकड़ों को समग्रता से राज्यवार और क्षेत्रवार पीएमयूवाई कनेक्शन की तुलनात्मक स्थिति अवलोकित करने से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में, जहाँ ग्रामीण आबादी और गरीबी अधिक है, पीएमयूवाई कनेक्शन की संख्या अधिक है, क्योंकि योजना का मुख्य लक्ष्य बीपीएल परिवारों को कवर करना है। इसी तरह, उत्तरी, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में, ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बड़ी संख्या के कारण, कनेक्शन की निरपेक्ष वृद्धि अधिक हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों और कुछ पश्चिमी/दक्षिणी राज्यों के कवरेज में भिन्नता परिलक्षित हुई है। हालांकि, उज्ज्वला 2.0 में प्रवासी श्रमिकों और अन्य वंचित समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे कवरेज का विस्तार हुआ है।

5. एलपीजी की क्षेत्रवार प्रति कनेक्शन खपत (पीसीसी) का प्रदर्शनः एलपीजी की क्षेत्रवार और राज्यवार प्रति कनेक्शन खपत (पीसीसी) के प्रदर्शन को सारणी–2 में दर्शाया गया है। सारणी के आंकड़ों बताते हैं कि सरकार के प्रयासों से और उज्ज्वला लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप उज्ज्वला परिवारों में एलपीजी की खपत बढ़ी है। उज्ज्वला लाभार्थियों में 14.2 किग्रा के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की संख्या के हिसाब से प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2019–20 में 3.01 से बढ़कर 2023–24 में 3.95 और वर्ष 2024–25 में 4.47 तक पहुँच गई है। जबकि गैर–पीएमयूवाई ग्राहकों में 14.2 किग्रा के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की संख्या के हिसाब से प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2023–24 में 6.61 से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 6.64 हो गई है। यदि पीएमयूवाई और गैर–पीएमयूवाई दोनों के समग्र ग्राहकों की प्रति व्यक्ति खपत को देखें तो वर्ष 2023–24 में 5.78 से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 5.96 एलपीजी सिलेंडर प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत रही है।

सारणी–2 में पिछले 2 वर्षों के दौरान देश में पीएमयूवाई, गैर–पीएमयूवाई और दोनों के समग्र ग्राहकों द्वारा सिलिंडर की संख्यात्मक खपत को दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पीएमयूवाई के लाभार्थियों में वर्ष 2023–24 में उत्तरी क्षेत्र में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की प्रति व्यक्ति खपत 4.59 सिलिंडर थी, जो बढ़कर 2024–25 में 5.11 सिलेंडर तक पहुँच गई। इस दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 2.99 सिलिंडर से बढ़कर 3.39 सिलिंडर, पूर्वी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 3.67 सिलिंडर से बढ़कर 4.25 सिलिंडर, पश्चिमी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 3.58 सिलिंडर से बढ़कर 4.06 सिलिंडर और दक्षिणी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 4.37 सिलिंडर से बढ़कर 4.85 सिलिंडर तक पहुँच गई। इस तरह, पिछले 2 वर्षों के दौरान देश के प्रत्येक क्षेत्र में पीएमयूवाई लाभार्थियों में सिलेंडर की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ी है।

सारणी-2: एलपीजी की राज्य-वार प्रति कनेक्शन खपत (14.2 किग्रा सिलेंडरों की संख्या)						
राज्य एवं क्षेत्र	वर्ष 2023-24			वर्ष 2024-25		
	पीएमयूवाई	गैर-पीएमयूवाई	समग्र	पीएमयूवाई	गैर-पीएमयूवाई	समग्र
चंडीगढ़	4.88	10.52	10.50	7.26	10.92	10.89
दिल्ली	6.61	9.64	9.53	7.57	9.38	9.30
हरियाणा	6.10	8.33	8.06	6.76	8.17	7.98
हिमाचल प्रदेश	4.08	5.49	5.39	4.47	5.50	5.43
जम्मू एवं कश्मीर	3.43	5.18	4.54	4.03	5.08	4.70
लद्दाख	2.97	6.76	6.32	4.54	6.64	6.40
पंजाब	5.52	7.38	7.12	5.63	7.29	7.05
राजस्थान	4.45	6.88	5.91	4.93	6.76	6.02
उत्तर प्रदेश	4.56	6.62	5.83	5.08	6.70	6.07
उत्तराखंड	4.88	7.41	6.99	5.04	7.42	7.02
कुल उत्तर क्षेत्र	**4.59**	**7.13**	**6.35**	**5.11**	**7.10**	**6.48**
अरुणाचल प्रदेश	3.77	6.60	6.13	4.14	6.60	6.19
असम	2.96	5.56	4.14	3.36	5.53	4.32
मणिपुर	4.24	6.22	5.59	4.40	5.25	4.98
मेघालय	2.40	7.53	4.48	2.60	7.52	4.43
मिजोरम	4.70	6.84	6.62	5.37	6.75	6.61
नागालैंड	3.23	6.93	5.80	3.97	6.61	5.75
सिक्किम	3.62	7.68	7.29	4.77	7.21	6.95
त्रिपुरा	2.67	6.74	5.23	3.20	6.96	5.54
कुल उत्तर-पूर्व क्षेत्र	**2.99**	**5.99**	**4.53**	**3.39**	**5.89**	**4.64**
अंडमान एवं निको. द्वीप समूह	5.60	7.42	7.22	6.06	7.43	7.28
बिहार	3.82	6.22	5.00	4.15	6.38	5.24
झारखंड	2.73	6.37	4.23	3.20	6.39	4.50
ओडिशा	3.46	5.69	4.46	4.03	5.86	4.84
पश्चिम बंगाल	3.90	6.02	5.04	4.78	6.09	5.49
कुल पूर्व क्षेत्र	**3.67**	**6.08**	**4.86**	**4.25**	**6.19**	**5.21**
छत्तीसगढ़	1.92	6.32	3.68	2.39	6.47	4.00
दादरा/नगर हवेली और दमन/ दीव	4.92	6.73	6.56	4.92	7.07	6.85
गोवा	3.93	6.77	6.76	4.27	6.90	6.90
गुजरात	4.76	7.26	6.43	5.31	7.23	6.58
मध्य प्रदेश	3.11	6.21	4.65	3.50	6.21	4.83
महाराष्ट्र	4.62	6.89	6.52	5.19	6.95	6.66
कुल पश्चिम क्षेत्र	**3.58**	**6.80**	**5.77**	**4.06**	**6.84**	**5.94**
आंध्र प्रदेश	3.73	5.71	5.61	4.42	5.74	5.66
कर्नाटक	4.76	6.91	6.44	5.35	6.93	6.58
केरल	3.99	6.65	6.55	4.40	6.79	6.69
लक्षद्वीप	3.82	5.31	5.27	3.60	4.81	4.78
पुडुचेरी	6.31	7.18	7.14	7.20	7.19	7.20
तमिलनाडु	4.38	6.40	6.06	4.81	6.41	6.13
तेलंगाना	3.47	5.73	5.51	3.67	5.86	5.65
कुल दक्षिण क्षेत्र	**4.37**	**6.29**	**6.04**	**4.85**	**6.34**	**6.14**
अखिल भारतीय	**3.95**	**6.61**	**5.78**	**4.47**	**6.64**	**5.96**

स्रोत: पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

पिछले 2 वर्षों के दौरान देश में गैर–पीएमयूवाई ग्राहकों में वर्ष 2023–24 में उत्तरी क्षेत्र में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की प्रति व्यक्ति खपत 7.13 सिलिंडर थी, जो कमोबेश 2024–25 में स्थिर अर्थात 7.10 सिलेंडर रही है। इस दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 5.99 सिलिंडर से मामूली घटकर 5.89 सिलिंडर, पूर्वी

क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 6.08 सिलिंडर से मामूली बढ़कर 6.19 सिलिंडर, पश्चिमी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 6.80 सिलिंडर से बढ़कर 6.84 सिलिंडर और दक्षिणी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 6.29 सिलिंडर से बढ़कर 6.34 सिलिंडर तक पहुँच गई। इस तरह, पिछले 2 वर्षों के दौरान देश के उत्तरी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मामूली कमी जबकि अन्य क्षेत्रों में गैर–पीएमयूवाई ग्राहकों में सिलेंडर की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ी है।

यदि पिछले 2 वर्षों के दौरान देश में पीएमयूवाई और गैर–पीएमयूवाई दोनों ग्राहकों की समग्र खपत को देखें तो वर्ष 2023–24 में उत्तरी क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडर की प्रति व्यक्ति खपत 6.35 सिलिंडर थी, जो बढ़कर 2024–25 में 6.48 सिलेंडर रही है। इस दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 4.35 सिलिंडर से बढ़कर 4.64 सिलिंडर, पूर्वी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 4.86 सिलिंडर से बढ़कर 5.21 सिलिंडर, पश्चिमी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 5.77 सिलिंडर से बढ़कर 5.94 सिलिंडर और दक्षिणी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 6.04 सिलिंडर से बढ़कर 6.14 सिलिंडर तक पहुँच गई। इस तरह, पिछले 2 वर्षों के दौरान देश के प्रत्येक क्षेत्र में एलपीजी ग्राहकों में सिलेंडर की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ी है।

उपर्युक्त क्षेत्रीय प्रदर्शन से स्पष्ट है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच सापेक्षिक और वितारानात्मक विषमता कायम है। इसके बावजूद, पीएमयूवाई महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह महिलाओं को धुएं और लकड़ी से खाना पकाने की परेशानी से मुक्त कर, उनके स्वास्थ्य, समय और आर्थिक स्थिति में सुधार करती है, जिससे वे शिक्षा, उद्यमिता और अन्य सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों में जुड़ पाती हैं, और उन्हें स्वास्थ्य जोखिमों से बचाती है। योजना के कारण बच्चों और महिलाओं में धुएं से होने वाली सांस की बीमारियों और मृत्यु दर में कमी आ रही है। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से महिलाओं का समग्र स्वास्थ्य सुधर रहा है। ईंधन (लकड़ी, गोबर) इकट्ठा करने में लगने वाला समय बचता है, जिसे महिलाएं अब शिक्षा, व्यवसाय या परिवार के साथ बिता सकती हैं। बचे हुए समय का उपयोग महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में जुड़ने, छोटे व्यवसाय शुरू करने या आय–सृजन गतिविधियों में करने में कर सकती हैं। यह योजना सामाजिक सशक्तिकरण में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, जिससे ग्रामीण और वंचित समुदायों की महिलाओं का जीवन मजबूत होता है। 'उज्ज्वला दीदी' जैसी पहल के माध्यम से 10,000 महिलाओं को लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे नेतृत्व के अवसर मिलते हैं। योजना से जंगलों की कटाई कम होती है और पर्यावरण प्रदूषण घटता है। इससे महिलाओं और पूरे परिवार के जीवन स्तर में सुधार आया है। इसलिए उज्ज्वला योजना सिर्फ रसोई गैस सिलेंडर देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को स्वास्थ्य, समय और अवसरों के रूप में सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का एक माध्यम है, जो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है।

देश में पितृसत्तात्मक समाज वाली व्यवस्था है जहां महिलाएं अक्सर आर्थिक और सामाजिक बाधाओं का सामना करती हैं और उनके पास निर्णय लेने की शक्ति बहुत कम है। ऐसे में पीएमयूवाई महिलाओं के लाभार्थियों को खाना पकाने, उनकी सुरक्षा बढ़ाने और उन्हें अध्ययन और कौशल विकास या आय सृजन जैसी अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए समय देने के द्वारा लक्षित और सशक्त बनाता है। पीएमयूवाई रसोई ईंधन खरीदने के वित्तीय बोझ को कम करके घरेलू खर्चों को कम करने में मदद करती है और परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, या बचत जैसी अन्य जरूरतों के लिए संसाधनों को निर्देशित करने की अनुमति देती है। कई परिवार अभी भी लकड़ी, गाय के गोबर या फसल अवशेष जैसे पारंपरिक कुकिंग तरीकों पर निर्भर हैं, जिससे इनडोर वायु प्रदूषण होता है। पीएमयूवाई तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच प्रदान करता है, जो आंतरिक वायु प्रदूषण को काफी कम करेगा, जिससे श्वसन स्वास्थ्य में सुधार होगा और महिलाओं और बच्चों के बीच अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारियों की घटनाओं को कम करेगा। देश में जहां स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित हो सकती है, वहां स्वच्छ कुकिंग ईंधन के माध्यम से ऐसी बीमारियों को रोका जा सकता है, वहां स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना पर बोझ कम हो सकता है और परिवारों के लिए आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय में कमी आ सकती है। पीएमयूवाई स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देता है, जो वनों की कटाई और पर्यावरण क्षरण को कम करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ ईंधन के संक्रमण से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी और इससे पर्यावरण स्थिरता प्रयासों में मदद मिलेगी। पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शनों तक पहुंच प्रदान करके ग्रामीण विकास की सुविधा प्रदान करता है, जो न केवल खाना पकाने के तरीकों में सुधार करता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए अवसरों का सृजन करके स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का भी समर्थन करता है।

कुल मिलाकर, भारतीय घरों में खाना बनाना महिलाओं के लिए समय खपाऊ वाली दैनिक गतिविधि है। स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10.33 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिससे उन्हें रसोई के धुएं

से मुक्ति और गरिमा से भरा जीवन मिला है। जनगणना 2011 के आंकड़ें बताते हैं कि बहुसंख्यक भारतीय परिवार पारंपरिक ईंधन पर निर्भर रहे हैं और करीब 40 प्रतिशत भारतीय घरों में खाना पकाने की स्वच्छ ऊर्जा नहीं है। जबकि पीएमयूवाई अब तक 24.67 करोड़ परिवारों में से 41.88 प्रतिशत परिवारों को पीएमयूवाई के तहत एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध करा चुकी है। उदाहरण के लिए मई 2016 में शुरू होने के बाद से जुलाई, 2025 तक पीएमयूवाई (उज्ज्वला 1.0, 2.0 और विस्तारित उज्ज्वला) ने लगभग 10.33 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया है। सापेक्षिक रूप से योजना शुरू होने के बाद से पीएमयूवाई कनेक्शन सबसे ज़्यादा (32.4 प्रतिशत) पूर्वी क्षेत्र में जारी किए गए हैं, इसके बाद उत्तरी क्षेत्र (29.7 प्रतिशत), पश्चिमी क्षेत्र (21.5 प्रतिशत), दक्षिणी क्षेत्र (10.5 प्रतिशत) और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र (6.0 प्रतिशत) में जारी किए गए हैं। जुलाई, 2025 तक पीएमयूवाई–II विस्तारित उज्ज्वला के तहत कुल 75.10 लाख कनेक्शन जारी किए गए हैं।

6. निष्कर्ष एवं सुझावः उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने देश में एक बड़ा प्रभाव डाला है, जो लाखों घरों में सुरक्षित खाना पकाने के तेल तक पहुंच प्रदान करता है। हालांकि, देश के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पीएमयूवाई का विस्तार करने के प्रयासों को जारी रख कर यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी योग्य परिवारों को कार्यक्रम में शामिल किया जाए। यह स्वास्थ्य परिणामों पर सकारात्मक प्रभावों को उजागर करता है और घर के अंदर वायु प्रदूषण को कम कर महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक खाना पकाने के विकल्प प्रदान करने के लिए सशक्त बनाता है। इसलिए, लाभार्थियों के लिए एलपीजी सिलेंडर को किफायती बनाने के साथ–साथ सरकार पर बोझ कम करने के लिए प्रभावी सब्सिडी प्रबंधन कायम रखना आवश्यक है। लाभार्थियों को एलपीजी के सही उपयोग, रखरखाव और स्वच्छ ईंधन जलाने के फायदों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक अभियान की भी आवश्यकता है। देश में पीएमयूवाई की प्रगति की निगरानी करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली लागू करना आवश्यक है।

देश में पीएमयूवाई ने ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन देकर स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण में सुधार किया है, लेकिन गैस सिलिंडरों (रिफिल) की निरंतरता और लागत एक चुनौती है। हालांकि, लाभार्थियों को गैस का पूरा उपयोग करने के लिए निरंतर सहायता और जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि कई लाभार्थी अभी भी पारंपरिक ईंधन का उपयोग जारी रखते हैं, हालांकि रिफिल दरें बेहतर हुई हैं और खपत बढ़ी है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि कई लाभार्थी पहले सिलेंडर के बाद रिफिल नहीं कराते, क्योंकि एलपीजी को 'विलासिता' माना जाता है या वे अभी भी लकड़ी/गोबर का उपयोग करते हैं। पारंपरिक ईंधन (लकड़ी, उपले) की उपलब्धता और कम लागत के कारण, एलपीजी का पूर्ण प्रतिस्थापन एक चुनौती बनी हुई है; नीति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ना आवश्यक है। स्वच्छ ईंधन के लाभों के बारे में निरंतर जागरूकता और जमीनी स्तर पर समर्थन की आवश्यकता है ताकि योजना अपने पूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।

अध्ययन में पाया गया कि पीएमयूवाई से महिलायें सुरक्षित हुई है और उनका जो समय अब भोजन पकाने से बचता है, उसे वे अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण कार्य में लगा पा रही है। पीएमयूवाई महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करके, उनके स्वास्थ्य को सुधारने में कारगर सिद्ध हुई है। हालांकि, खाना पकाने के स्वच्छ तरीकों को बढ़ावा देना और स्वच्छ ऊर्जा समाधान जैसे स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, साथ ही बायोगैस और सौर खाना पकाने को अपनाना, ताकि पर्यावरणीय प्रभाव और लकड़ी और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम हो सके। कुल मिलाकर, पीएमयूवाई की पहुंच, जागरूकता और स्थिरता में सुधार के निरंतर प्रयास देश में लाखों परिवारों की आजीविका और जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। हालांकि, सरकार को महिलाओं की भागीदारी के संबंध में पीएमयूवाई से संबंधित नुकसान को समाप्त करने या कम करने के लिए रचनात्मक कदम उठाने चाहिए।

स्रोत एवं संदर्भः

1. भारत सरकार (2016)। योजना दस्तावेजः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय http://petroleum.nic.in
2. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (2018)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में प्रगति। भारत सरकार http://petroleum.nic.in
3. साहू एमके, पटेल पी, पटेल आर (2018)। भारत के गरीबों के लिए जमीनी स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा और महिला सशक्तिकरणः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का एक मूल्यांकन। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, 2018;8(2):18–27।
4. जोशी, आर, एवं सिंह, ए. (2019)। ऊर्जा असमानता और महिला सशक्तिकरण उज्ज्वला योजना का प्रभाव। ग्रामीण विकास जर्नल, 35(2), 89–102।

5. सिंह, आर. (2019)। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपयोग और स्वास्थ्यः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रभाव। भारतीय जनसंख्या और विकास पत्रिका, 44(1), 89–102 ।
6. शर्मा, डी. (2019)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सामाजिक प्रभावः ग्रामीण दृष्टिकोण। भारतीय समाजशास्त्र जर्नल, 45(2), 210–224
7. कुमार, आर. (2019)। पर्यावरणीय सुधार और स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम उज्ज्वला योजना का विश्लेषण। इंडियन जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट, 14(3), 125–133।
8. सिंह, आर, सिंह, डी. (2019)। स्वच्छ ऊर्जा का जलवायु परिवर्तन पर प्रभावः उज्ज्वला योजना के संदर्भ में अध्ययन। जलवायु और सतत विकास जर्नल, 7 (1), 45–59।
9. पटेल, एस (2019)। ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रभाव। सामाजिक अनुसंधान जर्नल, 17(2), 145–156।
10. दास, एम. (2019)। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर उज्ज्वला योजना का प्रभाव। स्वास्थ्य नीति और प्रबंधन पत्रिका, 11(1), 33–45।
11. दुबे, पी. (2020)। स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम और महिला सशक्तिकरण उज्ज्वला योजना का मूल्यांकन। ग्रामीण विकास जर्नल, 36(4), 377–389।
12. सिंह, एस., एवं के. एस. (2020) । प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ग्रामीण परिवारों पर आर्थिक प्रभाव। सामाजिक और आर्थिक विकास जर्नल, 22(3), 453–470.
13. गुप्ता, ए. एवं कुमार, पी. (2020) । ऊर्जा पहुंच और महिला सशक्तिकरणः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का अध्ययन। भारत विकास समीक्षा, 12(1), 67–81।
14. साहू, ए. एवं कर पी (2020)। स्वच्छ ऊर्जा और वनों का सरक्षण उज्ज्वला योजना का विश्लेषण। पर्यावरण अध्ययन पत्रिका, 18(2), 101–115।
15. सिंह, एस. (2020)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ग्रामीण स्वास्थ्य पर प्रभाव। सामाजिक और आर्थिक विकास पत्रिका, 22(3), 453–470।
16. मिश्रा, ए. (2020)। ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हेतु स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम। स्वास्थ्य और समाज पत्रिका, 19(4), 301–315।
17. गुप्ता, ए. (2020)। ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी उपयोग और स्वास्थ्य सुधारः उज्ज्वला योजना का अध्ययन। स्वास्थ्य और समाज पत्रिका, 18(2), 112–125।
18. सह. आर (2021)। उज्ज्वला योजना और ग्रामीण महिलाओं का स्वास्थ्यः अनुभवजन्य विश्लेपण। सामाजिक परिवर्तन, 50(2), 233–248।
19. गुप्ता, ए. (2021)। उज्ज्वला योजना और महिला सशक्तिकरणः एक अध्ययन। विकास नीति समीक्षा, 13 (1) 77–89।
20. कप्साल्यामोवा, आर. एम., केरीमरे, ए. एवं कमालबेक, के. डी. ए. (2021)। स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन चुनने के लिए ऊर्जा तक पहुंच क्यों पर्याप्त नहीं है? जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट।
21. शर्मा, डी. एव वर्मा, एम. (2021)। स्वच्छ ईंधन अपनानाः स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। ऊर्जा नीति, 151, 112–150।
22. त्रिपाठी, वी. (2021)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन। भारतीय आर्थिक विकास समीक्षा, 29(2), 142–156।
23. मिश्रा, पी. शर्मा, एल. (2021)। ग्रामीण भारत में पर्यावरणीय सुधार हेतु उज्ज्वला योजाना की भूमिका। इंडियन जर्नल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 15(4), 233–247।
24. चौधरी, पी. (2022)। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा की पहुंचः उज्ज्वला योजना का मूल्यांकन। ऊर्जा और पर्यावरण जर्नल, 16(3), 145–160।
25. ढाकावाणी, नरूला राधिका, साहू जितेंद्र, बिष्ट अभय एवं साहू हर्ष (2022)। उज्ज्वला योजनाः महिलाओं की भलाई : सिद्धांत और व्यवहार का वर्गीकरण। 2022; 4(1): 208–220।
26. यादव, ऋचा एवं आयशा जहीर (2024)। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तक महिलाओं की पहुंच पर एक अध्ययन, प्रशासनिक विकास जर्नल, वॉल्यूम 2(1), 2024।
27. गंगवार, पूनम एवं सिंह, डॉ. कनक लता (2025)। भारत के ग्रामीण समाज पर प्रधानमंत्री उजाला योजना का प्रभाव समाजशास्त्रीय अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस रिसर्च (एलजेएसएसएसआर), खंड–3, अंक–2, जुलाई–सितंबर 2025, पृष्ठ191–199 आईएसएसएनः 2583–7877

आलेख उद्धरित करें :	देवी, चंदा एवं सिंह, डॉ. निर्मला (2026)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्षेत्रीय प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–1, जनवरी–मार्च, 2026, पृष्ठ 01–10। https://doi.org/10.5281/zenodo.21623812

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत में सहकारी विकास हेतु सरकारी प्रयासों का अवलोकन

डॉ. गजेंद्र नाथ[1], डॉ. अजय सिंह[2]

1. **असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),** राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन राजकीय महाविद्यालय तालबेहट, ललितपुर, उत्तर प्रदेश।
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (अंग्रेजी),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** gajendranath11@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21624258

सारांश

भारतीय परिप्रेक्ष्य में सहकारिता आन्दोलन जीवन के एक सिद्धांत और व्यवसाय की एक प्रणाली दोनों रूपों में विकसित हुआ है। यहाँ इसकी भूमिका सामाजिक–आर्थिक विकास में एक स्वैच्छिक साहचर्य के उस मंच के रूप में ज्यादा रही है जहाँ लोग साम्यता और सबकी भलाई के सिद्धांतों के आधार पर धन के उत्पादन तथा वितरण में पारस्परिक सहयोग के लिए एकत्र होते हैं। इस दृष्टि से भारत में सामाजिक–आर्थिक विकास की धारा में पीछे रह गए, हाशिये के गरीब और वंचित वर्ग के सामान्य जन के उन्नयन में सहकारिता आन्दोलन की एक निश्चित सामाजिक भूमिका रही है, एक निश्चित सामाजिक उद्देश्य रहा है। इस रूप में भारत में सहकारिता आंदोलन का इतिहास एक सामाजिक–आर्थिक आन्दोलन का इतिहास ज्यादा प्रतीत होता है। एक गठन के रूप में सहकारिता भारत सहित विकासशील देशों में व्यापक रूप से प्रचलित है। ग्रामीण विकास के एक साधन के रूप में इसमें काफी संभावनाएं हैं। एक नैतिक मानदंड के रूप में सहयोग की प्राचीन काल से ही दुनिया भर में प्रशंसा की जाती रही है। सामाजिक व्यवहार के एक तरीके के रूप में यह एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली अनगिनत गतिविधियों में प्रकट होता है। इसलिए प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में सहकारी विकास हेतु किए गए सरकारी प्रयासों का अवलोकन किया गया है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 17 जनवरी, 2026 **स्वीकृत:** 20 फरवरी, 2026 **प्रकाशित:** 31 मार्च, 2026

सारणी: 00 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 14

मुख्य शब्द: आर्थिक मॉडल, सहकारी आंदोलन, साम्यता, सामूहिक विकास, स्व–सहायता।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि: सहकारिता के विचारों और उसकी आधुनिक अवधारणा का जन्म जहाँ ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी में माना जाता है, वहीं औद्योगिक क्रान्ति के दौरान तथा उसके बाद के समय में सहकारिता को एक सांगठनिक स्वरूप मिला। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ सहकारिता आन्दोलन जीवन के एक सिद्धांत और व्यवसाय की एक प्रणाली दोनों रूपों में विकसित हुआ है। भारत में कोऑपरेटिव का इतिहास सवा सौ साल से भी अधिक पुराना है। देश में औपचारिक सहकारी ढाँचे का कानून बनने से पहले ही भारत के कई हिस्सों में सहयोग और सहकारी गतिविधियों का चलन था। गाँव के समुदायों द्वारा मिलकर गाँव के तालाब या देवरई या वनराई जैसे गाँव के जंगल जैसी स्थायी संपत्ति बनाने का चलन बहुत सामान्य था। इसी तरह, समुदायों द्वारा संसाधनों को इकट्ठा करने के उदाहरण भी मिलते थे, जैसे अगली फसल से पहले समूह के ज़रूरतमंद सदस्यों को देने के लिए फसल के बाद अनाज इकट्ठा करना, या समूह के सदस्यों को उधार देने के लिए नियमित अंतराल पर नकद में छोटा योगदान इकट्ठा करना, जैसे कि मद्रास प्रेसीडेंसी में चिट फंड, त्रावणकोर में "कुरिज़", कोल्हापुर में "भिशीज़" आदि। कोल्हापुर के "फड़" जहाँ किसान बाँध बनाकर पानी रोकते थे और पानी के बराबर बँटवारे के साथ–साथ सदस्यों की उपज की कटाई और उसे बाज़ार तक पहुँचाने का भी इंतज़ाम करते थे, और "लाना" जो किसानों की सालाना पार्टनरशिप थी जिसमें वे मिलकर खेती करते थे, और कटाई की गई उपज को अपने पार्टनर द्वारा लगाए गए श्रम और बैल की शक्ति के अनुपात में बाँटते थे, ये सभी सहयोग के सहकारी उदाहरण कहे जा सकते हैं।

आधुनिक भारत में सहकारिता आंदोलन के सफर में अनेक उतार–चढ़ाव रहे। ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से शुरू हुए सहकारिता के छोटे–छोटे कदमों ने धीरे–धीरे एक सामाजिक–आर्थिक आन्दोलन का रूप ले लिया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान देने के साथ ही भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास में भी अपनी

महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। भारत में सहकारिता आंदोलन की अपनी कुछ कमजोरियाँ और कुछ खूबियाँ रही हैं। इन कमजोरियों और खूबियों के बीच सहकारिता आंदोलन ने भारत के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में एक नये परिवेश का निर्माण किया। कृषि क्षेत्र से शुरू हुए इस सहकारिता आंदोलन के दायरे का समय बीतने के साथ विस्तार हुआ और इसमें धीरे–धीरे छोटे–छोटे किसान, मजदूर, उद्यमी, कारीगर और कामगार शामिल होते गए।

1.2. अध्ययन के उद्देश्यः प्रस्तुत शोध पत्र के तहत भारत में सहकारिता के विकास हेतु किए गए सरकारी प्रयासों का अवलोकन किया गया है, जिसके दो उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1. आजादी के पूर्व भारत में सहकारिता के प्रयासों को समझना।
2. आजादी के बाद भारत में सहकारिता के प्रयासों को समझना।

2. आजादी के पूर्व सहकारिता के प्रयासः उन्नीसवीं सदी के आखिर में खेती की खराब हालत और किसानों को फाइनेंस देने के लिए संस्थागत इंतज़ाम न होने की वजह से कृषि और किसानों में असंतोष बढ़ता गया। वर्ष 1880 के अकाल आयोग और 20 साल बाद 1901 के अकाल आयोग दोनों ने भारतीय किसानों के गहरे कर्ज को उजागर किया, जिसके कारण कई मामलों में उनकी ज़मीन पैसे उधार देने वाले लोगों के कब्ज़े में चली गई। असंतोष के माहौल के कारण सरकार ने कई कदम उठाए, लेकिन कानूनी उपायों से स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ।

कृषि बैंकों का प्रस्ताव सबसे पहले वर्ष 1858 में और फिर वर्ष 1881 में अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट जज श्री विलियम वेडरबर्न ने जस्टिस एम.जी. रानाडे से सलाह करके रखा था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। मार्च 1892 में मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नर ने श्री फ्रेडरिक निकोलसन को प्रेसीडेंसी में कृषि या अन्य लैंड बैंकों की प्रणाली शुरू करने की संभावना की जांच करने के लिए नियुक्त किया और उन्होंने 1895 और 1897 में दो वॉल्यूम में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वर्ष 1901 में अकाल आयोग ने आपसी क्रेडिट एसोसिएशन बनाकर ग्रामीण कृषि बैंक स्थापित करने की सिफारिश की थी, परिणामस्वरूप ऐसे कदम उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध की सरकार ने उठाए। आयोग ने कृषि बैंकों के पीछे के सिद्धांतों का भी सुझाव दिया ताकि एक मज़बूत एसोसिएशन निर्मित हो, जो व्यक्तियों के बजाय समूहों को गारंटी और ऋण देने के फायदे दे सके।

2.1 सहकारी साख समितियां अधिनियम,1904: उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक कानूनी आधार देने के लिए, सरकार ने मिस्टर निकोलसन को मेंबर बनाकर एडवर्ड लॉ कमेटी को जांच करने और कार्रवाई के तरीके सुझाने के लिए गठित किया, जिसकी सिफारिशों पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विधेयक 25 मार्च, 1904 को पारित किया गया। यह भारत में सहकारी आंदोलन को औपचारिक रूप देने वाला पहला कानून था, जिसने ग्रामीण ऋण संबंधी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। वैसे तो इसका उद्देश्य राज्य द्वारा समर्थित ऋण–केंद्रित, पंजीकृत समितियों के गठन को सक्षम बनाकर किसानों को साहूकारों के अत्यधिक कर्ज से मुक्ति दिलाना था। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण ऋण समितियों की स्थापना करना और गैर–ऋण समितियों को प्रतिबंधित करना था। इसमें समितियों के पंजीकरण, सदस्यता पात्रता और समितियों के प्रबंधन और निरीक्षण के लिए एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके तहत सोसाइटियों की देनदारी सीमित या असीमित हो सकती है। लाभांश भुगतान पर प्रतिबंध था; जबकि शुद्ध लाभ का कम से कम एक–चौथाई हिस्सा आरक्षित निधि में जमा करना अनिवार्य था। समितियों को आयकर, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से छूट दी गई थी।

यह कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट सिर्फ़ क्रेडिट कोऑपरेटिव्स तक ही सीमित था। वर्ष 1911 तक 3 लाख से अधिक सदस्यों वाली 5300 औपचारिक और अनौपचारिक सोसाइटीज़ मौजूद थीं। वर्ष 1904 के एक्ट के तहत पहले 5–6 सालों में भारत में रजिस्टर्ड पहली कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में राजाहुली विलेज बैंक, जोरहाट, जोरहाट कोऑपरेटिव टाउन बैंक और चरिगांव विलेज बैंक, जोरहाट, असम (1904), तिरूर प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (1904), एग्रीकल्चर सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, देवगांव, पिपरिया, मध्य प्रदेश (1905), बैंस कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, पंजाब (1905), बिलिपाड़ा सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ओडिशा (1905), भारत सरकार, सेक्रेटेरिएट कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी (1905), कांगिन्हल व्यवसाय सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (1905), कासबे ताडवाले कोऑपरेटिव मल्टी–पर्पस सोसाइटी, महाराष्ट्र (1905), प्रीमियर अर्बन क्रेडिट सोसाइटी ऑफ़ कलकत्ता, पश्चिम बंगाल (1905), चित्तूर कोऑपरेटिव टाउन बैंक, आंध्र प्रदेश (1907), रोहिका यूनियन ऑफ़ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड, बिहार (1909) आदि शामिल हैं। इस क़ानून के तहत कई नॉन–क्रेडिट पहलें भी सामने आईं जैसे मद्रास में ट्रिप्लिकेन सोसाइटी जिसने एक कंज्यूमर स्टोर चलाया, धारवाड़ और हुबली में बुनकर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, जिन्होंने धागे आदि के रूप में क्रेडिट दिया। हालांकि, इन्हें अर्बन क्रेडिट सोसाइटीज़ के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था।

1904 के एक्ट में सहकारी समितियों के गठन, सदस्यता के लिए पात्रता, पंजीकरण, सदस्यों पर देनदारियां, लाभ, शेयर और सदस्यों के हितों का निपटान, सोसाइटी के विशेषाधिकार, सदस्यों के खिलाफ दावे, ऑडिट, निरीक्षण और पूछताछ, विघटन, कराधान से छूट और नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान था। हालांकि, सहकारी समितियों के उपयुक्त नियम और मॉडल उपनियम तैयार करना जैसे परिचालन और प्रबंधकीय मुद्दों को स्थानीय सरकारों के लिए छोड़ दिया गया था। रजिस्ट्रार का पद जिसे एक खास आधिकारिक तंत्र के रूप में देखा गया था, जिसमें विशेष प्रशिक्षण और सही सोच वाले अधिकारियों को रखा जाना था ताकि सहकारी विकास को बढ़ावा दिया जा सके, यह 1904 के सहकारी समिति अधिनियम का नतीजा था। हालांकि, बाद में इस अधिनियम को 1912 के व्यापक सहकारी समिति अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसमें गैर–ऋण समितियों और केंद्रीय संस्थानों को भी शामिल किया गया।

2.2 सहकारी समितियां अधिनियम, 1912: सहकारी समितियों की संख्या में उम्मीद से कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी होने के कारण, 1912 का सहकारी समिति अधिनियम एक आवश्यकता बन गया। सहकारी समितियां अधिनियम, 1912, जो 1 मार्च, 1912 को पारित हुआ, एक मूलभूत भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों के गठन को सुगम बनाना और उनसे संबंधित कानूनों में संशोधन करना है। इसका उद्देश्य कृषकों, कारीगरों और सीमित साधनों वाले व्यक्तियों के बीच मितव्ययिता, आत्मनिर्भरता और सहकारिता को बढ़ावा देना है। इसने 1904 के अधिनियम का स्थान लिया और गैर–ऋण समितियों के पंजीकरण का विस्तार किया। इस अधिनियम के तहत सहकारी समितियों का निर्माण उनके सदस्यों को गैर–ऋण सेवाएं प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। इस अधिनियम ने सहकारी संघों को भी निर्मित करने का मार्ग प्रशस्त किया। इस अधिनियम के लागू होने के बाद, क्रेडिट सेक्टर में, शहरी कोऑपरेटिव बैंकों ने खुद को प्राथमिक सहकारी समितियों और व्यक्तियों को अपने सदस्य बनाकर केंद्रीय सहकारी बैंकों में बदल लिया। इसी तरह, नॉन–क्रेडिट गतिविधियों को भी सहकारी तरीके से संगठित किया गया, जैसे कि क्रय–विक्रय यूनियन, विपणन समितियां और गैर–कृषि क्षेत्र में, हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियां और अन्य कारीगर आदि।

2.3 सहकारिता पर मैक्लेगन समिति (1914): बैंकिंग संकट और प्रथम विश्व युद्ध दोनों ने सहकारिता के विकास को प्रभावित किया। हालांकि सहकारी समितियों में सदस्य जमाराशि में तेजी से वृद्धि हुई, युद्ध ने नकदी फसलों के निर्यात और कीमतों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में बकाया राशि और ऋण दर बहुत बढ़ गई। परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने सहकारी आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 1914 में सरकार ने सर एडवर्ड मैकलैगन की अध्यक्षता में सहकारिता पर एक समिति नियुक्त की, ताकि सहकारिता की स्थिति का अध्ययन किया जा सके और उनके भविष्य के लिए सिफारिशें की जा सकें। समिति मुख्यतः क्रेडिट कोऑपरेटिव्स से संबंधित थी।

समिति ने 1915 में कई संरचनात्मक और परिचालन संबंधी प्रस्तावों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इसमें हर प्रांत में एक मज़बूत तीन–स्तरीय ढांचा बनाने (ग्राम स्तर पर प्राथमिक समितियों, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंकों और सर्वोच्च स्तर पर प्रांतीय सहकारी बैंकों) के साथ एक पदानुक्रमित प्रणाली का प्रस्ताव दिया गया। इसने "मात्रा की अपेक्षा गुणवत्ता" पर जोर दिया गया और आंदोलन से आग्रह किया गया कि वह तीव्र, अनियोजित विस्तार के बजाय मौजूदा समितियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करें। इसके द्वारा सहकारी सिद्धांतों पर सदस्यों को शिक्षित करने और कर्मचारियों और रजिस्ट्रारों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया गया। बेहतर लेखापरीक्षा तंत्र, ऋण आवेदनों की सावधानीपूर्वक जांच और "एक सदस्य, एक वोट" सिद्धांत का कड़ाई से पालन करने की सिफारिश की गई। सहकारी समितियों को ऋण से परे विपणन, प्रसंस्करण और उपभोक्ता वस्तुओं जैसी गैर–ऋण गतिविधियों में विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

हालांकि, समिति ने इस आंदोलन में कई "स्पष्ट खामियों" को नोट किया, जिनमें जनमानस में निरक्षरता और अज्ञानता, धन का दुरुपयोग और व्यापक भाई–भतीजावाद, ऋण देने में अत्यधिक देरी, जनता में सहकारी समितियों को जन आंदोलन के बजाय सरकार द्वारा संचालित पहल के रूप में देखना आदि शामिल हैं। 1912 के अधिनियम के बाद, पहली सहकारी आवास समिति, मद्रास सहकारी संघ, 1918 में बंबई केन्द्रीय सहकारी संस्थान और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब आदि में सहकारी संस्थान स्थापित हुए। उपभोक्ता सहकारी समितियों और बुनकर सहकारी समितियों को छोड़कर, कई गैर–कृषि क्रेडिट सहकारी समितियों ने प्रायः अच्छा प्रदर्शन किया और इस दौरान उनकी शक्ति और परिचालन में बढ़ोतरी हुई।

2.4 भारत सरकार अधिनियम, 1919: वर्ष 1919 में, सुधार अधिनियम के पारित होने के साथ, एक विषय के रूप में सहकारिता को प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्ष 1925 का बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, जो पास होने वाला पहला प्रांतीय एक्ट था, ने एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत पेश किया। हालांकि, इस दौरान कृषि ऋण परिदृश्य चिंता का विषय था। विभिन्न प्रांतों में विभिन्न समितियों और सहकारी बैंकों ने समस्याओं का सामना किया। वर्ष 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने भी सहकारी क्षेत्र की समीक्षा की और भूमि गिरवी बैंकों की स्थापना की

सिफारिश की। कृषि और गैर–कृषि दोनों गैर–क्रेडिट सेक्टर में सहकारी समितियां बनाई गईं, लेकिन निजी विपणन एजेंसियों के विरोध और उनके पदाधिकारियों की अनुभवहीनता के कारण संचालन में अधिकांश कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसने शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सहकारी संस्थानों और संघों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस समय सहकारिता में एक प्रमुख विकास 1929 में अखिल भारतीय सहकारी संस्थाओं की स्थापना थी।

1934 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना कृषि ऋण के लिए एक प्रमुख विकास था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में स्वयं आरबीआई को कृषि ऋण विभाग स्थापित करने की आवश्यकता थी। चूंकि सहकारी समितियों को ग्रामीण विकास का माध्यम बनना था। परिणामस्वरूप, 1935 में लोकप्रिय निर्वाचित सरकारों की स्थापना के साथ ऐसे कार्यक्रम तैयार किए गए जिनमें ग्रामीण ऋणग्रस्तता को प्राथमिकता दी गई। 1937 में गठित मेहता समिति ने विशेष रूप से सहकारी ऋण समितियों के बहु–उद्देश्य वाली सहकारी समितियों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। द्वितीय विश्व युद्ध ने कृषि जिंसों की कीमतों में वृद्धि की जिससे किसानों को अधिक लाभ हुआ और परिणामस्वरूप सहकारी समितियों को अधिक नुकसान हुआ। घरेलू खपत के साथ–साथ कच्चे माल के लिए आवश्यक वस्तुओं की छोटी अवधि से निपटने के लिए, सरकार ने उत्पादकों और राशनिंग से वस्तुओं की खरीद का सहारा लिया, जिसके लिए उसने सहकारी समितियों का उपयोग करने का फैसला किया। इससे बहु–उद्देश्यीय सहकारी समितियों के विकास को गति मिली है। इसके अलावा वर्ष 1939–1945 के बीच की अवधि ने शहरी सहकारी ऋण संरचना के विकास को प्रोत्साहन दिया। कई सहकारी समितियों ने बैंकिंग कार्यों को शुरू कर दिया था, जिससे सहकारी गतिविधियों के पर्याप्त विविधिकरण के साथ आकार और परिचालन में वृद्धि हुई थी।

2.5 बहु–इकाई सहकारी समिति अधिनियम, 1942: दरअसल भारत सरकार अधिनियम, 1919 और 1935 के तहत, सहकारिता एक प्रांतीय विषय था। लेकिन जब संस्थाएं प्रांतीय सीमाओं के पार काम करने लगीं, तो एक केंद्रीय, सक्षम कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए एक नए अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। इसलिए बहु–इकाई सहकारी समितियां अधिनियम, 1942 (अधिनियम संख्या VI, 1942), ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा कई प्रांतों में संचालित सहकारी समितियों से उत्पन्न कानूनी अस्पष्टता को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस कानून की आवश्यकता सहकारी समितियों के विस्तार के संदर्भ में उत्पन्न हुई, विशेष रूप से केंद्रीय सरकार द्वारा वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए प्रायोजित उन समितियों के विस्तार के संदर्भ में, जो एक से अधिक प्रांतों में संचालित होती थीं। इस तरह इसका उद्देश्य उन सहकारी समितियों की कानूनी, कार्यात्मक और प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान करना था जिनके सदस्य और संचालन एक राज्य से अधिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इसने उन समितियों के लिए कानूनी निगरानी को सक्षम बनाया जिनका संचालन किसी एक राज्य तक सीमित नहीं था।

इसके तहत ऐसी सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के लिए प्रावधान करना था जिनका उद्देश्य किसी एक प्रांत तक सीमित न हो। इसने एक प्रांत में पंजीकृत समितियों को अन्य प्रांतों में भी काम करने की अनुमति दी और व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार की शक्तियों को राज्य रजिस्ट्रारों को सौंप दिया। यह आधुनिक कानून का अग्रदूत था, जो विशुद्ध रूप से स्थानीय सहकारी प्रयासों के बजाय बहु–इकाई सहकारी प्रयासों को मान्यता देने की दिशा में एक बदलाव का प्रतीक था। इस अधिनियम ने सहकारी आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 20वीं शताब्दी बाद में लागू किए गए व्यापक नियमों से पहले अंतर–राज्यीय सहयोग के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया।

2.6 सहकारी योजना समिति (1945): वर्ष 1944 में गाडगिल समिति ने ऋण के अनिवार्य समायोजन और कृषि ऋण निगमों की स्थापना की सिफारिश की, जहां भी सहकारी एजेंसियां पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थीं। श्री आर.जी. सरैया की अध्यक्षता में समिति वर्ष 1945 में गठित हुई थी, जिसने आर्थिक योजना के लोकतंत्रीकरण के लिए सहकारी समितियों को सबसे उपयुक्त माध्यम पाया और आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र की जांच की थी। समिति ने सिफारिश की कि प्राथमिक समितियों को बहुउद्देशीय समितियों में परिवर्तित किया जाए और अगले दस वर्षों के भीतर 30 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत गांवों को पुनर्गठित समितियों के दायरे में लाने का प्रयास किया जाए।

वर्ष 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरित होकर श्री मोरारजी देसाई एवं श्री त्रिभुवनदास पटेल के नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के दुग्ध उत्पादक 15 दिन की हड़ताल से दुग्ध आपूर्ति न किए जाने के कारण बाम्बे सरकार को अपने उस आदेश को वापस लेने के लिए विवश होना पड़ा जिसमें एक प्राइवेट डेयरी पॉलसन को एकाधिकार अधिप्राप्ति अधिकार दिए गए थे। उस समय एक इतिहास रचा गया जब दो प्राथमिक ग्राम दुग्ध उत्पादक समितियां अक्टूबर, 1946 में पंजीकृत हुईं। इसके तुरंत बाद 14 दिसम्बर, 1946 को खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक मिल्क यूनियन पंजीकृत हुई जिसे अमूल के नाम से जाना गया।

वर्ष 1947 में रजिस्ट्रार कांफ्रेंस ने संस्तुति की गई कि प्रांतीय सहकारी बैंकों का पुनर्गठन किया जाए ताकि केंद्रीय बैंकों के माध्यम से प्राथमिक समितियों को अधिक सहायता दी जा सके। पहली बार विपणन के साथ क्रेडिट को प्रभावी रूप से जोड़े जाने और उदार ऋणों एवं सब्सिडीज के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने के लिए विचार किया

गया ताकि बड़ी संख्या में गोदामों और प्रोसेसिंग प्लांट्स की स्थापना की जा सके। उल्लेखनीय है कि वैकुंठ भाई मेहता ने बाम्बे सरकार में सहकारिता के प्रभारी मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला जिसके बाद राज्य में सहकारिता आंदोलन को गति प्राप्त हुई। श्री जनार्दन मदन की अध्यक्षता में सहकारिता शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी समिति ने सहकारिता शिक्षा कार्यक्रमों और शिक्षा फंड की स्थापना हेतु संस्तुति की। कृषि साख संगठन समिति जिसके अध्यक्ष सर मणिलाल नानावती थे, ने कृषि वित्त के क्षेत्र में राज्य सहायता और सभी साख सहाकरी समितियों को बहुउद्देशीय सहकारिता समितियों में बदलने की सिफारिश की। इसने एक त्रिस्तरीय सहकारी साख बैंकिंग प्रणाली और विभिन्न सब्सिडी की संस्तुति भी की थी।

3. आजादी के बाद सहकारिता के प्रयास: वर्ष 1947 में भारत की आजादी के बाद सहकारी विकास को गति प्राप्त हुई जिसमें योजना आयोग द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजनाओं में सहकारी समितियों को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई।

3.1 अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (1951): सहकारिता के विकास में एक महत्वपूर्ण पहल सरकार द्वारा गठित ए डी गोरवाला समिति को भी माना जाता है, जिसे प्रायः अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति कहा जाता था। यह समिति वर्ष 1951 में नियुक्त की गई, जिसने 1954 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पाया कि देश के अधिकांश भागों में सहकारी समितियां नहीं हैं और जिन क्षेत्रों में हैं, वहां भी कृषि आबादी का एक बड़ा भाग इसकी सदस्यता में शामिल नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में जहां सदस्यता है, वहां भी साख जरूरतें (75.2 प्रतिशत) अन्य स्रोतों से पूरी की जाती हैं। समिति ने ग्रामीण साख की एक समेकित प्रणाली शुरू करने, सहकारी समितियों की शेयर पूंजी में सरकार की भागीदारी और उनके बोर्ड में सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की ताकि उनके प्रबंधन में हिस्सेदारी हो सके। समिति ने सहकारी समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण के महत्व पर भी जोर दिया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किया जाना एक अन्य संस्तुति थी। सरकार और चुनिंदा प्रतिनिधियों ने गोरवाला समिति की प्रमुख संस्तुतियों को स्वीकार कर नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग बोर्ड की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि यह सहकारी साख संस्थाओं के निर्माण में एक सक्रिय भूमिका निभा सके।

3.2 पहली पंचवर्षीय योजना (1951–56): इस योजना में देश में सहकारिता आंदोलन के विजन के बारे में विस्तार से बताया गया। आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के लिए अधिमान्य संगठनों के रूप में सहकारिता समितियों और पंचायतों पर बल दिए जाने का औचित्य बताया गया। इस योजना में सामुदायिक विकास के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए संगठन की सहकारी पद्धति को अपनाने पर बल दिया गया। इसमें शहरी सहकारी बैंकों, कामगारों की औद्योगिक सहकारिता समितियों, उपभोक्ता सहकारिता समितियों, आवासन सहकारिता समितियों, सहकारी प्रशिक्षण एवं शिक्षा के माध्यम से जानकारी के प्रसार का प्रावधान किया गया और यह संस्तुति की गई कि प्रत्येक सहकारी विभाग को सहकारी समितियों की स्थापना नीति का पालन करना चाहिए।

वर्ष 1953 में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों के कार्मिकों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना हेतु केंद्रीय सहकारिता प्रशिक्षण समिति की संयुक्त रूप से स्थापना की थी। परिणामस्वरूप अखिल भारतीय सहकारिता संघ और राज्य सरकारिता संघों को सहकारी संगठनों के सदस्यों और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया। वर्ष 1956 में पटना में संपन्न हुई आल इंडिया कोआपरेटिव कांग्रेस में सहकारी समितियों के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में राज्य की भागीदारी और सरकार के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इसमें यह संकल्प लिया गया कि ऐसे नामांकनों की संख्या कुल डायरेक्टर्स की संख्या का एक तिहाई से अधिक या तीन से अधिक नहीं होना चाहिए, उनमें से जो भी कम हो और यह ऐसी सहकारिता समितियों पर भी लागू हो जिनमें शेयर कैपिटल कुल शेयर कैपिटल का 50 प्रतिशत से अधिक होती है। इस सिफारिश को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

3.3 दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–61): इसमें राष्ट्रीय नीति के एक केंद्रीय लक्ष्य के रूप में 'नियोजित विकास की एक योजना के भाग के रूप में सहकारिता क्षेत्र के निर्माण' पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य आर्थिक कार्यकलाप का आधार बनने के लिए सहकारिता समितियों को अधिकाधिक रूप से सक्षम बनाना था। इस योजना में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की संस्तुतियों के आधार पर सहकारिता विकास के कार्यक्रम बनाए गए। यह परिकल्पना की गई कि एक गांव में प्रत्येक परिवार कम से कम एक सहकारी समिति का सदस्य अवश्य हो। किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्रेडिट और नान क्रेडिट समितियों को जोड़े जाने का लक्ष्य भी रखा गया। विभिन्न स्तरों पर सहकारी संस्थाओं के साथ राज्य की भागीदारी, जिसका अनिवार्य आधार सहायता था और न कि हस्तक्षेप या नियंत्रण, की सिफारिश की गई। इस पंचवर्षीय योजना में सहकारी समितियों में राज्य की भागीदारी को आसान करने के लिए नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट लांग टर्म फंड की भी संस्तुति की गई। इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट फंड की भी स्थापना की गई ताकि देश में नान क्रेडिट कोआपरेटिव संस्थाओं की शेयर

कैपिटल में अंशदान देने के उद्देश्य से ऋण लेने हेतु राज्यों को सक्षम बनाया जा सके। वर्ष 1956 के औद्यागिक नीति संकल्प में उन उद्यमों को राज्य सहायता की जरूरत पर बल दिया गया जो औद्योगिक और कृषि से सहकारिता के आधार पर संचालित थे, जिसका उद्देश्य एक विस्तृत प्रगतिशील सहकारी क्षेत्र का निर्माण करना था।

वर्ष 1956 में श्री एस.टी. राजा की अध्यक्षता में सहकारिता कानून संबंधी समिति ने राज्य सरकारों के विचार हेतु एक माडल विधेयक की सिफारिश की थी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल संकल्प (1958) ने भी सहकारिता क्षेत्र को प्रभावित किया था, जिसने इस बात पर बल दिया कि एक प्राथमिक इकाई के रूप में ग्राम समुदाय के आधार पर सहकारी समितियों का गठन किया जाना चाहिए और ग्राम सहकारिता समितियों तथा पंचायतों के बीच गहन समन्वयन होना चाहिए। संकल्प में यह भी संस्तुति की गई कि मौजूदा सहकारी विधान की प्रतिबंधात्मक विशेषताओं को हटाया जाना चाहिए। कई राज्य सरकारों ने इस माडल विधेयक की सिफारिशों के फलस्वरूप अपने अधिनियमों में संशोधन किए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारी विपणन और कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, सहकारी विकास की समेकित योजना का एक महत्वपूर्ण अंग थे। परिणामस्वरूप सभी राज्यों में करीब 1900 प्राथमिक विपणन समितियां बनीं और राज्य विपणन फेडरेशन की स्थापना हुई। केन्द्रीय स्तर पर नेशनल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन बनाया गया। बाद में इन्हीं विपणन सहकारी समितियों और कृषि सहकारिता समितियों ने किसानों को क्रेडिट एवं इनपुट देकर उनके बढ़े हुए उत्पादों की प्रोसेसिंग द्वारा हरित क्रांति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

3.4 तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–69): इस योजना में सहकारिता पर जोर देते हुए कहा गया कि 'सहकारिता को आर्थिक कार्यकलाप की सभी शाखाओं विशेषकर कृषि, लघु सिंचाई, लघु उद्योग एवं प्रोसेसिंग, विपणन, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवासन एवं निर्माण और स्थानीय समुदायों के लिए अनिवार्य सुविधाओं के क्षेत्र में अधिकाधिक रूप से एक प्रमुख आधार बनना चाहिए। यहां तक कि मध्यम उद्यम, बड़े उद्योगों और परिवहन क्षेत्र में अधिकाधिक कार्यकलापों को सहकारिता के आधार पर शुरू किया जा सकता है।

छठवें दशक के मध्य से एग्रो–प्रोसेसिंग सहकारिता विशेषकर शुगर और स्पिनिंग क्षेत्र में संख्या और अंशदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। यह मुख्यतः सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति और वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण सहायता के कारण हुआ। एनडीडीबी की स्थापना के साथ ही दुग्ध के क्षेत्र में सहकारिता समितियों के आनंद पैटर्न को दोहराने के लिए भारतीय दुग्ध सहकारी आंदोलन को गति प्राप्त हुई। वर्ष 1962 में भारत–चीन युद्ध के बाद उपभोक्ता सहकारी संरचना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूती मिली। सरकार ने एक नीति के रूप में उचित दर की दुकानों के आवंटन में उपभोक्ता अथवा अन्य सहकारी समितियों को वरीयता देने का निर्णय लिया और कुछ राज्यों ने केवल सहकारी समितियों को नई उचित दर दुकानों का आवंटन किया।

शहरी सहकारी साख समितियों में सार्वजनिक जमा बढ़ने से यह आवश्यकता महसूस की गई कि इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की डिपोजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत बीमा किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के चुनिंदा प्रावधानों और बाद में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 को सहकारी बैंकों पर 1 मार्च 1966 से लागू किया गया ताकि उनके बैंकिंग कार्य को विनियमित किया जा सके और डिपोजिटस का बीमा कवरेज हो सके। भारत सरकार ने केंद्रीय भूमि बंधक बैंकों के माध्यम से सहकारी समितियों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1962 में एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कार्पोरेशन को स्थापित किया।

वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की स्थापना एक सांविधिक निगम के रूप में की गई। यह भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के तहत 1963 में स्थापित एक वैधानिक निगम है, जो सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता और योजनाएं प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन, भंडारण, प्रसंस्करण और उत्पादन को बढ़ावा देकर सहकारी आंदोलन को मजबूत करना है। एनसीडीसी की स्थापना से सहकारी विपणन और प्रसंस्करण समितियों की प्रगति में बहुत अधिक तेजी आई।

अक्टूबर, 1964 में आनंद के दौरे के समय दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा लाए गए सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन से प्रभावित होकर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थापना की बात कही ताकि देश भर में दुग्ध के क्षेत्र में सहकारी समितियां के आनंद पैटर्न को दोहराया जा सके। इस दौरान कई संगठनात्मक घटनाक्रम हुए, जैसे कि विभिन्न राष्ट्रीय सहकारिता फेडरेशन की स्थापना किया जाना और नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया का पुनर्गठन आदि। वर्ष 1967 में पुणे में वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीच्यूट आफ कोआपरेटिव मैनेजमेंट की स्थापना की गई। इस दौरान उपभोकता सहकारी समितियों की प्रगति एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। इस अवधि में भूमि विकास बैंकों की प्रगति के साथ डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन के लिए ग्रामीण इलेक्ट्रिक सहकारी समितियां और श्रम सहकारी समितियों की स्थापना भी हुई।

3.5 चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–1974): इस योजना में सहकारी लघु अवधि और मध्यम अवधि संरचना को व्यवहार्य बनाने के लिए सहकारी समितियों के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसमें सहकारी समितियों को प्रबंधन सब्सिडी और शेयर कैपिटल अंशदान देने के लिए और साथ ही साथ केंद्रीय सहकारी बैंकों के पुनरुत्थान के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए। इसमें छोटे उत्पादकों के पक्ष में नीति बनाने की जरूरत भी रेखांकित की गई। वर्ष 1965 में मिर्धा समिति ने सहकारी समितियों की यथार्थता निर्धारित करने के लिए मानक तय किए और नकली सहकारी समितियों को समाप्त करने; स्वार्थी हितों को समाप्त करने के लिए मौजूदा सहकारी नियमों की समीक्षा करने के लिए उपाय सुझाए, जिसकी संस्तुतियों के फलस्वरूप अधिकांश राज्यों में सहकारिता विधान में संशोधन हुए जिसके कारण सहकारी समितियों की स्वायत्तता और प्रजातांत्रिक विशेषताएं प्रभावित हुईं।

3.6 पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–1979): इस योजना में बड़े स्तर पर सहकारी समितियों के अतिदेय और बकाये की ओर ध्यानाकर्षित करते हुए सहकारी विकास में क्षेत्रीय असंतुलनों को ठीक करने और सहकारी समितियों को वंचित लोगों की ओर उन्मुख करने पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया। वर्ष 1972 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त किए गए एक विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों के आधार पर सहकारी ढांचे में संरचनात्मक सुधार की परिकल्पना की गई। इस योजना में किसान सेवाएं सहकारी समितियों के गठन की संस्तुति की गई, जैसा कि कृषि संबंधी राष्ट्रीय आयोग द्वारा परिकल्पना की गई थी और सहकारी समितियों के व्यावसायिक आधार पर प्रबंधन की जरूरत पर बल दिया गया।

3.7 छठी पंचवर्षीय योजना (1979–1985): इस योजना में ग्रामीण निर्धनों की आर्थिक दशा सुधारने की दिशा में सुव्यवस्थित रूप से निदेशित सहकारी प्रयासों की महत्ता पर बल दिया गया। इस योजना में प्राथमिक कृषि साख समितियों को सशक्त और व्यवहार्य बहु–उद्देश्यीय इकाइयों में बदलने के लिए उन्हें पुनर्गठित करने की संस्तुति की गई। इसमें उपभोक्ता और विपणन सहकारी समितियों के बीच संपर्क मजबूत करने का सुझाव भी दिया गया। सहकारी फेडरल संगठनों की भूमिका को मजबूत करना, डेयरी, मस्य पालन और लघु सिंचाई सहकारी समितियों के विकास को मजबूत करना, छोटी और मध्यम सहकारी समितियों में जनशक्ति विकास कुछ नियोजित कार्यक्रम किए गए थे।

3.8 नाबार्ड अधिनियम, 1982: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 30 मार्च 1979 को बी. शिवरामन अध्यक्षता में कैफीकार्ड (कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्था की समीक्षा) समिति गठित की गई, जिसने कृषि व ग्रामीण ऋण की समीक्षा कर 'नाबार्ड' की स्थापना की सिफारिश की और इसके बाद ही राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम,1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना हुई, जो ग्रामीण विकास के लिए सबसे बड़ा ऋणदाता है। यह देश के सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त पोषण सहायता उपलब्ध कराता है और कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को क्रेडिट फ्लो बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधनों का अनुपूरण करता है।

3.9 बहु–राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984: वास्तविक बहु–राज्य समितियों के गठन और उनके कार्यकरण को आसान बनाने, प्रशासन एवं प्रबंधन में एकरूपता लाने के लिए एक व्यापक केंद्रीय विधान लाने के उद्देश्य से मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी अधिनियम,1984 पारित किया गया। इसके बाद मल्टी यूनिट कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट, 1942 रद्द कर दिया गया। यह एक व्यापक कानून है, जिसे एक से अधिक राज्यों में कार्य करने वाली सहकारी समितियों के एकीकरण और सुचारू संचालन के लिए बनाया गया था। यह कानून सहकारी समितियों को केंद्रीय रजिस्ट्रार के माध्यम से पंजीकृत करने और उनके कामकाज को व्यवस्थित करने का अधिकार देता है।

3.10 सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–1990): इस योजना में कहा गया कि सहकारी क्रेडिट के क्षेत्र में हुई चहुंमुखी प्रगति के बावजूद ऋणों की कम वसूली और बड़े स्तर पर अतिदेय और बकाये (ओवर–ड्यूज) चिंता के विषय हैं। इस योजना के दौरान प्राथमिक कृषि साख समितियों की बहुत सी व्यवहार्य इकाइयों के रूप में स्थापना करने; क्रेडिट प्रवाह को बढ़ाने के लिए नीति एवं प्रक्रियाओं में तालमेल बढाने, विशेषकर कमजोर वर्गों को इनपुट और सेवाएं सुनिश्चित करने; पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम; शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता शहरी आंदोलन को मजबूत करने और व्यावसायिक प्रबंधन के संवर्धन की संस्तुति की गई।

स्वायत्त सहकारिता आंदोलन के प्रचारकों की मांग और सहकारिता विधान में संशोधन के साथ ही सरकार ने वर्ष 1985 में सहकारी समितियों को प्रजातांत्रिक बनाने और व्यवसायीकरण के लिए सहकारिता विधान के संबंध में के. एन. अराधनाश्वरन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने राज्य सहकारिता अधिनियमों में उन कानूनी प्रावधानों को हटाने की संस्तुति की, जो सहकारी समितियों की स्वायत्तता और प्रजातांत्रिक विशेषताओं को समाप्त करती है। कई ऐसे प्रावधानों की संस्तुति भी की जो सहकारी समितियों में व्यावसायिक प्रबंधन लाने के लिए प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं को सक्रिय बना सके। इसी प्रकार, वर्ष 1989 में प्रो. ए. एम. खुसरो की अध्यक्षता में कृषि साख सहकारी समिति ने कृषि एवं ग्रामीण साख समस्याओं की जांच कर एक सुव्यवस्थित सुधार की सिफारिश की। इसने संस्तुति की कि आठवी योजना में कमजोर कृषिगत साख समितियों के पुनरुद्धार के लिए एक योजना होनी चाहिए।

3.11 मॉडल सहकारी कानून, 1990: वर्ष 1990 में योजना आयोग द्वारा चौधरी ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्ति की गई जिसका उद्देश्य सहकारिता आंदोलन की स्थिति की शीघ्रता से समीक्षा करना, भावी दिशा निर्देश सुझाना और माडल कोआपरेटिव एक्ट को अंतिम रूप देना था। इसने अपनी रिपोर्ट मई 1991 में प्रस्तुत की। चूँकि, सहकारिता राज्य का विषय है, जिसके चलते प्रत्येक राज्य के अपने सहकारिता विधान हैं और उनकी सहकारी समितियां हैं जिनकी सदस्यता उस राज्य तक ही सीमित है। परिणामस्वरूप, समिति की रिपोर्ट एक ड्राफ्ट मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट के साथ राज्य सरकारों को उनके विचार और राज्य स्तर पर उसे अपनाने के लिए उनके पास भेजी गई।

चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति (1990) द्वारा तैयार मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट (मॉडल सहकारी कानून), भारत में सहकारी समितियों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करने और उन्हें वास्तव में स्वायत्त, लोकतांत्रिक और सदस्य–केंद्रित संस्थानों के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के लिए एक ऐतिहासिक सिफारिश थी। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा सहकारी कानूनों के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को हटाकर सहकारिता के विकास की सुविधा प्रदान करना था। इसने समितियों के कामकाज में बाधा डालने वाले सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया। समिति ने एक ऐसे मॉडल कानून की सिफारिश की जो सहकारी समितियों को एक एकीकृत और स्वतंत्र संरचना प्रदान करे। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों को मौजूदा सहकारी कानूनों को इस तरह से संशोधित करने के लिए प्रेरित करना था कि सहकारी समितियों को उनके सही सहकारी चरित्र में कार्य करने में मदद मिले, क्योंकि वर्ष 1990 के बाद सरकार द्वारा उदारीकृत आर्थिक नीतियों को अपनाए जाने के फलस्वरूप केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों पर ऐसे बदलाव लाने हेतु दबाव बढ़ गया ताकि सहकारी समितियों को निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक समान वातावरण उपलब्ध हो सके।

3.12 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–1997): इस योजना में सहकारिता आंदोलन को अधिक स्वायत्तता देकर आंदोलन को प्रजातांत्रिक बनाकर इसे एक स्व प्रबंधित, स्व–नियमित और आत्मनिर्भर संस्थागत ढांचे के रूप में सहकारिता आंदोलन के विकास पर बल दिया गया। इसमें आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए और छोटे किसानों, श्रमिकों, शिल्पकारों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सहकारी समितियों की क्षमता बढ़ाने की बात भी कही गई और व्यावसायिक प्रबंधन में सहकारी कार्यकर्ताओं के विकास और प्रशिक्षण पर बल दिया गया।

3.13 नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002): इस योजना के एक भाग के रूप में सहकारी समितियों के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया। चूंकि, सहकारिता राज्य का विषय है और मॉडल सहकारिता अधिनियम के अनुसार राज्य सहकारिता अधिनियमों को संशोधित किए जाने से आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, सहकारिता और सिविल सोसाइटी के एक वर्ग ने आत्मनिर्भर सहकारी समितियों के लिए समानांतर सहकारिता विधान लाने हेतु कार्रवाई शुरू की गई। आत्मनिर्भर सहकारी समितियां प्रायः उन समितियों को कहा जाता है जिन्होंने इक्यूटी अंशदान, ऋण और गारंटी के रूप में सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं की है। ये अधिनियम मुख्यतया चौधरी ब्रह्म प्रकाश की संस्तुतियों पर आधारित थे। दस राज्यों यथा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना (1995), मध्य प्रदेश (1999), बिहार (1996), जम्मू और कश्मीर (1999), उडीसा (2001), कर्नाटक (1997), झारखंड (1996), छत्तीसगढ़ (1999) और उत्तरांचल (2003) ने समानांतर सहकारिता अधिनियम बनाए हैं जो समर्थकारी हैं और सहकारी समितियों की स्वायत्तता व प्रजातांत्रिक कार्यकरण को सुनिश्चित करते हैं।

3.14 बहु–राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002: एमएससीएस अधिनियम, 2002 एक केंद्रीय कानून है जो उन सहकारी समितियों को नियंत्रित करता है जिनके सदस्य या गतिविधियाँ एक से अधिक राज्यों में फैली हुई हैं। यह 19 अगस्त 2002 को लागू हुआ, जो 1984 के अधिनियम का स्थान लेता है। इसका उद्देश्य लोकतान्त्रिक कार्यप्रणाली, सुशासन, पारदर्शिता और एक से अधिक राज्यों में सहकारी समितियों के कामकाज को सरल बनाना है। यह संपूर्ण भारत में लागू होता है। ऐसी समितियाँ जिनके कार्य या सदस्य एक से अधिक राज्यों में हैं, वे इसके अंतर्गत आती हैं। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को सदस्यों के बीच स्व–सहायता और आपसी सहायता के आधार पर सुचारू रूप से संचालित करना है। यह ऋण, आवास, कृषि, उपभोक्ता, विपणन, और दुग्ध जैसे विभिन्न क्षेत्रों की सहकारी सोसायटियों को कवर करता है। यह अधिनियम सहकारी समितियों को एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिससे वे बिना किसी राज्य–विशिष्ट कानूनी विवाद के कुशलतापूर्वक काम कर सकें।

3.15 राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2002: वर्ष 2002 में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश में सहकारी समितियों के चहुंमुखी विकास को सुगम करना था। 3 जुलाई 2002 को इस क़ानून में सहकारी समितियों को आवश्यक सहायता, प्रोत्साहन और सहायता उपलब्ध कराने का वायदा किया गया ताकि स्वायत्त, आत्मनिर्भर और प्रजातांत्रिक ढंग से प्रबंधित संस्थाओं के रूप में उनके कार्यकरण को सुनिश्चित किया जा सके, जो अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी हों तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकें।

राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के एक सम्मेलन में की गई संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार ने वर्ष 2002 में राष्ट्रीय सहकारिता नीति के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार करने हेतु मंत्रालयी टास्क फोर्स का गठन किया, जिसने सुझाव दिया कि समानांतर कानूनों के स्थान पर एक एकल कानून राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। यह संस्तुति भी की, कि सहकारी समितियों के अराजनीतिकरण के लिए संसद सदस्यों अथवा विधान सभाओं के सदस्यों को किसी भी सहकारी समिति में किसी पद को धारण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

3.16 कंपनी सुधार अधिनियम, 2002: डॉ. वाई. के. अलघ की अध्यक्षता में एक समिति ने कंपनी अधिनियम 1956 में संशोधन किए जाने की संस्तुति की। इस समिति की संस्तुतियों के आधार पर संसद में प्रोड्यूजर कंपनी बिल लाया गया। यह कंपनी अधिनियम 1956 में पार्ट IXA–प्रड्यूजर कंपनी के रूप में 6 फरवरी, 2003 को कानून बन गया। पारस्परिक सहायता के सहकारी सिद्धांतों के आधार पर इसमें संस्थागत स्वरूप के एक विकल्प का प्रावधान है जो सहकारी उद्यमों को उपलब्ध है।

3.17 दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007): इस योजना में सहकारी समितियों को स्वायत्त, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित संस्थाओं के रूप में पुनर्गठित करने पर बल दिया गया। ग्रामीण सहकारी साख संरचना को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय पैकेज और कानूनी सुधारों पर जोर दिया गया। समितियों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया और सहकारी साख संस्थाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 8000 करोड़ रुपये की पुनर्पूंजीकरण आवश्यकता का अनुमान लगाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से गोदामों/भंडार गृहों के निर्माण को बढ़ावा दिया गया। चीनी, कपास, और तेल जैसे कृषि–प्रसंस्करण में सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बहु–राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत राज्य सरकारों को सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इस तरह, दसवीं योजना ने सहकारिता को "व्यापारिक उद्यम" के रूप में विकसित करने और ग्रामीण साख को दोगुना करने का लक्ष्य रखा, जिससे वे 8 प्रतिशत की कृषि विकास दर में योगदान दे सकें।

3.18 सहकारी साख संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए टास्क फोर्स, 2004: ग्रामीण सहकारी साख प्रणाली को सुचारु बनाने, ग्रामीण साख को तीन वर्षों में तिगुना करने और छोटे एवं सीमांत कृषकों की कवरेज को संस्थागत ऋण देकर पर्याप्त रूप से बढ़ाने के उद्देश्यों से भारत सरकार ने अगस्त 2004 में प्रो. ए वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित किया, जिसका कार्य ग्रामीण सहकारी साख संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए कार्ययोजना और इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय सुझाना था। इसने संस्तुति की कि कोई भी वित्तीय पुर्नसंरचना जो सहकारी सिस्टम की कमजोरियों के मूल कारणों को दूर नहीं करती है, इसका सतत पुनरुत्थान नहीं करेगी और कानूनी उपायों की जरूरत होगी। इस टास्क फोर्स की संस्तुतियां उसके विचारणीय विषयों के अनुरूप मुख्यतया साख समितियों के पुनरुत्थान तक सीमित रहीं हैं। वैद्यनाथन समिति ने एक ऐसे माडल सहकारिता कानून का भी सुझाव दिया जिसे राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित किया जा सकता था। इसकी संस्तुतियों को अभी कार्यान्वित किया जा रहा है। वैद्यनाथन समिति ने दीर्घकालिक सहकारी साख संरचना के संबंध में भी अपनी रिपोर्ट दी है।

3.19 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012): इस योजना में "तीव्र और अधिक समावेशी विकास" के अंतर्गत सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया ताकि कृषि उत्पादकता बढ़ाने, महिलाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा सके। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सस्ता कर्ज, उन्नत बीज, उर्वरक और विपणन की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे 4 प्रतिशत की कृषि विकास दर का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। योजना ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने और कमजोर वर्गों तक ऋण की पहुँच बढ़ाकर ग्रामीण गरीबी को कम करने की रणनीति अपनाई। सहकारिता को सामाजिक सशक्तिकरण के उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया, जिसमें महिला सहकारिता समितियों को बढ़ावा देना शामिल था ताकि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँच सके। ग्रामीण अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए सहकारी संरचना का उपयोग किया गया ताकि क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सके। इस तरह, 11वीं योजना का लक्ष्य सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना था ताकि समावेशी और तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त किया जा सके।

3.20 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017): इसमें सहकारिता के विकास की दिशा में प्राथमिक कृषि साख समितियों (पीएसीएस) और लैम्प्स (विशाल क्षेत्र बहुउद्देशीय समितियां) को पुनर्जीवित कर उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत और लाभदायक बनाना था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बेहतर ऋण सहायता मिल सके। इस दौरान महिला सहकारी समितियों और सूक्ष्म ऋण समूहों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, जिससे ग्रामीण स्तर पर छोटी बचत को प्रोत्साहन मिले और इन्हें क्रेडिट संस्थानों से जोड़ा जा सके। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण के मुख्य स्रोत के रूप में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। ग्रामीण महिलाओं को छोटी बचत के लिए प्रोत्साहित

करने और सहकारी समितियों के माध्यम से उनकी भूमिका बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म ऋण समूहों को सहकारिता से जोड़कर उन्हें बढ़ावा दिया गया। योजना का लक्ष्य सहकारी प्रणाली को अधिक समावेशी बनाना था, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। यह योजना 'तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास' पर केंद्रित थी, जिसमें ग्रामीण सहकारी संस्थानों का महत्वपूर्ण स्थान था।

3.21 सहकारिता मंत्रालय, 2021: भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय का गठन 6 जुलाई 2021 को 'सहकार से समृद्धि' के विजन के साथ किया गया, जिसका उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। यह सहकारी क्षेत्र के लिए नीतिगत, कानूनी और प्रशासनिक ढांचा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के लिए 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' को आसान बनाना, पारदर्शिता लाना और आधुनिकीकरण/कंप्यूटरीकरण करना, 'सहकार से समृद्धि' के तहत हर गांव तक सहकारिता पहुंचाना और सहकारी–आधारित आर्थिक मॉडल विकसित करना है। यह मंत्रालय "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य के साथ देश के विकास में सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें सशक्त बनाने और सहकारी आंदोलन को नई ऊंचाई देने के लिए काम कर रहा है।

3.22 राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025: भारत में सहकारी आंदोलन को आधुनिक बनाने और 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए "सहकार से समृद्धि" के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारिता नीति को 24 जुलाई 2025 को जारी किया गया है। यह नीति छह रणनीतिक स्तंभों (कानूनी सुधार, डिजिटलीकरण, पेशेवर प्रबंधन) के तहत 10 वर्षों में 16 लक्ष्यों को प्राप्त करने का खाका पेश करती है, जिसमें हर गांव में एक सहकारी संस्था और नए क्षेत्रों में विस्तार शामिल है। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को आधुनिक, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे 2047 तक भारत के आर्थिक विकास के 'दूसरे इंजन' बन सकें। इस नीति के छह रणनीतिक मिशन : नींव को मजबूत करना (कानूनी सुधार, बेहतर शासन और वित्त तक पहुंच), जीवंतता को प्रोत्साहन (नए ग्रामीण क्लस्टर और निर्यात को बढ़ावा देना) भविष्य के लिए तैयार करना (तकनीक एकीकरण (डिजिटल साक्षरता, सहकारी स्टैक), समावेशिता (महिला, दलित और आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना), नए क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार (बायोगैस, स्वच्छ ऊर्जा, भंडारण और स्वास्थ्य देखभाल जैसे नए क्षेत्रों में प्रवेश), युवा पीढ़ी को जोड़ना (सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को जोड़ना) हैं। नीति का मसौदा पूर्व मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता वाली 48–सदस्यीय समिति द्वारा तैयार किया गया था। यह नीति "सहकार से समृद्धि" के विजन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। यह नीति ग्रामीण भारत, महिलाओं, छोटे किसानों और कमजोर वर्गों को सहकारी आंदोलन के माध्यम से मुख्यधारा के आर्थिक विकास से जोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है।

4. निष्कर्ष एवं सुझाव: उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में सहकारिता समाज के वंचित वर्गों के आर्थिक और सामाजिक शोषण के जवाब में उभरा है, जिनका मुख्य उद्देश्य शोषण को कम करना और इस प्रकार अपने सदस्यों की स्थिति में सुधार करना था। लाभ को अधिकतम करना कभी भी प्रमुख लक्ष्य नहीं रहा है। नए परिवेश में सहकारी समितियों को बिना किसी सरकारी संरक्षण और समर्थन के अपने दम पर अन्य प्रकार के संगठनो के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। संगठन के रूप में सहकारिता दुनिया के विकसित और विकासशील दोनों देशो में व्यापक रूप से प्रचलित है। उन्हें भारत सहित विकासशील देशो में ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। वर्ष 1904 में अपने जन्म के बाद से, भारत में सहकारी समितियों ने एक लंबा और कठिन रास्ता तय किया है। अब, वे अपनी सदस्यता, व्यापार टर्न ओवर, और अपने सदस्यों के सामाजिक–आर्थिक कल्याण में योगदान और इसलिए ग्रामीण विकास के मामले में भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका को विस्तृत स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। इस क्षेत्र में निहित संभावनाओं का पूरा–पूरा दोहन देश के विकास को नये आयाम दे सकता है। वैश्वीकरण के इस दौर में जब अधिकतर सार्वजनिक उपक्रम अपनी अतिशय प्रतिबद्धता के कारण उतने सफल सिद्ध नहीं हो रहे हैं तथा निजी उपक्रमों में सामाजिक दायित्वों और सामाजिक प्रतिबद्धताओं के प्रति उतनी मानसिक तत्परता का अभाव है, तब देश की जनसंख्या के बड़े भाग के सामाजिक–आर्थिक विकास की दिशा में सहकारिता से बहुत सारी उम्मीदें जगती हैं। भारत जैसे देश में सहकारिता एक ऐसा उपकरण सिद्ध हो सकता है जिसमें एक साथ गरीबी से लड़ने, खाद्य सुरक्षा देने और रोजगार सृजित करने की असीम क्षमता विद्यमान है। जरूरत बस इस बात की है कि सहकारी संस्थाओं के लोकतांत्रिक तथा समावेशी स्वरूप को बचाते हुए उन्हें उद्यम और कारोबार की आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में उनकी मदद की जाए।

स्रोत एवं संदर्भः

1. मिश्रा, बिस्वा स्वरूप (2006)। भारत में प्राथमिक सहकारी समितियों का प्रदर्शनः एक अनुभवजन्य विश्लेषण। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर (http://mpra.ub.uni-muenchen.d//21890)।

2. तैमनी, के. के (2014)। इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव्स द केस ऑफ शुगर को–ऑपरेटिव्स इन महाराष्ट्र। एशिया की ग्रामीण सहकारी समितियाँ। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड एंड आईबीएच पब्लिशिंग कंपनी।
3. अष्टांकर ओ.एम (2015)। भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए सहकारी आंदोलन का महत्व। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च। 2015;1(11): 557–561।
4. तिवारी, एम.एम. (2015)। इंटीग्रेशन ऑफ फिशरीज एंड फिशरीज को–ऑपरेटिव्स इन बिजनेस डेवलपमेंट इन द न्यू मिलेनियम। द कोऑपरेटर, 38(8), फरवरी, 2015।
5. सिंह एस (2016)। वैश्वीकरण शासन के तहत भारत में सहकारी आंदोलन की समस्याएं और संभावनाएं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, 2016;3(4):59, डीआईपी: 18.01.073 / 20160304,
6. तिवारी, एस.के (2016)। सहकारी समितियों की वित्तीय भेद्यतारू कुछ नीतिगत प्रभावों के लिए अंतर्निहित कारणों का विश्लेषण। भारतीय कृषि अर्थशास्त्र जर्नल, 51 (4) ।
7. वरदे, पी. संगीता और बीडी भोले (2016)। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सहकारी कताई मिलों का प्रदर्शन और संभावनाए। भारतीय कृषि अर्थशास्त्र जर्नल, 51 (4)।
8. सिंह, लोटन एवं जे चटराज (2016)। डेयरी सहकारी समितियो की सेवा के माध्यम से पारिवारिक श्रम आय में वृद्धि। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, 51 (4), 2016।
9. सूर्यवशी, एस. डी. एवं एन.एस. गायकवाड़ (2016)। एकीकृत ग्रामीण विकास में वाराना सहकारी चीनी कारखाने का प्रदर्शन और उपलब्धियां एक केस स्टडी, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, 51 (4), 2016।
10. तिवारी एम, अहिरवार जी.एस (2017)। भारत में सहकारिताओं की उत्पत्ति और विकास। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 2017;2(5):878–889।
11. सिंह, कटार और वीरेंद्र पी सिंह (2018)। भारत में डेयरी डेवलपमेंट रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट। रिसर्च पेपर 15, इस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद, 2018।
12. इंदिरा आर, परमशियाविया (2019)। ए स्टडी ऑन कोऑपरेटिव सेक्टर बैंकस इन इंडियाः प्रॉब्लम्स और प्रॉस्पेक्ट्स। जर्नल ऑफ एडवांसेज एंड स्कॉलरली रिसर्चेस इन एलाइड एजुकेशन। इग्नाइटेड माइंड्स जर्नल्स। 2019;16(5):203–208।
13. साहू, आलोक के, सनत के. मेहर, तारक सी. पांडा, सुश्रिता साहू, रुकैया बेगम, और एन. सी. बारिक (2020)। "भारत में कृषि विकास में सहकारी समितियों पर आलोचनात्मक समीक्षा"। करेंट जर्नल ऑफ़ एप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 39 (22):114–21। https://doi.org/10.9734/cjast/2020/v39i2230850.
14. शेखावत, महेन्द्र, स्वेच्छा मित्तल, गुरमीत कौर (2021)। भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड साइंस रिसर्च रिव्यू, वॉल्यूम–8, अंक–3 मई–जून–2021, पृष्ठ 138–148।

आलेख उद्धरित करें :	नाथ, गजेन्द्र एवं सिंह, अजय (2026)। भारत में सहकारी विकास हेतु सरकारी प्रयासों का अवलोकन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ एकेडमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–1, जनवरी–मार्च, 2026, पृष्ठ 11–21। https://doi.org/10.5281/zenodo.21624258

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत में वित्तीय समावेशन में सहकारी समितियों की भूमिका का अध्ययन

डॉ. मुकेश कुमार[1], पवन कुमार सिंह[2]

1. **असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट।
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान),** सावित्री बाई फुले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चकिया, चंदौली।

(**Corresponding Author:** mukeshkumaralld@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21624757

सारांश

भारत में, सह–स्वामित्व वाले सहकारी संगठन कम आय वाले समुदायों के लिए एक लगातार चुनौती, वित्तीय बहिष्कार का एक अनूठा समाधान प्रदान करते हैं। पारंपरिक लाभ–संचालित संस्थानों के विपरीत, सहकारी संगठन सामाजिक प्रभाव और वित्तीय व्यवहार्यता को प्राथमिकता देते हैं, सस्ती सेवाओं, अनुरूप पेशकशों, सामुदायिक निर्माण और वित्तीय साक्षरता शिक्षा के माध्यम से कमियों को पूरा करते हैं। यह अध्ययन वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सहकारी संगठनों की बहुआयामी भूमिका की जांच करता है, जिसमें ग्रामीण आबादी, महिलाओं और शहरी गरीबों सहित हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाने में उनके योगदान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह शोध उनके सामाजिक–आर्थिक लाभों पर प्रकाश डालता है, जैसे गरीबी उन्मूलन, उद्यमिता और न्यायसंगत धन वितरण, जबकि शासन के मुद्दों, वित्तीय कुप्रबंधन और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का भी समाधान करता है। द्वितीयक डेटा के गुणात्मक विश्लेषण के माध्यम से, यह अध्ययन यह पता लगाता है कि सहायक नियम और तकनीकी नवाचार उनकी प्रभावशीलता को कैसे बढ़ा सकते हैं। यह अध्ययन सहकारिता की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए मजबूत शासन, साझेदारी और डिजिटल प्रगति की आवश्यकता पर जोर देती हैं। अंततः ये निष्कर्ष एक मजबूत सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं, जो भारत में समावेशी विकास और सतत विकास प्राप्त करने में सहकारी संगठनों को महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में स्थापित करता है।

आलेख सूचना			
	प्राप्त: 19 जनवरी, 2026	**स्वीकृत:** 11 फरवरी, 2026	**प्रकाशित:** 31 मार्च, 2026
	सारणी: 00	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 16
	मुख्य शब्द: सहकारिता, वित्तीय समावेशन, वित्तीय सेवाएं, समावेशी विकास, ग्रामीण विकास।		

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि: सहकारिता एक खास तरह के संगठन होते हैं जिन्हें ऐसे लोग बनाते हैं, जो अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। इन स्वैच्छिक समूहों के सदस्यों की इस बात में आवाज होती है कि सहकारिता कैसे चलाया जाएगा, क्योंकि इसका प्रशासन लोकतांत्रिक तरीके से होता है। सहकारिता का मालिकाना हक इसके सदस्यों के पास संयुक्त रूप से होता है, जो इसे सामान्य निगमो से अलग बनाता है। इस संगठन की मदद से, वे अपने लक्ष्यों और आपसी समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। भारत में सहकारी आंदोलन 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ था ताकि शोषण करने वाले साहूकारों और जमींदारों के कारण होने वाली ग्रामीण परेशानियों को खत्म किया जा सके। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने 1904 में सहकारी क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट लागू करके एक बड़ा कदम उठाया, जिसने भारत के ग्रामीण इलाकों में सहकारी क्रेडिट सोसाइटियों के गठन की अनुमति दी। इसने भारत के औपचारिक सहकारी आंदोलन की नींव रखी। 1912 के सहकारी सोसाइटी एक्ट ने सहकारिता गतिविधियों को कृषि और भंडारण जैसे गैर–क्रेडिट क्षेत्रों तक और बढ़ाया। 1947 में आजादी के बाद, जवाहरलाल नेहरू के साथ, सहकारिता सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हो गए। उन्हें भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया गया। हरित क्रांति के दौरान, सहकारी समितियों ने किसानों को क्रेडिट, बीज और उर्वरक प्रदान किए, जिससे कृषि विकास में योगदान मिला। डेयरी सहकारी समितियों, विशेष रूप से भारत के गुजरात राज्य में अमूल सहकारी समिति ने ''श्वेत क्रांति'' में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20वीं सदी के अंत तक, सहकारी समितियों ने डेयरी, चीनी, कपड़ा और मत्स्य पालन जैसे विभिन्न

क्षेत्रों में विविधता लाई। हालांकि, उन्हें शासन, राजनीतिक हस्तक्षेप और वित्तीय कुप्रबंधन से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे भारत सरकार और राज्य सरकारों को सुधार लागू करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें 2002 का बहु–राज्य सहकारी समितियां अधिनियम शामिल है।

आज, भारतीय सहकारी समितियां प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आधुनिक चुनौतियों के अनुकूल हो रही हैं, जो देश के सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में उनके स्थायी महत्व को रेखांकित करता है। सहकारी समितियां कम सेवा वाले समुदायों तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक अनूठा समाधान प्रदान करती हैं। पारंपरिक लाभ–संचालित संस्थानों के विपरीत, सहकारी समितियों का स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से उनके सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में सहकारी समितियां वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, व्यक्तियों को सशक्त बनाती हैं और वित्तीय बाजार प्रतिभागियों के लिए व्यावसायिक अवसर प्रदान करती हैं (सिद्धाराजू, वी. 2012)। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि, सहकारी समितियां भारत में वित्तीय समावेशन और व्यापक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे गरीब किसानों, ग्रामीण गैर–कृषि उद्यमों और अन्य कमजोर समूहों की रहने की स्थिति में सुधार होता है (लक्ष्मी, पी., और विशालाक्षी, एस. 2013)।

2.2. भारत में सहकारी समितियों का विकास : भारत में एक बड़ी चुनौती यह है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर है। यह ''वित्तीय बहिष्कार'' उन्हें आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच से वंचित करता है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता में बाधा आती है। इस अंतर को पाटने के लिए, ''वित्तीय समावेशन'' की अवधारणा उभरी है। इस पहल का उद्देश्य बिना बैंक वाले लोगों को औपचारिक बैंकिंग के फायदों के बारे में शिक्षित करना है, जैसे सुरक्षित बचत, निवेश और आपातकालीन ऋण, सुविधाजनक भुगतान विकल्प और वित्तीय प्रबंधन उपकरण। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर, भारत अपने नागरिकों को सशक्त बना सकता है और उनकी पूरी आर्थिक क्षमता को उजागर कर सकता है। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को महत्वपूर्ण वित्तीय साधनों तक पहुंच प्राप्त हो। इसमें सुरक्षित रूप से पैसे बचाना, निवेश या आपात स्थिति के लिए उधार लेना, कुशलता से भुगतान करना और प्राप्त करना, और बीमा के माध्यम से खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखना शामिल है। इन सेवाओं को प्रदान करके, वित्तीय समावेशन लोगों और कंपनियों को अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से शामिल होने की अनुमति देता है। वित्तीय समावेशन वैश्विक आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन 2050 तक आर्थिक विकास और समानता में संभावित लाभ और जोखिमों के साथ योगदान दे सकता है। अब, कपूर, ए. (2014) की भविष्यवाणी सफल होने जा रही है और वित्तीय समावेसन कम शिक्षा और वित्तीय साक्षरता वाले संभावित ग्राहकों के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान करके, सबसे कम विकसित और विकासशील देशों में स्थायी विकास को बढ़ावा देकर स्थायी विकास के लिए एक उपकरण बन गया है।

2.1. वित्तीय समावेशनः सहकारी समितियों के माध्यम से वित्तीय समावेशन ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से महिलाओं, अल्पसंख्यक समूहों, बच्चों और प्राकृतिक और कृत्रिम आपदाओं के कारण गरीबी रेखा से नीचे धकेले गए लोगों के विकास में (लाल, टी. 2019)। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है, खासकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में। सहकारी समितियाँ वित्तीय सेवाओं, सामाजिक पूंजी और लोकतांत्रिक स्वामित्व के अनूठे मिश्रण की पेशकश करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शक्तिशाली उपकरणों के रूप में उभरी हैं। यह अध्ययन समुदायों को सशक्त बनाने और समावेशी वित्तीय प्रणालियों को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों द्वारा निभाई जाने वाली बहुआयामी भूमिका की पड़ताल करता है। यह शोध इस बात की पड़ताल करता है कि सहकारी समितियाँ आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच कैसे प्रदान करती हैं, सामाजिक पूंजी और सदस्य स्वामित्व को बढ़ावा देती हैं, ग्राहक–केंद्रित दृष्टिकोण अपनाती हैं, स्थानीय क्षमता और वित्तीय साक्षरता का निर्माण करती हैं और पहुँच के लिए तकनीकी नवाचार का लाभ उठाती हैं। इसके अतिरिक्त, यह समीक्षा सहकारी समितियों को वित्तीय समावेशन को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने में सक्षम बनाने के लिए सहायक नियामक ढाँचे के महत्व की जाँच करती है।

2.3. अध्ययन के उद्देश्य : अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1. वित्तीय समावेशन पर सहकारी समितियों के प्रभाव की जाँच करना।
2. सहकारी–संचालित वित्तीय समावेशन के सामाजिक–आर्थिक लाभों का विश्लेषण करना।
3. वित्तीय समावेशन के विस्तार में सहकारी समितियों के लिए चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना।
4. सहकारी समितियों द्वारा वित्तीय समावेशन को प्रभावी और सक्षम बनाने के नियामक ढाँचे की जाँच करना।

3. साहित्य की समीक्षा : चिन्मय नायडू (2025) ने आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के मुख्य चालक के रूप में वित्तीय समावेशन पर प्रकाश डाला है, जो हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने, वित्तीय साक्षरता में असमानताओं को दूर करने, ग्रामीण भारत में बैंकिंग पहुंच की चुनौतियों पर काबू पाने और समावेशी वित्तीय विकास को बढ़ाने के

लिए डिजिटल बैंकिंग, संस्थागत ढांचे और नीति–संचालित पहलों की वकालत करने में इसकी भूमिका पर जोर देते हैं। गुप्ता और शर्मा (2024) के अनुसार, वित्तीय समावेशन स्थायी आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख चालक रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां छोटे और सीमांत किसान वित्तीय सहायता के लिए सहकारी समितियों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। सहकारी समितियां वित्त तक पहुंच में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में कॉर्पोरेट प्रशासन में वृद्धि होती है। यह साहित्य सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए सहकारी रणनीतियों से जुड़े महत्वपूर्ण लाभों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करता है।

ऑल्टमैन (2009, 2014) के अनुसार, सहकारी समितियां सदस्यों की आय बढ़ा सकती हैं और उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकती हैं। हालांकि, एसेजा और न्याकुंडी (2023) के शोध में सहकारी समितियों के वैश्विक इतिहास और प्रभाव का पता लगाया गया है। यह पेपर अमेरिका में उनकी उत्पत्ति और भारत और अफ्रीका जैसे अन्य देशों में उनके प्रसार का पता लगाता है। लेखक उनकी सफलता के कारणों के रूप में गठन में आसानी, मजबूत शासन और सदस्य एकता जैसे कारकों पर प्रकाश डालते हैं। वे विकासशील देशों, विशेष रूप से अफ्रीका में महिलाओं को सशक्त बनाने में सहकारी समितियों की भूमिका पर जोर देते हैं, जहां वे आर्थिक विकास और वित्तीय स्वतंत्रता में योगदान करती हैं। यह अध्ययन धोखाधड़ी, निरक्षरता और सीमित ऋण आकार जैसी चुनौतियों को स्वीकार करता है, लेकिन शिक्षा, प्रदर्शन निगरानी और सरकारी सहायता के माध्यम से समाधान प्रस्तावित करता है। कुल मिलाकर, शोध एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ विकास के निर्माण के लिए सहकारी समितियों को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उजागर करता है। हालांकि, सेक्सटन और इस्कोव (1993) एक विस्तृत अध्ययन दृ ष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जो इंगित करता है कि निवेशक–स्वामित्व वाले संगठनों की तुलना में सहकारी उद्यम अक्षम हो सकते हैं। उनके अध्ययन के निष्कर्ष सहकारी परिचालन प्रदर्शन की बारीकियों और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए इसके परिणामों पर जोर देते हैं।

रिबास एट अल (2022) ने सहकारी कार्यों और लक्षणों के साथ–साथ राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला। दिलचस्प बात यह है कि इन सहकारी समूहों ने कोविड–19 महामारी जैसी बड़ी आपदाओं के सामने लचीलेपन की भी जांच की है (डेव, 2021)। यह अध्ययन एक स्थायी और लचीले समाज और पर्यावरण में उनके संभावित योगदान का भी समर्थन करता है। खास तौर पर, सहकारी बैंकों को समाज के वंचित और कम आय वाले ग्रुप तक पहुँचने के एक साधन के रूप में देखा गया है (टो और गंगाधरन, 2016), साथ ही समावेशी विकास और ग्रामीण विकास के लिए व्यवहार्य समाधान के रूप में भी (नायक, 2012)। त्रिपाठी (2013) शहरी आर्थिक विकास और शहरी असमानता के बीच संबंध की जाँच करते हैं, शहरी सेटिंग्स में समावेशी समाधानों की आवश्यकता पर जोर देते हैं। जिम्बाब्वे के आर्थिक संघर्षों ने कई लोगों को बैंकों तक पहुँच से वंचित कर दिया। एसएसीसीओएस बचत और ऋण सहकारी समितियाँ, मदद कर सकती हैं, लेकिन पसारा एट अल. (2021) के इस अध्ययन में चुनौतियाँ पाई गईं। लोग अक्सर सहकारिता को बचत और ऋण सहकारी संगठन (एसएसीसीओ) के साथ भ्रमित करते हैं, और पिछली आर्थिक अस्थिरता ने बचत में विश्वास को कम कर दिया (90 प्रतिशत से अधिक लोग हिचकिचाते हैं)। कई एसएसीसीओ के पास असंगत भागीदारी और पुराने नियमों के कारण संपत्ति या एक बड़ा सदस्यता आधार भी नहीं है। सिद्दाराजू (2012) का अध्ययन भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की भूमिका की जाँच करता है। सहकारी समितियाँ, जो सदस्य–स्वामित्व वाले और नियंत्रित व्यवसाय हैं, को समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में देखा जाता है। वित्तीय समावेशन के प्रयास लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त और व्यवसाय बनाते हैं।

बसाक (2015) का यह अध्ययन पश्चिम बंगाल, भारत के हावड़ा जिले में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और गैर–कृषि सहकारी ऋण समितियों (एनएसीसीएस) की भूमिका की जांच करता है। वित्तीय समावेशन समान आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है और इसमें वंचित समुदायों, विशेष रूप से कम आय वाले समूहों को सस्ती बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना शामिल है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कई लोगों के पास इन सेवाओं तक पहुंच नहीं है, जिसमें बचत खाते और मनी ट्रांसफर शामिल हैं। बसाक का शोध इस बात की पड़ताल करता है कि यूसीबी और एनएसीसीएस इस अंतर को कैसे पाट सकते हैं और गरीबों और वंचितों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियां कैसे बना सकते हैं। मोहिते (2008) का तर्क है कि वित्तीय समावेशन, कम आय वाले समूहों को सस्ती बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना आदि महत्वपूर्ण है। भारत में, जो 1 अरब से अधिक लोगों वाला देश है, कई छोटे किसानों और परिवारों के पास संस्थागत ऋण तक पहुंच नहीं है। यह पेपर सहकारी बैंकों की क्षमता पर प्रकाश डालता है, जिन्हें ''छोटे लोगों के बैंक'' के रूप में जाना जाता है, जो इस अंतर को पाटने और भारत में अधिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। सहकारी बैंकों को वंचित समुदायों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने में एक रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में देखा जाता है।

3.1. शोध अंतरालः मौजूदा रिसर्च की इस व्यापक समीक्षा ने प्रमुख रिसर्च सवालों और हमारी मौजूदा समझ में कमियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कमियां और सवाल मौजूदा अध्ययन के उद्देश्यों का आधार बनते हैं। पिछले रिसर्च का आलोचनात्मक विश्लेषण करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा अध्ययन उन क्षेत्रों पर ध्यान दे जहां ज्ञान सीमित है और मौजूदा काम में सार्थक योगदान देता है। यह पाया गया है कि अधिकांश पेपर इस बात पर जोर देते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में सहकारिता, नई बैंकिंग नीतियों के अनुसार, वंचित और कम आय वाले समूहों को किफायती बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ पेपरों ने यह भी बताया कि सहकारिता व्यवसाय, बचत और ऋण सहकारिता जैसी वित्तीय समावेशन रणनीतियों के माध्यम से, विकासशील देशों में गरीबी को कम करके सामुदायिक कल्याण में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संबंध में, यह अध्ययन वित्तीय समावेशन के लिए सहकारिता की भूमिका को समझाकर निम्नलिखित शोध कमियों को पुरा करने का एक प्रयास है,

- ❖ वित्तीय समावेशन में सहकारी बैंकों की भूमिका का अध्ययन करने की आवश्यकता है।
- ❖ भारत में सहकारी भागीदारी और वित्तीय समावेशन की सीमाओं का मूल्यांकन।
- ❖ सहकारिता के माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर वर्ग के वित्तीय शिक्षा का महत्व।
- ❖ भारत में सहकारिता के लिए कानूनी ढांचा और लघुवित्त गवर्नेंस संरचना में सहकारी साहित्य का अभाव होना।

4. शोध प्रविधि : यह अध्ययन एक गुणात्मक रिसर्च दृष्टिकोण अपनाता है, जो विशेष रूप से अकादमिक पत्रिकाओं, सरकारी रिपोर्टों और उद्योग प्रकाशनों से प्राप्त द्वितीयक डेटा पर निर्भर करता है। शोध अध्ययन में भारत में वित्तीय समावेशन में सहकारिता की भूमिका का पता लगाने के लिए मौजूदा साहित्य की व्यापक समीक्षा शामिल है। पिछले अध्ययनों से पैटर्न, रुझान और अंतर्दृष्टि का विश्लेषण करके, रिसर्च सहकारिता से जुड़े सामाजिक–आर्थिक लाभों, चुनौतियों और अवसरों की जांच करता है। यह मात्रात्मक विश्लेषण के बिना एक व्यापक समझ प्रदान करने के लिए जानकारी को संश्लेषित करने पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण वित्तीय समावेशन में सहकारिता के बहुआयामी योगदान पर चर्चा करने के लिए एक संपूर्ण वैचारिक ढांचा सुनिश्चित करता है।

5. सहकारिता द्वारा वित्तीय पहुंच और समावेशन के मध्यांतर को कम करना : वित्तीय समावेशन, यह सुनिश्चित करना कि सभी को आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो, एक वैश्विक चुनौती बनी हुई है। पारंपरिक वित्तीय संस्थान अक्सर उच्च परिचालन लागत और सख्त पात्रता आवश्यकताओं के कारण कम सेवा वाले समुदायों की अनदेखी करते हैं। हालांकि, सहकारी बैंक वंचित और कम आय वाले ग्रुप्स को किफायती बैंकिंग सेवाएं देकर वित्तीय समावेशन में अहम भूमिका निभाते हैं (कविता, ऐपी. 2022)। यहीं पर सहकारी समितियां आगे आती हैं, जो वित्तीय समावेशन के लिए एक अनोखा और असरदार तरीका पेश करते हैं।

5.1. सभी के लिए पहुंचः सहकारिता, जो सदस्यों के स्वामित्व वाले संस्थान हैं और पारंपरिक बैंकों की तुलना में कम सदस्यता शुल्क और न्यूनतम जमा राशि लेते हैं, वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जेम्स (2017) द्वारा बताए गए इस पहुंच के फायदे से वे उन हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा कर पाते हैं जिन्हें अक्सर मुख्यधारा की वित्तीय सेवाओं से बाहर रखा जाता है। मुनाफे पर चलने वाले संस्थानों के विपरीत, सहकारिता सदस्यों की जरूरतों और सामाजिक प्रभाव को प्राथमिकता देते हैं, और स्थानीय शाखाएं समुदायों के साथ करीबी रिश्ते बनाती हैं, जैसा कि राजेश चक्रवर्ती (2011) ने बताया है। यह अनोखा मॉडल असरदार वित्तीय समावेशन के जरिए व्यक्तियों और समुदायों को वित्तीय सुरक्षा और समान विकास की ओर सशक्त बनाता है। इक्वाडोर जैसे विकासशील देशों में सहकारिता ने लघुवित्त सेवाएं प्रदान करके, बहिष्कार को कम करके, और समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित सामुदायिक विकास को बढ़ावा देकर वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है (ए.एम. मोरेल्स, एट. अल. 2021)।

वित्तीय समावेशन हासिल करने के लिए, सहकारिता फाइनेंसिंग जरूरी है, खासकर वंचित ग्रामीण आबादी के लिए। यह तथ्य कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज अन्य उधारदाताओं की तुलना में कम औसत आकार के लोन देती हैं, यह बताता है कि वे ''आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर'' तक पहुंचती हैं। उदाहरण के लिए, 2020 में, पीएसीएस ने 45 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए, जिसमें प्रति कार्ड औसत बकाया बैलेंस कमर्शियल बैंकों और रीजनल रूरल बैंकों (आरआरबी) की तुलना में काफी कम था। वित्तीय समावेशन में पीएसीएस का योगदान अब ज्यादा व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, भले ही वे बैंकों की तरह सीधे नियमों के अधीन नहीं हैं (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट)। इसके अलावा, सहकारिता सिस्टम ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट सहकारिता बैंकों (एससीसीबी) या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सहकारिता बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं और बचत उत्पाद प्रदान करता है। मार्च 2022 के एक सर्वे के अनुसार, सेल्फ–हेल्प ग्रुप्स (एसएचजी) को दिए गए क्रेडिट राशि का 61 प्रतिशत कमर्शियल बैंकों का है, जिसमें आरआरबी का 33 प्रतिशत और सहकारिता का 6 प्रतिशत है। जबकि 2021 में

सहकारिता और आरआरबी को दिए गए लोन में वृद्धि जारी रही, एसएचजी को कमर्शियल बैंकों द्वारा दिए गए लोन में गिरावट आई। इसका मतलब यह हो सकता है कि एसएचजी इन एजेंसियों तक कमर्शियल बैंकों की तुलना में ज़्यादा आसानी से पहुँच पाए।

5.2. भौगोलिक पहुँच और खास सेवाएँ: भारत का कृषि और सामाजिक इतिहास सहकारिता से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है, और भविष्य की इतिहास लेखन को एक ज़्यादा बारीकी वाला तरीका अपनाना होगा जो सामाजिक स्तरीकरण और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखे (कामेनोव, एन. 2019)। हालाँकि ग्रामीण सहकारी बैंकिंग और क्रेडिट संस्थान (आरसीबीसीआई) ग्रामीण भारत की क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ब्रिटिश नीतियों और बँटवारे ने 1947 में देश को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था के साथ छोड़ दिया था। हालाँकि आजादी के बाद से सेवाएँ और कृषि उन्नत हुई हैं, फिर भी कई क्षेत्रों में गरीबी बनी हुई है, जिसमें राजस्थान राज्य भी शामिल है। लघुवित्त जैसे वित्तीय समाधानों को लागू करने से पहले, जिसे दक्षिणी राज्यों की तुलना में राजस्थान में उतनी लोकप्रियता नहीं मिली है, राजस्थान के कृषि–जलवायु क्षेत्रों, क्षेत्रीय असमानताओं और सांस्कृतिक विविधताओं के अनूठे मिश्रण के कारण स्थानीय संदर्भ और आजीविका प्रणालियों की पूरी समझ जरूरी है (सिंह, एम. 2016)। दूरदराज के स्थानों पर जहाँ पारंपरिक बैंक अक्सर, सहकारी समितियाँ शाखाएँ खोल सकती हैं। इस भौगोलिक रूप से फैले नेटवर्क के कारण जिन लोगों को वित्तीय सेवाओं की सबसे ज़्यादा जरूरत है, वे उनके करीब होते हैं। सहकारी समितियों में अपने सदस्यों की खास जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सामान और सेवाओं को कस्टमाइज करने की क्षमता भी होती है। उदाहरण के लिए, वे अलग–अलग आय वाले लोगों के लिए बचत योजनाएँ या छोटी कंपनियों के लिए उपयुक्त लघुवित्त प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेशनल सहकारिता अलायंस द्वारा किए गए रिसर्च के अनुसार, दुनिया भर में 60 प्रतिशत से ज़्यादा सहकारी समितियाँ लघुवित्त प्रदान करती हैं, जो हाशिए पर पड़े समुदायों की मौद्रिक जरूरतों को पूरा करने के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।

5.3. छोटे किसानों को सशक्त बनाने वाले कृषि सहकारिता: कृषि भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। भारत का कृषि क्षेत्र ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) में लगभग 18.3 प्रतिशत का योगदान देता है। यह लगभग 44 प्रतिशत वर्किंग फोर्स को रोजगार के मौके भी देता है। फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बैंड्री, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री और मिल्क मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर से जुड़े इंडस्ट्री हैं। कृषि क्षेत्र में किए गए किसी भी बदलाव से देश की इकॉनमी पर बहुत असर पड़ता है। सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, दूध, जूट और चीनीकृके लिए कच्चे माल का मुख्य सोर्स एग्रीकल्चर से आता है। गुजरात में अमूल और ओडिशा में ओमफेड जैसी कृषि सहकारिता छोटे किसानों को उनकी उपज को मार्केट के लिए एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म देकर, बिचौलियों को हटाकर और सही दाम दिलाकर मजबूत बनाती हैं। कंज्यूमर्स के साथ यह सीधा कनेक्शन उनकी इनकम बढ़ाता है, रोजी–रोटी में सुधार करता है और कृषि क्षेत्र में सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को बढ़ावा देता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) ने कृषि सहकारिता को वित्तीय मदद और गाइडेंस देने में अहम भूमिका निभाई।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस-2023 के अनुसार, इंडियन सहकारिता के कृषि डोमेन में शॉर्टटर्म सहकारी क्रेडिट स्ट्रक्चर (एसटीसीसीएस) शामिल है, जिसमें 1,03,304 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज (पीएसीएस) और 351 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सहकारी बैंक (डीसीसीबी) शामिल हैं। लॉन्गटर्म रूरल क्रेडिट के लिए, ऑपरेशन में 14 स्टेट को–ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक (एससीएआरडीबी) और 533 प्राइमरी को–ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक (पीसीएआरडीबी) शामिल हैं। रिपोर्ट में सहकारी एंटिटीज की एक बड़ी रेंज शामिल है, जिसमें क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटीज, अर्बन सहकारी बैंक, डेयरी सहकारिता (1,41,807), फिशरी सहकारिता (25,649), और 26,798 प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सहकारिता शामिल हैं। लेबर सहकारी, कंज्यूमर सहकारी (21,067), और मार्केटिंग सहकारी (9,121) की अहम भूमिका है। हाउसिंग सहकारिता सेक्टर में 1,91,734 सोसाइटी हैं, जबकि 44,545 लेबर सहकारिता और 19,576 हैंडलूम टेक्सटाइल और वीवर सहकारिता सोसाइटी खास जरूरतों को पूरा करती हैं। शुगर सेक्टर में 281 सहकारिता शामिल हैं, और 22,735 प्राइमरी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल सहकारिता हैं। लाइवस्टॉक सहकारिता (16,677) सहकारिता नेटवर्क में जरूरी योगदान देती हैं।

5.4.महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी कंपनियाँ जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देती हैं: महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारिता, जिसका उदाहरण भारत में सेल्फ–एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन (सेवा) है, जेंडर इक्वालिटी और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए पावरफुल टूल हैं। सेवा, ट्रेड यूनियन और सहकारी एलिमेंट्स को मिलाकर, इनफॉर्मल सेक्टर में महिलाओं को मजबूत बनाती है। यह उन्हें कलेक्टिव एक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म, वित्तीय सर्विसेज और ट्रेनिंग तक एक्सेस, और अपने प्रोडक्ट्स को एक साथ मार्केट करने का एक तरीका देती है। यह पूरा तरीका महिलाओं को कम पैसे वाले, शोषण वाले अनौपचारिक काम से ज़्यादा इज्जतदार और पैसे से फायदे वाली रोजगार की ओर

बढ़ने में मदद करता है। एनसीडी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला कल्याण सहकारिता महिलाओं की भलाई को बढ़ावा देते हैं और सहकारिता सिद्धांतों के जरिए सशक्तिकरण। ये सहकारिता महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों का समाधान करती हैं, जिसमें शिक्षा, हेल्थकेयर, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक मदद शामिल है। इस सेक्टर में 24,261 सोसाइटी हैं जिनमें 54,21,424 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सहकारिता (11,073) हैं, उसके बाद राजस्थान (4,218) और असम (2,885) हैं। खास तौर पर, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड सदस्य (30,96,825) हैं, उसके बाद राजस्थान (6,23,324) और असम (6,18,927) हैं।

5.5. शहरी गरीबी को दूर करने वाली शहरी सहकारी सोसाइटीः भारत की नेशनल स्लम ड्वेलर्स फेडरेशन (एनएसडीएफ) जैसी शहरी सहकारी सोसाइटी मिलकर काम करके शहरी गरीबी से निपट रही हैं। झुग्गी–झोपड़ी में रहने वालों को इकट्ठा करके, एनएसडीएफ उन्हें घर, सफाई और बिजली जैसी जरूरी सेवाओं के लिए आवाज उठाने के लिए मजबूत बनाता है। यह नेटवर्क रहने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सहकारी सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है, यह पक्का करता है कि झुग्गी–झोपड़ी में रहने वालों को अपने समुदायों को आकार देने और शहरी विकास में भाग लेने में बल मिले।

5.6. सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसायटी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रही हैंः सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसायटी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती हैं। वे ग्रामीण और अर्ध–शहरी इलाकों में लोगों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करती हैं, और बचत, क्रेडिट और बीमा सहित कई वित्तीय सर्विस देती हैं। ये संस्थाएं पारंपरिक साहूकारों पर निर्भरता को काफी कम करती हैं और मुख्यधारा की बैंकिंग तक सीमित पहुंच वाले लोगों को सशक्त बनाती हैं। 11 फेडरेशन वाले शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) 1,502 सोसायटी में काम कर रहे हैं। खास तौर पर, महाराष्ट्र में 428 यूसीबी और 60,21,811 सदस्य हैं, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, इसके बाद कर्नाटक में 279 सोसायटी हैं जिनमें 23,35,863 सदस्य हैं, और गुजरात में 187 सोसायटी हैं जिनमें 14,91,531 सदस्य हैं। क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सहकारिता की 79,999 सोसाइटियों में 4,32,75,731 में सदस्य हैं। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा सोसाइटियाँ (24,024) हैं, जबकि सबसे अधिक सदस्य महाराष्ट्र (2,27,27,861) में हैं।

6. वित्तीय समावेशन में आने वाली रुकावटें :

6.1. सहकारिता के सामने आने वाली चुनौतियाँ: सहकारिता के पास वित्तीय समावेशन के लिए असरदार जरिया बनने की क्षमता है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सदस्य–ओन्ड होता है और सोशल बेनिफिट पर जोर दिया जाता है। हालाँकि, रेगुलेशन के लिए एक मुश्किल इंस्टीट्यूशनल और कानूनी फ्रेमवर्क होने के बावजूद सहकारिता सेक्टर को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नेशनल सहकारिता पॉलिसी 2002 के अनुसार, सहकारिता सेक्टर में कई रुकावटें हैं जो उन्हें वित्तीय समावेशन को पूरी तरह से बढ़ावा देने से रोकती हैं।

6.2. गवर्नेंस और मैनेजमेंट की चुनौतियाँः असरदार गवर्नेंस पक्का करना सहकारिता के लिए दोधारी तलवार है। हालाँकि लंबे समय की सफलता के लिए मजबूत लीडरशिप और प्रोफेशनल मैनेजमेंट जरूरी हैं, लेकिन काबिल लोगों को अट्रैक्ट करना और बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, खासकर छोटी सहकारिता के लिए। इसके अलावा, सदस्यों की लोकतांत्रिक भागीदारी के साथ संतुलन बनाना कुशल निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ मुश्किल साबित होती हैं। प्रभावी ढंग से काम करते हुए सदस्यों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह बने रहने के लिए सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

6.3. सहकारी समितियों के सदस्यों के बीच अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमीः सहकारी समितियों के लिए एक बड़ी बाधा सदस्य अधिकारों के बारे में जागरूकता है। कई सदस्य, अपनी वोटिंग शक्ति या निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता से अनजान होने के कारण, भाग लेने या नेतृत्व को जवाबदेह ठहराने में हिचकिचा सकते हैं। ज्ञान की यह कमी सहकारी संरचना को कमजोर करती है और इसकी प्रभावशीलता में बाधा डालती है।

6.4. सहकारी समितियों को बड़े पैमाने पर चलाने की चुनौतीः सदस्य स्वामित्व और लोकतांत्रिक नियंत्रण के मुख्य सहकारी सिद्धांतों को बनाए रखते हुए संचालन को बड़े पैमाने पर बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। सहकारी समितियों की ताकत 'लोगों का पैसा, लोगों का नियंत्रण' का सिद्धांत है, जो निर्णय लेने की शक्ति को उसके सदस्यों को वापस देता है। लेकिन सहकारी समितियों को टिकाऊ बनाने के लिए क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण निवेश और लंबे समय तक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं का हस्तक्षेप भी सहकारी समितियों को सशक्त बनाने वाले संगठनों के रूप में स्वीकार्यता में बाधा डालता है, जिससे ये संगठन सदस्य–संचालित होने के बजाय अधिक सरकार–संचालित हो जाते हैं।

6.5. वित्तीय धोखाधड़ी और कुप्रबंधनः सहकारी बैंकों में वित्तीय धोखाधड़ी और कुप्रबंधन एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जिससे कम आय वाले व्यक्तियों की बचत खतरे में पड़ जाती है जो ऐसे नुकसान को सबसे कम वहन कर सकते हैं। यह विशेष रूप से केरल जैसे राज्यों में चिंताजनक है, जहाँ 1,600 से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक हैं। यहाँ,

कुप्रबंधन के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें सौ से अधिक सोसाइटियाँ जमा राशि के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट कर रही हैं, जो इन संस्थानों की भेद्यता को उजागर करता है।

6.6. बदलते परिदृश्य में भारतीय सहकारी समितियाँः भारत में सहकारी समितियों ने सफलता और प्रशंसा हासिल की है, लेकिन प्रतिस्पर्धी माहौल और राजनीतिक माहौल से खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए सामाजिक चिंताओं वाले व्यावसायिक संस्थाओं के रूप में नवाचार और पुनर्स्थापना की आवश्यकता है (दुभाषी, एम. 2005)।

6.7. गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि की चुनौतियाँः सहकारी बैंक ग्रामीण भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन नियामक ओवरलैप, उच्च गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों और जमाकर्ताओं के विश्वास में कमी जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं (अग्रवाल, डी., सोनम, एम., और भूषण, डी. 2023)। सहकारी परिसंपत्तियों का निराशाजनक प्रदर्शन दो संभावनाओं से उत्पन्न हो सकता है। एक, वे ऐसे ग्राहकों को सेवा दे रहे होंगे जिनकी ऋण चुकाने की क्षमता कम है। वैकल्पिक रूप से, उधारकर्ता महामारी या अन्य बाहरी कारकों से असमान रूप से प्रभावित हुए होंगे। आखिर में, यह भी संभव है कि सहकारिता को खुद बकाया लोन वसूलने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो।

6.8. वैश्वीकृत बाजार उन्मुख परिदृश्य में चुनौतियाँः भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अभिन्न, क्रेडिट सहकारी को वैश्वीकृत, बाजार–उन्मुख परिदृश्य में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे–जैसे विकेंद्रीकरण, कृषि औद्योगीकरण और ग्रामीण प्रवासन जैसी प्रक्रियाएँ माहौल को नया आकार दे रही हैं, इन सहकारिताओं को खुद को ढालना और नया रूप देना होगा। अपनी भूमिका और प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन करके, वे प्रासंगिक बने रह सकते हैं और कृषि विकास और ग्रामीण विकास पर अपने दूरगामी प्रभाव को जारी रख सकते हैं।

6.9. ग्राहक संबंध प्रबंधन की चुनौतियाँः भारत में मध्यम आकार के शहरी सहकारी बैंकों में विकास और स्थिरता की क्षमता है, लेकिन अपनी ताकत का फायदा उठाने और चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और बिजनेस स्ट्रेटेजी की जरूरत है (श्रीवास्तव, डी. 2021)।

7. वित्तीय समावेशन में सहकारिता की भूमिका को चुनौतियों से निपटने और बढ़ाने की रणनीति : सहकारी सेक्टर में भारत के समान विकास में बड़ा योगदान देने की क्षमता है। आम तौर पर समावेशी विकास की गारंटी देने के लिए इसके काम को बेहतर बनाने के कई तरीके हैं। नीचे दिए गए तरीके सहकारिता को मौजूदा रुकावटों से उबरने, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करने और वित्तीय समावेशन के लक्ष्य के लिए और ज़्यादा जरूरी बनने में मदद कर सकते हैं, खासकर कम आय वाली और दूर रहने वाली आबादी के लिए;

7.1. सहकारी इकोसिस्टम को मजबूत करने की जरूरत हैः उनकी सफलता के लिए एक मजबूत सहकारी इकोसिस्टम को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके लिए एक ऐसे पॉलिसी माहौल की जरूरत है जो सहकारिता की खासियतों और योगदान को माने। ऐसी पॉलिसी को उन खास चुनौतियों को हल करना चाहिए जिनका वे सामना कर रहे हैं, ताकि एक ऐसी जगह बन सके जहाँ सहकारिता आगे बढ़ सकें और ज़्यादा समावेशी वित्तीय माहौल में योगदान दे सकें।

7.2. गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बेहतर बनानाः मजबूत गवर्नेंस एक हेल्दी सहकारिता की नींव है। गवर्नेंस सिस्टम को मजबूत करके, सहकारी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेटिक फैसले लेने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसमें निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देना, एक्टिव सदस्य की भागीदारी को बढ़ावा देना और मजबूत मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन सिस्टम बनाना शामिल है। इन कोशिशों से यह पक्का होगा कि सहकारी ईमानदारी और लंबे समय तक चलने वाली सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करते हुए सदस्य की जरूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव बना रहे।

7.3. वित्तीय समावेसन में बढ़ोतरीः वित्तीय समावेशन को तेज करने के लिए, ''सहकारिता–फ्रेंडली'' इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देना जरूरी है। ये इंस्टीट्यूशन, सहकारिता की खास जरूरतों को पहचानते हुए, उनके हिसाब से सॉल्यूशन दे सकते हैंः विकास को बढ़ावा देने के लिए आसान क्रेडिट फैसिलिटी, बढ़ोतरी के लिए इन्वेस्टमेंट कैपिटल, और चुनौतियों से निपटने के लिए रिस्क मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट। यह टारगेटेड सपोर्ट सहकारिता को अपने सदस्य, खासकर कम सेवा वाले समुदायों की बेहतर सेवा करने में मदद करेगा।

7.4. स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करनाः कैपेसिटी–बिल्डिंग और स्किल बढ़ाने में इन्वेस्ट करना सहकारिता की लंबे समय तक चलने वाली हेल्थ के लिए जरूरी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप और मेंटरशिप के मौके देकर, सहकारिता अपने मेंबर्स और मैनेजर्स को सफल होने के लिए जरूरी टेक्निकल, मैनेजेरियल और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स दे सकते हैं। इन प्रोग्राम्स में वित्तीय मैनेजमेंट, सहकारी गवर्नेंस, मार्केटिंग और वैल्यू चेन डेवलपमेंट जैसे मुख्य एरिया पर ध्यान देना चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि सहकारिता असरदार और सस्टेनेबल तरीके से काम कर सकें।

7.5. पार्टनरशिप और सहयोग को बढ़ावा देनाः सहकारिता, सरकारी एजेंसियों और सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन के बीच सहयोग को बढ़ावा देने से समावेशी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ पार्टनरशिप करने से दोनों को फायदा होता है। सहकारिता को टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी एडवोकेसी मिलती है, जबकि सरकारों को सहकारिता की गहरी सामुदायिक जड़ों और सदस्य–सेंट्रिक

अप्रोच से फायदा होता है। यह मिलकर किया गया प्रयास सभी के लिए ज़्यादा समावेशी और खुशहाल भविष्य का रास्ता बनाता है।

7.6. टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लागू करें: डिजिटल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाकर, सहकारिता एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और आउटरीच में बड़े सुधार ला सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, साथ में डिजिटल लिटरेसी और ई–कॉमर्स में ट्रेनिंग, मेंबर्स और स्टाफ को मजबूत बनाती है। यह, सहकारिता ऑपरेशन्स और मार्केटिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के डेवलपमेंट के साथ, एक ज़्यादा फुर्तीला और कनेक्टेड सहकारिता इकोसिस्टम बनाता है, जिससे वे नए कस्टमर्स तक पहुँच सकते हैं और मौजूदा कस्टमर्स को बेहतर सर्विस दे सकते हैं।

8. सहकारिता का विनियमन :

8.1. सेंट्रल लेवल रेगुलेशन: मल्टी–स्टेट सहकारी सोसाइटी एक्ट, 2002 मल्टी–स्टेट सहकारी सोसाइटी को कंट्रोल करता है, जो एक से ज़्यादा राज्यों में काम करती हैं। यह उनके बनने, काम करने और बंद होने के प्रोसेस बताता है। जबकि मॉडल सहकारी सोसाइटी एक्ट, 1999 राज्य–लेवल सहकारिता कानून के लिए एक गाइडिंग फ्रेमवर्क का काम करता है। हालांकि यह सीधे तौर पर जरूरी नहीं है, लेकिन कई राज्यों ने अपने कानूनों में इसके सिद्धांतों को अपनाया है।

8.2. स्टेट लेवल रेगुलेशन: स्टेट सहकारी सोसाइटी एक्ट के तहत हर राज्य का अपना सहकारी सोसाइटी एक्ट होता है जो उनकी सीमाओं के अंदर काम करने वाली प्राइमरी सहकारी सोसाइटी के बनने, काम करने और बंद होने को कंट्रोल करता है। ये राज्य–लेवल के कानून डिटेल में अलग हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर सदस्यशिप की जरूरतों, कैपिटल स्ट्रक्चर, चुनाव प्रोसेस, मैनेजमेंट के तरीकों और विवाद सुलझाने के तरीकों जैसे पहलुओं पर ध्यान देते हैं।

8.3. रेगुलेटरी बॉडीज:

I. **मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन:** सहकारिता की बहुत ज़्यादा क्षमता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने 2021 में एक खास मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाकर एक बड़ा कदम उठाया। यह मिनिस्ट्री सहकारिता के लिए पॉलिसी डेवलपमेंट को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाती है। इसका मकसद सेंट्रल और स्टेट लेवल के बीच के गैप को कम करना, बेहतर कोऑर्डिनेशन और सहयोग को बढ़ावा देना है। आखिर में, यह मिनिस्ट्री पूरे देश में सहकारिता की विकास और असर को बढ़ाने के लिए समर्पित है। 6 जुलाई, 2021 को बनी यह मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर से अलग हो गई। ''सहकार से समृद्धि'' (सहयोग से खुशहाली) पर फोकस करते हुए, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भारत में मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, कंप्यूटराइजेशन और पूरे सहकारिता इकोसिस्टम को मजबूत करने को प्राथमिकता देती है।

II. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 1958 ने ग्रामीण बदलाव के लिए सहकारिता सोसाइटियों का विकास।

III. नेशनल सहकारिता डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वित्तीय मामलों के लिए एक सेंट्रल एजेंसी है। यह अलग–अलग एग्रो प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग के प्रमोशन और प्लानिंग के लिए पॉलिसी बनाता है। यह मुख्य रूप से सहकारिता एंटरप्राइजेज की फाइनेंसिंग में शामिल है।

IV. **सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ सहकारी सोसाइटी:** यह ऑफिस, सहकारिता मिनिस्ट्री के तहत, मल्टी–स्टेट सहकारी सोसाइटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की देखरेख करता है और मल्टी–स्टेट सहकारिता का नेशनल–लेवल डेटाबेस मेंटेन करता है।

V. **स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सहकारी सोसाइटी:** हर राज्य अपने–अपने सहकारी सोसाइटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की देखरेख करने और राज्य के अंदर प्राइमरी सहकारिता के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है।

8.4. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया : भारतीय रिजर्व बैंक कुछ सहकारी बैंकों, खासकर अर्बन सहकारी बैंकों को रेगुलेट करता है। यह उनके कामकाज के लिए समझदारी भरे नियम तय करता है, जिससे वित्तीय स्थिरता और कंज्यूमर की सुरक्षा पक्की होती है। तालमेल सुधारने, कमियों को दूर करने और एक बेहतर माहौल बनाने की चल रही कोशिशें भारत में सहकारी सेक्टर की भविष्य की विकास और सफलता के लिए बहुत जरूरी होंगी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए ऑटोनॉमी और जवाबदेही के बीच बैलेंस बनाना एक अहम मकसद बना हुआ है। भारत में सहकारी सेक्टर और सबको साथ लेकर चलने की विकास पर खास नतीजे इस रिसर्च में भारत में सबको साथ लेकर चलने और बराबर विकास में सहकारी सेक्टर के योगदान की क्षमता की जांच की गई। हमारे इस स्टडी के खास नतीजे ये हैं।

9. सबको साथ लेकर चलने की राह: स्टडी में सहकारिता को पॉजिटिव बदलाव के लिए एक बड़ी ताकत के तौर पर पहचाना गया। वित्तीय प्रोडक्ट और मार्केट जैसी जरूरी सर्विस तक पहुंच देकर, सहकारिता कम सुविधा वाले

समुदायों को ताकतवर बनाती हैं। वे इनकम बढ़ाने के मौके बनाती हैं और बिजनेस की पहल को बढ़ावा देती हैं, जिससे लोग और समुदाय आत्मनिर्भरता की राह पर चलते हैं। इसके अलावा, सहकारिता का सदस्य–ओन्ड स्ट्रक्चर स्वाभाविक रूप से पैसे के सही बंटवारे को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक–आर्थिक असमानता कम होती है।

10. चुनौतियाँ जिनका समाधान करना है: अपनी क्षमता के बावजूद, सहकारिता कई चुनौतियों का सामना करते हैं जो उनके पूरे असर में रुकावट डालती हैं। कमजोर गवर्नेंस के तरीके, जैसे ट्रांसपेरेंसी की कमी या सदस्य की भागीदारी, इनएफिशिएंसी ला सकते हैं और असर में रुकावट डाल सकते हैं। कैपिटल और वित्तीय रिसोर्स तक सीमित पहुँच उनकी विकास और जरूरी सर्विस देने की क्षमता को रोक सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पहुँच में और रुकावट डाल सकती है। मौजूदा सामाजिक असमानताएँ कुछ ग्रुप के लिए भागीदारी में रुकावटें पैदा करती हैं, और सदस्य और लीडर के बीच टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल की कमी उनके ऑपरेशन की एफिशिएंसी को सीमित कर सकती है।

11. बेहतर असर के लिए स्ट्रेटेजी: रिसर्च कई स्ट्रेटेजी पर रोशनी डालती है जो पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकती हैं। ऐसी नीतियों के माध्यम से एक सहायक इकोसिस्टम बनाना जो सहकारी समितियों की खास चुनौतियों का समाधान करे और विकास को बढ़ावा दे, बहुत जरूरी है। पारदर्शी और जवाबदेह प्रथाओं को लागू करके शासन को मजबूत करना, निर्णय लेने में सदस्यों की भागीदारी को बढ़ावा देना, और मजबूत नेतृत्व का निर्माण करना आवश्यक है। वंचित समुदायों के लिए विशेष उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन का विस्तार करना, साथ ही क्रेडिट और निवेश के अवसरों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना, उन्हें और सशक्त बना सकता है। प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण पहलों में निवेश करने से सदस्यों और प्रबंधकों को सफल सहकारी संचालन के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त होंगे। अंत में, सहकारी समितियों, सरकारी एजेंसियों और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने से उन्हें व्यापक प्रभाव के लिए विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है, जिससे सभी के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत भविष्य का निर्माण होता है।

निष्कर्ष : भारत में सहकारी समितियाँ वित्तीय समावेशन के लिए एक शक्तिशाली तंत्र के रूप में उभरी हैं, जो पारंपरिक वित्तीय संस्थानों द्वारा छोड़े गए अंतर को पाट रही हैं। समुदाय–संचालित पहलों पर ध्यान केंद्रित करके, वे समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों, जिसमें किसान, महिलाएँ और शहरी गरीब शामिल हैं, को सशक्त बनाती हैं, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, शासन संबंधी मुद्दे, वित्तीय कुप्रबंधन और सीमित संसाधनों जैसी चुनौतियाँ उनकी पूरी क्षमता को बाधित करती हैं। उनके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए, एक मजबूत नीतिगत ढाँचा, क्षमता–निर्माण कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुँच आवश्यक है। सहकारी समितियों, सरकारों और निजी संस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने से उनकी पहुँच और प्रभावशीलता बढ़ सकती है। भविष्य के शोध को नवीन सहकारी मॉडल, तुलनात्मक विश्लेषण और समावेशी विकास के लिए रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए सामाजिक–आर्थिक प्रभावों की मात्रा निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

संदर्भ:

1. चिन्मय नायडू। (2025), भारत में वित्तीय समावेशन की गतिशीलता। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज, 11(6), 6–14। https://doi-org/10-35940/ijmh-D1766-1106022
2. गुप्ता, वी., और शर्मा, पी. के. (2024)। उत्तरी भारत के चयनित क्षेत्रों में सहकारी समितियों द्वारा वित्तीय समावेशन पहल। मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन। DOI: 10-4018/979&8&3693&6750&6-ch019
3. अग्रवाल, डी., सोनम, एम., और भूषण, डी. (2023)। सहकारी समितियाँ: ग्रामीण भारत के लिए एकमात्र आशा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। https://doi-org/10-55041/ijsrem25602
4. Eseza, N. & Nyakundi. A. (2023). सहकारी समितियों के वैश्विक विकास, लाभ, चुनौतियों और प्रदर्शन पर एक ऐतिहासिक समीक्षा। IDOSR जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। https://doi-org/10-59298/idosr/2023/12-1-3894.
5. श्रीवास्तव, डी. (2021), मध्यम आकार के शहरी सहकारी बैंकों में ग्राहक संबंध प्रबंधन और व्यावसायिक रणनीति: दृष्टिकोण, अवसर और चुनौतियाँ। बैंकिंग और बीमा ई–जर्नल। लाल, टी. (2019). सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण विकास पर वित्तीय समावेशन के प्रभाव को मापना। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स। https://doi-org/10-1108/IJSE&02&2018&0057.
6. कामेनोव, एन. (2019). भारत के कृषि इतिहास में ''सहकारी'' का स्थान, लगभग 1900–1970। द जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज। https://doi-org/10-1017/s002191181900055
7. जेम्स, पी. (2017). वित्तीय समावेशन में सहकारी बैंकों की भूमिका: सुधार के बाद की अवधि में एक अध्ययन। IOSR जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, 22, 01–03. https://doi-org/10-9790/0837&2206040103

8. वोइका, एम. (2017). सतत विकास के लिए एक उपकरण के रूप में वित्तीय समावेशन। द रोमानियाई जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, 44, 121–129.
9. सिंह, एम. (2016). ग्रामीण राजस्थान के विकास के तहत सहकारी संस्थानों की भूमिका। इंटरनेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च जर्नल, 2
10. टो, जे., और गंगाधरन, के. (2016). वित्तीय समावेशन और समावेशी विकासः भारत में शहरी सहकारी बैंकिंग पर परिप्रेक्ष्य। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च, 2, 915–919
11. कपूर, ए. (2014). वित्तीय समावेषन और भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य। फ्यूचर्स, 56, 35–42 https://doi-org/10-1016/J-FUTURES-2013-10-007
12. लक्ष्मी, पी., और विशालाक्षी, एस. (2013). वित्तीय समावेषन और व्यापक विकास में सहकारी समितियों का प्रभाव। जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, 1, 49–53. https://doi-org/10.12691/JFE&1&3&4
13. त्रिपाठी, एस. (2013). क्या भारत में शहरी आर्थिक विकास समावेशी है? मार्जिनः द जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, 7, 507 –539.
14. जर्नल्स, आई., और पात्रा, एम. (2013). सहकारी समितियाँ, कृषि और ग्रामीण विकासः भूमिका, मुद्दे और नीतिगत निहितार्थ। IOSR जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, 13, 14–25. https://doi.org/10.6084/M9-FIGSHARE-1271351
15. सिद्दाराजू, वी. (2012). भारत में सहकारी समितियाँ और वित्तीय समावेशनः मुद्दे और चुनौतियाँ 7, 46–54. https://doi-org/10-5897/INGOJ12-008.
16. मोहिते, वी. (2008). सहकारी समितियों के माध्यम से वित्तीय समावेशन–वंचितों की सेवा करने का एक गलियारा। इंस्टीट्यूशनल एंड ट्रांजिशन इकोनॉमिक्स पॉलिसी पेपर सीरीज। https://doi.org/10.2139/ssrn-1710470

आलेख उद्धरित करें :	कुमार, डॉ. मुकेश एवं सिंह, पवन कुमार (2026)। भारत में वित्तीय समावेशन में सहकारी समितियों की भूमिका का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–1, जनवरी–मार्च, 2026, पृष्ठ 22–31। https://doi.org/10.5281/zenodo.21624757

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत में पेट्रोलियम उद्योग की प्रगति का सिंहावलोकन

डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'

असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** gajendrashodh1988@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21625134

सारांश

भारत में पेट्रोलियम उद्योग तेज़ी से बढ़ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऊर्जा संसाधनों का बड़ा उपभोक्ता होने के चलते भारत के पास पेट्रोलियम तेल आपूर्ति सीमित है। परिणामस्वरूप मांग–आपूर्ति का अंतर बहुत अधिक है। प्रस्तुत शोध पत्र में संगठित पेट्रोलियम उद्योग की प्रगति का सिंहावलोकन किया गया है। इसमें भारतीय तेल उद्योग के उभरते वर्तमान परिदृश्य का भी मूल्यांकन किया गया है और यह उद्योग के लिए एक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है, क्योंकि भारत का पेट्रोलियम उद्योग एक व्यापक क्षेत्र है, जिसमें पेट्रोलियम और उसके सहायक–उत्पादों की खोज, उत्पादन, शोधन, वितरण एवं विपणन कार्य शामिल हैं। ऊर्जा आवश्यकतों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला पेट्रोलियम उद्योग भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को आधार प्रदान करता है। शोध पत्र अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए प्रवाहकीय नीति और नियामक ढांचे के निर्माण के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों को भी मापता है।

आलेख सूचना			
	प्राप्त: 25 जनवरी, 2026	**स्वीकृत:** 20 फरवरी, 2026	**प्रकाशित:** 31 मार्च, 2026
	सारणी: 21	**चित्र एवं ग्राफ:** 02	**स्रोत एवं संदर्भ:** 23
	मुख्य शब्द: ऊर्जा संसाधन, उपभोक्ता, आपूर्ति श्रृंखला, पेट्रो भंडार, ईएंडपी क्षेत्र, अन्वेषण।		

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि: देश के तेल उद्योग ने भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह क्षेत्र देश की कुल प्राथमिक ऊर्जा जरूरतों के एक–तिहाई की पूर्ति करता है। तेल और गैस क्षेत्र भारत को विश्व मानचित्र पर लाने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। आर्थिक विकास की उच्च दर के साथ भारत ऊर्जा संसाधनों का प्रमुख उपभोक्ता बन गया है। भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और देश की ऊर्जा मांग लगातार बढ़ रही है। वैश्विक तेल भंडार के मामले में भारत 21वें स्थान पर है। हालांकि मांग–आपूर्ति में अंतर बहुत अधिक है। देश अपनी तेल जरूरतों का दो–तिहाई से अधिक आयात करता है। भारतीय तेल और गैस उद्योग को प्रायः अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों सहित बड़ी संख्या में कंपनियां भारतीय तेल और गैस मूल्य श्रृंखला में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

स्वतंत्रता से पूर्व भारत में तेल एवं गैस उद्योग की उत्पत्ति 1867 में हुई थी, जब असम के डिगबोई से लगभग 8 मील दूर मारहेरिटा के निकट मकम में तेल खोजा गया था। हालांकि, असम तेल कंपनी (एओसी) के गठन के बाद खोज एवं उत्पादन (ईएंडपी) 1899 में व्यवस्थित तरीके से शुरू हुआ। एओसी ब्रिटिश स्वामित्व वाली कंपनी बर्मा ऑयल पीएलसी की सहायक कंपनी थी। शुरुआती चरण में, भारत में तेल और गैस उद्योग में बर्मा तेल एवं अन्य कंपनियों का वर्चस्व था।

1947 में आजादी के समय भारत में तेल और गैस उद्योग अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित था और उस समय घरेलू तेल उत्पादन केवल 250000 टन प्रति वर्ष था। जहां तक नए पेट्रोलियम भंडार की खोज का सवाल है। 1956 में, भारत सरकार ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव में पेट्रोलियम क्षेत्र को आधारभूत उद्योग घोषित किया गया। इसके बाद सरकार ने तेल और गैस के लिए उपयुक्त संरचनाओं को खोजने के लिए व्यापक सर्वेक्षण और मैपिंग करने वाले भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का विकास किया है। उल्लेखनीय है कि 1950 के दशक की शुरुआत से ही कई विदेशी कंपनियां भारतीय ईएंडपी क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। हालांकि, अगस्त 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

(ओएनजीसी) की स्थापना के बाद भारत में पेट्रोलियम अन्वेषण को वास्तविक प्रोत्साहन मिला। पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के लिए सरकार ने 1959 में इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड नामक एक कंपनी की स्थापना की है। 1964 में, भारतीय रिफाइनरीज लिमिटेड का इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड में विलय कर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) का गठन किया गया।

वर्ष 1970 की शुरुआत में एनओसी की आपूर्ति देश में घरेलू आवश्यकता का लगभग 70 प्रतिशत थी। वर्ष 1974 में बॉम्बे हाई में काफी मात्रा में तेल की खोज ने अपतटीय क्षेत्रों में तेल अन्वेषण के नए रास्ते खोले हैं। वर्ष 1970 से 1980 के दौरान ओएनजीसी और आईओसीएल ने बड़े अन्वेषण के प्रयास किए थे, जिससे तापी, कृष्णा–गोदावरी–कावेरी बेसिन, असम, नागालैंड और त्रिपुरा में कई संरचनाओं में तेल और गैस की खोज हुई थी। हालांकि, 1980 के अंत तक तेल उत्पादन में गिरावट और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में लगातार वृद्धि के कारण आपूर्ति में कमी की स्थिति महसूस होने लगी, क्योंकि घरेलू तेल कंपनियां भारत में केवल 35 प्रतिशत घरेलू आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम थीं।

उदारीकृत नीतियों की शुरुआत के चलते 1990 के दशक में भारतीय तेल और गैस उद्योग में बड़े परिवर्तन हुए। उदारीकरण के बाद शुरुआत में अन्वेषण नीलामी के तीन दौर शुरू किए गए थे। भारत सरकार ने 1991 में पेट्रोलियम दोहन और अन्वेषण नीति को अधिक उदार बनाकर तेल एवं गैस क्षेत्र में ईएंडपी और परिष्करण एवं विपणन (आरएंडएम) गतिविधियों में भाग लेने के लिए विदेशी और भारतीय दोनों निजी कंपनियों को आमंत्रित किया। आरएंडएम खंड में भारत में प्रवेश करने वाली कुछ वैश्विक कंपनियां एक्सॉनमोबिल, ब्रिटिश पेट्रोलियम और मैराथन थीं, जबकि ईएंडपी में कंपनियां जियोप्रोट्रोल, निको रिसोर्सेज लिमिटेड, कोनोरो रिसोर्सेज लिमिटेड और केयर्न एनर्जी पीएलसी थीं। सरकार ने 1991–1994 के दौरान पेट्रोलियम क्षेत्र में सुधारों के तहत चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं अन्वेषण नीलामी की घोषणा की। अन्वेषण नीलामी के चौथे दौर से शुरू होकर पहली बार भारतीय कंपनियों को ईएंडपी गतिविधियों में पिछले अनुभव के साथ या बिना नीलामी के अनुमति दी गई। हालांकि, पिछले अनुभव की कमी ने भारतीय कंपनियों को संचालक के रूप में काम करने और लागत साझा करने हेतु विदेशी भागीदार खोजने के लिए मजबूर किया।

अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकार ने 1997–98 में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) तैयार किया, ताकि राजकोषीय और अनुबंध मामलों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों सहित सभी पक्ष प्रतिस्पर्धा कर सकें। भारत में ऊर्जा की बढ़ती मांग और आपूर्ति अंतराल को दूर करने के लिए परिकल्पित एनईएलपी घरेलू निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों और कुछ विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने में सफल साबित हुई। वर्ष 1999 में इसके परिचालन के बाद से एनईएलपी ने आठ दौर की बोलियां पूरी कर ली हैं और 239 उत्पादन साझा अनुबंध (पीएससी) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनईएलपी के विभिन्न दौरों के तहत कुल 254 ब्लॉकों का आवंटन किया गया, जिससे देश में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण में तेज़ी आई और कई नई खोजें हुईं, हालाँकि कुछ ब्लॉक बाद में छोड़ भी दिए गए। एनईएलपी के कार्यान्वयन के बाद भारत के तेल और गैस ईएंडपी परिदृश्य में अन्वेषण एवं निवेश दोनों के संदर्भ में काफी बदलाव आया है। एनईएलपी ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सृजन किया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ–साथ अपस्ट्रीम तेल क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत है।

1.1. पेट्रोलियम उद्योग का सरकारी नियमन और समर्थनः भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत में तेल और गैस उद्योग के ईएंडपी, शोधन, विपणन और वितरण सहित आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण को बारीकी से विनियमित किया जाता है। आपूर्ति श्रृंखला में कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और निजी कंपनियां हैं। पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण को सरकार द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक निकाय (पीएनजीआरबी) एक नियामक निकाय है जो तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है ताकि निर्दिष्ट गतिविधियों में शामिल उपभोक्ताओं, हितधारकों और इकाइयों के हितों की रक्षा के साथ निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा दिया जा सके।

भारतीय पेट्रोलियम उद्योग तकनीकी प्रगति और नीतिगत सुधारों के कारण काफी विकसित हुआ है। 1990 का दशक आर्थिक उदारीकरण के साथ एक महत्वपूर्ण युग था, जिसके कारण निजी और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, जिसने अन्वेषण और शोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुजरात में जामनगर रिफाइनरी जैसी अत्याधुनिक परिशोधनशाला की स्थापना ने रिफाइनिंग क्षमताओं को बढ़ाया है, जिससे भारत एशिया में रिफाइनिंग हब बन गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) जैसी सरकारी गतिविधियों ने अन्वेषण कार्यों को प्रोत्साहित किया है।

भारत का ऊर्जा परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है। भारत 2030 तक अपने अन्वेषण क्षेत्र को 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाने की दिशा में अग्रसर है, जिसमें 16 प्रतिशत वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि पेट्रोलियम उद्योग में अन्वेषण एवं उत्पादन गतिविधियों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को काफी सरल कर दिया गया है, जिससे 37 अनुमोदन प्रक्रियाएं घटकर केवल 18 रह गई हैं, इनमें से नौ अब स्व–प्रमाणन के लिए उपलब्ध हैं। 3 दिसंबर, 2024 को राज्यसभा द्वारा पारित तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक से तेल एवं गैस उत्पादकों के लिए नीति स्थिरता सुनिश्चित होगी और सभी हाइड्रोकार्बन के लिए एकल लाइसेंस संभव होगा।

पेट्रोलियम उद्योग के विकास के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना महत्वपूर्ण रहा है। उन्नत तेल पुनर्प्राप्ति (ईओआर) तकनीक, डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग ने अन्वेषण एवं उत्पादन प्रक्रियाओं को अनुकूलित किया है। अधिकतर रिफाइनरी पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए हरित तकनीकों को तेजी से अपना रही हैं। बायो–रिफाइनरी और कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) जैसे वैकल्पिक ईंधनों के विकास संबंधी परियोजनाएं स्थिरता एवं नवाचार के प्रति तेल उद्योग की वचनबद्धता को दर्शाती हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। उदाहरण के लिए, टिकाऊ ईंधन उत्पादन के लिए दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के संयंत्रों जैसे जैव–इथेनॉल परियोजनाओं को सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री जी–वन योजना को शुरू किया गया है।

भंडारण सुविधाओं के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सामरिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) शुरू किया गया है। फिलहाल देश में तीन एसपीआर विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर (कर्नाटक) में भूमिगत भंडारण सुविधाओं में स्थित है, जिनकी कुल क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल की है, जिसका प्रबंधन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) द्वारा किया जाता है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है और सरकार का लक्ष्य 2025–26 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करना है। इथेनॉल मिश्रण इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2013–14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2023–24 में 707.4 करोड़ लीटर से अधिक हो गया था।

कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिशन ग्रीन हाइड्रोजन शुरू किया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जैसे इसके डेरिवेटिव की 100 एमएमटी से अधिक वैश्विक मांग उभरने की उम्मीद है। वैश्विक बाजार के लगभग 10 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा करने के लक्ष्य के साथ, भारत संभावित रूप से प्रति वर्ष लगभग 10 एमएमटी ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया का निर्यात कर सकता है। मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति से भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान मिलने और 2030 तक कुल 1 लाख करोड़ रुपये के जीवाश्म ईंधन आयात में कमी आने की उम्मीद है। जैव–ऊर्जा उत्पादन और अपशिष्ट को कम करने के लिए राष्ट्रीय जैव–ऊर्जा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जबकि अन्वेषण और उत्पादन में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (हेल्प) को अपनाया गया है।

बेहतर सरकारी समर्थन और प्रतिस्पर्धी विनियमन का ही परिणाम है कि भारत अपने सशक्त बुनियादी ढांचे और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण वैश्विक स्तर पर शीर्ष पांच रिफाइनिंग देशों में शामिल है। देश परिष्कृत (रिफाइंड) पेट्रोलियम उत्पादों का सातवां सबसे बड़ा निर्यातक है। जामनगर रिफाइनरी जैसी सुविधाएं, जो दुनिया की सबसे बड़ी परिशोधनशालाओं में से एक है और रिफाइनिंग क्षेत्र में भारत के प्रभुत्व को रेखांकित करती हैं। यह गतिविधि आधारित वैश्विक स्थिति भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाती है और इसे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में एक प्रमुख व्यापारिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने फरवरी 2024 में आकलन किया था कि भारत अब से 2030 के बीच वैश्विक तेल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा। भारत, ब्राजील के बाद जैव ईंधन (इथेनॉल) सम्मिश्रण में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जबकि एलएनजी टर्मिनल क्षमता और रिफाइनिंग क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर काबिज है।

1.2. अध्ययन के उद्देश्य: उदारीकरण के पश्चात भारत के पेट्रोलियम उद्योग की परिस्थिति, उत्पादन और उपभोग की स्थिति में कई मौलिक और बहुआयामी परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं। इस दौरान भारतीय पेट्रोलियम उद्योग तकनीकी प्रगति और नीतिगत सुधारों के कारण काफी विकसित हुआ है। परिणामस्वरूप भारत का ऊर्जा परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है। इसलिए प्रस्तुत शोध पत्र में निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया गया है:

1. भारत एवं वैश्विक ऊर्जा खपत की तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन करना।
2. भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और उपभोग की स्थिति को समझना।
3. भारत की कच्चा तेल शोधन क्षमता और प्रसंस्करण की स्थिति का अध्ययन करना।
4. भारत के पेट्रोलियम उद्योग के विदेश व्यापार की स्थिति को समझना।

5. भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन और बिक्री की स्थिति का अध्ययन करना।
6. पेट्रो उत्पादों के आयातित मूल्य, करारोपण और बिक्री मूल्य का अध्ययन करना।
7. भारत में पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता की स्थिति को समझना।
8. भारत के राजकोष में पेट्रोलियम क्षेत्र के योगदान का अध्ययन करना।

2. भारत में पेट्रोलियम उद्योग की प्रगति का अवलोकन : भारत में पेट्रोलियम उद्योग देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। उन्नीसवीं सदी के मध्य में असम के डिगबोई से शुरू हुए सफर के पश्चात आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक बना चुका है। भारतीय पेट्रोलियम उद्योग रिफाइनिंग क्षमता और वैश्विक निर्यात में बेहद मजबूत है। हालांकि, कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन बढ़ाना और इथेनॉल या हरित हाइड्रोजन जैसे ऊर्जा विकल्पों को तेजी से अपनाना भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए निर्णायक सिद्ध होगा। इस संदर्भ में भारत के पेट्रोलियम उद्योग की प्रगति का अवलोकन निम्नानुसार है:

2.1. भारत एवं वैश्विक ऊर्जा खपत की तुलनात्मक स्थिति: ऊर्जा खपत अथवा उपभोग का आशय किसी प्रक्रिया, घर, व्यवसाय या देश द्वारा उपयोग की जाने वाली कुल ऊर्जा की मात्रा है, जिसे प्रायः किलोवाट घंटे में मापा जाता है। यह किसी भी गतिविधि के संचालन के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा है। यह जनसंख्या, आर्थिक विकास और ऊर्जा दक्षता जैसे कारकों पर निर्भर करती है।

सारणी–1 और 1.1 में भारत एवं वैश्विक ऊर्जा खपत की तुलनात्मक स्थिति का विवरण दर्शाया गया है। सारणियों से स्पष्ट है कि वर्ष 2014 में भारत की कुल ऊर्जा खपत 637.8 मिलियन टन तेल के बराबर (एमटीओई) थी, जो 336.93 एमटीओई बढ़कर वर्ष 2024 में 974.73 एमटीओई हो गई। जबकि वैश्विक ऊर्जा का उपभोग वर्ष 2014 में 12928.4 एमटीओई था, जो 1871.18 एमटीओई बढ़कर वर्ष 2024 में 14799.58 एमटीओई हो गई।

सारणी-1: भारत एवं वैश्विक ऊर्जा खपत की तुलनात्मक स्थिति, 2014

तुलनात्मक स्थिति	भारत की ऊर्जा खपत			वैश्विक ऊर्जा खपत			वैश्विक ऊर्जा खपत के सापेक्ष भारत की ऊर्जा खपत (%)
ऊर्जा विवरण	ऊर्जा (Mtoe)	हिस्सा (%)	प्रति व्यक्ति खपत (TOE)	ऊर्जा (Mtoe)	हिस्सा (%)	प्रति व्यक्ति खपत (TOE)	
तेल / पेट्रो ऊर्जा	180.7	28.3	0.17	4211.1	32.6	0.59	**4.29**
प्राकृतिक गैस ऊर्जा	45.6	7.1	0.04	3065.5	23.7	0.43	**1.49**
कोयला ऊर्जा	360.2	56.5	0.35	3881.8	30.1	0.54	**9.28**
परमाणु ऊर्जा	7.8	1.2	0.01	574.0	4.4	0.08	**1.36**
पनबिजली	29.6	4.6	0.03	879.0	6.7	0.12	**3.37**
अक्षय ऊर्जा	13.9	2.2	0.01	316.9	2.2	0.04	**4.39**
कुल ऊर्जा	**637.8**	**100.0**	**0.61**	**12928.4**	**100.0**	**1.81**	**4.93**

स्रोत: बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ़ वर्ल्ड एनर्जी जून 2015 से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित।
टिप्पणियां: एमटीओई: मिलियन टन ऑयल इक्विलेंट = मिलियन टन तेल के बराबर, **टीओई**: टन ऑयल इक्विवेलेंट = टन तेल के बराबर

यदि भारत और विश्व की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत को देखें तो वर्ष 2014 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग 0.61 टन तेल के बराबर (टीओई) था, जो बढ़कर वर्ष 2024 में 0.70 टीओई हो गया। जबकि विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग वर्ष 2014 में 1.81 टीओई था, जो मामूली बढ़कर वर्ष 2024 में 1.82 टीओई हो गया। इस तरह, वर्ष 2014 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग दुनिया के प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा उपभोग से 3.02 गुना कम था, हालांकि, बाद में यह अंतर कम हुआ है, क्योंकि वर्ष 2024 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग दुनिया के प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा उपभोग से 2.59 गुना कम था।

यदि भारत और विश्व की ऊर्जा खपत प्रोफाइल पर गौर करें तो तेल एवं पेट्रोल ऊर्जा में पेट्रोलियम कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस शामिल है, जो जीवाश्म ईंधन और हाइड्रोकार्बन हैं। भारत के कुल ऊर्जा उपभोग में तेल एवं पेट्रोल ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2014 में 28.3 प्रतिशत थी, जो घटकर वर्ष 2024 में 26.71 प्रतिशत रह गई। जबकि इस दौरान दुनिया के कुल ऊर्जा खपत में तेल एवं पेट्रोल ऊर्जा की हिस्सेदारी 32.6 प्रतिशत से घटकर 31.7 प्रतिशत रह गई।

प्राकृतिक गैस ऊर्जा एक जीवाश्म ईंधन है, जो मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है और विभिन्न गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में उपयोग होती है। यह कोयले और तेल की तुलना में अधिक स्वच्छ जलती है, जिससे कम प्रदूषण होता है, फिर भी यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है, और भारत अपनी प्राकृतिक गैस की जरूरतों का एक

बड़ा हिस्सा आयात करता है। भारत के कुल ऊर्जा उपभोग में प्राकृतिक गैस ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2014 में 7.1 प्रतिशत थी, जो घटकर वर्ष 2024 में 6.2 प्रतिशत रह गई। जबकि इस दौरान दुनिया के कुल ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस ऊर्जा की हिस्सेदारी 23.7 प्रतिशत से घटकर 23.3 प्रतिशत रह गई।

कोयला ऊर्जा, कोयले के दहन से प्राप्त एक जीवाश्म ऊर्जा है, जो ईंधन के रूप में मुख्यतः बिजली उत्पादन, हीटिंग और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोग होती है। हालांकि, यह ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करती है। भारत के कुल ऊर्जा उपभोग में कोयला ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2014 में 56.5 प्रतिशत थी, जो कमोबेश 10 साल बाद भी पूर्व उपभोग स्तर पर स्थिर है अर्थात वर्ष 2024 में देश के कुल ऊर्जा उपभोग में कोयला ऊर्जा की हिस्सेदारी 56. 29 प्रतिशत रही है। जबकि इस दौरान दुनिया के कुल ऊर्जा खपत में कोयला ऊर्जा की हिस्सेदारी 30.14 प्रतिशत से घटकर 26.47 प्रतिशत रह गई।

सारणी-1.1: भारत एवं वैश्विक ऊर्जा खपत की तुलनात्मक स्थिति, 2024

तुलनात्मक स्थिति	भारत की ऊर्जा खपत			वैश्विक ऊर्जा खपत			वैश्विक ऊर्जा खपत के सापेक्ष भारत की ऊर्जा खपत (%)
ऊर्जा विवरण	ऊर्जा (Mtoe)	हिस्सा (%)	प्रति व्यक्ति खपत (TOE)	ऊर्जा (Mtoe)	हिस्सा (%)	प्रति व्यक्ति खपत (TOE)	
तेल एवं पेट्रो ऊर्जा	260.34	26.71	0.19	4691.66	31.70	0.58	**5.55**
प्राकृतिक गैस ऊर्जा	60.43	6.20	0.04	3448.13	23.30	0.42	**1.75**
कोयला ऊर्जा	548.63	56.29	0.39	3917.88	26.47	0.48	**14.00**
परमाणु ऊर्जा	11.70	1.20	0.01	586.77	3.96	0.07	**1.99**
पनबिजली	34.87	3.58	0.03	947.04	6.40	0.12	**3.68**
अक्षय ऊर्जा	58.76	6.03	0.04	1208.09	8.16	0.15	**4.86**
कुल ऊर्जा	**974.73**	**100.0**	**0.70**	**14799.58**	**100.0**	**1.82**	**6.59**

स्रोत: एनर्जी इंस्टीट्यूट स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी, 2025 से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित।

टिप्पणियां: एमटीओई: मिलियन टन ऑयल इक्वेलेंट = मिलियन टन तेल के बराबर, **टीओई**: टन ऑयल इक्विवेलेंट = टन तेल के बराबर

परमाणु ऊर्जा परमाणुओं के केंद्र (नाभिक) में संचित होती है, जो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के माध्यम से प्राप्त होती है। इसमें मुख्यतः यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। परमाणु संयंत्रों में विखंडन प्रक्रिया का उपयोग करके पानी को उबाला जाता है, जिसके भाप से टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है। यह कार्बन मुक्त बिजली का एक प्रमुख स्रोत है, जो जलवायु ऊष्मन और परिवर्तन को कम करने में मदद करता है। हालांकि, परमाणु ऊर्जा के साथ रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन और सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत के कुल ऊर्जा उपभोग में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2014 में 1.2 प्रतिशत थी, जो कमोबेश 10 साल बाद भी पूर्व उपभोग स्तर पर स्थिर है अर्थात वर्ष 2024 में देश के कुल ऊर्जा उपभोग में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 1.2 प्रतिशत रही है। जबकि इस दौरान दुनिया के कुल ऊर्जा खपत में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 4.4 प्रतिशत से घटकर 3.96 प्रतिशत रह गई।

पनबिजली ऊर्जा प्रवाहित पानी की ऊर्जा का उपयोग करके बिजली बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें पानी की गतिज ऊर्जा से टरबाइन घूमकर बिजली पैदा करती है। यह अक्षय ऊर्जा का एक स्रोत है जो पर्यावरण के लिए स्वच्छ मानी जाती है। भारत के कुल ऊर्जा उपभोग में पनबिजली ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2014 में 4.6 प्रतिशत थी, जो घटकर वर्ष 2024 में 3.58 प्रतिशत रह गई। जबकि इस दौरान दुनिया के कुल ऊर्जा खपत में पनबिजली ऊर्जा की हिस्सेदारी 6.7 प्रतिशत से घटकर 6.4 प्रतिशत रह गई।

अक्षय ऊर्जा कभी खत्म न होने वाले प्राकृतिक स्रोतों जैसे सूरज, हवा, पानी और बायोमास से प्राप्त ऊर्जा है, जो पर्यावरण के अनुकूल है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाती है, जिसके मुख्य स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत, बायोमास और भू–तापीय ऊर्जा शामिल हैं। यह ऊर्जा जनित प्रदूषण कम करती है और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के कुल ऊर्जा उपभोग में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2014 में 2.2 प्रतिशत थी, जो बढ़कर वर्ष 2024 में 6.03 प्रतिशत रह गई। जबकि इस दौरान दुनिया के कुल ऊर्जा खपत में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 8.16 प्रतिशत हो गई। स्पष्ट है कि वर्ष 2014 में भारत और विश्व के कुल ऊर्जा उपभोग में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी एकसमान थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा उपभोग की हिस्सेदारी भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी है।

यदि वैश्विक ऊर्जा खपत के सापेक्ष भारत के ऊर्जा उपभोग पर गौर करें तो वर्ष 2014 में भारत कुल वैश्विक तेल एवं पेट्रोल ऊर्जा का 4.29 प्रतिशत, प्राकृतिक गैस ऊर्जा का 1.49 प्रतिशत, कोयला ऊर्जा का 9.28 प्रतिशत, परमाणु ऊर्जा का 1.36 प्रतिशत, पनबिजली ऊर्जा का 3.37 प्रतिशत, अक्षय ऊर्जा का 4.39 प्रतिशत और कुल ऊर्जा 4.

93 प्रतिशत उपभोग किया था। हालांकि, पिछले 10 वर्षों में देश में ऊर्जा खपत का स्तर ऊर्जा के सभी स्रोतों में सापेक्षिक रूप से बढ़ा है। यह बढ़कर वर्ष 2024 में क्रमशः तेल एवं पेट्रोल ऊर्जा का 5.55 प्रतिशत, प्राकृतिक गैस ऊर्जा का 1.75 प्रतिशत, कोयला ऊर्जा का 14.00 प्रतिशत, परमाणु ऊर्जा का 1.99 प्रतिशत, पनबिजली ऊर्जा का 3.68 प्रतिशत, अक्षय ऊर्जा का 4.86 प्रतिशत और कुल ऊर्जा 6.59 प्रतिशत था। इस तरह, वैश्विक ऊर्जा खपत के सापेक्ष पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में ऊर्जा खपत का स्तर ऊर्जा के सभी स्रोतों में बढ़ा है।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2014 में देश के सभी ऊर्जा स्रोतों में कोयला ऊर्जा का उपभोग पहले स्थान पर और तेल एवं पेट्रोल ऊर्जा का उपभोग दूसरे स्थान पर था, जो 10 वर्ष बाद भी उसी उपभोग स्तर पर कायम है, अर्थात वर्ष 2024 में देश के सभी ऊर्जा स्रोतों में कोयला ऊर्जा का उपभोग पहले स्थान पर और तेल एवं पेट्रोल ऊर्जा का उपभोग दूसरे स्थान पर है। जबकि वर्ष 2014 में विश्व के सभी ऊर्जा स्रोतों में तेल एवं पेट्रोल ऊर्जा का उपभोग पहले स्थान पर और कोयला ऊर्जा का उपभोग दूसरे स्थान पर था। हालांकि, पिछले 10 वर्षों में वैश्विक ऊर्जा उपभोग में तेल एवं पेट्रोल ऊर्जा और कोयला ऊर्जा की भूमिका घटी है, क्योंकि प्राकृतिक गैस ऊर्जा सहित अन्य ऊर्जा स्रोतों की भूमिका बढ़ी है। लेकिन उपभोग में तेल एवं पेट्रोल ऊर्जा और कोयला ऊर्जा 10 वर्ष बाद भी उसी स्थान पर कायम हैं, अर्थात वर्ष 2024 में वैश्विक ऊर्जा के सभी ऊर्जा स्रोतों में तेल एवं पेट्रोल ऊर्जा का उपभोग पहले स्थान पर और कोयला ऊर्जा का उपभोग दूसरे स्थान पर है।

2.2. भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और उपभोग की स्थितिः

2.2.1. भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन की स्थितिः शोधन (रिफाइनिंग) क्षमताओं में विस्तार और नए ब्लॉकों के विकास से भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन बढ़ रहा है। सारणी–2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2000–01 में देश में पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन 99.6 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था, जो बढ़कर वर्ष 2005–06 में 124.6 एमएमटी, 2010–11 में 196.2 एमएमटी, 2015–16 में 231.9 एमएमटी, 2019–20 में 262.9 एमएमटी तक पहुंच गया, लेकिन कोरोनाकाल में देश के पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में कुछ कमी परिलक्षित हुई और यह घटकर 2020–21 में 233. 5 एमएमटी रह गया, इसके बाद सुधार के पश्चात यह बढ़कर वर्ष 2024–25 में 284.1 एमएमटी तक पहुंच गया, जो कि अब तक का सर्वोच्च स्तर है।

उल्लेखनीय है कि देश के पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), मोटर स्पिरिट (एमएस), नैफ्था, एविएशन टरबाइन ईंधन (एटीएफ), सुपीरियर केरोसिन ऑयल (एसकेओ), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी), लाइट डीजल ऑयल (एलडीओ), फर्नेस ऑयल (एफओ) और लो सल्फर हैवी स्टॉक (एलएसएचएस), ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स (एलओबीएस), ल्यूब ऑयल, फ्यूल ऑयल, बिटुमेन आदि शामिल हैं। जबकि अन्य में सल्फर, प्रोपाइलिन, प्रोपेन, रिफॉर्मेट, ब्यूटेन, एमटीओ (मिनरल टर्पेंटाइन तेल) आदि शामिल हैं।

यदि देश में पेट्रोलियम के विभिन्न उत्पादों के उत्पादन पर गौर करें तो वर्ष 2000–01 में देश में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का उत्पादन 6.1 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था, जो बढ़कर वर्ष 2010–11 में 9.6 एमएमटी, 2015–16 में 10.6 एमएमटी, 2019–20 में 12.8 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 12.8 एमएमटी तक पहुंच गया, जो पिछले 8 वर्षों से कमोबेश स्थिर बना हुआ है। नेफ्था कच्चे तेल से निकलने वाला एक ज्वलनशील, हल्का हाइड्रोकार्बन तरल पदार्थ है, जो विलायक, ईंधन और पेट्रोकेमिकल्स के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल (फीडस्टॉक) है, जिसे रिफाइनरी में आसवन और उत्प्रेरक सुधार प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह मूल रूप से अज़रबैजान के बाकू क्षेत्र से निकलने वाले पेट्रोलियम के लिए प्रयुक्त नाम था। वर्ष 2000–01 में देश में नैफ्था का उत्पादन 11.5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था, जो वर्ष 2010–11 में 19.3 एमएमटी, 2015–16 में 17.9 एमएमटी, 2019–20 में 20.6 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 18.3 एमएमटी था। इस तरह, पिछले 25 वर्षों में नैफ्था के उत्पादन में काफी विचलन देखने को मिला है।

एमएस (मोटर स्पिरिट) पेट्रोल का ही दूसरा तकनीकी नाम है, जिसका प्रयोग कारों, मोटरसाइकिलों और स्पार्क–इग्निशन इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। यह कच्चे तेल के शोधन से बनता है और अत्यधिक ज्वलनशील होता है। यह ऑक्टेन रेटिंग के आधार पर इंजन के प्रदर्शन को प्रभावित करता है, और बेहतर प्रदर्शन के लिए उच्च ऑक्टेन वाला एमएस पसंद किया जाता है। वर्ष 2000–01 में देश में एमएस (मोटर स्पिरिट) का उत्पादन 8.1 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था, जो बढ़कर वर्ष 2010–11 में 25.8 एमएमटी, 2015–16 में 35.3 एमएमटी, 2019–20 में 38.6 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 48.3 एमएमटी तक पहुंच गया अर्थात कुछ अपवादिक वर्षों को छोड़कर पिछले 25 वर्षों में मोटर स्पिरिट का उत्पादन निरंतर बढ़ा है।

एटीएफ (एविएशन टरबाइन ईंधन) एक उच्च गुणवत्ता वाला, केरोसिन–आधारित ईंधन है जो मुख्यतः जेट और टर्बो–प्रॉप विमान इंजनों के लिए बनाया गया है, जिसे उच्च शुद्धता, स्थिरता, तरलता और स्वच्छता जैसे विशिष्ट गुणों की आवश्यकता होती है। एटीएफ के मुख्य प्रकार जेट–ए और जेट ए–1 ईंधन हैं, अन्य विमानन ईंधनों में मिलिट्री जेट ईंधनों जिसमें मुख्यतः जेपी–4, जेपी–5, और जेपी–8, शामिल हैं और ये सभी केरोसीन प्रकार के ईंधन हैं। यह एक

विशेष प्रकार का पेट्रोलियम आधारित ईंधन है। एटीएफ दिखने में रंगहीन और स्ट्रा की तरह होता है। कच्चे तेल के शोधन में यह डीज़ल और केरोसीन के साथ वर्गीकृत है। जेट ईंधन वास्तव में केरोसीन की एक उच्च परिष्कृत श्रेणी है। वर्ष 2000–01 में देश में एटीएफ (एविएशन टरबाइन ईंधन) का उत्पादन 2.2 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था, जो बढ़कर वर्ष 2010–11 में 9.8 एमएमटी, 2015–16 में 11.8 एमएमटी, 2019–20 में 15.2 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 17.8 एमएमटी तक पहुंच गया।

सारणी-2: भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन की स्थिति (मिलियन मीट्रिक टन)

उत्पाद / वर्ष	एलपीजी	नैफ्था	एमएस	एटीएफ	एसकेओ	एचएसडी	एलडीओ	लुब्रिकेंट्स और ग्रीस	एफओ और एलएसएचएस	बिटुमन	पेट्रो कोक एवं अन्य	अखिल भारत
2000-01	6.1	11.5	8.1	2.5	8.9	39.0	1.5	0.7	11.5	2.7	7.1	**99.6**
2005-06	7.7	16.0	10.5	6.2	9.0	47.8	0.9	0.7	14.1	3.6	8.1	**124.6**
2010-11	9.6	19.3	25.8	9.8	7.9	77.7	0.6	0.9	20.7	4.4	19.4	**196.2**
2014-15	9.8	17.5	32.2	11.1	7.6	94.3	0.4	0.9	12.2	4.7	30.4	**221.1**
2015-16	10.6	17.9	35.3	11.8	7.5	98.6	0.4	1.0	10.7	5.2	32.9	**231.9**
2016-17	11.3	19.7	36.6	13.8	6.0	102.1	0.6	1.0	12.0	5.2	35.2	**243.5**
2017-18	12.4	20.0	37.8	14.7	4.3	108.1	0.6	1.0	10.3	5.3	40.0	**254.3**
2018-19	12.8	19.6	38.0	15.5	4.1	110.6	0.7	0.9	10.0	5.6	44.7	**262.4**
2019-20	12.8	20.6	38.6	15.2	3.2	111.1	0.6	0.9	9.3	4.9	45.7	**262.9**
2020-21	12.1	19.4	35.8	7.1	2.4	100.4	0.7	1.1	7.4	4.9	42.2	**233.5**
2021-22	12.2	20.0	40.2	10.3	1.9	107.2	0.8	1.2	8.9	5.1	46.4	**254.3**
2022-23	12.8	17.0	42.8	15.0	0.9	113.8	0.6	1.4	10.3	4.9	46.8	**266.5**
2023-24	12.8	18.3	45.1	17.1	1.0	115.9	0.7	1.4	10.4	5.2	48.2	**276.1**
2024-25	12.8	18.3	48.3	17.8	1.0	118.0	0.6	1.3	10.3	5.3	50.4	**284.1**

स्रोत: पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित। 2. वर्ष 2017-18 से सामान्य वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी निदेशालय (डीजीसीआईएस) और ऑनलाइन एसईजेड के आंकड़े भी शामिल है। **टिप्पणी:** पेट्रोलियम उत्पादों में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), मोटर स्पिरिट (एमएस), नैफ्था, एविएशन टरबाइन ईंधन (एटीएफ), सुपीरियर केरोसिन ऑयल (एसकेओ), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी), लाइट डीजल ऑयल (एलडीओ), फर्नेस ऑयल (एफओ) और लो सल्फर हैवी स्टॉक (एलएसएचएस), ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स (एलओबीएस), ल्यूब ऑयल, फ्यूल ऑयल, बिटुमेन आदि शामिल हैं। जबकि अन्य में सल्फर, प्रोपाइलिन, प्रोपेन, रिफॉर्मेट, ब्यूटेन, एमटीओ (मिनरल टर्पेंटाइन तेल) आदि शामिल हैं।

एसकेओ (सुपीरियर केरोसिन ऑयल) एक उच्च–परिष्कृत केरोसिन है,जिसका उपयोग मुख्यतः घरों में रोशनी, हीटिंग और खाना पकाने, उद्योगों में सफाई, ईंधन आदि के रूप में किया जाता है। यह कम सल्फर और कम सुगंधित यौगिकों के कारण स्वच्छ जलता है, जिससे धुआं और बदबू कम आती है। यह सामान्य केरोसिन की तुलना में अधिक शुद्ध और परिष्कृत होता है। यह भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों (आइएस:1459) का पालन करता है। हालांकि, देश में मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग प्रतिबंधित है। वर्ष 2000–01 में देश में एसकेओ का उत्पादन 8.9 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था, जो घटकर वर्ष 2010–11 में 7.9 एमएमटी, 2015–16 में 7.5 एमएमटी, 2019–20 में 3.2 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 1.0 एमएमटी रह गया। एचएसडी (हाई स्पीड डीजल) मध्यम और तेज़ गति वाले डीजल इंजनों (जैसे ट्रक, बस, ट्रेन, जनरेटर, लोकोमोटिव) में प्रयुक्त एक प्रकार का पेट्रोलियम ईंधन है, जो कच्चे तेल के आंशिक आसवन से बनता है। यह गुणवत्ता, कम सल्फर और बेहतर दहन गुणों के लिए जाना जाता है, और इसमें बायोडीजल भी मिलाया जाता है। यह बीएस–VI (यूरो–VI) मानकों का पालन करता है। वर्ष 2000–01 में देश में एचएसडी का उत्पादन 39.0 मिलियन मीट्रिक टन था, जो बढ़कर वर्ष 2010–11 में 77.7 एमएमटी, 2015–16 में 98. 6 एमएमटी, 2019–20 में 111.1 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 118.0 एमएमटी हो गया।

एलडीओ (लाइट डीजल ऑयल) कच्चे तेल के आसवन से प्राप्त एक ईंधन है, जिसका उपयोग मुख्यतः औद्योगिक भट्टियों, बॉयलर और धीमी–गति वाली मशीनों में गर्मी और बिजली पैदा करने के लिए होता है। इसमें हाई–स्पीड डीजल की तुलना में उच्च फ़्लैश पॉइंट और सल्फर सामग्री होती है, लेकिन यह हल्का और सुगमता से ज्वलनशील है। वर्ष 2000–01 में देश में एचएसडी का उत्पादन 1.5 मिलियन मीट्रिक टन था, जो घटकर वर्ष 2010–11 में 0.6 एमएमटी, 2015–16 में 0.4 एमएमटी, 2019–20 में 0.6 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 0.6 एमएमटी रह गया। इसी तरह, वर्ष 2000–01 में देश में लुम्ब्रिकेंट्स और ग्रीस का उत्पादन 0.7 मिलियन मीट्रिक टन था, जो बढ़कर वर्ष 2010–11 में 0.9 एमएमटी, 2019–20 में 0.9 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 1.3 एमएमटी हो गया। एफओ का आशय फर्नेस ऑयल (भट्टी तेल) और एलएसएचएस का आशय लो सल्फर हेवी स्टॉक (कम सल्फर वाला भारी

तेल) से है, जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं जिनका उपयोग बिजली उत्पादन, औद्योगिक हीटिंग और बॉयलर ईंधन के रूप में होता है। वर्ष 2000–01 में देश में एफओ और एलएसएचएस का उत्पादन 11.5 मिलियन मीट्रिक टन था, जो बढ़कर वर्ष 2010–11 में 20.7 एमएमटी हो गया, हालांकि यह बाद में घटकर 2019–20 में 9.3 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 10.3 एमएमटी हो गया।

बिटुमेन पेट्रोलियम का एक काला, चिपचिपा और अत्यधिक गाढ़ा घटक है, जो कच्चे तेल के आसवन से मिलता है और मुख्यतः सड़क निर्माण (डामर) में बाइंडर के रूप में इस्तेमाल होता है, क्योंकि यह जलरोधी और टिकाऊ होता है; इसे डामर, कोलतार या एस्फाल्ट के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2000–01 में देश में बिटुमेन का उत्पादन 2.7 मिलियन मीट्रिक टन था, जो बढ़कर वर्ष 2010–11 में 4.4 एमएमटी, 2020–21 में 4.9 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 5.3 एमएमटी हो गया। पेट्रो कोक (पेटकोक) कच्चे तेल के शोधन का एक ठोस, कार्बन–समृद्ध उप–उत्पाद है, जो कोकिंग प्रक्रिया से बनता है और इसमें कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन व धातुएँ होती हैं, जिसका उपयोग ईंधन (सीमेंट, बिजली), एल्यूमीनियम और इस्पात उद्योगों में एनोड या इलेक्ट्रोड बनाने, कार्बन ब्लैक जैसे रसायनों के लिए होता है, जो कोयले से सस्ता और अधिक ऊर्जावान होता है। वर्ष 2000–01 में देश में पेट्रो कोक का उत्पादन 7.1 मिलियन मीट्रिक टन था, जो बढ़कर वर्ष 2010–11 में 19.4 एमएमटी, 2020–21 में 42.2 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 50.4 एमएमटी हो गया।

2.2.2. भारत में तटवर्ती और अपतटीय पेट्रो उत्पादन की स्थितिः भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में पेट्रोलियम भंडार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेट्रोलियम भंडार विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को समर्थन देकर भारत की आर्थिक वृद्धि में औचित्यपूर्ण योगदान देते हैं। भारत के पेट्रोलियम भंडार तटीय एवं अपतटीय दोनों तरह के विभिन्न अवसादी बेसिनों में वितरित हैं। भारत में प्रमुख पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र असम–अराकान बेसिन, मुंबई अपतटीय बेसिन, कृष्णा–गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, राजस्थान बेसिन आदि हैं।

सारणी-3: भारत में तटवर्ती और अपतटीय पेट्रो उत्पादन की स्थिति (हजार मीट्रिक टन)

राज्य एवं क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
असम	4093	39.2	3991	4166	4361	4454
अरुणाचल प्रदेश	56	53	48	47	52	50
आन्ध्र प्रदेश	243	195	202	236	250	284
गुजरात	4707	4651	4626	4849	4950	5135
राजस्थान	6653	5891	5885	5074	4421	3428
तमिलनाडु	415	410	367	324	294	263
पश्चिम बंगाल	0.00	0.13	0.05	0.01	0.00	0.00
कुल तटवर्ती उत्पादन (i)	16167	15103	15120	14697	14329	13616
पूर्वी अपतटीय	557	744	626	550	1463	2437
पश्चिमी अपतटीय	14857	14236	13604	13552	13239	12471
गुजरात अपतटीय	589	411	338	379	326	181
कुल अपतटीय उत्पादन (ii)	16003	15391	14569	14482	15027	15088
कुल पेट्रो उत्पादन (i+ii)	**32170**	**30494**	**29688**	**29179**	**29356**	**28704**

स्रोत: पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित।

पूर्वोत्तर भारत और म्याँमार के कुछ हिस्सों तक विस्तृत, असम–अराकान बेसिन भारत के सबसे पुराने पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में से है। इसमें असम में डिगबोई और नाहरकटिया जैसे तटवर्ती तेल एवं गैस क्षेत्र शामिल हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित, मुंबई अपतटीय बेसिन देश के सबसे प्रचुर पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित, कृष्णा–गोदावरी बेसिन अपने महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक गैस भंडार के लिए जाना जाता है। भारत के पश्चिमी भाग में स्थित कैम्बे बेसिन अपने तेल और गैस भंडार के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर एवं कलोल क्षेत्र भारत के सबसे पुराने तेल उत्पादक क्षेत्रों में से हैं। उत्तर–पश्चिमी भारत में स्थित, राजस्थान बेसिन अपने तटवर्ती तेल भंडार के लिए जाना जाता है। राजस्थान बेसिन में बाड़मेर बेसिन, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या जैसे क्षेत्र स्थित हैं। इसके अलावा, भारत में संभावित पेट्रोलियम भंडार वाले कई अन्य अवसादी बेसिन हैं, जिनमें कावेरी बेसिन, गुजरात बेसिन, सौराष्ट्र बेसिन और गंगा बेसिन शामिल हैं।

सारणी–3 से स्पष्ट है कि वर्ष 2019–20 में देश के कुल 7 राज्यों का तटवर्ती पेट्रो उत्पादन 16167 हजार मीट्रिक टन था, जो घटकर वर्ष 2024–25 में 13616 हजार मीट्रिक टन रह गया, अर्थात देश के कुल पेट्रो उत्पादन में तटवर्ती का उत्पादन का हिस्सा 50.25 प्रतिशत से 47.44 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2019–20 में देश का कुल अपतटीय

पेट्रो उत्पादन 16003 हजार मीट्रिक टन था, जो घटकर वर्ष 2024–25 में 15088 हजार मीट्रिक टन रह गया। हालांकि सापेक्षिक हिस्सेदारी में अपतटीय उत्पादन की भागीदारी बढ़ी है, अर्थात देश के कुल पेट्रो उत्पादन में अपतटीय उत्पादन का हिस्सा 49.75 प्रतिशत से 52.56 प्रतिशत हो गया।

2.2.3. भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग की स्थितिः अर्थव्यवस्था की विकासीय आवश्यकताओं में विस्तार और मशीनीकृत व्यवस्थाओं के विकास से भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग बढ़ रहा है। सारणी–4 से स्पष्ट है कि वर्ष 2000–01 में देश में पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग 100.1 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था, जो बढ़कर वर्ष 2005–06 में 113.2 एमएमटी, 2010–11 में 141.0 एमएमटी, 2015–16 में 184.7 एमएमटी, 2019–20 में 214.1 एमएमटी तक पहुंच गया, लेकिन कोरोनाकाल में देश के पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग में कुछ कमी परिलक्षित हुई और यह घटकर 2020–21 में 194.3 एमएमटी रह गया, इसके बाद सुधार के पश्चात यह बढ़कर वर्ष 2024–25 में 239.2 एमएमटी तक पहुंच गया, जो कि अब तक का सर्वोच्च स्तर है।

सारणी-4: भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग की स्थिति (मिलियन मीट्रिक टन)

उत्पाद / वर्ष	एलपीजी	नैफ्था	एमएस	एटीएफ	एसकेओ	एचएसडी	एलडीओ	लुब्रिकेंट्स और ग्रीस	एफओ और एलएसएचएस	बिटुमन	पेट्रो कोक	अन्य	अखिल भारत	वृद्धि (%)
2000-01	7.0	11.7	6.6	2.3	11.3	38.0	1.4	1.0	12.7	2.7	0.4	5.0	**100.1**	**3.1**
2005-06	10.5	12.2	8.6	3.3	9.5	40.2	0.9	2.1	12.8	3.5	4.9	4.7	**113.2**	**1.4**
2010-11	14.3	10.7	14.2	5.1	8.9	60.1	0.5	2.4	10.8	4.5	5.0	4.6	**141.0**	**2.3**
2014-15	18.0	11.1	19.1	5.7	7.1	69.4	0.4	3.3	6.0	5.1	14.6	5.9	**165.5**	**4.5**
2015-16	19.6	13.3	21.8	6.3	6.8	74.6	0.4	3.6	6.6	5.9	19.3	6.4	**184.7**	**11.6**
2016-17	21.6	13.2	23.8	7.0	5.4	76.0	0.4	3.5	7.2	5.9	24.0	6.6	**194.6**	**5.4**
2017-18	23.3	12.9	26.2	7.6	3.8	81.1	0.5	3.9	6.7	6.1	25.7	8.3	**206.2**	**5.9**
2018-19	24.9	14.1	28.3	8.3	3.5	83.5	0.6	3.7	6.6	6.7	21.3	11.7	**213.2**	**3.4**
2019-20	26.3	14.3	30.0	8.0	2.4	82.6	0.6	3.8	6.3	6.7	21.7	11.4	**214.1**	**0.4**
2020-21	27.6	14.1	28.0	3.7	1.8	72.7	0.9	4.1	5.6	7.5	15.6	12.8	**194.3**	**-9.3**
2021-22	28.3	13.2	30.8	5.0	1.5	76.7	1.0	4.5	6.3	7.8	14.3	12.3	**201.7**	**3.8**
2022-23	28.5	12.2	35.0	7.4	0.5	85.9	0.7	3.7	7.0	8.0	18.3	15.8	**223.0**	**10.6**
2023-24	29.7	13.8	37.2	8.2	0.5	89.6	0.8	4.1	6.5	8.8	20.3	14.7	**234.3**	**5.0**
2024-25	31.3	13.0	40.0	9.0	0.4	91.4	0.8	4.6	6.4	8.6	22.0	11.6	**239.2**	**2.1**

स्रोत: पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित।

इस तरह, देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत वर्ष 2014–15 में 165.5 एमएमटी से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 239.2 एमएमटी हो गई है। पिछले दशक (2014–15 से 2024–25) में कुल पेट्रोलियम उत्पादों की खपत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 3.8 प्रतिशत रही है। यदि देश में पेट्रोलियम के विभिन्न उत्पादों के उपभोग पर गौर करें तो वर्ष 2000–01 में देश में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का उपभोग 6.1 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था, जो बढ़कर वर्ष 2010–11 में 14.3 एमएमटी, 2019–20 में 26.3 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 31.3 एमएमटी तक पहुंच गया। देश में नैफ्था का उपभोग वर्ष 2000–01 में 17.6 एमएमटी था, जो घटकर वर्ष 2010–11 में 10.7 एमएमटी, 2019–20 में 14.3 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 13.0 एमएमटी रह गया। मोटर स्पिरिट (एमएस) का उपभोग वर्ष 2000–01 में 6.6 एमएमटी था, जो बढ़कर वर्ष 2010–11 में 14.2 एमएमटी, 2019–20 में 30.0 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 40.0 एमएमटी हो गया।

देश में एविएशन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) का उपभोग वर्ष 2000–01 में 2.3 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था, जो बढ़कर वर्ष 2010–11 में 5.1 एमएमटी, 2019–20 में 8.0 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 9.0 एमएमटी हो गया। सुपीरियर केरोसिन ऑयल (एसकेओ) का उपभोग वर्ष 2000–01 में 11.3 एमएमटी था, जो घटकर वर्ष 2010–11 में 8.9 एमएमटी, 2019–20 में 2.4 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 0.4 एमएमटी हो गया। हाई स्पीड डीजल

(एचएसडी) का उपभोग वर्ष 2000–01 में 38.0 एमएमटी था, जो बढ़कर वर्ष 2010–11 में 60.1 एमएमटी, 2019–20 में 82.6 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 91.4 एमएमटी हो गया।

देश में लाइट डीजल ऑयल (एलडीओ) का उपभोग वर्ष 2000–01 में 1.4 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था, जो घटकर वर्ष 2010–11 में 0.5 एमएमटी, 2019–20 में 0.6 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 0.8 एमएमटी रह गया। लुब्रिकेंट्स और ग्रीस का उपभोग वर्ष 2000–01 में 1.0 एमएमटी था, जो बढ़कर वर्ष 2010–11 में 2.4 एमएमटी, 2019–20 में 3.8 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 4.6 एमएमटी हो गया। एफओ और एलएसएचएस का उपभोग वर्ष 2000–01 में 12.7 एमएमटी था, जो घटकर वर्ष 2010–11 में 10.8 एमएमटी, 2019–20 में 6.3 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 6.4 एमएमटी हो गया।

देश में बिटुमेन का उपभोग वर्ष 2000–01 में 2.7 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था, जो बढ़कर वर्ष 2010–11 में 4.5 एमएमटी, 2019–20 में 6.7 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 8.6 एमएमटी हो गया। पेट्रो कोक (पेटकोक) का उपभोग वर्ष 2000–01 में 0.4 एमएमटी था, जो बढ़कर वर्ष 2010–11 में 5.0 एमएमटी, 2019–20 में 21.7 एमएमटी और वर्ष 2024–25 में 22.0 एमएमटी हो गया। इस तरह, पिछले दशक में खपत आधारित सीएजीआर पेट्रो उत्पादों में एलडीओ में सबसे अधिक 8.7 प्रतिशत थी, इसके बाद एमएस (7.7 प्रतिशत), एलपीजी (5.7 प्रतिशत), बिटुमेन (5.3 प्रतिशत), एटीएफ (4.5 प्रतिशत), पेटकोक (4.4 प्रतिशत), लुब्स (3.2 प्रतिशत), एचएसडी (2.8 प्रतिशत), नैफ्था (1.7 प्रतिशत) और एफओ एवं एलएसएचएस (0.8 प्रतिशत) रही है। जबकि पिछले दशक में एसकेओ (24.8 प्रतिशत) की खपत में नकारात्मक सीएजीआर देखा गया।

2.2.4 भारत के पेट्रो उत्पादों में उत्पादन और उपभोग अंतरालः सारणी–5 में भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और उपभोग की स्थिति को दर्शाया गया है।

सारणी-5: भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और उपभोग की स्थिति (मिलियन मीट्रिक टन)

विवरण एवं वर्ष	भारत में उत्पादित कच्चा तेल	संघनित (Condensate) उत्पादन	भारत में कंडेनसेट सहित कुल कच्चे तेल का उत्पादन	रिफाइनरियों एवं अन्य स्रोतों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का कुल उत्पादन	भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग	उत्पादन और उपभोग अंतराल
2000-01	32.5	--	**32.5**	99.6	100.1	-0.5
2005-06	32.2	--	**32.2**	124.6	113.2	11.4
2010-11	35.6	2.1	**37.7**	196.2	141.0	55.2
2011-12	35.9	2.2	**38.1**	204.5	148.1	56.3
2012-13	35.7	2.2	**37.9**	218.2	157.1	61.2
2013-14	35.9	1.9	**37.8**	220.7	158.4	62.3
2014-15	35.9	1.6	**37.5**	221.1	165.5	55.6
2015-16	35.5	1.4	**36.9**	231.9	184.7	47.2
2016-17	34.5	1.5	**36.0**	243.5	194.6	48.9
2017-18	34.0	1.6	**35.7**	254.3	206.2	48.1
2018-19	32.5	1.7	**34.2**	262.4	213.2	49.1
2019-20	30.5	1.6	**32.2**	262.9	214.1	48.8
2020-21	29.1	1.4	**30.5**	233.5	194.3	39.2
2021-22	28.4	1.2	**29.7**	254.3	201.7	52.6
2022-23	27.8	1.4	**29.2**	266.5	223.0	43.5
2023-24	27.2	2.2	**29.4**	276.1	234.3	41.8
2024-25	26.5	2.2	**28.7**	284.1	239.5	44.6

स्रोत: इंडिया'ज आयल एवं गैस रेडी रेकनर (2015 से 2025) जबकि ऐतिहासिक आंकड़े, पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित।

सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2000–01 में देश में रिफाइनरियों एवं अन्य स्रोतों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का कुल उत्पादन 99.6 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था, जो बढ़कर वर्ष 2005–06 में 124.6 एमएमटी, 2010–11 में 196.2 एमएमटी, 2015–16 में 231.9 एमएमटी, 2019–20 में 262.9 एमएमटी तक पहुंच गया, लेकिन कोरोनाकाल में देश के

पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में कुछ कमी परिलक्षित हुई और यह घटकर 2020–21 में 233.5 एमएमटी रह गया, इसके बाद सुधार के पश्चात यह बढ़कर वर्ष 2024–25 में 284.1 एमएमटी तक पहुंच गया।

सारणी–5 से स्पष्ट है कि वर्ष 2000–01 में देश में पेट्रोलियम उत्पादों का कुल उपभोग 100.1 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था, जो बढ़कर वर्ष 2005–06 में 113.2 एमएमटी, 2010–11 में 141.0 एमएमटी, 2015–16 में 184.7 एमएमटी, 2019–20 में 214.1 एमएमटी तक पहुंच गया, लेकिन कोरोनाकाल में देश के पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग में कुछ कमी परिलक्षित हुई और यह घटकर 2020–21 में 194.3 एमएमटी रह गया, इसके बाद सुधार के पश्चात यह बढ़कर वर्ष 2024–25 में 239.5 एमएमटी तक पहुंच गया।

देश में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और उपभोग अंतराल का आशय में देश में रिफाइनरियों एवं अन्य स्रोतों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग के लिए उपलब्ध कुल शोधित उत्पादन से है। जैसाकि सारणी–5 में उत्पादन और उपभोग की स्थिति से स्पष्ट है कि वर्ष 2000–01 में देश में पेट्रोलियम उत्पादों का कुल उत्पादन और उपभोग अंतराल 0.5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) नकारात्मक था, जो बाद में सकारात्मक होकर वर्ष 2005–06 में 11.4 एमएमटी, 2010–11 में 55.2 एमएमटी, 2015–16 में 47.2 एमएमटी तक पहुंच गया, लेकिन कोरोनाकाल में देश के पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन एवं उपभोग अंतराल में कुछ कमी परिलक्षित हुई और यह घटकर 2020–21 में 39.2 एमएमटी रह गया, इसके बाद सुधार के पश्चात यह बढ़कर वर्ष 2021–22 में 52.6 एमएमटी तक पहुंच गया। लेकिन यह पुनः घटकर वर्ष 2024–25 में 44.6 एमएमटी हो गया। कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और उपभोग का अंतराल सकारात्मक और संतोषजनक है।

2.2.5. कच्चे पेट्रो तेल के उत्पादन और उपभोग की तुलनात्मक स्थितिः बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ़ वर्ल्ड एनर्जी और एनर्जी इंस्टीट्यूट स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी के अनुसार वर्ष 2014 में भारत में कच्चे तेल का उत्पादन 41.9 मिलियन टन (एमटी) था, जो घटकर वर्ष 2020 में 35.0 एमटी और वर्ष 2024 में 36.6 एमटी रह गया। जबकि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का उत्पादन वर्ष 2014 में 4220.6 एमटी था, जो घटकर वर्ष 2020 में 4165.0 एमटी और वर्ष 2024 में बढ़कर 4824.7 एमटी हो गया। स्पष्ट है कि भारत में कच्चे पेट्रो तेल का उत्पादन कुल वैश्विक उत्पादन का क्रमशः 0.99, 0.84 और 0.76 प्रतिशत रहा है।

यदि दैनिक उत्पादन को देखें तो सारणी–6 से स्पष्ट है कि वर्ष 2014 में भारत में कच्चे तेल का उत्पादन 0.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन (एमबीडी) था, जो घटकर वर्ष 2020 में 0.8 एमबीडी और वर्ष 2024 में 0.7 एमबीडी रह गया। जबकि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का उत्पादन वर्ष 2014 में 88.7 एमबीडी था, जो घटकर वर्ष 2020 में 88.4 एमबीडी और वर्ष 2024 में बढ़कर 96.9 एमबीडी हो गया। स्पष्ट है कि भारत में कच्चे पेट्रो तेल का दैनिक उत्पादन कुल वैश्विक उत्पादन का क्रमशः 1.01, 0.90 और 0.72 प्रतिशत रहा है।

सारणी-6: भारत एवं वैश्विक कच्चे तेल का उत्पादन और उपभोग की तुलनात्मक स्थिति

विवरण	भारत में कच्चे तेल का उत्पादन और उपभोग				विश्व में कच्चे तेल का उत्पादन और उपभोग			
वर्ष	उत्पादन (एमटी)	उत्पादन (एमबीडी)	उपभोग (एमटी)	उपभोग (एमबीडी)	उत्पादन (एमटी)	उत्पादन (एमबीडी)	उपभोग (एमटी)	उपभोग (एमबीडी)
2014	41.9	0.9	180.7	3.8	4220.6	88.7	4211.1	92.1
2020	35.0	0.8	213.1	4.7	4165.0	88.4	4006.7	88.5
2024	36.6	0.7	286.7	5.8	4824.7	96.9	5214.1	104.7

स्रोत: बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ़ वर्ल्ड एनर्जी, जून 2015 और जुलाई 2021; 2. एनर्जी इंस्टीट्यूट स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी, 2025
टिप्पणियां: एमटी = मिलियन टन, एमबीडी = मिलियन बैरल प्रतिदिन

सारणी–6 में भारत एवं वैश्विक कच्चे तेल के उपभोग की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाया गया है। वर्ष 2014 में भारत में कच्चे तेल का उपभोग 180.7 मिलियन टन (एमटी) था, जो बढ़कर वर्ष 2020 में 213.1 एमटी और वर्ष 2024 में 286.7 एमटी हो गया। जबकि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का उपभोग वर्ष 2014 में 4211.1 एमटी था, जो घटकर वर्ष 2020 में 4006.7 एमटी और वर्ष 2024 में बढ़कर 5214.1 एमटी हो गया। स्पष्ट है कि भारत में कच्चे पेट्रो तेल का उपभोग कुल वैश्विक उपभोग का क्रमशः 4.29, 5.32 और 5.50 प्रतिशत रहा है। यदि दैनिक उपभोग को देखें तो वर्ष 2014 में भारत में कच्चे तेल का उपभोग 3.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन (एमबीडी) था, जो बढ़कर वर्ष 2020 में 4.7 एमबीडी और वर्ष 2024 में 5.8 एमबीडी हो गया। जबकि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का उपभोग वर्ष 2014 में 92.1 एमबीडी था, जो घटकर वर्ष 2020 में 88.5 एमबीडी और वर्ष 2024 में बढ़कर 104.7 एमबीडी हो गया। स्पष्ट है कि भारत में कच्चे पेट्रो तेल का दैनिक उपभोग कुल वैश्विक उपभोग का क्रमशः 4.13, 5.31 और 5.54 प्रतिशत रहा है। इस तरह, देश में कच्चे पेट्रो तेल के उत्पादन और उपभोग का अंतराल काफी अधिक है।

2.3. भारत की कच्चा तेल शोधन क्षमता और प्रसंस्करण की स्थितिः शोधन का आशय कच्चे तेल को अप्रयोज्य पदार्थ से एक परिष्कृत, बहु–उपयोगी उत्पाद श्रृंखला में बदलने की जटिल औद्योगिक प्रक्रिया से है। इस प्रक्रिया में कच्चे तेल को पृथक्करण, उपयोगी उत्पादों में रूपांतरण, शुद्धिकरण और मिश्रण द्वारा विभिन्न ऊर्जा और रासायनिक उत्पादों में बदला जाता है। इस तरह, शोधनशालाओं (रिफाइनरियों) में कच्चे तेल का शोधन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें कच्चे तेल को उसके विभिन्न घटकों (जैसे गैसोलीन, डीज़ल, केरोसीन, एलपीजी, जेट ईंधन, ईंधन तेल, स्नेहक, मोम और डामर) में अलग किया जाता है और उन्हें उपयोगी उत्पादों में बदला जाता है, जो परिवहन, बिजली उत्पादन और रासायनिक उद्योगों के लिए आवश्यक होते हैं। यह प्रक्रिया मुख्यतः प्रभाजी आसवन और क्रैकिंग जैसी तकनीकों द्वारा की जाती है।

भारत की शोधनशालाओं में कच्चा तेल शोधन की स्थापित क्षमता को सारणी–7 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 1997–98 में देश की सभी रिफाइनरियों द्वारा कच्चा तेल शोधन की स्थापित क्षमता 62.2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) थी, जो बढ़कर वर्ष 2000–01 में 114.6 एमएमटीपीए, 2005–06 में 132.5 एमएमटीपीए, 2010–11 में 193.4 एमएमटीपीए, 2015–16 में 230.1 एमएमटीपीए, 2020–21 में 249.9 एमएमटीपीए और वर्ष 2024–25 में 258.1 एमएमटीपीए तक पहुंच गई। इस तरह, पिछले 27 वर्षों के दौरान देश में कच्चा तेल शोधन की स्थापित क्षमता में कमोबेश निरंतर विस्तार हुआ है।

सारणी-7: भारत में शोधनाशालाओं की कच्चा तेल शोधन की स्थापित क्षमता (एमएमटीपीए)

वर्ष	आईओसीएल रिफाइनरी	एचपीसीएल रिफाइनरी	बीपीसीएल रिफाइनरी	सीपीसीएल रिफाइनरी	ओएनजीसी रिफाइनरी	आरआईएल-जामनगर (डीटीए)	आरआईएल-जामनगर (एसईजेड)	ईओएल-वडिनार	अखिल भारत
1997-98	25.7	10.0	6.0	7.0	--	0.0	0.0	0.0	**62.2**
2000-01	38.2	13.0	6.9	7.0	--	27.0	0.0	0.0	**114.6**
2005-06	41.4	13.0	12.0	10.5	15.1	33.0	0.0	0.0	**132.5**
2010-11	54.2	14.8	27.5	11.5	11.9	33.0	27.0	10.5	**193.4**
2014-15	54.2	23.8	27.5	11.5	15.1	33.0	27.0	20.0	**215.1**
2015-16	69.2	23.8	27.5	11.5	15.1	33.0	27.0	20.0	**230.1**
2016-17	69.2	24.8	30.4	11.5	15.1	33.0	27.0	20.0	**234.0**
2017-18	69.2	27.1	33.5	11.5	15.1	33.0	35.2	20.0	**247.6**
2018-19	69.2	27.1	35.3	11.5	15.1	33.0	35.2	20.0	**249.4**
2019-20	69.7	27.1	35.3	11.5	15.1	33.0	35.2	20.0	**249.9**
2020-21	69.7	27.1	35.3	11.5	15.1	33.0	35.2	20.0	**249.9**
2021-22	69.7	27.1	35.3	10.5	15.1	33.0	35.2	20.0	**248.9**
2022-23	70.1	31.8	35.3	10.5	15.1	33.0	35.2	20.0	**253.9**
2023-24	70.3	34.5	35.3	10.5	15.1	33.0	35.2	20.0	**256.8**
2024-25	70.3	35.8	35.3	10.5	15.1	33.0	35.2	20.0	**258.1**

स्रोत: इंडिया'ज आयल एवं गैस रेडी रेकनर (2015 से 2025)। पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित। **टिप्पणियां:** इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की शोधनशालाओं में 9 बरौनी, कोयाली, डिगबोई, गुवाहाटी, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, बोंगईगांव और पारादीप रिफाइनरियां शामिल हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की शोधनशालाओं में 3 मुंबई, विशाखापत्तनम और भटिंडा रिफाइनरियां शामिल हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की शोधनशालाओं में 3 मुंबई, कोच्चि और बीना रिफाइनरियां शामिल हैं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) की शोधनशालाओं में 2 मनाली और सीबीआर रिफाइनरियां शामिल हैं। आयल एवं नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की शोधनशालाओं में 3 नुमालीगढ़, तातिपाका और मंगलोर रिफाइनरियां शामिल हैं। जबकि आरआईएल-जामनगर (डीटीए), आरआईएल-जामनगर (एसईजेड) और ईओएल-वडिनार निजी क्षेत्र की रिफाइनरियां हैं। 2. स्थापित क्षमता (एमएमटीपीए= मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष)।

वर्ष 2024–25 में देश में कच्चे तेल की शोधन क्षमता 258.1 एमएमटीपीए थी, जिसके बढ़कर वर्ष 2030 तक 309 एमएमटीपीए होने का अनुमान है। फिलहाल देश में 23 रिफाइनरियां हैं जिसमें 18 सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र (पीएसयू) के स्वामित्व में हैं और 03 निजी क्षेत्र के स्वामित्व में हैं, जबकि 02 रिफाइनरी संयुक्त उद्यम के रूप में संचालित है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की शोधनशालाओं में 9 बरौनी, कोयाली, डिगबोई, गुवाहाटी, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, बोंगईगांव और पारादीप रिफाइनरियां शामिल हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की शोधनशालाओं में 3 मुंबई, विशाखापत्तनम और भटिंडा रिफाइनरियां शामिल हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की शोधनशालाओं में 3 मुंबई, कोच्चि और बीना रिफाइनरियां शामिल हैं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) की शोधनशालाओं में 2 मनाली और सीबीआर रिफाइनरियां शामिल हैं। आयल एवं नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की शोधनशालाओं में 3 नुमालीगढ़, तातिपाका और

मंगलोर रिफाइनरियां शामिल हैं। जबकि आरआईएल–जामनगर (डीटीए), आरआईएल–जामनगर (एसईजेड) और ईओएल–वडिनार निजी क्षेत्र की रिफाइनरियां हैं।

भारत की शोधनशालाओं में कच्चे तेल के प्रसंस्करण की स्थिति को सारणी–8 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 1998–99 में देश की सभी रिफाइनरियों द्वारा कच्चे तेल का प्रसंस्करण 68.5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) किया गया था, जो बढ़कर वर्ष 2000–01 में 103.1 एमएमटी, 2005–06 में 126.9 एमएमटी, 2010–11 में 196.5 एमएमटी, 2015–16 में 232.9 एमएमटी, 2018–19 में 257.2 एमएमटी तक पहुंच गया, लेकिन कोरोनाकाल में देश के कच्चे तेल के प्रसंस्करण में कुछ कमी परिलक्षित हुई और यह घटकर 2020–21 में 221.8 एमएमटी रह गया, हालांकि, इसके बाद सुधार के पश्चात यह बढ़कर वर्ष 2024–25 में 267.7 एमएमटी हो गया। अतः यह कहा जा सकता है कि देश की शोधनशालाओं में कच्चे तेल के प्रसंस्करण की मात्रा में कमोबेश निरंतर विस्तार हो रहा है।

सारणी-8: भारत की शोधनाशालाओं में कच्चे तेल के प्रसंस्करण की स्थिति (एमएमटी)

वर्ष	आईओसीएल रिफाइनरी	एचपीसीएल रिफाइनरी	बीपीसीएल रिफाइनरी	सीपीसीएल रिफाइनरी	ओएनजीसी रिफाइनरी	आरआईएल-जामनगर (डीटीए)	आरआईएल-जामनगर (एसईजेड)	ईओएल-वडिनार	अखिल भारत
1998-99	30.4	9.1	8.9	6.7	4.1	0.0	0.0	0.0	**68.5**
2000-01	33.2	11.9	8.7	6.6	6.4	25.7	0.0	0.0	**103.1**
2005-06	38.5	13.8	10.3	10.4	12.1	30.5	0.0	0.0	**126.9**
2010-11	53.0	14.7	21.8	11.1	12.7	31.0	35.6	14.8	**196.5**
2014-15	53.6	23.5	29.4	10.8	14.7	30.9	37.2	20.5	**223.3**
2015-16	58.0	27.9	30.5	9.6	15.6	32.4	37.1	19.1	**232.9**
2016-17	65.2	28.3	31.7	10.3	16.1	32.8	37.4	20.9	**245.4**
2017-18	69.0	27.1	34.9	10.8	16.2	33.2	37.3	20.7	**251.9**
2018-19	71.8	30.9	36.5	10.7	16.3	31.8	37.4	18.9	**257.2**
2019-20	69.4	29.4	39.4	10.2	14.0	33.0	35.9	20.6	**254.4**
2020-21	62.4	26.5	32.4	8.2	11.6	34.1	26.8	17.1	**221.8**
2021-22	67.7	27.0	37.2	9.0	14.9	34.8	28.3	20.2	**241.7**
2022-23	72.4	31.8	38.4	11.3	17.2	34.4	27.9	18.7	**255.2**
2023-24	73.3	35.0	39.5	11.6	16.6	34.4	28.3	20.3	**261.5**
2024-25	71.6	38.3	40.4	10.5	18.1	35.0	30.2	20.5	**267.7**

स्रोत: इंडिया'ज आयल एवं गैस रेडी रेकनर (2015 से 2025)। पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित। टिप्पणी: एमएमटी= मिलियन मीट्रिक टन।

देश के कच्चे तेल की शोधन क्षमता में सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) की हिस्सेदारी लगभग 157 एमएमटीपीए और निजी क्षेत्र की लगभग 88 एमएमटीपीए है, जो बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए क्षमता विस्तार पर जोर दे रही है। भारत शोधित पेट्रोलियम उत्पादों का शुद्ध निर्यातक है और बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अपनी शोधन क्षमता बढ़ा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी गुजरात में रिलायंस द्वारा संचालित जामनगर है। जबकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल) की पारादीप रिफाइनरी, जो 15 एमएमटीपीए क्षमता के साथ 2016 में शुरू हुई थी, यह सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। भारत सरकार ने देश की कच्चे तेल की शोधन क्षमता को वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 309 एमएमटीपीए का लक्ष्य रखा है, जिसके चलते सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र की रिफाइनरियों में विस्तार परियोजनाएं और नई रिफाइनरियां बन रही हैं।

सारणी-9: भारत की कच्चा तेल शोधन क्षमता की तुलनात्मक स्थिति (हजार बैरल प्रतिदिन)

वर्ष एवं देश	चीन	यूएस अमेरिका	रूसी संघ	भारत	ओईसीडी	यूरोपीय संघ	विश्व	वैश्विक तेल शोधन में भारत की हिस्सेदारी
2005	7752	17339	5408	2558	45139	15922	86562	**2.96**
2010	12323	17736	5527	3703	45680	13544	93871	**3.94**
2015	14262	18315	6428	4307	44120	14124	97227	**4.43**
2020	16691	18143	6736	5018	44804	12663	101947	**4.92**
2024	18514	18416	6781	5172	43536	12185	104523	**4.95**

स्रोत: बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ़ वर्ल्ड एनर्जी और एनर्जी इंस्टीट्यूट स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी के विभिन्न वर्षों के संस्करणों से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित। टिप्पणी: ओईसीडी का विस्तारित नाम आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन है, जो आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 38 सदस्य देशों का अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ (ईयू) के 27 सदस्य देशों का आर्थिक संगठन है।

भारत की कच्चा तेल शोधन क्षमता की तुलनात्मक स्थिति को सारणी–9 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2005 में देश की कच्चा तेल शोधन क्षमता 2558 हजार बैरल प्रतिदिन थी, जो बढकर 2010 में 3703, 2015 में 4307, 2020 में 5018 और वर्ष 2024 में 5172 हजार बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई। स्पष्ट है कि पिछले 20 वर्षों में देश की कच्चा तेल शोधन क्षमता में 2.02 गुना की वृद्धि हुई है, जबकि इस दौरान चीन की कच्चा तेल शोधन क्षमता में 2.39 गुना और विश्व की कच्चा तेल शोधन क्षमता में 1.21 की वृद्धि हुई है। स्पष्ट है कि पिछले 20 वर्षों में वैश्विक तेल शोधन क्षमता की तुलना में भारत की वृद्धि काफी अधिक थी, लेकिन यह चीन से कुछ कम रही है। यदि वैश्विक तेल शोधन क्षमता में भारत की हिस्सेदारी देखें तो वर्ष 2005 में भारत की कच्चा तेल शोधन क्षमता कुल वैश्विक तेल शोधन क्षमता का 2.96 प्रतिशत थी, जो बढकर 2010 में 3.94, 2015 में 4.43, 2020 में 4.92 और वर्ष 2024 में 4.95 प्रतिशत हो गई। इस तरह, पिछले 20 वर्षों में तुलनात्मक रूप से भारत की कच्चा तेल शोधन क्षमता का विस्तार हुआ है।

2.4. भारत के पेट्रोलियम उद्योग की व्यापारिक स्थिति: पेट्रोलियम उद्योग की व्यापारिक स्थिति का आशय देश के पेट्रोलियम उत्पादों के आयत और निर्यात से है। भारत का पेट्रोलियम उद्योग एक बड़ा आयातक और एक प्रमुख निर्यातक है, जो अपनी विशाल शोधन क्षमता (दुनिया में चौथी सबसे बड़ी) का लाभ उठाता है, जिससे यह वैश्विक बाजारों को पेट्रोलियम उत्पाद (डीजल, पेट्रोल) निर्यात करता है, जबकि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए भारी आयात पर निर्भर है। यद्यपि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा और घरेलू उत्पादन के माध्यम से निर्भरता कम करने के लिए काम कर रही है। तथापि यह नाकाफी सिद्ध हो रहा है।

भारत के पेट्रोलियम उत्पादों के विदेशी व्यापार की मात्रात्मक स्थिति को सारणी–10 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2000–01 में भारत द्वारा कच्चे तेल का आयात 74097 हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) किया गया था, जो बढ़कर वर्ष 2005–06 में 99409 टीएमटी, 2010–11 में 163595 टीएमटी, 2015–16 में 202850 टीएमटी, 2019–20 में 226955 टीएमटी तक पहुंच गया, लेकिन कोरोनाकाल में देश के कच्चे तेल के आयात में कुछ कमी परिलक्षित हुई और यह घटकर 2020–21 में 196461 टीएमटी रह गया, हालांकि, इसके बाद सुधार के पश्चात यह बढ़कर वर्ष 2024–25 में 243225 टीएमटी हो गया। इस तरह, पिछले 25 वर्षों के दौरान देश में कच्चे तेल का आयात 3.28 गुना बढ़ा है। कच्चे तेल के अलावा भारत कई प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात भी करता है, जैसाकि सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2000–01 में भारत द्वारा 9267 हजार मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया था, जो बढ़कर वर्ष 2005–06 में 13441 टीएमटी, 2010–11 में 17379 टीएमटी, 2015–16 में 29456 टीएमटी, 2020–21 में 43248 टीएमटी और वर्ष 2024–25 में 50903 टीएमटी हो गया। इस तरह, पिछले 25 वर्षों के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों का आयात 5.49 गुना बढ़ा है।

सारणी-10: भारत के पेट्रोलियम उत्पादों के विदेशी व्यापार की स्थिति (हजार मीट्रिक टन)

विवरण / वर्ष	कच्चे तेल का आयात	पेट्रोलियम उत्पादों का आयात	कुल पेट्रोलियम आयात	पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात	शुद्ध पेट्रोलियम आयात	पेट्रोलियम उत्पादों का शुद्ध निर्यात
2000-01	74097	9267	83364	8365	74999	-902
2005-06	99409	13441	112850	23460	89390	10019
2010-11	163595	17379	180974	59077	121897	41698
2011-12	171729	15849	187579	60837	126741	44988
2012-13	184795	16354	201149	63408	137742	47054
2013-14	189238	16697	205935	67864	138071	51167
2014-15	189435	21301	210736	63932	146804	42631
2015-16	202850	29456	232306	60539	171768	31083
2016-17	213932	36287	250219	65513	184706	29226
2017-18	220433	35461	255894	66833	189061	31372
2018-19	226498	33348	259846	61096	198750	27747
2019-20	226955	43788	270742	65685	205057	21898
2020-21	196461	43248	239709	56769	182940	13521
2021-22	212382	39017	251398	62755	188644	23738
2022-23	232700	44598	277298	61015	216283	16417
2023-24	234262	48693	282954	62593	220362	13900
2024-25	243225	50903	294128	65076	229052	14173

स्रोत: पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित। **टिप्पणी:** आयातित और निर्यातित पेट्रोलियम उत्पादों में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), मोटर स्पिरिट (एमएस), नैफ्था, एविएशन टरबाइन ईंधन (एटीएफ), सुपीरियर केरोसिन ऑयल (एसकेओ), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी), ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स (एलओबीएस), ल्यूब ऑयल, फ्यूल ऑयल, बिटुमेन आदि शामिल हैं। (हजार मीट्रिक

टन = टीएमटी) 2. शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात = पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात - पेट्रोलियम उत्पादों का आयात;

यदि कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों दोनो के संयुक्त आयात पर गौर करें तो भारत का कुल पेट्रोलियम आयात वर्ष 2000–01 में 83364 हजार मीट्रिक टन था, जो बढ़कर वर्ष 2005–06 में 112850 टीएमटी, 2010–11 में 180974 टीएमटी, 2015–16 में 232306 टीएमटी, 2019–20 में 270742 टीएमटी और वर्ष 2024–25 में 294128 टीएमटी हो गया। इस तरह, पिछले 25 वर्षों के दौरान देश में कुल पेट्रोलियम आयात 3.53 गुना बढ़ा है।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता होने के साथ–साथ एक बड़ा निर्यातक भी है। जामनगर जैसी विश्व–स्तरीय रिफाइनरियों के साथ, भारत रिफाइंड उत्पादों का दुनिया का सातवां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता और ऊर्जा कूटनीति से वैश्विक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यातक के रूप में भारत कच्चे तेल का आयात करके उसे रिफाइन करता है और डीजल, पेट्रोल, विमानन टर्बाइन ईंधन जैसे उत्पाद बनाकर दुनिया भर, विशेषकर यूरोप और अफ्रीका को निर्यात करता है, जिससे ऊर्जा संतुलन में मदद मिलती है और देश की 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा मिलता है। भारत दुनिया के शीर्ष रिफाइनिंग देशों में से है और अपने मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक राष्ट्र के रूप में उभरा है, जहाँ रिलायंस और मैंगलोर रिफाइनरी जैसी कंपनियां निर्यात को बढ़ावा दे रही हैं। नीदरलैंड, स्पेन, यूके, फ्रांस, बेल्जियम जैसे देश भारत के बड़े खरीदार हैं, जहाँ रूस से दूरी के कारण भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है। हालिया वर्षों में अफ्रीका भारत के पेट्रोलियम निर्यात का एक प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है। संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया भी भारतीय पेट्रोलियम के प्रमुख खरीदार हैं। सारणी–10 से स्पष्ट है कि वर्ष 2000–01 में भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 8365 हजार मीट्रिक टन था, जो बढ़कर वर्ष 2005–06 में 23460 टीएमटी, 2010–11 में 59077 टीएमटी, 2015–16 में 60539 टीएमटी, 2019–20 में 65685 टीएमटी और वर्ष 2024–25 में 65076 टीएमटी हो गया। इस तरह, पिछले 25 वर्षों के दौरान देश में कुल पेट्रोलियम आयात 7.78 गुना बढ़ा है।

भारतीय पेट्रोलियम उद्योग के विदेशी व्यापार की मौद्रिक (मूल्य में) स्थिति को सारणी–11 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 में भारत द्वारा कच्चे तेल का आयात 100.1 बिलियन डॉलर था, जो घटकर वर्ष 2015–16 में 64.0, 2020–21 में 62.2 और इसके बाद बढ़कर वर्ष 2024–25 में 137.1 बिलियन डॉलर हो गया। इस तरह, पिछले 15 वर्षों में मौद्रिक मूल्य में देश के कच्चे तेल आयात में 1.37 गुना वृद्धि हुई है। यदि भारत के कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के कुल आयात को देखें तो वर्ष 2010–11 में भारत द्वारा कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का कुल आयात 112.1 बिलियन डॉलर था, जो घटकर वर्ष 2015–16 में 73.9, 2020–21 में 77.0 और वर्ष 2024–25 में 160.9 बिलियन डॉलर हो गया। इस तरह, पिछले 15 वर्षों के दौरान देश के पेट्रोलियम उत्पादों के कुल आयात में 1.44 गुना वृद्धि हुई है। हालांकि, वर्ष 2022–23 में पेट्रोलियम उत्पादों का कुल आयात 184.4 बिलियन डॉलर था, जो पिछले 15 वर्षों का अधिकतम स्तर है।

सारणी–11 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 में भारत द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का कुल निर्यात 43.3 बिलियन डॉलर था, जो घटकर वर्ष 2015–16 में 27.1, 2020–21 में 21.4 और वर्ष 2024–25 में बढ़कर 44.4 बिलियन डॉलर हो गया। इस तरह, पिछले 15 वर्षों में देश के पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 1.03 गुना वृद्धि हुई है। हालांकि, वर्ष 2013–14 में पेट्रोलियम उत्पादों का कुल निर्यात 60.7 बिलियन डॉलर था, जो पिछले 15 वर्षों का अधिकतम स्तर है।

यदि भारत के कच्चा तेल सहित पेट्रोलियम उत्पादों के कुल आयात और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को तुलनात्मक रूप से देखें तो देश में खपत के आधार पर पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता बहुत अधिक है, जैसाकि सारणी–11 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 में भारत की खपत के आधार पर पेट्रोलियम आयात निर्भरता 75 प्रतिशत थी, जो बढ़कर वर्ष 2015–16 में 80.9 प्रतिशत, 2020–21 में 84.4 प्रतिशत और वर्ष 2024–25 में 88.2 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इस तरह, पिछले 15 वर्षों में देश की पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता 75 प्रतिशत से 1.18 गुना बढ़कर 88.2 प्रतिशत पहुंच गई है।

यदि समग्र विदेशी व्यापार के सापेक्ष भारत के पेट्रोलियम उद्योग की व्यापारिक स्थिति को तुलनात्मक रूप से देखें तो सारणी–11 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 में भारत के समग्र आयात में कुल पेट्रोलियम आयात का हिस्सा 30. 3 प्रतिशत था, जो वर्ष 2015–16 में 19.4 प्रतिशत, 2020–21 में 19.5 प्रतिशत और वर्ष 2024–25 में 23.8 प्रतिशत तक रहा है। इस तरह, पिछले 15 वर्षों में देश के समग्र आयात में पेट्रोलियम आयात का हिस्सा 34.5 प्रतिशत से घटकर 23.8 प्रतिशत पहुंच गया है। हालांकि, पिछले 15 वर्षों में यह औसतन 25.59 प्रतिशत रहा है। इसी तरह, वर्ष 2010–11 में भारत के समग्र निर्यात में कुल पेट्रोलियम निर्यात का हिस्सा 17.3 प्रतिशत था, जो वर्ष 2015–16 में 10.3 प्रतिशत, 2020–21 में 7.3 प्रतिशत और वर्ष 2024–25 में 10.3 प्रतिशत तक रहा है। इस तरह, पिछले 15 वर्षों में देश के समग्र निर्यात में कुल पेट्रोलियम निर्यात का हिस्सा 19.8 प्रतिशत से घटकर 10.3 प्रतिशत पहुंच गया है। हालांकि, पिछले 15 वर्षों में यह औसतन 13.21 प्रतिशत रहा है।

सारणी-11: भारत के पेट्रोलियम उद्योग के विदेशी व्यापार की स्थिति							
विवरण एवं वर्ष	कच्चे तेल का आयात (बिलियन डॉलर)	पेट्रोलियम उत्पादों का आयात (बिलि.डॉलर)	कुल कच्चा तेल एवं पेट्रो उत्पादों का आयात (बिलियन डॉलर)	पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात (बिलि.डॉलर)	भारत के कुल आयात में कुल पेट्रोलियम आयात का हिस्सा (प्रतिशत)	भारत के कुल निर्यात में कुल पेट्रोलियम निर्यात का हिस्सा (प्रतिशत)	खपत के आधार पर आयात निर्भरता (प्रतिशत)
2010-11	100.1	12.1	112.1	43.3	30.3	17.3	75.0
2011-12	139.7	14.2	153.9	59.3	31.4	19.4	75.9
2012-13	144.3	12.5	156.8	58.8	32.0	19.8	77.1
2013-14	143.0	12.5	155.4	60.7	34.5	19.3	77.6
2014-15	112.7	12.1	124.9	47.3	27.9	15.2	78.5
2015-16	64.0	10.0	73.9	27.1	19.4	10.3	80.9
2016-17	70.2	10.6	80.8	29.0	21.0	10.5	81.7
2017-18	87.8	13.6	101.4	34.9	21.8	11.5	82.9
2018-19	111.9	16.3	128.3	38.2	24.9	11.6	83.8
2019-20	101.4	17.7	119.1	35.8	25.1	11.4	85.0
2020-21	62.2	14.8	77.0	21.4	19.5	7.3	84.4
2021-22	120.7	23.7	144.3	44.4	23.5	10.6	85.5
2022-23	157.5	26.9	184.4	57.3	25.8	12.8	87.3
2023-24	133.4	22.9	156.3	47.7	23.0	10.9	87.7
2024-25	137.1	23.8	160.9	44.4	23.8	10.3	88.2

स्रोत: इंडिया'ज आयल एवं गैस रेडी रेकनर (2015 से 2025)। पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित।

कुल मिलाकर, भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यह अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोक्ता है, जिसमें डीजल और पेट्रोल की खपत सबसे अधिक है। परिणामस्वरूप, भारत अपनी 85 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल की आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी करता है। देश का अधिकांश आयात मध्य पूर्व और अमेरिका से हो रहा है। इसके बावजूद, भारत पेट्रोलियम उत्पादों (रिफाइंड) का एक प्रमुख निर्यातक बनकर उभरा है, जो अपनी रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाकर पेट्रोलियम उत्पाद दक्षिण एशिया, अफ्रीका और यूरोप को निर्यात करता है। देश से नेपाल, चीन और म्यांमार जैसे देशों के लिए पेट्रोलियम गैस का निर्यात बढ़ रहा है, जिसके चलते भारत एक महत्वपूर्ण निर्यातक बन रहा है।

2.5. भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन और बिक्री की स्थितिः

2.5.1. पेट्रोलियम उत्पादों की क्षेत्रवार वार्षिक बिक्री की स्थितिः भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और बिक्री एक बढ़ता हुआ बाज़ार है। आर्थिक विकास के कारण ईंधन की मांग रिकॉर्ड स्तर पर है, जिसमें एलपीजी, पेट्रोल (एमएस) और डीजल (एचएसडी) की खपत बढ़ रही है। विपणन एवं बिक्री की दृष्टि से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल) सबसे बड़ी वाणिज्यिक तेल कंपनी है। देश का पेट्रो क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महत्वपूर्ण योगदान देता है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, साथ ही पेट्रोकेमिकल्स और लॉजिस्टिक्स जैसे सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा देता है। यह क्षेत्र मजबूत घरेलू मांग, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) के निर्माण, इथेनॉल मिश्रण और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (आईओसीएल, ओएनजीसी) के वर्चस्व के साथ आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, हालांकि, वैश्विक कीमतों और आपूर्ति में बदलाव के कारण इसमें उतार–चढ़ाव आते रहते हैं।

देश में सभी प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों की क्षेत्रवार वार्षिक बिक्री की स्थिति को सारणी–12 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2017–18 में अखिल भारतीय स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की कुल वार्षिक बिक्री 181070.5 हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) थी, जो बढ़कर 2021–22 में 201696.7 टीएमटी और 2024–25 में 239221.5 टीएमटी तक पहुंच गई है। स्पष्ट है कि पिछले 6 वर्षों के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की वार्षिक बिक्री में 1.32 गुना की वृद्धि हुई है। यदि क्षेत्रवार वार्षिक बिक्री को देखें तो यह पिछले 6 वर्षों के दौरान उत्तरी क्षेत्र में 1.11 गुना, उत्तर पूर्व में 1.35 गुना, पूर्वी क्षेत्र में 1.25 गुना, पश्चिमी क्षेत्र में 1.23 गुना और दक्षिणी क्षेत्र में 1.19 गुना बढ़ी है।

देश में पेट्रोलियम उत्पादों की क्षेत्रवार वार्षिक बिक्री और विपणन की दृष्टि से उत्तरी क्षेत्र में चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड शामिल हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्र में अंडमान एवं निकोबार, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ, दादरा एवं नगर हवेली

और दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र शामिल हैं। दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना शामिल हैं।

सारणी-12: देश में पेट्रोलियम उत्पादों की क्षेत्रवार वार्षिक बिक्री की स्थिति (हजार मीट्रिक टन)

क्षेत्र एवं वर्ष	उत्तरी क्षेत्र	उत्तर पूर्व	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	अखिल भारत
2017-18	55895.1	4065.7	22282.7	52151.4	46675.6	**181070.5**
2020-21	50812.8	4262.7	23246.5	51590.8	42697.2	**194295.3**
2021-22	55134.8	4655.6	23633.9	55605.6	46409.5	**201696.7**
2022-23	56655.6	5102.6	24712.1	60472.3	52576.4	**223008.3**
2023-24	60091.5	5278.0	26617.1	61091.9	54415.6	**234258.7**
2024-25	70663.2	6294.7	30793.5	69972.5	61497.2	**239221.1**
हिस्सेदारी (%)	**29.54**	**2.63**	**12.87**	**29.25**	**25.71**	**100.00**

स्रोत: पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित। **टिप्पणी:** उत्तरी क्षेत्र में चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर,लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड शामिल हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्र में अंडमान एवं निकोबार, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र शामिल हैं। दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना शामिल हैं।

देश में पेट्रोलियम उत्पादों की क्षेत्रीय वार्षिक बिक्री के वितरण को तुलनात्मक रूप से सारणी–12.1 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2017–18 में देश के सभी पेट्रोलियम उत्पादों की वार्षिक बिक्री में उत्तरी क्षेत्र की हिस्सेदारी 30.87 प्रतिशत थी, जो मामूली घटकर वर्ष 2024–25 में 29.54 प्रतिशत रह गई। उत्तर पूर्व की हिस्सेदारी 2. 25 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 2.63 प्रतिशत हो गई। पूर्वी क्षेत्र की हिस्सेदारी 12.31 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 12.87 प्रतिशत हो गई। पश्चिमी क्षेत्र की हिस्सेदारी 28.80 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 29.25 प्रतिशत हो गई। दक्षिणी क्षेत्र की हिस्सेदारी 25.78 प्रतिशत से मामूली घटकर 25.71 प्रतिशत हो गई। इस तरह, पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्रीय वार्षिक बिक्री में तुलनात्मक रूप से उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र की हिस्सेदारी अधिक है।

सारणी-12.1: देश में पेट्रोलियम उत्पादों की क्षेत्रवार वार्षिक और प्रति व्यक्ति बिक्री की स्थिति

वर्ष	वर्ष 2017-18			वर्ष 2024-25		
क्षेत्र	वार्षिक बिक्री (टीएमटी)	हिस्सेदारी (%)	प्रति व्यक्ति बिक्री (किग्रा)	वार्षिक बिक्री (टीएमटी)	हिस्सेदारी (%)	प्रति व्यक्ति बिक्री (किग्रा)
उत्तरी क्षेत्र	55895.1	30.87	151.6	70663.2	29.54	140.8
उत्तर पूर्व	4065.7	2.25	89.2	6294.7	2.63	103.6
पूर्वी क्षेत्र	22282.7	12.31	82.4	30793.5	12.87	88.1
पश्चिमी क्षेत्र	52151.4	28.80	191.1	69972.5	29.25	198.1
दक्षिणी क्षेत्र	46675.6	25.78	184.8	61497.2	25.71	201.6
अखिल भारत	**181070.5**	**100**	**149.6**	**239221.1**	**100**	**169.5**

स्रोत: पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित। टिप्पणी: टीएमटी = हजार मीट्रिक टन

सारणी–12.1 में देश में पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्रीय वार्षिक वितरण के प्रति व्यक्ति बिक्रय को तुलनात्मक रूप से दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2017–18 में देश के सभी पेट्रोलियम उत्पादों की प्रति व्यक्ति वार्षिक बिक्री उत्तरी क्षेत्र में 151.6 किग्रा थी, जो घटकर वर्ष 2024–25 में 140.8 किग्रा रह गई। उत्तर पूर्व में 89.2 किग्रा से बढ़कर 103.6 किग्रा हो गई। पूर्वी क्षेत्र में 82.4 किग्रा से बढ़कर 88.1 किग्रा हो गई। पश्चिमी क्षेत्र में 191.1 किग्रा से बढ़कर 198.1 किग्रा हो गई। दक्षिणी क्षेत्र में 184.8 किग्रा से बढ़कर 201.6 किग्रा हो गई। इस तरह, उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की प्रति व्यक्ति वार्षिक बिक्री बढ़ी है।

2.5.2. भारत में खुदरा आउटलेट या निर्गम की स्थिति: वर्ष 2002 तक भारत में निजी क्षेत्र को ईंधन की खुदरा बिक्री की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ निजी कंपनियों के लिए पेट्रो ईंधन का खुदरा बाजार खोला है। सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार–चढ़ाव से बचाव के लिए उपभोक्ताओं को कीमतों पर सब्सिडी भी देती रही है। जून 2010 में, ईंधन मूल्य नियंत्रण की नीति को उदारीकृत करते हुए सरकार ने तेल कंपनियों को बाजार मूल्य के अनुरूप पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण करने के लिए फ्री हैंड देने का फैसला किया है। हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों के डर से डीजल की कीमतों को समान स्वतंत्रता नहीं दी गई थी।

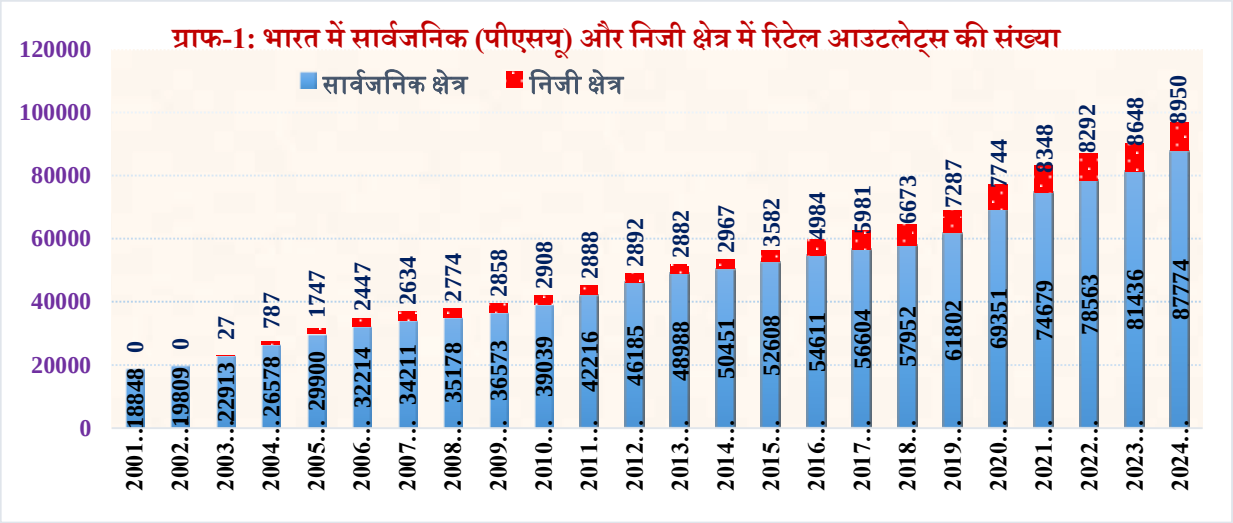
सारणी-13: भारत में क्षेत्रवार कुल खुदरा आउटलेट या निर्गम (संख्या)								
क्षेत्र एवं वर्ष	उत्तरी क्षेत्र	उत्तर पूर्व	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	अखिल भारत	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र
2010-11	14161	1115	5580	9222	11869	**41947**	2908	39039
2011-12	14971	1158	6098	9935	12942	**45104**	2888	42216
2012-13	15903	1230	6692	11080	14172	**49077**	2892	46185
2013-14	16681	1286	7008	11973	14922	**51870**	2882	48988
2014-15	17185	1303	7118	12475	15337	**53418**	2967	50451
2015-16	18070	1353	7476	13356	15935	**56190**	3582	52608
2016-17	19206	1410	7743	14331	16905	**59595**	4984	54611
2017-18	20201	1492	7930	15134	17828	**62585**	5981	56604
2018-19	20796	1548	8157	15599	18525	**64625**	6673	57952
2019-20	21884	1729	8759	16901	19816	**69089**	7287	61802
2020-21	24374	1980	9529	19169	22043	**77095**	7744	69351
2021-22	26226	2331	10134	20895	23441	**83027**	8348	74679
2022-23	27450	2534	10569	21887	24415	**86855**	8292	78563
2023-24	28607	2655	10838	22636	25348	**90084**	8648	81436
2024-25	30725	2952	11639	24261	27147	**96724**	8950	87774
हिस्सेदारी (%)	**31.77**	**3.05**	**12.03**	**25.08**	**28.07**	**100.00**	**9.25**	**90.75**

स्रोत: पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित।

भारत में निजी कंपनियों सहित पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्रवार खुदरा आउटलेट की स्थिति को सारणी–13 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 में देश में पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा आउटलेट 41947 थे, जो बढ़कर वर्ष 2015–16 में 56190, 2020–21 में 77095 और वर्ष 2024–25 में 96724 तक पहुंच गए। इस तरह, पिछले 15 वर्षों में देश के कुल पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा आउटलेटस में 2.31 गुना की वृद्धि हुई है अर्थात पिछले 15 वर्षों में देश में हर साल औसतन 3652 खुदरा आउटलेट खोले गए हैं। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 में देश के उत्तरी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा आउटलेट 14161 थे, जो बढ़कर वर्ष 2024–25 में 30725 तक पहुंच गए अर्थात पिछले 15 वर्षों में 2.17 गुना खुदरा आउटलेटस बढे हैं। ये उत्तर पूर्व में 1115 से 2.65 गुना बढ़कर 2952 तक, पूर्वी क्षेत्र में 5580 से 2.09 गुना बढ़कर 11639 तक, पश्चिमी क्षेत्र में 9222 से 2.63 गुना बढ़कर 24261 तक और दक्षिणी क्षेत्र में 11869 से 2.29 गुना बढ़कर 27147 तक पहुंच गए।

सारणी–13 से स्पष्ट है कि भारत में कुल खुदरा पेट्रोलियम आउटलेट में 90.75 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र (पीएसयू) और 9.25 प्रतिशत हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की है, अर्थात भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा बिक्री में अभी भी पीएसयू का दबदबा है। बाजार में करीब 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ इंडियन ऑयल कारपोरेशन ईंधन खुदरा बाजार में अग्रणी है, इसके बाद बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसे पीएसयू खुदरा विक्रेताओं के पास बाजार हिस्सेदारी है। हालांकि, पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में निजी क्षेत्र की रुचि भी बढ़ रही है। वर्तमान में, निजी क्षेत्र की कंपनियां मूल्य श्रृंखला में ग्राहक केंद्रित सेवा प्रदान करके अपने खुदरा आउटलेट का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं।

पेट्रो–रिटेल आउटलेट ऑटोमोटिव लूब्रिकेंट जैसे अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में भी मदद कर रहे हैं। ग्राफ–1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2001–02 में देश में कुल पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा आउटलेटस 18848 थे, जो बढ़कर वर्ष 2024–25 में 96724 तक पहुंच गए। स्पष्ट है कि पिछले 25 वर्षों में 77876 अर्थात 5.13 गुना खुदरा आउटलेटस बढे हैं। यदि देश के पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा आउटलेटस में निजी और सार्वजनिक भागीदारी को देखें तो वर्ष 2002 के बाद सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ निजी कंपनियों के लिए ईंधन खुदरा बाजार खोला है। परिणामस्वरूप वर्ष 2003–04 में देश में निजी खुदरा आउटलेटस केवल 27 थे, जो 22 वर्ष में 331.5 गुना बढ़कर वर्ष 2024–25 में 8950 तक पहुंच गए। जबकि वर्ष 2001–02 में देश में पेट्रोलियम उत्पादों के सार्वजनकि क्षेत्र के खुदरा आउटलेटस 18848 थे, जो 24 वर्ष में 4.66 गुना बढ़कर वर्ष 2024–25 में 87774 तक पहुंच गए। स्पष्ट है कि पिछले 22 वर्षों में निजी क्षेत्र के खुदरा आउटलेटस तेजी से बढे हैं।



सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियां भारतीय तेल और गैस उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। एक ओर आईओसी, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ऑयल और गेल सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां हैं, वहीं आरआईएल, एस्सार ऑयल लिमिटेड, अडानी गैस, पेट्रोनेट एलएनजी, केयर्न, शेल, बीजी समूह और बीपी उद्योग में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। ये कंपनियां उद्योग के विभिन्न प्रकार के परिचालनों जैसे अन्वेषण से उत्पादन, शोधन, विपणन, बुनियादी ढांचा और विविध बहु–क्षेत्रीय परिचालन में शामिल हैं। ये मौजूदा गतिविधियों में क्षमताओं और आकार को बढ़ा रही है और विभिन्न विशेष सेवाओं की पेशकश कर अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही हैं। कुछ कंपनियां दुनिया भर की ईएंडपी कंपनियों को अपनी सेवाएं देने की योजना बना रही हैं। भारतीय रिफाइनरियां अतिरिक्त राजस्व हासिल करने के लिए अधिक मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन में निवेश करने के लिए क्षैतिज रूप से एकीकृत करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

सारणी-14: श्रेणीवार रिटेल आउटलेट्स की संख्या और वितरण

अवधि	01 अप्रैल, 2015		01 अप्रैल, 2020		01 अप्रैल, 2025	
रिटेल आउटलेट्स मालिक	**संख्या**	**प्रतिशत**	**संख्या**	**प्रतिशत**	**संख्या**	**प्रतिशत**
ओपन श्रेणी	43838	82.1	56894	79.2	70517	72.9
अन्य पिछड़ा वर्ग	00	0.0	2148	3.0	6942	7.2
अनुसूचित जाति	3941	7.4	5980	8.3	9699	10.0
अनुसूचित जनजाति	1434	2.7	2352	3.3	4337	4.5
बेरोजगार ग्रेजुएट	344	0.6	344	0.5	341	0.4
आउटस्टेंडिंग खेल व्यक्तित्व	70	0.1	94	0.1	104	0.1
स्वतंत्रता सेनानी	265	0.5	267	0.4	275	0.3
रक्षा एवं प्रतिरक्षा श्रेणी	505	0.9	660	0.9	1012	1.0
अर्द्धसैन्य एवं सरकारी कर्मचारी श्रेणी	176	0.3	201	0.3	252	0.3
दिव्यांग एवं विकलांग श्रेणी	1266	2.4	1318	1.8	1583	1.6
अन्य ओपन श्रेणी	1580	3.0	1585	2.2	1662	1.7
कुल आउटलेट्स की संख्या	**53419**	**100**	**71843**	**100**	**96724**	**100**

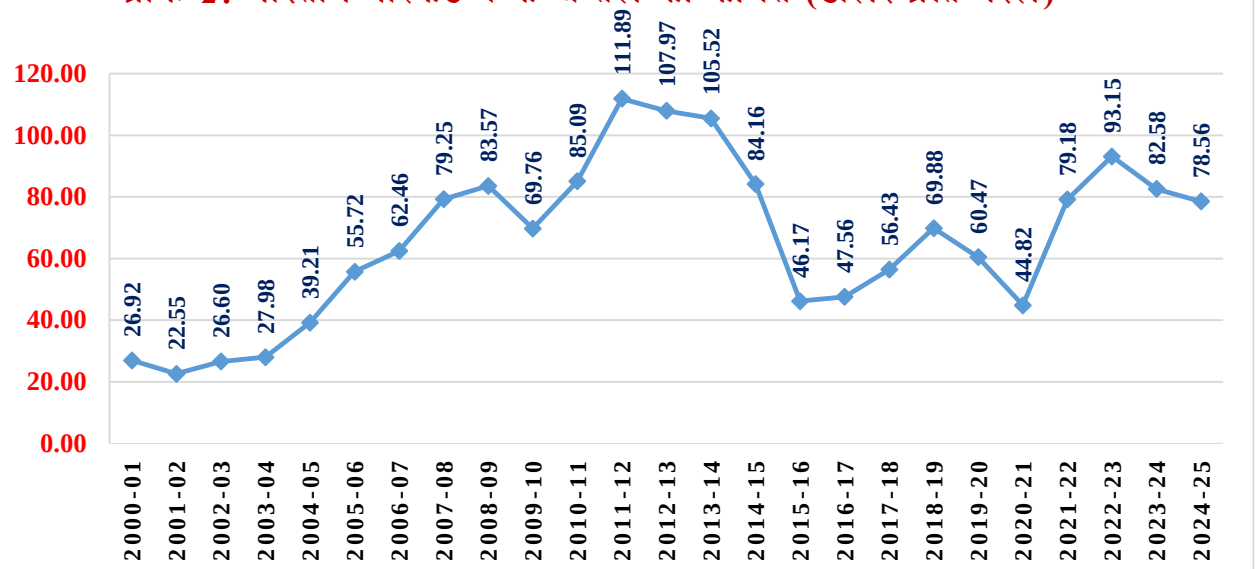
स्रोत: पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित।

यदि देश में पेट्रोलियम उत्पादों के श्रेणीवार रिटेल आउटलेट्स वितरण को देखें तो सारणी–14 से स्पष्ट है कि अप्रैल, 2025 में ओपन श्रेणी में 72.9 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग में 7.2 प्रतिशत, अनुसूचित जाति में 10 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति में 4.5 प्रतिशत, बेरोजगार ग्रेजुएट में 0.4 प्रतिशत, आउटस्टेंडिंग खेल व्यक्तित्व में 0.1 प्रतिशत, स्वतंत्रता सेनानी में 0.3 प्रतिशत, रक्षा एवं प्रतिरक्षा श्रेणी में 1 प्रतिशत, अर्द्धसैन्य एवं सरकारी कर्मचारी श्रेणी में 0.3 प्रतिशत, दिव्यांग एवं विकलांग श्रेणी में 1.6 प्रतिशत, अन्य ओपन श्रेणी में 1.7 खुदरा आउटलेट्स आवंटित थे।

2.6. पेट्रो उत्पादों का आयातित मूल्य, करारोपण और बिक्री मूल्य: भारत में पेट्रो उत्पादों की कीमतों का निर्धारण मूलतः कच्चे तेल की आयात कीमतों, प्रसंस्करण लागत और कर नीतियों पर निर्भर करता है। इसलिए इनका आकलन

आवश्यक है। ग्राफ–2 में भारतीय बास्केट में कच्चे तेल की कीमत (डॉलर प्रति बैरल) को दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पिछले 25 वर्षों में भारत के लिए क्रूड ऑयल आयात की भुगतानित औसत कीमत 65.90 डॉलर प्रति बैरल थी। हालांकि, इस दौरान क्रूड ऑयल आयात की कीमतों में विचलन काफी अधिक रहा है, जैसाकि ग्राफ से स्पष्ट है कि पिछले 25 वर्षों में भारत के लिए क्रूड ऑयल आयात की न्यूनतम कीमत वर्ष 2001–02 में 22.55 डॉलर प्रति बैरल, जबकि अधिकतम कीमत वर्ष 2011–12 में 111.89 डॉलर प्रति बैरल थी।

ग्राफ-2: भारतीय बास्केट में कच्चे तेल की कीमत (डॉलर प्रति बैरल)



उल्लेखनीय है कि विश्लेषण में प्रयुक्त कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की वार्षिक कीमतें संबंधित वर्ष की मासिक कीमतों का औसत जबकि मासिक कीमतें दैनिक कीमतों का औसत हैं। एक बैरल में कच्चे तेल की मात्रा 159 लीटर होती है। भारतीय क्रूड ऑयल बास्केट की गणना क्रूड ऑयल के सावर ग्रेड (ओमान और दुबई के औसत) की कीमत के लिए 78.71 प्रतिशत और स्वीट ग्रेड के क्रूड ऑयल (ब्रेंट डेटेड) के लिए 21.29 प्रतिशत वेटेज के आधार पर की जाती है। यह भारांश अर्थात 78.71 और 21.29 प्रतिशत भारतीय रिफाइनरियों (पीएसयू और प्राइवेट) द्वारा प्रोसेस किए गए कम सल्फर और ज़्यादा सल्फर वाले क्रूड ऑयल (देसी और इम्पोर्टेड) के अनुपात पर आधारित है।

सारणी-15: विभिन्न देशों के सापेक्ष भारत में पेट्रोल की खुदरा बिक्री कीमत पर करारोपण (रुपए/लीटर)

विवरण	अप्रैल, 2015 में पेट्रोल की खुदरा बिक्री कीमत पर करारोपण				अप्रैल, 2018 में पेट्रोल की खुदरा बिक्री कीमत पर करारोपण			
देश	आरएसपी	कर पूर्व कीमत	करारोपण	कर का प्रतिशत	आरएसपी	कर पूर्व कीमत	करारोपण	कर का प्रतिशत
भारत	66.29	37.10	29.19	44	78.29	41.40	36.89	47
फ्रांस	95.41	36.71	58.70	62	119.69	44.06	75.63	63
जर्मनी	98.60	38.41	60.19	61	111.07	40.68	70.40	63
इटली	107.56	38.75	68.81	64	126.05	44.70	81.35	65
यूनाइटेड किंगडम	105.88	33.79	72.09	68	111.65	39.46	72.18	65
जापान	73.44	38.42	35.01	48	87.56	46.68	40.88	47
यूएस अमेरिका	40.91	33.38	7.53	18	47.79	39.71	8.07	17

स्रोत: इंडिया'ज आयल एवं गैस रेडी रेकनर (2015 से 2018)। पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित। **टिप्पणी:** आरएसपी = खुदरा बिक्री कीमत

भारत में पेट्रो उत्पादों की खुदरा बिक्री कीमत पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर (वैट) सहित कई (रोड सेस, अतिरिक्त शुल्क, स्थानीय निकाय) कर लगाए जाते हैं, जो कुल कीमत का लगभग 45 से 55 प्रतिशत तक होते हैं, जिससे कीमतें अलग–अलग राज्यों में भिन्न होती हैं। हालांकि, पेट्रो उत्पाद अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है। इसके बावजूद पेट्रो उत्पादों पर करों की एक पूरी श्रृंखला आरोपित है। उदाहरण के लिए, पेट्रो उत्पादों की उत्पादन लागत पर उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, जो खुदरा मूल्य का एक बड़ा हिस्सा अर्थात लगभग 30 से 34 तक प्रतिशत होता है। वैट और बिक्री कर राज्य सरकारें लगाती हैं, जो राज्यों के अनुसार अलग–अलग दरों पर अर्थात 22 से 35 प्रतिशत या उससे अधिक लगता है और इसमें अतिरिक्त

उपकर भी शामिल हो सकता है। सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त कर रोड सेस भी आरोपित होता है। कुछ राज्य स्थानीय राजस्व के लिए पेट्रोल पर अतिरिक्त शुल्क या सरचार्ज भी लगाते हैं। पेट्रोल पंप मालिकों को प्रति लीटर एक निश्चित कमीशन मिलता है, जो अंतिम कीमत का एक छोटा हिस्सा होता है। इस तरह, उपभोक्ता द्वारा पेट्रो उत्पादों पर भुगतानित कीमत में वास्तविक कीमत (बेस प्राइस) के अलावा उत्पाद शुल्क, वैट, रोड सेस और डीलर कमीशन जैसे कई कर और शुल्क शामिल होते हैं।

सारणी-16: विभिन्न देशों के सापेक्ष भारत में डीजल की खुदरा बिक्री कीमत पर करारोपण (रुपए/लीटर)

विवरण	अप्रैल, 2015 में डीजल की खुदरा बिक्री कीमत पर करारोपण				अप्रैल, 2018 में डीजल की खुदरा बिक्री कीमत पर करारोपण			
देश	आरएसपी	कर पूर्व कीमत	करारोपण	कर का प्रतिशत	आरएसपी	कर पूर्व कीमत	करारोपण	कर का प्रतिशत
भारत	52.28	35.31	16.97	32	69.20	42.89	26.31	38
फ्रांस	68.06	35.42	32.64	48	112.60	44.78	67.82	60
जर्मनी	70.10	38.21	31.89	45	97.06	43.74	53.32	55
इटली	80.82	38.95	41.87	52	116.15	45.51	70.64	61
यूनाइटेड किंगडम	93.30	38.86	54.44	58	114.97	49.30	25.20	34
जापान	62.41	40.84	21.57	35	74.50	49.23	16.08	25
यूएस अमेरिका	46.12	37.46	8.66	19	53.69	44.37	9.32	17

स्रोत: इंडिया'ज आयल एवं गैस रेडी रेकनर (2015 से 2018)। पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित। टिप्पणी: आरएसपी = खुदरा बिक्री कीमत

वैसे तो भारत में पेट्रो उत्पाद सर्वाधिक करारोपित वस्तुओं की श्रेणी में गिने जाते हैं, लेकिन कई विकसित देशों में भारत से भी अधिक कर आरोपित हो रहे हैं। विभिन्न देशों के सापेक्ष भारत में पेट्रोल की खुदरा बिक्री कीमत पर करारोपण की सापेक्षिक स्थिति को सारणी–15 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अप्रैल, 2015 में भारत में पेट्रोल की खुदरा बिक्री कीमत 66.29 रुपए प्रति लीटर थी, जिसकी बेस प्राइस या कर पूर्व कीमत 37.10 रुपए थी, जबकि इसमें 44 प्रतिशत अर्थात 29.19 रुपए कर आरोपित था। यदि भारत द्वारा आरोपित 44 प्रतिशत कर की तुलना सारणीबद्ध विकसित देशों से करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर शेष में आरोपित कर का प्रतिशत भारत से अधिक अर्थात 48 से 68 प्रतिशत तक था। इसी प्रकार अप्रैल, 2018 में भारत में पेट्रोल की खुदरा बिक्री कीमत 78.29 रुपए प्रति लीटर में कर पूर्व कीमत 41.40 रुपए, आरोपित कर 36.89 रुपए अर्थात 47 प्रतिशत था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में आरोपित कर 8.07 रुपए अर्थात 17 प्रतिशत था। यदि भारत द्वारा आरोपित 47 प्रतिशत कर की तुलना सारणीबद्ध विकसित देशों से करें तो जापान में आरोपित कर भारत के बराबर था, इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी प्रत्येक में 63 प्रतिशत, इटली और यूनाइटेड किंगडम प्रत्येक में 65 प्रतिशत था, जो भारत से काफी अधिक था।

सारणी-17: पडोसी और विकसित देशों के सापेक्ष भारत में खुदरा बिक्री कीमत (रुपए/लीटर)

विवरण	डीजल की खुदरा बिक्री कीमत			पेट्रोल की खुदरा बिक्री कीमत		
देश	अप्रैल, 2015	अप्रैल, 2018	अक्टूबर, 2025	अप्रैल, 2015	अप्रैल, 2018	अक्टूबर, 2025
भारत	**52.28**	**69.20**	**87.67**	**66.29**	**78.29**	**94.77**
पाकिस्तान	51.15	57.84	87.75	44.55	49.90	83.66
श्रीलंका	44.29	46.68	81.12	54.75	58.67	86.10
नेपाल	54.27	58.02	90.90	68.13	69.37	100.37
फ्रांस	68.06	112.60	165.96	95.41	119.69	177.44
जर्मनी	70.10	97.06	163.75	98.60	111.07	177.44
इटली	80.82	116.15	169.23	107.56	126.05	177.00
यूनाइटेड किंगडम	93.30	114.97	169.14	105.88	111.65	159.78
जापान	62.41	74.50	92.56	73.44	87.56	104.49
यूएस अमेरिका	46.12	53.69	87.44	40.91	47.79	73.84

स्रोत: इंडिया'ज आयल एवं गैस रेडी रेकनर (2015 से 2025)। पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित।

विभिन्न देशों के सापेक्ष भारत में डीजल की खुदरा बिक्री कीमत पर करारोपण की सापेक्षिक स्थिति को सारणी–16 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अप्रैल, 2015 में भारत में डीजल की खुदरा बिक्री कीमत 52.28 रुपए प्रति लीटर में कर पूर्व कीमत 35.31 रुपए, आरोपित कर 16.97 रुपए अर्थात 32 प्रतिशत था। यदि भारत द्वारा

आरोपित 32 प्रतिशत कर की तुलना सारणीबद्ध विकसित देशों से करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के 19 प्रतिशत को छोड़कर शेष में आरोपित कर का प्रतिशत भारत से अधिक अर्थात 35 से 58 प्रतिशत तक था। इसी प्रकार अप्रैल, 2018 में भारत में डीजल की खुदरा बिक्री कीमत 69.20 रुपए प्रति लीटर में कर पूर्व कीमत 44.78 रुपए, आरोपित कर 26.31 रुपए अर्थात 38 प्रतिशत था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में आरोपित कर 9.32 रुपए अर्थात 17 प्रतिशत था। यदि भारत द्वारा आरोपित 38 प्रतिशत कर की तुलना सारणीबद्ध विकसित देशों से करें तो जापान में आरोपित कर भारत से कम था, इसके सापेक्ष यूनाइटेड किंगडम में 63 प्रतिशत, इटली में 61 प्रतिशत, फ्रांस में 60 प्रतिशत और जर्मनी में 55 प्रतिशत काफी अधिक था।

सारणी–17 में भारत की डीजल और पेट्रोल की खुदरा बिक्री कीमत की तुलना पड़ोसी और विकसित देशों के साथ दर्शायी गई है, जिससे स्पष्ट है कि अप्रैल, 2015 में भारत में डीजल की खुदरा बिक्री कीमत 52.28 रुपए से बढ़कर अक्टूबर, 2025 में 87.67 रुपए प्रति लीटर हो गई। यह पाकिस्तान में 51.15 रुपए से बढ़कर 87.75 रुपए, श्रीलंका में 44.29 रुपए से बढ़कर 81.12 रुपए और नेपाल में 54.27 रुपए से बढ़कर 90.90 रुपए हो गई थी। स्पष्ट है कि पड़ोसी देशों में डीजल की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन कमोबेश एक जैसा है, लेकिन श्रीलंका में भारत की तुलना में कम है। जहां तक विकसित देशों के साथ भारत की सापेक्षिक कीमतों का सवाल है तो सारणीबद्ध विकसित देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर शेष में डीजल की कीमतें भारत से अधिक हैं।

कमोबेश यही स्थिति पेट्रोल की कीमतों की है, जैसाकि सारणी–17 से स्पष्ट है कि अप्रैल, 2015 में भारत में पेट्रोल की खुदरा बिक्री कीमत 66.29 रुपए से बढ़कर अक्टूबर, 2025 में 94.77 रुपए प्रति लीटर हो गई। यह पाकिस्तान में 44.55 रुपए से बढ़कर 83.66 रुपए, श्रीलंका में 54.75 रुपए से बढ़कर 86.10 रुपए और नेपाल में 68.13 रुपए से बढ़कर 100.37 रुपए हो गई थी। स्पष्ट है कि पड़ोसी देशों में पेट्रोल की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन कमोबेश एक जैसा है, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका में भारत की तुलना में कम है। जहां तक विकसित देशों के साथ भारत की सापेक्षिक कीमतों का सवाल है तो सापेक्षिक समयावधि के दोनों वर्षों अर्थात अप्रैल, 2015 और अक्टूबर, 2025 में सारणीबद्ध विकसित देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर शेष में पेट्रोल की कीमतें भारत से अधिक हैं। इस तरह, यद्यपि भारत में पेट्रो उत्पाद सर्वाधिक करारोपित वस्तुओं की श्रेणी में गिने जाते हैं, लेकिन कई विकसित देशों में भारत से भी अधिक कर आरोपित हो रहे हैं और ऊंची कीमतों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा रहे हैं।

2.7. भारत में पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता की स्थितिः भारत पेट्रो उत्पादों का एक बड़ा अर्थात अमेरिका और चीन के बाद तीसरा उपभोक्ता है। लेकिन घरेलू उत्पादन मांग से काफी कम है, जिसके कारण 80 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। यह अंतराल देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि, भारत सरकार अन्वेषण बढ़ाकर और हरित हाइड्रोजन जैसे विकल्पों पर ध्यान केंद्रित कर पेट्रो उत्पादों की आयात निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और एटीएफ (विमानन ईंधन) की खपत लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण देश में पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता की स्थिति अनवरत गिर रही है।

सारणी-18: पेट्रोलियम उत्पादों में भारत के आत्मनिर्भरता की स्थिति (मिलियन मीट्रिक टन)

विवरण एवं वर्ष	स्वदेशी कच्चे तेल का प्रसंस्करण	स्वदेशी कच्चे तेल से निर्मित उत्पाद (1)	फ्रैक्शनेटर से निर्मित उत्पाद (2)	स्वदेशी कच्चे तेल और कंडेनसेट सहित कुल उत्पादन (3 = 1+2)	पेट्रोलियम उत्पादों की कुल घरेलू खपत (4)	आत्मनिर्भरता का प्रतिशत (3/4)
2010-11	33.3	31.1	4.2	35.3	141.0	**25.0**
2011-12	33.7	31.5	4.2	35.7	148.1	**24.1**
2012-13	34.2	31.9	4.1	36.0	157.1	**22.9**
2013-14	33.9	31.6	3.9	35.5	158.4	**22.7**
2014-15	34.2	32.0	4.0	35.9	165.5	**21.7**
2015-16	34.1	31.8	4.0	35.8	184.7	**19.4**
2016-17	33.5	31.3	4.3	35.6	194.6	**18.3**
2017-18	32.8	30.6	4.6	35.2	206.2	**17.1**
2018-19	31.7	29.6	4.9	34.5	213.2	**16.2**
2019-20	29.3	27.3	4.8	32.1	214.1	**15.0**
2020-21	28.0	26.1	4.2	30.3	194.3	**15.6**
2021-22	27.0	25.2	4.1	29.3	201.7	**14.5**
2022-23	26.5	24.7	3.5	28.2	223.0	**12.6**
2023-24	26.9	25.1	3.5	28.5	234.3	**12.2**
2024-25	27.5	25.7	3.7	29.3	239.5	**12.3**

स्रोत: इंडिया'ज आयल एवं गैस रेडी रेकनर (2015 से 2025)। पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से लेखक द्वारा संकलित एवं आगणित। **टिप्पणी:** फ्रैक्शनेटर से प्राप्त उत्पाद में एलपीजी और गैस भी शामिल है।

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसके चलते भारत पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य से अभी दूर है और कच्चे तेल के भारी आयात पर निर्भर है, जो कुल खपत का लगभग 89 प्रतिशत है, और यह निर्भरता लगातार बढ़ रही है। हालांकि, रिफाइनिंग और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में मजबूत स्थिति रखता है; लेकिन बढ़ती खपत एक चुनौती बनी हुई है। परिणामस्वरूप भारत की आत्मनिर्भरता लगातार घट रही है। सारणी–18 में पेट्रोलियम उत्पादों में भारत के आत्मनिर्भरता की स्थिति को दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि कंडेनसेट सहित स्वदेशी कच्चे तेल के कुल उत्पादन और पेट्रोलियम उत्पादों की कुल घरेलू खपत के सापेक्ष वर्ष 2010–11 में पेट्रोलियम उत्पादों में भारत की आत्मनिर्भरता 25 प्रतिशत थी, जो घटकर से 2015–16 में 19.4 प्रतिशत, 2020–21में 15.6 प्रतिशत और वर्ष 2024–25 में 12.3 प्रतिशत रह गई है। स्पष्ट है कि पिछले 15 वर्षों के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता 25.04 प्रतिशत से घटकर 12.3 प्रतिशत पर आ गई, क्योंकि खपत घरेलू उत्पादन से कहीं अधिक तेजी से बढ़ी है। इस तरह, अर्थव्यवस्था के बढ़ते आकार के साथ बढ़ती आबादी और आर्थिक विकास के कारण पेट्रोलियम उत्पादों और ऊर्जा की मांग में भारी वृद्धि, घरेलू उत्पादन को बनाए रखने की चुनौती पैदा करती है, जिसके चलते भारत पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भर होने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन रिफाइनिंग में मजबूत है, क्योंकि भारत दुनिया के शीर्ष रिफाइनिंग देशों में से एक है और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का एक बड़ा निर्यातक भी है, जो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है।

2.8. भारत के राजकोष में पेट्रोलियम क्षेत्र का योगदानः भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र सरकारी राजस्व (राजकोष) में एक बड़ा योगदानकर्ता है, जो उत्पाद शुल्क, जीएसटी, सीमा शुल्क, रॉयल्टी, कॉर्पोरेट कर और तेल कंपनियों से लाभांश जैसे विभिन्न करों और शुल्कों के माध्यम से सालाना लाखों करोड़ रुपये लाता है।

सारणी-19: पेट्रोलियम क्षेत्र का भारत के राजकोष में योगदान (करोड़ रुपए)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25(P)
1. केंद्रीय राजकोष में योगदान	**A. कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स/ड्यूटी (Tax/ Duties on Crude oil & Petroleum products)**										
कच्चे तेल पर उपकर	15869.3	15409.4	13081.8	14514.2	17740.8	14788.6	10676.3	19213.6	21444.7	19580.4	18559.1
कच्चे तेल/प्राकृतिक गैस पर रॉयल्टी	3858.0	4885.4	4649.3	4746.7	6061.9	5602.0	3589.8	5638.7	9821.9	9286.2	9195.2
सीमा शुल्क	4124.9	6762.8	8798.5	11171.1	16035.3	22927.2	13514.2	11423.4	14985.3	13133.7	14337.0
कच्चे तेल पर एनसीसीडी	822.3	857.1	926.4	968.4	1180.0	1130.2	1016.4	1120.9	1192.4	1190.9	1196.6
उत्पाद शुल्क	99068.4	178476.8	242690.5	229715.9	214369.4	223057.3	372970.0	363305.0	287575.3	273683.9	271528.9
सेवा कर	2180.9	2836.7	2955.9	1228.2	339.7	16.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
आईजीएसटी	0.0	0.0	0.0	9211.2	16478.8	13098.6	11594.1	19726.3	22235.8	20929.7	19065.3
सीजीएसटी	0.0	0.0	0.0	4487.7	7436.9	6831.1	6157.7	10843.3	13011.6	12230.1	10653.4
अन्य	101.1	125.5	122.2	125.2	203.9	88.3	365.2	337.6	59.5	51.5	45.9
उप-योग (A)	126024.9	209353.8	273224.6	276168.5	279846.7	287540.3	419884.0	431608.9	370326.5	350086.4	344581.4
	B. सरकार को लाभांश, आयकर आदि (Dividend/Income tax etc. to Government)										
निगम कर /आय कर	23920.9	25505.4	32511.2	33598.7	38560.7	23133.6	21908.9	29219.3	33291.8	57493.3	43244.8
केंद्र सरकार को लाभांश आय	9196.9	10217.4	17500.8	14575.3	15524.9	12270.1	10392.7	22612.2	15672.7	19309.7	22095.4
लाभांश वितरण कर	3500.2	4590.3	6196.6	5981.2	6415.3	5461.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
तेल/गैस की खोज पर पेट्रोलियम लाभ	9422.4	4630.0	5741.8	5839.1	7693.6	5909.1	2883.5	8862.1	8776.1	5504.7	5322.4
उप-योग (B)	46040.5	44943.1	61950.4	59994.3	68194.4	46774.6	35185.1	60693.6	57740.7	82307.7	70662.6
(A+B)	**172065.4**	**254296.9**	**335174.9**	**336162.8**	**348041.1**	**334314.8**	**455069.0**	**492302.5**	**428067.1**	**432394.1**	**415244.0**
	51.73	**61.35**	**63.85**	**61.91**	**60.46**	**60.20**	**67.65**	**63.57**	**57.17**	**57.56**	**56.05**
2. राज्यों के राजकोष में योगदान	**A. कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स/ड्यूटी (Tax/ Duties on Crude & Petroleum products)**										
कच्चे तेल/प्राकृतिक गैस पर रॉयल्टी	14158.7	7932.4	11942.2	9370.4	13370.6	11881.6	7178.6	13525.5	17914.3	12529.5	11582.0
पेट्रो उत्पादों पर बिक्री कर/वैट	137157.3	142807.1	166414.4	185849.8	201264.8	200492.7	202937.1	256248.0	288086.2	292716.4	302058.5
एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	0.0	0.0	0.0	4973.7	7961.4	7345.3	6120.9	11016.9	13187.6	12288.6	10792.1
ऑक्ट्रॉय, शुल्क सहित बिजली शुल्क	3838.5	2752.6	3524.1	1662.7	685.2	715.9	705.9	826.8	829.9	687.3	620.0
प्रवेश कर / अन्य	5372.0	6621.6	7706.0	4744.9	4114.2	405.1	328.7	354.5	293.0	301.5	452.4
उप-योग (A)	160526.4	160113.7	189586.7	206601.5	227396.3	220840.7	217271.2	281971.7	320310.9	318523.3	325505.0
	B. सरकार को लाभांश/प्रत्यक्ष कर आदि (Dividend/Direct tax etc. to Government)										
राज्य सरकार को लाभांश आय	27.9	95.4	183.2	261.6	194.5	214.9	378.6	150.8	340.2	238.5	78.5
उप-योग (B)	27.9	95.4	183.2	261.6	194.5	214.9	378.6	150.8	340.2	238.5	78.5
(A+B)	160554.3	160209.1	189769.8	206863.1	227590.8	221055.6	217649.7	282122.5	320651.1	318761.8	325583.5
	48.27	**38.65**	**36.15**	**38.09**	**39.54**	**39.80**	**32.35**	**36.43**	**42.83**	**42.44**	**43.95**
पेट्रोलियम क्षेत्र का राजकोष में कुल योगदान (1+2)	**332619.7**	**414505.9**	**524944.8**	**543025.8**	**575631.8**	**555370.4**	**672718.8**	**774425.0**	**748718.3**	**751155.9**	**740827.5**

यह केंद्र सरकार की प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (करीब 13 से 18 प्रतिशत) है। वर्ष 2024–25 में पेट्रोलियम क्षेत्र से केंद्र सरकार को प्राप्त राजस्व 4.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक था, जिससे विकास योजनाओं को व्यापक समर्थन मिलता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र राज्य सरकारों के लिए भी राजस्व का एक बड़ा स्रोत है, जो कुल कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। करों के अलावा तेल और गैस कंपनियों से लाभांश के रूप में भी सरकार को महत्वपूर्ण आय प्राप्त होती है। इस तरह, पेट्रोलियम क्षेत्र भारत के राजकोष के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो केंद्र और राज्य सरकारों को करों और लाभांश के माध्यम से अरबों रुपए देता है; जैसाकि सारणी–19 से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में पेट्रोलियम क्षेत्र ने केंद्र और राज्यों के राजकोष में 3.33 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया था, जो बढ़कर वर्ष 2019–20 में 5.55 लाख करोड़ रुपए और 2024–25 में 7.41 लाख करोड़ रुपए हो गया था। हालांकि, वर्ष 2021–22 में पेट्रोलियम क्षेत्र ने केंद्र और राज्यों के राजकोष में 7.74 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया था, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है।

यदि पेट्रोलियम क्षेत्र से प्राप्त राजस्व में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी को देखें तो वर्ष 2014–15 में पेट्रोलियम क्षेत्र से प्राप्त कुल राजस्व में केन्द्र सरकार का हिस्सा 51.73 प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्ष 2020–21 में 67.65 प्रतिशत हो गया, हालांकि इसके बाद यह घटकर वर्ष 2024–25 में 56.05 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत वर्ष 2014–15 में पेट्रोलियम क्षेत्र से प्राप्त कुल राजस्व में राज्य सरकारों का हिस्सा 48.27 प्रतिशत था, जो घटकर वर्ष 2020–21 में 32.35 प्रतिशत हो गया, हालांकि, यह बढ़कर वर्ष 2024–25 में 43.95 प्रतिशत हो गया। इस तरह, पेट्रोलियम क्षेत्र से प्राप्त राजस्व में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 51.73 से 67.65 प्रतिशत अर्थात 50 प्रतिशत से अधिक रही है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 32.35 से 48.27 प्रतिशत अर्थात 50 प्रतिशत से कम रही है।

3. प्राप्तियां, सुझाव एवं अनुशंसाएं: वर्ष 2014 में भारत की कुल ऊर्जा खपत 637.8 मिलियन टन तेल के बराबर (एमटीओई) से बढ़कर वर्ष 2024 में 974.73 एमटीओई हो गई। हालांकि, कुल ऊर्जा उपभोग में तेल एवं पेट्रोल ऊर्जा की हिस्सेदारी घटी है। भारत के कुल ऊर्जा उपभोग में तेल एवं पेट्रोल ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2014 में 28.3 प्रतिशत थी, जो घटकर वर्ष 2024 में 26.71 प्रतिशत रह गई। पिछले दशक में भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। देश की रिफाइनिंग क्षमता भी 250 एमएमटीपीए से अधिक हो गई है, जिससे यह क्षेत्र वैश्विक बाजारों की मांग को पूरा करने में सक्षम हो गया है। भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्यों में दक्षिण एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देश शामिल हैं। निर्यात न केवल विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान देता है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है।

भारत का पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारत को कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और मूल्य–वर्धित उत्पादों के माध्यम से राजस्व अर्जित करने में मदद करता है, जिससे 'फ्यूल द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया' की दिशा में ठोस कदम बढ़ रहे हैं। परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के विनिर्माण का सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) वर्ष 2012–13 में 1.56 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2022–23 में 2.12 लाख करोड़ रुपए हो गया था। यह उद्योग अन्वेषण, शोधन, वितरण और खुदरा क्षेत्रों में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी प्रदान करता है। तेल एवं गैस उद्योग की मूल्य श्रृंखला पेट्रोकेमिकल्स, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण जैसे सहायक उद्योगों का सहयोग करती है। यह क्षेत्र कौशल विकास को बढ़ावा देकर और विविध कैरियर के अवसर प्रदान करके सामाजिक–आर्थिक स्थिरता को बढ़ाता है।

उपर्युक्त के बावजूद भारत की ऊर्जा सुरक्षा उसकी आर्थिक स्थिरता, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक संवृद्धि का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में भारत अपनी लगभग 85 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल, 50 प्रतिशत से अधिक प्राकृतिक गैस और लगभग 25 प्रतिशत कोयले की आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी करता है, जिससे अर्थव्यवस्था वैश्विक मूल्य अस्थिरता और भू–राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशील हो जाती है। शहरीकरण, औद्योगीकरण और बढ़ती आय के कारण 2040 तक ऊर्जा की मांग दोगुनी होने का अनुमान है। ऐसे में चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि ऊर्जा की उपलब्धता सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ हो। हालांकि, भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर–जीवाश्म ईंधन क्षमता और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि आज ऊर्जा सुरक्षा स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, आपूर्ति स्रोतों के विविधीकरण और तकनीकी आत्मनिर्भरता से अविभाज्य है। ऐसे में भारत को निम्नलिखित आयामों पर फोकस करने की आवश्यकता है:

1. तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक होने के नाते भारत के पास तेल की सीमित आपूर्ति है। फिलहाल भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 88 प्रतिशत आयात करता है। जबकि भारत के पास कच्चे तेल का 791 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) और प्राकृतिक गैस का 112 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर (टीसीएम) का भंडार है, जिसका दोहन बढाने और नए क्षेत्रों के अन्वेषण की आवश्यकता है।

2. बाह्य जोखिमों को कम करने के लिए ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाना आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा का एक प्रमुख स्तंभ विविधीकरण है। फिलहाल भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 85 प्रतिशत से अधिकऔर प्राकृतिक गैस का 50 प्रतिशत से अधिक आयात करता है, जिससे यह भू–राजनीतिक तनावों और वैश्विक मूल्य झटकों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। ऐसे में नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और स्वच्छ तकनीकों के साथ घरेलू कोयले की हिस्सेदारी बढ़ाने से आयातित ईंधनों पर निर्भरता कम हो सकती है। इसी तरह, भारत द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक गैर–जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करना यह दर्शाता है कि विविधीकरण पहले से ही चल रहा है और इसे और तेज किया जाना चाहिए।
3. ग्रिड अवसंरचना और ऊर्जा भंडारण को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा केवल उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी आपूर्ति भी महत्वपूर्ण है। अंतरराज्यीय पारेषण नेटवर्क, हरित ऊर्जा गलियारों और स्मार्ट ग्रिड में निवेश से प्रणाली की लचीलता और मजबूती बढ़ती है। नवीकरणीय ऊर्जा की अनिश्चितता को प्रबंधित करने और चरम मांग को पूरा करने के लिए पंप हाइड्रो, बैटरी स्टोरेज और उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ऊर्जा भंडारण आवश्यक है।
4. घरेलू ऊर्जा उत्पादन और रणनीतिक भंडार को बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि निकट और मध्यम अवधि की सुरक्षा के लिए कोयला, तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण बना हुआ है। साथ ही, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) का विस्तार अल्पकालिक आपूर्ति व्यवधानों से निपटने में मदद करता है। भारत की मौजूदा एसपीआर क्षमता, जो कई दिनों के आयात को कवर करती है, का विस्तार किया जा रहा है (उदाहरण के लिए, कर्नाटक में पडूर और ओडिशा में चांदीखोल) ताकि वैश्विक आपूर्ति झटकों के प्रति लचीलापन बढ़ाया जा सके, जो सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
5. वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार–चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला के चुनौतीपूर्ण मुद्दों के बावजूद तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण मांग में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके चलते भारत को उचित पेट्रोलियम रणनीतिक अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए इथेनॉल सम्मिश्रण, नए गैस आवंटन दिशानिर्देश अपनाने और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) क्षमता का विस्तार करना आवश्यक है।
6. भारत एक महत्वपूर्ण ऊर्जा खिलाड़ी है जो एक बड़ा उपभोक्ता होने के बावजूद अपनी घरेलू रिफाइनिंग ताकत का उपयोग करके परिष्कृत उत्पादों का निर्यात करता है, लेकिन कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भर है। इसलिए भविष्य के लिए ऊर्जा सुरक्षा और पेट्रोकेमिकल विकास पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।
7. भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए तकनीकी प्रगति पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन तकनीकों का उपयोग उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला और लागत–प्रभावशीलता में सुधार के लिए किया जाना चाहिए, साथ ही हरित हाइड्रोजन जैसी तकनीकों को तेजी से अपनाया जाना चाहिए। सरकार को ऊर्जा सुरक्षा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और घरेलू अन्वेषण को बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयास करने चाहिए।
8. भारत को अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) बढाने की आवश्यकता है। ये कच्चे तेल के भंडार हैं, जिन्हें भू–राजनीतिक अनिश्चितता या आपूर्ति व्यवधान के समय भी कच्चे तेल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले देशों द्वारा बनाए रखा जाता है। ये भूमिगत भंडारण देश की वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा संसाधनों के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
9. ऊर्जा दक्षता और मांग–पक्ष प्रबंधन में सुधार करना आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा को न केवल आपूर्ति बढ़ाकर बल्कि अपव्यय को कम करके भी मजबूत किया जा सकता है। दक्षता उपायों के कारण पिछले दशक में भारत की ऊर्जा तीव्रता में उल्लेखनीय कमी आई है। एलईडी लाइटिंग, कुशल उपकरणों, औद्योगिक ऊर्जा ऑडिट और समय–समय पर मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम मांग में वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। कम ऊर्जा खपत से आयात पर निर्भरता और बुनियादी ढांचे पर दबाव कम होता है, साथ ही सतत विकास को भी बढ़ावा मिलता है।
10. परिवहन का विद्युतीकरण और वैकल्पिक ईंधनों का प्रोत्साहन करना आवश्यक है, क्योंकि परिवहन भारत का सबसे बड़ा तेल खपत करने वाला क्षेत्र बना हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले चार्जिंग बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने से तेल आयात में काफी कमी आ सकती है। इसके समानांतर, जैव ईंधन, इथेनॉल मिश्रण, संपीड़ित बायोगैस और हरित हाइड्रोजन परिवहन और उद्योग के लिए ईंधन विकल्पों में विविधता ला सकते हैं। भारत का इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम पहले ही 20 प्रतिशत मिश्रण को पार कर चुका है, जिससे कच्चे तेल के आयात में कमी आई है और ईंधन सुरक्षा में वृद्धि हुई है।

11. वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना और बाजार सुधार करना आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य और कुशल वितरण समितियाँ आवश्यक हैं। स्मार्ट मीटरिंग, टैरिफ युक्तिकरण, बिजली और बिजली आपूर्ति में होने वाले नुकसान को कम करना और बाजार आधारित बिजली व्यापार जैसे चल रहे सुधार विश्वसनीयता बढ़ाते हैं और निवेश आकर्षित करते हैं। एक मजबूत वितरण क्षेत्र यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादित ऊर्जा को बिना किसी प्रणालीगत तनाव के कुशलतापूर्वक उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए।
12. घरेलू विनिर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता का निर्माण करना आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा तकनीकी आत्मनिर्भरता से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं (पीएलआई) के तहत सौर मॉड्यूल, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर और बिजली उपकरणों के घरेलू उत्पादन का विस्तार करने से आयात पर निर्भरता कम होती है और आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत होती हैं। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं और भारत एक वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित होता है।
13. ऊर्जा सुरक्षा को जलवायु और रणनीतिक लक्ष्यों के साथ एकीकृत करना आवश्यक है, क्योंकि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार, विद्युतीकरण और दक्षता में सुधार यह सुनिश्चित करते हैं कि बढ़ती ऊर्जा मांग पर्यावरणीय स्थिरता को कमजोर न करे। ऊर्जा कूटनीति, आयात के विविध स्रोत और क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करते हैं।

निष्कर्ष: उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत का पेट्रोलियम उद्योग एक व्यापक क्षेत्र है, जिसमें पेट्रोलियम और उसके सहायक–उत्पादों की खोज, उत्पादन, शोधन, वितरण एवं विपणन कार्य शामिल हैं। इसमें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण जैसी समुद्र के अंदर की अपस्ट्रीम गतिविधियां, परिवहन व भंडारण की मिडस्ट्रीम गतिविधियां तथा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी व केरोसिन जैसे ईंधनों के शोधन और वितरण जैसी डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। भारत की ऊर्जा आवश्यकतों में अहम योगदान देने वाला पेट्रोलियम उद्योग ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को आधार प्रदान करता है। फिलहाल देश में तेल परिशोधन के लिए उन्नीस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) रिफाइनरी, तीन निजी क्षेत्र की रिफाइनरी और एक संयुक्त उद्यम रिफाइनरी हैं। देश की रिफाइनिंग क्षमता अप्रैल, 2014 में 215.07 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) से बढ़कर अप्रैल, 2024 में 256.82 एमएमटीपीए हो गई है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में 6 से 7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई, जिससे औद्योगिक, वाणिज्यिक, परिवहन और आवासीय क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई। पेट्रोलियम और गैस उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र संवृद्धि को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। उच्च आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए भारत को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की पर्याप्त गुणवत्ता की आवश्यकता है। ऊर्जा की जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि आय के स्तर और जनसंख्या दोनों ही बढ़ते रुझान दिखा रहे हैं। भारत में ऑटोमोबाइल बिक्री में वृद्धि के कारण तेल अन्वेषण और उत्पादन के विकास और देश में पेट्रोलियम खुदरा बाजार का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया जा रहा है। पेट्रोलियम की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारतीय पेट्रोलियम क्षेत्र विदेशों में भारी निवेश कर रहा है। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों की रूस, इराक, सूडान, मिस्र, लीबिया, कतर, आइवरी कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और म्यांमार में पहले से ही तेल और गैस क्षेत्र में हिस्सेदारी है।

भारत का ऊर्जा परिवर्तन विश्वव्यापी विद्युतीकरण हासिल करके और जीवाश्म ईंधन–रहित विद्युत क्षमता को 50 प्रतिशत से अधिक तक तेजी से बढ़ाकर सतत विकास लक्ष्य 7 (किफायती और स्वच्छ ऊर्जा) को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। आयात पर निर्भरता कम करके, ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ाकर और दक्षता एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर,ऊर्जा समावेशी विकास का एक चालक बन रही है, न कि बाधा। आने वाला दशक यह निर्धारित करेगा कि भारत इस गति को दीर्घकालिक सुरक्षा, किफायतीा और स्थिरता में कितनी प्रभावी ढंग से परिवर्तित करता है।

कुल मिलाकर, पेट्रोलियम क्षेत्र भारत के राजकोष में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारी योगदान देता है, लेकिन सरकार को आयात निर्भरता कम करने और हरित ऊर्जा में बदलाव के साथ ऊर्जा सुरक्षा और राजस्व संतुलन बनाने की दिशा में काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत का पेट्रोलियम बाज़ार एक बड़ा, बढ़ता हुआ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो मजबूत घरेलू खपत और निर्यात पर केंद्रित है, इसलिए देश को ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक ओर सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती और इथेनॉल मिश्रण जैसे उपाय किए जाने चाहिए, तो वहीं रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) का निर्माण भू–राजनीतिक तनाव और मूल्य अस्थिरता से निपटने के लिए आवश्यक है।

स्रोत एवं संदर्भः

1. हिल्डे सी. ब्योर्नलैंड (2000)। इफ़ेक्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई एंड ऑइल प्राइस शॉक्स। द मैनचेस्टर स्कूल, वॉल्यूम–68(5), पृष्ठ 578–607, 05।
2. हिल्डे सी. ब्योर्नलैंड (2009)। ऑइल प्राइस शॉक्स एंड शॉक मार्किट इन एन ऑइल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्कॉटिश जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल इकोनॉमी, स्कॉटिश इकोनॉमिक सोसाइटी, वॉल्यूम 56(2), पृष्ठ 232–254, 05।
3. एन आर भानुमूर्ति, एस. डी. (2012)। इंडिया ऑइल प्राइस शॉक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। एसएएनइआई, वर्किंग पेपर सीरीज़, 12 (5)।
4. अपर्णा, ए. (2013)। भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेल की कीमतों का प्रभाव। एनएमआईएमएस मैनेजमेंट रिव्यू, XXIII, 141–147।
5. कौशिक एन., नाग आर., उपाध्याय के. पी. (2014)। ऑइल प्राइस एंड रियल एक्सचेंज रेटः द ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स रिसर्च जर्नल, वॉल्यूम 13, नंबर–4, 2014।
6. आकांक्षा, संजय जैन, एन. एस. (2015)। क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकॉनमी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ रिसर्च, वॉल्यूम–3, अंक–2, अप्रैल–जून 2015, पृष्ठ 562–572।
7. पीपीएसी (2015)। इंडिया'ज आयल एवं गैस रेडी रेकनर वर्ष 2014–15। पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जुलाई, 2015
8. घोष, तानिया (2016)। ऑइल प्राइस, एक्सचेंज रेट एंड इंडियन मैक्रो इकॉनमी। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, डब्ल्यूपी–2016–013, मई 2016, मुंबई। http://www.igidr.ac.in/pdf/publication/WP-2016-013.pdf
9. सिंह, आनंद कुमार और वार्ष्णेय, मनीष (2017)। इंडियन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीः एक क्रिटिकल ओवरव्यू। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, 11(1), दिसंबर 2017, पृष्ठ 154–159।
10. के. सौंदरापंडियन, एम. जी. (2017)। एन एनालिटिकल व्यू ऑफ क्रूड ऑइल प्राइसेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकॉनमी। आईओएसआर जर्नल ऑफ़ बिज़नेस एंड मैनेजमेंट, 23–28।
11. गुयेन थी, न्गोक ट्रांग, टी. एन. (2017)। द इम्पैक्ट ऑफ ऑइल ऑन द ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनइम्पलायमेंट एंड बजट डेफिसिट ऑफ वियतनाम। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी, 7(3), 42–49।
12. सिवराजन, अश्विन, बिविन पी मैथ्यू, अनुष गौड़ा एवं एंड्रिया थॉमस (2018)। फ्यूल प्रासेस इन बेंगलुरुः कासेज एंड इम्पैक्ट। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज, वॉल्यूम–5, अंक–4, अक्टूबर 2018।
13. पीपीएसी (2018)। इंडिया'ज आयल एवं गैस रेडी रेकनर वर्ष 2017–18। पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जून, 2018
14. पीपीएसी (2021)। इंडिया'ज आयल एवं गैस रेडी रेकनर वर्ष 2020–21। पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जुलाई, 2021
15. गभाने, डॉ. दिनेश एवं माधुरी गभाने (2021)। राइजिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन इंडिया सिंस 2014: एन एनालिटिकल स्टडी। पालार्च्स जर्नल ऑफ़ आर्कियोलॉजी ऑफ़ इजिप्ट/इजिप्टोलॉजी (पीजेएईई), वॉल्यूम–18, अंक–7, 2021, आईएसएसएनः1567–214X।
16. विदुषी भार्गव, गुनिष्का जैन, कृष्णा सोमानी, भरत यादव, जिया तिलवानी (2022)। कम्परेटिव स्टडी ऑफ फ्यूल प्रासेस अक्रास इंडियाद्य इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज (आईजेआरएआर), वॉल्यूम 9, अंक 4, नवंबर 2022, पृष्ठ 189–201, आईएसएसएनः23481269।
17. पीपीएसी (2025)। इंडिया'ज आयल एवं गैस रेडी रेकनर वर्ष 2024–25। पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जुलाई, 2025
18. Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (August, 2025). Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India. https://www.isprlindia.com/annual-report.asp and https://www.isprlindia.com/downloads/annual-reports/Annual_Report_Final_2025_Revised_English.pdf
19. NIIR Project Consultancy Services (August, 2025). Oil and Gas Sector in India. https://www.niir.org/blog/oil-and-gas-sector-in-india-fastest-growing-industry/
20. India Brand Equity Foundation (August 2025). Oil and Gas Industry Report. https://www.ibef.org/industry/oil-gas-india
21. MBAR.O.I, High Fuel Prices in India: What are the causes & Impact on Indian Economy?. https://mbaroi.in/blog/high-fuel-prices-in-india.
22. Press Information Bureau (January 27, 2025). India's Petroleum Industry: Fueling Growth and Innovation. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2096916&reg=3&lang=2
23. Petroleum Planning & Analysis Cell, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India. https://ppac.gov.in/#forecast_and_analysis

आलेख उद्धरित करें :	मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह (2026)। भारत में पेट्रोलियम उद्योग की प्रगति का सिंहावलोकन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–1, जनवरी–मार्च, 2026, पृष्ठ 32–58। https://doi.org/10.5281/zenodo.21625134

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत में सहकारी समितियों के प्रगति और प्रदर्शन का अध्ययन

पवन कुमार सिंह[1], डॉ. मुकेश कुमार[2]

1. **असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान),** सावित्री बाई फुले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चकिया, चंदौली।
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट।

(**Corresponding Author:** pavansinghgdc@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21625586

सारांश

एक सहकारी समिति समान जरूरतों वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है जो सामान्य आर्थिक हित को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। इसका उद्देश्य आत्म–सहायता और आपसी मदद के सिद्धांत के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों के हितों की सेवा करना है। सहकारिता आर्थिक संगठन की एक महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती हैं। इसका मूल सिद्धान्त 'एक सबके लिए तथा सब एक के लिए' होता है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति सहकारी संगठन बनाकर अपने आर्थित हितों को आगे बढ़ा सकते है। इसमें कोई संदेह नही कि यदि सहकारी संस्थाओं को पर्याप्त कार्यकुशलता से संचालित किया जाए तो किसी भी प्रदेश का आर्थिक विकास अधिक तेजी से हो सकेगा, वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर ऊँचा होगा। सहकारी समितियां भारत में 8.44 लाख से अधिक सहकारी समितियां 30 से ज्यादा क्षेत्रों जैसे कृषि ऋण, डेयरी, मत्स्य पालन और आवास में सक्रिय हैं। ये ग्रामीण ऋण, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करती हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर वित्तीय सेवाओं को सुलभ बना रही हैं। वित्तीय समावेशन में योगदान सहकारी समितियां गरीब किसानों, ग्रामीण उद्यमियों और हाशिए पर रहने वाले समूहों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ती हैं, जिससे उनकी जीवन स्तर में सुधार होता है। ये ई–मार्केटप्लेस पर पंजीकरण और डिजिटल लेनदेन के माध्यम से बाजार पहुंच बढ़ाती हैं। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के तहत बहुउद्देशीय मॉडल और कंप्यूटरीकरण जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इससे वित्तीय समावेशन और अधिक प्रभावी बनेगा। यह शोध पत्र देश मे सहकारी समितियों का विकास, चुनौतियों एवं उसके समाधान अध्ययन किया गया है।

आलेख सूचना			
प्राप्त: 10 फरवरी, 2026	**स्वीकृत:** 27 फरवरी, 2026	**प्रकाशित:** 31 मार्च, 2026
सारणी: 01	**चित्र एवं ग्राफ:** 02	**स्रोत एवं संदर्भ:** 11
मुख्य शब्द:	समावेशन, सहकारिता, सशक्तिकरण, सामूहिक भागीदारी, सहकारी समिति।	

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि: हाल के वर्षों में, हमारे गाँव कई तरीकों से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ग्रामीण भारत के पुनरुत्थान के प्रेरणादायक मॉडल हमारे सामने हैं। खेतों और खलिहानों से आ रही आर्थिक बदलाव की हवा के पीछे सहकारी समितियाँ मुख्य उत्प्रेरक हैं। आधुनिक इतिहास पर नजर डालें तो भारत में सहकारी समितियों का इतिहास लगभग 120 साल पुराना है। प्राचीन ग्रंथ, प्रागैतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि सहयोग की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। भारत अपनी सहकारिता संस्कृति के पुनरुत्थान का साक्षी बन रहा है, जिसमें जमीनी स्तर की समितियाँ सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास के शक्तिशाली इंजन के रूप में उभर रही हैं। भारत में सहकारी समितियों की परिवर्तनकारी शक्ति का उल्लेखनीय उदाहरण राजस्थान की बोरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति है। बीते दशकों में यह कृषि के मूलभूत स्वरूप से आगे बढ़ते हुए काफी विकसित हो चुकी है। अब यह तीन शाखाओं के साथ एक मिनी बैंक का संचालन करती है और अकेले 2018–19 में इसने 4.55 करोड़ रुपये की जमा राशि जुटाई। आज भारत में लगभग 8,00,200 सहकारी समितियाँ हैं, जो पूरे देश में फैली हुई हैं और जिनके लगभग 300 मिलियन से अधिक सदस्य हैं। ये सहकारी समितियाँ कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, आवास, बुनाई, ऋण और विपणन सहित विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय हैं। सामूहिक भागीदारी के सिद्धांत पर काम करने वाली सहकारी समितियों की संख्या तेजी से

बढ़ रही है। सहकारी समितियाँ ग्रामीण भारत के 98 प्रतिशत हिस्से तक पहुँच चुकी हैं, और देश का 13 प्रतिशत रोजगार सीधे सहकारी समितियों द्वारा पैदा होता है। सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की यात्रा श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के साथ शुरू हुई। गुजरात के आनंद में शुरू हुआ दूध सहकारी समितियों का एक प्रयोग आज अमूल के रूप में दुनिया का सबसे सफल सहकारी मॉडल बन गया है।

भारत के लगभग हर राज्य में दूध सहकारी समितियों का एक नेटवर्क विकसित हुआ है। देश में 200,000 सहकारी डेयरी समितियाँ हैं। ये किसानों को खेती के साथ–साथ आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान कर रही हैं। सहकारी समितियों ने जंगलों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ के माध्यम से वनवासी समुदायों में सामुदायिक विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। ट्राइफेड आदिवासी समुदायों को उनके उत्पादों को बेचने के लिए बाजार तक पहुँच प्रदान करके और वन उत्पादों के विकास में सहायता करके सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों को मजबूत कर रहा है। सहयोग के माध्यम से ग्राम स्वराज (गाँव के स्वशासन) की परिकल्पना को सही मायने में साकार करने के लिए, गाँव की सहकारी समितियाँ जैविक उर्वरक प्रदान करके डेयरी, उर्वरक, चीनी, शहद और ऊर्जा क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आर्थिक सुरक्षा के बिना सामाजिक सशक्तिकरण का कोई भी प्रयास पूरा नहीं हो सकता। इस दिशा में प्राइमरी कृषि क्रेडिट सहकारी और सहकारी बैंक अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश में पैक्स (प्राइमरी कृषि क्रेडिट सोसाइटीज) की संख्या एक लाख के पार हो गई है। किसान क्रेडिट कार्ड में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा 67 प्रतिशत है। सहयोग के जरिए ग्रामीण विकास की जो नींव रखी जा रही है, उसे और मजबूत करने के लिए कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की क्षमता को पहचानना जरूरी है। चाहे वह दूध उत्पादन हो या हरित क्रांति, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हमेशा से जरूरी हिस्से रहे हैं। गांवों से आने वाले प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और ब्रांडिंग 'वोकल फॉर लोकल' पहल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। सहयोग अपने पारंपरिक कार्यक्षेत्रों से आगे बढ़कर स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी कदम रख रहा है। इस दिशा में नेशनल सहकारी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू की गई आयुष्मान सहकार योजना के सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं। आज देश में हॉस्पिटल सहकारी सोसाइटीज सफलतापूर्वक काम कर रही हैं।

1.1. स्वतंत्रता के पूर्व भारत मे सहकारिता का विकासः भारत में पहला सहकारी अधिनियम, सहकारी ऋण समितियाँ अधिनियम, 1904 में पारित किया गया था, जिसके बाद 1912 का (संशोधित) सहकारी समितियाँ अधिनियम आया। मैकलैगन समिति 1915 में, सर एडवर्ड मैकलैगन, की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि क्या सहकारी आंदोलन आर्थिक और वित्तीय रूप से सही दिशा में प्रगति कर रहा है। मोंटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 के मोंटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधारों के माध्यम से, सहकारिता एक प्रांतीय विषय बन गया, जिसने आंदोलन को और गति दी। 1929 की आर्थिक मंदी के बाद, मद्रास, बॉम्बे, त्रावणकोर, मैसूर, ग्वालियर और पंजाब में सहकारी समितियों के पुनर्गठन की संभावनाओं की जांच के लिए विभिन्न समितियाँ नियुक्त की गईं। गांधीवादी दर्शन के अनुसार, एक समाजवादी समाज के निर्माण और सत्ता के पूर्ण विकेंद्रीकरण को प्राप्त करने के लिए सहकारिता आवश्यक थी। उनके अनुसार, सहकारिता लोगों को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक समाजवादी मॉडल पर आधारित एक सहकारी संस्था के रूप में 'फीनिक्स सेटलमेंट' की स्थापना की। इस अवधि के दौरान, उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित परिवारों के लिए एक पुनर्वास सहकारी बस्ती के रूप में टॉल्स्टॉय फार्म की भी स्थापना की थी।

1.2. स्वतंत्रता के बाद के भारत में सहकारिता का विकासः पहली पंचवर्षीय योजना (1951–56) ने व्यापक सामुदायिक विकास के लिए सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया। बहु–राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 बहु–राज्य सहकारी समितियों के गठन और कामकाज का प्रावधान करता है। बहु–राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2022 ने बहु–राज्य सहकारी समितियों में बोर्ड चुनावों की देखरेख के लिए एक सहकारी चुनाव प्राधिकरण की शुरुआत की। 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011 ने सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19) के रूप में स्थापित किया। सहकारी समितियों पर राज्य नीति का एक नया निर्देशक सिद्धांत पेश किया गया (अनुच्छेद 43–B)। संविधान में ''सहकारी समितियाँ'' शीर्षक से एक नया भाग IX–B जोड़ा गया (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT)। संसद को बहु–राज्यीय सहकारी समितियों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जबकि राज्य विधानमंडलों को अन्य सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया।

2. भारत में सहकारिता : भारत में सहकारिता एक खास सोशियो–इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को दिखाती हैं जो देश के ताने–बाने में गहराई से जुड़ा हुआ है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, फायदों के बराबर बंटवारे और वॉलंटरी एसोसिएशन के सिद्धांतों पर आधारित, ये सोसाइटीज अलग–अलग सेक्टर में इनक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए कैटलिस्ट का काम करती हैं। ग्रामीण और कृषि क्रेडिट से लेकर कंज्यूमर वेलफेयर और इंडस्ट्रियल कोलेबोरेशन तक, सहकारी सोसाइटीज

कलेक्टिव एंटरप्राइज को बढ़ावा देने और अपने मेंबर्स की अलग–अलग जरूरतों को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। सहकारी सोसाइटीज की एक खास बात यह है कि वे डेमोक्रेटिक फैसले लेने पर जोर देती हैं, जिससे यह पक्का होता है कि ऑर्गनाइजेशन के गवर्नेंस और ऑपरेशन्स में हर सदस्य की आवाज हो। यह पार्टिसिपेटरी अप्रोच ओनरशिप की भावना को बढ़ावा देता है और सहकारी स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है।

भारत में, सहकारी सोसाइटीज कृषि, क्रेडिट और बैंकिंग, हाउसिंग, विमेन वेलफेयर जैसे कई अलग–अलग सेक्टर में फैली हुई हैं। वे वित्तीय समावेशन के लिए जरूरी जरिया के तौर पर काम करती हैं, किसानों और छोटे एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देती हैं, जिन्हें वरना ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, ये सोसाइटीज लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करके और सोशियो–इकोनॉमिक असमानताओं को कम करके ग्रामीण डेवलपमेंट में अहम योगदान देती हैं। हाल के सालों में, भारत सरकार ने पॉलिसी पहल और फाइनेंशियल मदद से सहकारी सेक्टर को फिर से जिंदा और मजबूत किया है। सहकारी सोसाइटियों को बनाने और बढ़ाने के लिए कई स्कीम और सब्सिडी शुरू की गई हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ वे खेती के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। 'सहकार से समृद्धि' के विजन के तहत, सहकारी मंत्रालय ने पूरे देश में सहकारी एक्टिविटीज को बढ़ावा देने और उनमें तालमेल बिठाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। वर्तमान में, भारत में 29 से अधिक क्षेत्रों में अर्थात् कृषि प्रसंस्करण, औद्योगिक सहकारी समितियां, मधुमक्खी पालन, उपभोक्ता, ऋण और बचत, डेयरी, शैक्षिक और प्रशिक्षण, मत्स्य सहकारी समितियां, हस्तशिल्प, हथकरघा वस्त्र और बुनकर, आवास, जूट और कॉयर, श्रम, पशुधन और मुर्गी पालन, विपणन, विविध ऋण, विविध गैर–ऋण, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस), रेशम उत्पादन, सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक, चीनी मिल, पर्यटन, परिवहन, आदिवासी–एससी/एसटी सहकारी समितियां प्राथमिक सहकारी समितियां हैं।

2.1. पैक्स डेयरी और फिशरी सहकारी ग्रामीण सेक्टर को मजबूत बनाने में अहम रहे हैं। ये सहकारी किसानों को क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और मार्केट तक पहुंच देते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़ती है। इसके अलावा, वे इनपुट की कलेक्टिव खरीद और प्रोड्यूस की मार्केटिंग को आसान बनाते हैं, जिससे किसानों को मार्केट में मोलभाव करने की मजबूत स्थिति मिलती है। कृषि/एलाइड सहकारी, 76 फेडरेशन के साथ, 26,797 सोसाइटी के साथ 98,36,270 सदस्य हैं। इस सेक्टर में गुजरात में सबसे ज्यादा सोसाइटी (6,643) है, उसके बाद मध्य प्रदेश (3,742) और महाराष्ट्र (3,474) हैं। खास तौर पर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सदस्य (56,49,109) है, उसके बाद महाराष्ट्र (9,93,065) और मध्य प्रदेश (7,00,666) हैं। जहां तक फिशरी सहकारी की बात है, 46,74,279 सदस्य के साथ 25,609 सोसाइटी हैं। तेलंगाना में सबसे अधिक सोसाइटी (4,985) हैं, उसके बाद महाराष्ट्र (3,403) और मध्य प्रदेश (2,798) हैं।

2.2. एग्रो–प्रोसेसिंग/इंडस्ट्रियल सहकारिता, जिसमें 22 फेडरेशन हैं, में 22,735 सोसाइटी हैं और सदस्य 25,31,349 है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक सोसाइटी (5,288) हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश (4,025) और पंजाब (1,987) हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक सदस्य (12,53,407) है, उसके बाद कर्नाटक (4,58,625) और गुजरात (2,14,407) हैं। डेयरी सहकारी सेक्टर में 73 फेडरेशन हैं, जिसमें 1,41,807 सोसाइटी हैं और 1,56,87,794 सदस्य हैं। सबसे अधिक डेयरी सहकारिता उत्तर प्रदेश (17,985) में दर्ज हैं, उसके बाद कर्नाटक (17,645) और गुजरात (16,346) हैं। खास तौर पर, गुजरात में सबसे अधिक सदस्य (36,39,508) हैं।

2.3. सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसाइटी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे ग्रामीण और सेमी–अर्बन इलाकों में लोगों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करते हैं, और सेविंग्स, क्रेडिट और इंश्योरेंस जैसी कई फाइनेंशियल सर्विस देते हैं। ये संस्थाएं पारंपरिक साहूकारों पर निर्भरता को काफी कम करती हैं और मेनस्ट्रीम बैंकिंग तक सीमित पहुंच वाले लोगों को मजबूत बनाती हैं। 11 फेडरेशन वाले अर्बन सहकारी बैंक (UCB) 1,502 सोसाइटी में चल रहे हैं। खास तौर पर, महाराष्ट्र में 428 UCB और 60,21,811 सदस्य हैं, जो सबसे अधिक हैं। इसके बाद कर्नाटक है, जहाँ 279 सोसाइटियाँ हैं और 23,35,863 सदस्य हैं, और गुजरात है जहाँ 187 सोसाइटियाँ हैं और 14,91,531 सदस्य हैं। क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सहकारिता की 79,999 सोसाइटियों में 4,32,75,731 सदस्य हैं। तेलंगाना में सबसे अधिक सोसाइटियाँ (24,024) हैं, जबकि सबसे अधिक सदस्य महाराष्ट्र (2,27,27,861) में हैं।

2.4. मिसलेनियस क्रेडिट और नॉन–क्रेडिट सहकारिता में क्रम से 5,575 और 30,364 सोसाइटीज हैं। इनमें क्रम से 89,19,537 और 25,05,838 सदस्य हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक (7,073) मिसलेनियस नॉन–क्रेडिट सोसाइटीज हैं, जबकि सबसे अधिक सदस्य (8,59,093) कर्नाटक की सोसाइटीज से जुड़े हैं। मिसलेनियस क्रेडिट में सबसे अधिक सोसाइटीज (3,238) पश्चिम बंगाल में एनरोल्ड हैं, जबकि कर्नाटक में सबसे अधिक सदस्य काउंट 52,80,248 है। मिसलेनियस क्रेडिट सेक्टर में 21 फेडरेशन हैं जबकि मिसलेनियस नॉन–क्रेडिट में पूरे राज्य/संध में 96 फेडरेशन हैं। इसके 13,99,27,330 सदस्य को 1,03,725 प्राइमरी कृषि क्रेडिट सोसाइटीज सर्विस दे रही हैं। महाराष्ट्र 20,949 सोसाइटियों के साथ सबसे आगे है, उसके बाद गुजरात (10,248) और बिहार (8,463) हैं। खास तौर पर, केरल में

सबसे अधिक PACS सदस्य (2,56,28,261) है, उसके बाद बिहार (1,36,08,525) है। भारत में सहकारी मूवमेंट हाउसिंग, हैंडलूम और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर में भी फैल गया है। हाउसिंग सहकारिता मेंबर्स को मिलकर अपनी हाउसिंग की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती हैं, खासकर शहरी इलाकों में जहाँ सस्ते घर एक बड़ी चिंता है। सहकारिता के 1,91,734 सोसाइटियों में 1,46,65,027 सदस्य हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक हाउसिंग सहकारिता (1,25,734) हैं, उसके बाद गुजरात (29,529) है। हाउसिंग सहकारी सेक्टर में राज्यों/संघों में 47 फेडरेशन/यूनियन रजिस्टर्ड हैं। हैंडलूम सहकारिता पारंपरिक कारीगरों को सपोर्ट करती हैं, देसी क्राफ्ट्स को बचाती हैं, और सस्टेनेबल रोजी–रोटी के लिए एक प्लेटफॉर्म देती हैं। हैंडलूम टेक्सटाइल और वीवर सहकारिता में 19,576 सोसाइटियों में 51,56,723 सदस्य हैं। मणिपुर में सबसे अधिक (5,588) सोसाइटियाँ हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश (1,841) का स्थान आता है। खास बात यह है कि सबसे अधिक सदस्य (29,85,671) कर्नाटक में है, उसके बाद तमिलनाडु (3,01,969) का स्थान आता है। जूट और कॉयर सहकारिता में 56 सोसाइटियाँ हैं जिनमें 5,755 सदस्य हैं। इस सेक्टर में कर्नाटक में सबसे अधिक सोसाइटियाँ (17) हैं। एक और जानी–मानी सहकारी, कंज्यूमर सहकारी, में 21,067 सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड हैं जिनमें 63,75,920 सदस्य हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंज्यूमर सहकारिता के तहत सबसे अधिक सोसाइटियाँ मध्य प्रदेश (4,959) में हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ (2,417) का स्थान आता है। सबसे अधिक सदस्य मध्य प्रदेश (12,53,231) में दर्ज हैं, उसके बाद महाराष्ट्र (10,61,516) का स्थान आता है। कंज्यूमर सेक्टर में पूरे राज्य में 30 फेडरेशन/यूनियन रजिस्टर्ड हैं। दूसरी मशहूर सहकारी, जैसे शुगर मिल सहकारी, एक खास तरह की सहकारी सोसाइटी हैं जो शुगर इंडस्ट्री में काम करती हैं। सहकारी का मकसद किसानों को गन्ने की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर कंट्रोल देकर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि उन्हें उपज का सही रिटर्न मिल सके। इस सेक्टर में 284 सहकारी सोसाइटी हैं जिनके कुल 47,83,246 सदस्य हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक (94) शुगर मिल सहकारी हैं जिनके 16,27,196 सदस्य हैं, इसके बाद कर्नाटक और बिहार का स्थान आता है, दोनों में सहकारी के तहत 35–35 सोसाइटी हैं।

Table-1: State-wise Cooperatives and Members

S. No.	Sectors	Total no. of Societies	Total no. of Members	S. No.	Sectors	Total no. of Societies	Total no. of Members
1	Agriculture & Allied	26798	2531349	15	Marketing	9121	4590611
2	Agro Processing / Industrial	22735	38181	16	Miscellaneous Credit	5575	8919537
3	Bee Farming	325	6375920	17	Miscellaneous Non Credit	30364	2505838
4	Consumer	21067	43275731	18	Multipurpose Cooperative	19964	2582130
5	Credit & Thrift	79999	15687794	19	PACS/FSS/LAMPS	104234	139927330
6	Dairy	141807	78717	20	Sericulture Cooperative	498	67149
7	Educational & Training	387	4674279	21	Social Welfare & Cultural	2055	291308
8	Fishery	25649	369840	22	Sugar Mills	284	4783246
9	Handicraft Cooperative	5063	5156723	23	Tourism	459	280400
10	Handloom Textile & Weavers	19576	14665027	24	Transport	4163	704336
11	Housing	191734	5755	25	Tribal-SC/ST	1472	1033894
12	Jute and Coir	56	1491300	26	Urban Cooperative Bank	1335	14646837
13	Labour	44545	1339349	27	Women's Welfare	24261	5221424
14	Livestock & Poultry	16677	9836270	**Total**		800203	291280275

National Cooperative Database 2023: A Report

2.5. सेरीकल्चर सहकारिता और बीकीपिंग सहकारिताः यह एक खास सहकारी सोसाइटी हैं जो एक के बाद एक सिल्क प्रोडक्शन और बीकीपिंग पर फोकस करती हैं। सेरीकल्चर सहकारिता की 498 सोसाइटीज में 67,149 सदस्य हैं। कर्नाटक में सबसे अधिक सोसाइटीज (97) हैं, उसके बाद ओडिशा (54) का स्थान है। खास बात यह है कि ओडिशा में सबसे अधिक 31,608 सदस्य हैं। बी फार्मिंग सहकारिता में 325 सोसाइटीज हैं जिनमें 38,181 सदस्य हैं। बिहार में सबसे अधिक सोसाइटीज (124) हैं, उसके बाद मणिपुर (85) का स्थान है। राजस्थान में सबसे अधिक 13,956 सदस्य हैं, उसके बाद कर्नाटक (10,988) का स्थान है। दोनों सहकारिता गांव की रोजी–रोटी, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और वैल्यू–एडेड प्रोडक्ट्स के सस्टेनेबल प्रोडक्शन में योगदान देती हैं।

2.6. एजुकेशनल और ट्रेनिंग सहकारिता खास सहकारी एंटिटीज हैं जो स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम देती हैं। ये सहकारिता एजुकेशन और ट्रेनिंग के मौके देने में बहुत जरूरी हैं, खासकर उन कम्युनिटीज में जिनके पास कम रिसोर्स हैं। इन सहकारिता में 387 सोसाइटीज में 78,717 सदस्य एनरोल्ड हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक सोसाइटी

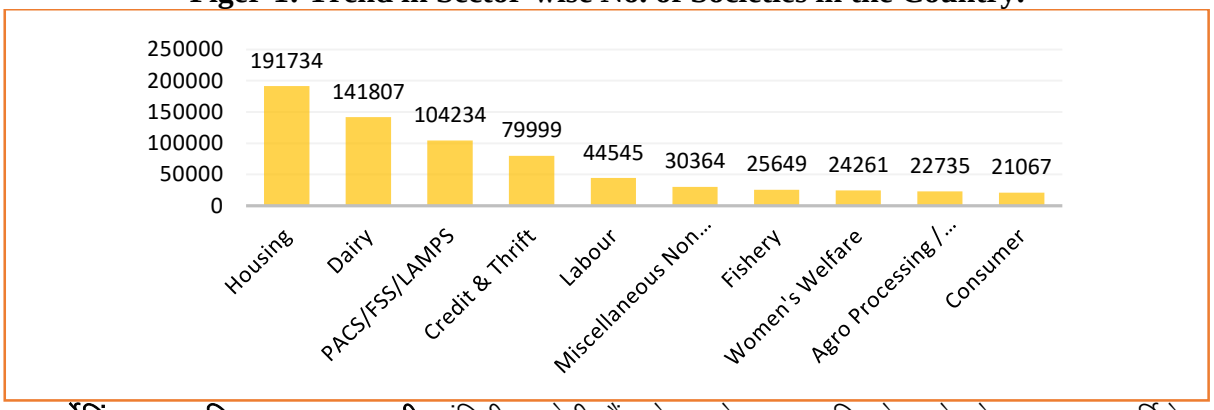
(73) हैं, उसके बाद राजस्थान (63) का स्थान है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक सदस्य (32,533) हैं, उसके बाद असम (13,746) का स्थान है। सहकारी के 78 फेडरेशन यूनियन पूरे राज्य में रजिस्टर्ड हैं।

2.7. महिला कल्याण सहकारी सहकारी के सिद्धांतों के जरिए महिलाओं की भलाई और सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। ये सहकारी महिलाओं की सोशियो–इकोनॉमिक चुनौतियों का समाधान करते हैं, जिसमें एजुकेशन, हेल्थकेयर, आर्थिक सशक्तिकरण और सोशल सपोर्ट शामिल हैं। इस सेक्टर में 24,261 सोसाइटी हैं जिनमें 54,21,424 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सहकारी (11,073) हैं, उसके बाद राजस्थान (4,218) और असम (2,885) का स्थान है। खास बात यह है कि तेलंगाना में सबसे अधिक रजिस्टर्ड सदस्य (30,96,825) हैं, उसके बाद राजस्थान (6,23,324) और असम (6,18,927) का स्थान है। सोशल वेलफेयर और कल्चरल सहकारी सोशल, कल्चरल और कम्युनिटी से जुड़े मकसदों को पूरा करते हैं। सहकारी का मकसद अपने सदस्यों की भलाई को बढ़ाना और समाज के पूरे विकास में योगदान देना है। ऑल इंडिया सहकारी सेक्टर में 2,91,308 सदस्यों के साथ 2,055 सोशल वेलफेयर और कल्चरल सहकारी हैं। तेलंगाना और महाराष्ट्र में सबसे अधिक सोसाइटी हैं, यानी 1,095 और 424, जिनमें क्रमशः 2,00,666 और 31,523 सदस्य हैं। ट्राइबल सेक्टर को फायदा पहुंचाने वाली एक और खास सोसाइटी ट्राइबल SC/ST सहकारी है। सहकारी का मकसद SC/ST और ट्राइबल आबादी को रिसोर्स, आर्थिक रिसोर्स और मिलकर फैसले लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म देकर उन्हें मजबूत बनाना है। सहकारी के 1,472 सोसाइटियों में 10,33,894 सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारी की सबसे अधिक संख्या (847) है, उसके बाद पंजाब (255) और हरियाणा (80) का स्थान आता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक (7,63,886) सदस्य है। इस सेक्टर में 3 फेडरेशन हैं।

2.8. लेबर सहकारिता में सेल्फ–हेल्प, इक्विटी, डेमोक्रेसी और वर्कर्स के बीच एकजुटता के सिद्धांत शामिल हैं। सहकारी अपने मेंबर्स की कलेक्टिव वेल–बीइंग पर जोर देता है, साथ ही सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए कोशिश करता है। सहकारिता के 44,545 सोसाइटियों में 14,91,300 सदस्य हैं। महाराष्ट्र में सहकारिता की सबसे अधिक सदस्य (3,77,278) है, उसके बाद गुजरात (3,43,376) है। इन सहकारिता के राज्य/संघ में 65 फेडरेशन रजिस्टर्ड हैं।

2.9. ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म सहकारिता लोकल कल्चर और कम्युनिटीज की वेल–बीइंग की सुरक्षा करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 4,163 रजिस्टर्ड सोसाइटियाँ हैं, जबकि टूरिज्म सेक्टर में देश भर में 459 सोसाइटियाँ हैं। हरियाणा में ट्रांसपोर्ट में सबसे अधिक सोसाइटियाँ (1,935) रजिस्टर्ड हैं, जिनकी सदस्य 4,87,181 है। हरियाणा के बाद झारखंड में 259 सोसाइटियाँ हैं, जबकि सदस्य में महाराष्ट्र में 58,638 के साथ दूसरी सबसे अधिक सदस्य है। टूरिज्म में महाराष्ट्र 125 सोसाइटियों के साथ सबसे आगे है, उसके बाद मेघालय (55) और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स (46) हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक सदस्य (2,15,908) हैं, उसके बाद अंडमान और निकोबार आइलैंड्स (53,529) हैं।

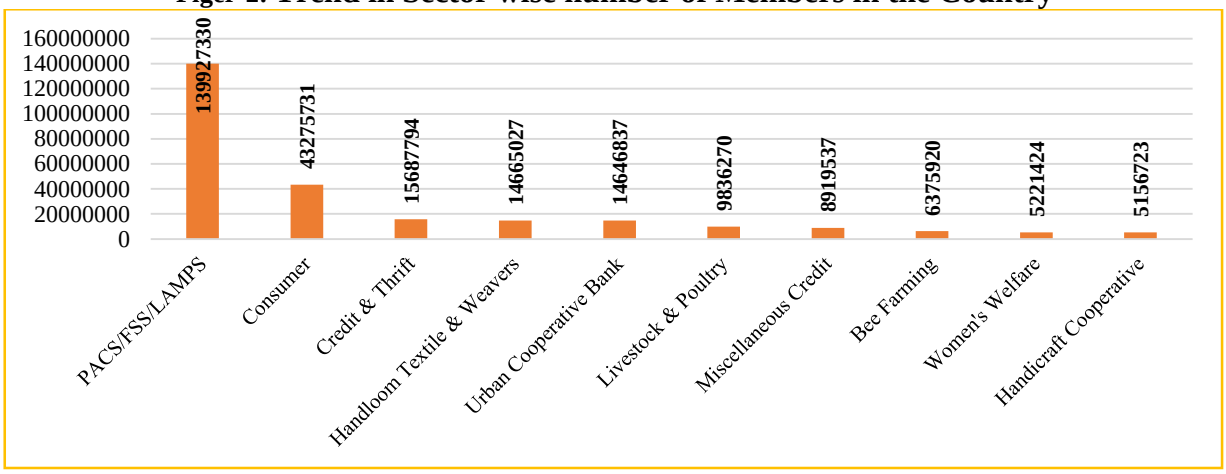
Figer-1: Trend in Sector-wise No. of Societies in the Country.



2.10. मार्केटिंग सहकारिता खास सहकारी: एंटिटीज होती हैं जो अपने सदस्य बिजनेस के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करने और बेचने पर फोकस करती हैं। ये सहकारी अलग–अलग प्रोड्यूसर, किसान या बिजनेस मिलकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने, लागत कम करने और मार्केट में अपनी मोलभाव करने की ताकत बढ़ाने के लिए बनाते हैं। मार्केटिंग सहकारी में 9,121 सोसाइटियों से जुड़े 45,90,611 सदस्य हैं। इस सेक्टर में सबसे अधिक सोसाइटियाँ उत्तर प्रदेश में हैं, यानी 1,791, इसके बाद गुजरात में 1,713 सोसाइटियाँ हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक सदस्य (8,85,211) हैं, इसके बाद महाराष्ट्र (6,75,050) और कर्नाटक (5,41,030) हैं। असल में, भारत में सोसाइटियाँ सामाजिक–आर्थिक विकास के इंजन के तौर पर काम करती हैं, जो समुदाय और साझा खुशहाली की भावना को बढ़ावा देती हैं।

जैसे–जैसे भारत तेजी से बदलते आर्थिक माहौल की मुश्किलों से निपट रहा है, सहकारी सेक्टर सबको साथ लेकर चलने वाले विकास और मजबूती के बड़े ताने–बाने का एक तेजी से बढ़ने वाला और जरूरी हिस्सा बना हुआ है।

Figer-2: Trend in Sector wise number of Members in the Country



3. भारत में सहकारी समितियों की वर्तमान स्थिति : अमूल डयेरी भारत की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी समितियां जिसने ''श्वेत क्रांति'' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया जिसका कारोबार 7.3 बिलियन से अधिक है। इफको उर्वरक भारत की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी समिति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी समितियां 7.3 बिलियन से अधिक राजस्व सहित इसकी उल्लेखनीय वृद्धि ने इसे फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची में स्थान दिलाया। कर्नाटक दुग्ध संघ (नंदिनी) डयेरी भारत में दूसरी सबसे बड़ी डेयरी सहकारी समितियां कर्नाटक में 15 दुग्ध संघों के साथ काम करती है, प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों से दूध खरीदती है। शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में अपनी सेवाएं देती है, जिससे 1,500 से अधिक सदस्य लाभान्वित होते हैं। इंडियन कॉफी हाउस सोसाइटी उपभोक्ता/रेस्तरां श्रमिक सहकारी समितियों के नेटवर्क द्वारा प्रबंधित इसके लगभग 400 कॉफी आउटलेट हैं। उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति, श्रम सहकारी समिति भारत की सबसे पुरानी श्रम सहकारी समितिय लगभग 1415 व्यक्तियों की सदस्यता के साथ यूएलसीसीएस ने 7500 से अधिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है

भारत में सहकारी समितियों की त्वरित उन्नति अब कोई काल्पनिक आदर्श नहीं रह गया है। यह एक जमीनी, मूलभूत क्रांति है। सहकारी समितियाँ न केवल लोगों को सशक्त बना रही हैं, बल्कि वे समावेशी, लोकतांत्रिक विकास की नए सिरे से परिकल्पना भी कर रही हैं। एक सदी पहले एक जन आंदोलन के रूप में शुरू हुई। यह मुहिम अब भारत के न्यायसंगत और समावेशी विकास की कुंजी बन सकती है।

4. भारत की अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र का महत्व : भारत में, सहकारी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर जब सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की बात आती है। ग्रामीण और वंचित समुदाय सहकारी समितियों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं क्योंकि उनका प्राथमिक उद्देश्य आपसी सहायता और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देकर अपने सदस्यों की जरूरतों को पूरा करना है। भारत के सहकारी क्षेत्र ने देश की अर्थव्यवस्था को कई महत्वपूर्ण तरीकों से बढ़ावा दिया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

4.1. वित्तीय समावेशन: सहकारी समितियों और विशेष रूप से सहकारी बैंकों ने ग्रामीण समुदायों में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे कम आय वाले व्यक्तियों, छोटे उद्यमों और किसानों के लिए, जो बड़े बैंकों से ऋण के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं, आवश्यक धन प्राप्त करने का एक सरल तरीका प्रदान करते हैं। यह ग्रामीण गरीबी को कम करने और कृषि विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

4.2. कृषि विकास: सहकारी क्षेत्र भारत की कृषि प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यह किसानों को बीज, उर्वरक और मशीनरी जैसे इनपुट प्रदान करके सहायता करता है, इसके अलावा ऐसी सहकारी समितियों को भी सुविधा प्रदान करता है जो कटाई के बाद की गतिविधियों जैसे प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन की देखरेख करती हैं। इस क्षेत्र ने छोटे और सीमांत किसानों को संसाधनों, उत्पादकता और बाजार में सौदेबाजी की शक्ति तक उनकी पहुंच बढ़ाकर सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

4.3. ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना: सहकारी आंदोलन ग्रामीण भारत की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में सहायक रहा है। समुदायों के भीतर स्वयं सहायता समूहों के गठन ने व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने में सक्षम बनाया है। परिणामस्वरूप, परिवारों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और लैंगिक समानता और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिला है।

4.4. रोजगार सृजन: बैंकिंग, कृषि, खुदरा और विनिर्माण सहित कई क्षेत्रों को रोजगार के अवसर पैदा करने की सहकारी क्षेत्र की क्षमता से बहुत फायदा होता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, यह लोगों को आजीविका कमाने के वैकल्पिक तरीके प्रदान करके बेरोजगारी को कम करने में मदद करता है। समुदाय निर्माण पर अपने जोर के कारण, सहकारी समितियां आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण में योगदान करती हैं और रोजगार की तलाश में ग्रामीण निवासियों के शहरों की ओर पलायन को धीमा करती हैं।

4.5. सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना: एक सहकारी समिति का प्राथमिक लक्ष्य केवल वित्तीय लाभ नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों का कल्याण है। भारत में कई सहकारी समितियां अपने सदस्यों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास तक पहुंच प्रदान करती हैं। ये योगदान वंचित क्षेत्रों में लोगों की सामाजिक सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता दोनों में सुधार करते हैं।

4.6. आर्थिक स्थिरता और जोखिम कम करना: संसाधनों को एक साथ लाकर और जोखिमों को शेयर करके, सहकारी आय को स्थिर करने, वित्तीय कमजोरी को कम करने और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। यह खासकर कृषि जैसे उद्योगों में बहुत जरूरी है, जहाँ किसानों को बाजार की कीमतों में उतार–चढ़ाव और जलवायु परिवर्तन जैसे कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है। सहकारी मॉडल इन जोखिमों के असर को फैलाने और कम करने में मदद करता है।

4.7. स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना: व्यक्तिगत पहल और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा देकर, सहकारी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देते हैं। वे स्थानीय स्तर पर खरीदने और बेचने को प्राथमिकता देते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि पैसा समुदाय के भीतर ही घूमे और आर्थिक लाभ घर के पास ही रहें। इससे स्थानीय कारीगरों, छोटे व्यवसायों और उद्योगों को फलने–फूलने में मदद मिलती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

5. आर्थिक स्थिरता और विकास : देश के खासकर अधिक दूरदराज के इलाकों में, सहकारी स्थायी विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्थायी वन प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और जैविक खेती कुछ ऐसी पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाएँ हैं जिन पर कई भारतीय सहकारी अभी ध्यान दे रहे हैं। एक हरित और अधिक स्थायी अर्थव्यवस्था एक बड़ा लक्ष्य है, और सहकारी पूरी तरह से आर्थिक उद्देश्यों के बजाय पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देकर इसे हासिल करने में योगदान देते हैं। कुल मिलाकर, भारत में सहकारी क्षेत्र सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और आर्थिक समावेशन का विस्तार करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, जिन चुनौतियों का यह सामना करता है, इसके बावजूद, भारत के लिए एक अधिक निष्पक्ष और स्थायी आर्थिक भविष्य बनाने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। देश को समावेशी और स्थायी विकास के अपने उद्देश्यों को गुजरात में अमूल डेयरी सहकारी, जिसके 3.6 मिलियन से अधिक दूध उत्पादक हैं (जिनमें से अधिकतर छोटे और सीमांत किसान हैं), दूध के लिए सही दाम देकर और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर, खासकर महिलाओं के लिए, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाता है।

कृषि उत्पादकता और मार्केटिंग को बढ़ावा देना, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर सहकारी लिमिटेड दुनिया का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक है। IFFCO जैसे सहकारी किसानों को उर्वरक, बीज और क्रेडिट जैसे जरूरी कृषि इनपुट प्रतिस्पर्धी कीमतों पर देते हैं, जिससे उत्पादकता और कृषि आय बढ़ती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र में चीनी सहकारी 500,000 से अधिक लोगों को (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से) रोजगार देते हैं, जो ग्रामीण रोजगार और आय सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कृषि, ऋण, डेयरी, आवास और मत्स्य पालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 8,50,000 से अधिक सहकारी समितियों के साथ, भारत का सहकारी नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। सहकारी क्षेत्र कृषि ऋण वितरण में 20 प्रतिशत, उर्वरक वितरण में 35 प्रतिशत, चीनी उत्पादन में 31 प्रतिशत, गेहूं खरीद में 13 प्रतिशत और धान खरीद में 20 प्रतिशत का योगदान देता है।

6. सहकारिता के लिए शासन संबंधी चुनौतियाँ :

1. सहकररिता को अक्सर पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की कमी से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सदस्यों की सीमित भागीदारी, हाशिए पर पड़े समुदायों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, और कुछ व्यक्तियों के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण सहकारी उद्यमों के समावेशी स्वरूप को कमजोर कर सकता है।

2. कई सहकारिता, खासकर जो हाशिए पर पड़े समुदायों की सेवा करते हैं, उन्हें वित्तीय संसाधनों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके पास अक्सर पारंपरिक वित्तीय संस्थानों द्वारा आवश्यक गिरवी या औपचारिक दस्तावेजों की कमी होती है, जिससे ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
3. सहकारिता को अक्सर समावेशिता की कमी, संरचनात्मक असमानताओं आदि से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
4. अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी की कमी उनकी दक्षता और प्रभावशीलता को प्रभावित करती है, जिससे पहुँच सीमित हो जाती है।
5. प्रशिक्षण और कौशल विकास पहलों की अनुपस्थिति एक और चुनौती है, जिससे पुराने मानव संसाधन होते हैं।
6. संभावित सदस्यों में सहकारी मॉडल और इसके लाभों के बारे में जागरूकता की कमी उनकी भागीदारी को सीमित करती है।

निष्कर्ष : वित्तीय समावेशन, कृषि विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर, भारत में सहकारी क्षेत्र ने सामाजिक–आर्थिक विकास में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी अनूठी अवधारणा, जो सभी सदस्यों की भलाई को प्राथमिकता देती है, ने वंचित समुदायों को अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने में मदद की है और सतत विकास को एक वास्तविकता बनाया है। लेकिन ऐसे कई बाधाएँ हैं जो इस क्षेत्र के विकास और स्थिरता में रुकावट बन सकती हैं, जैसे कि अक्षम प्रबंधन, राजनीतिक हस्तक्षेप और आधुनिक तकनीक तक पहुँच की कमी। इन सभी बाधाओं के बावजूद, सहकारी उद्योग अभी भी बहुत अधिक संभावनाओं से भरा हुआ है। सहकारी समितियाँ तकनीक को अपनाकर, शासन संरचनाओं को उन्नत करके निवेश और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाला माहौल बनाकर मौजूदा बाधाओं को दूर कर सकती हैं और भारत के आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रख सकती हैं। उद्योग को फिर से जीवंत करने और भारतीय आबादी की बदलती आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए, सरकार को रणनीतिक बदलावों का समर्थन करना चाहिए और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना चाहिए। अंत में, हालांकि भारत के सहकारी क्षेत्र ने निस्संदेह देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, यह महत्वपूर्ण है कि यह अपने महत्व और प्रभाव को बनाए रखने की गारंटी के लिए आधुनिकीकरण और सुधार से गुजरे। सहकारी क्षेत्र द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग, बेहतर शासन और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से एक अधिक समृद्ध, न्यायसंगत और टिकाऊ भारत प्राप्त किया जा सकता है। योजनाकारों और विशेषज्ञों में एक कमी यह रही है कि उन्होंने सहकारी इकाइयों को केवल ''इनपुट'' प्रदान करने वाली संस्थाएं माना, जबकि वास्तविकता में, ये संस्थाएं न केवल सभी प्रकार के काम करने में सक्षम हैं, बल्कि ऐसा कर भी रही हैं, और इस प्रकार ग्रामीण विकास के ''मुख्य केंद्र'' के रूप में कार्य कर रही हैं। वर्तमान स्थिति में उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करना न केवल आवश्यक बल्कि अनिवार्य हो गया है। सहयोग की संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणाली, सिद्धांत, सामुदायिक भागीदारी, वित्तीय सुदृढ़ता, विस्तार आदि ऐसी नींव हैं जो यह साबित करती हैं कि सहयोग ग्रामीण विकास का मुख्य और एकमात्र साधन है।

स्रोत एवं संदर्भः

1. सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार.
2. कुरुक्षेत्र पत्रिका, जुलाई 2025 संस्करण.
3. https://cooperatives.gov.in/en
4. https://www.cooperation.gov.in/en/2023-2024
5. https://x.com/Minofcooperatn/status/1816337535905550687
6. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146772
7. https://www.cooperation.gov.in/en/major-initiative-of-the-ministry
8. https://vamnicom.gov.in/uploads/4f51e1ee3035ac8005355277540565be.pdf
9. https://vamnicom.gov.in/uploads/ebc76414f685d0ee399c9b8f993505d0.pdf
10. https://www.cooperation.gov.in/sites/default/files/2025-03/IYC%20Annual%20Action%20Plan-English.pdf
11. https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-inaugurates-ica-global-cooperative-conference-2024/

आलेख उद्धरित करें :	सिंह, पवन कुमार एवं कुमार, डॉ. मुकेश (2026)। भारत में सहकारी समितियों के प्रगति और प्रदर्शन का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–1, जनवरी–मार्च, 2026, पृष्ठ 59–66। https://doi.org/10.5281/zenodo.21625586

Bundelkhand Journal of Academic Research

उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के प्रदर्शन का अध्ययन

डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन[1]' डॉ. अमित कुमार सिंह[2]

1. **असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** gajendrashodh1988@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21625748

सारांश

देश की सर्वाधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, जिसका सकल राज्यीय घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और राष्ट्रीय जीडीपी में करीब 8 से 9 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। यह पिछले कुछ वर्षों में 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' के रूप में विकसित हुआ है। बेहतर कानून–व्यवस्था और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के कारण उत्तर प्रदेश निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बन गया है। फिलहाल यह 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और इसकी प्राप्ति में सहकारी क्षेत्र की निर्णायक भूमिका हो सकती है, क्योंकि कृषि और एमएसएमई क्षेत्र प्रदेश में रोजगार के मुख्य चालक हैं। जबकि सहकारी क्षेत्र ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देकर, कृषि साख उपलब्ध कराकर और लघु उद्यमिता को सक्षम बनाकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। सहकारी समितियां न केवल ऋण, खाद, बीज और कृषि रसायनों के वितरण को सुगम बनाती हैं, बल्कि कृषि संबंधी आवश्यक सामग्री, विपणन माध्यम और भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये तीन स्तरीय साख संरचना के माध्यम से सुलभ और सुगम अल्पकालिक से मध्यम अवधि का वित्त प्रदान कर वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित कर रही हैं। सहकारिता ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्थानीय रोजगार सृजित करती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका के मद्देनजर और समावेशी विकास के अवसरों को बढ़ाने के लिए सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक है। इसलिए, प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के प्रदर्शन का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

शोध सूचना	**प्राप्त:** 14 फरवरी, 2026	**स्वीकृत:** 27 फरवरी, 2026	**प्रकाशित:** 31 मार्च, 2026
	सारणी: 10	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 16
	मुख्य शब्द: सहकारी प्रबंधन, सहकारी साख, पैक्स, ग्रामीण विकास, स्थानीय रोजगार।		

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि: उत्तर प्रदेश में सहकारिता की शुरुआत 1904 में ग्रामीण कृषकों को महाजनों के चंगुल से मुक्त कराने और फसल के लिए कम ब्याज पर ऋण देने के उद्देश्य से सहकारी साख समिति अधिनियम (1904) द्वारा हुई थी। वर्ष 1912 के सहकारिता अधिनियम के बाद प्रदेश में सहकारिता का दायरा बढ़ा है। इसके बाद वर्ष 1943 में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (पीसीएफ) की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य और बिचौलियों से मुक्ति दिलाना था। आजादी के बाद प्रदेश में 12 मार्च 1959 को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (यूपीएसजीबी) की स्थापना हुई, जो दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 ने राज्य में सहकारिता को मजबूत किया और समितियों के संचालन को लोकतांत्रिक बनाया। यह राज्य में सहकारी समितियों के गठन, पंजीकरण, प्रबंधन और विनियमन के लिए प्रमुख कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है। यह कानून सहकारी सिद्धांतों के आधार पर समितियों के काम को सुव्यवस्थित करने, कृषि उपज के विपणन, बीज/उर्वरक वितरण और सदस्यों के हितों की रक्षा हेतु नियम निर्धारित करता है, जिसे 1968 की नियमावली के साथ लागू किया जाता है।

प्रदेश में सहकारिता विशेष रूप से ग्रामीण कृषकों के आर्थिक विकास हेतु अल्पकालीन फसली ऋण से प्रारम्भ हुआ था। उस समय सहकारिता का मूल उद्देश्य कृषकों को फसल उत्पादन हेतु उचित शर्तों पर साख उपलब्ध कराकर

उन्हें महाजनों के चंगुल से मुक्त कराना था। कालान्तर में अल्पकालीन ऋण के साथ–साथ उर्वरक बीज वितरण, शीतगृह संचालन, उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण, दीर्घकालीन ऋण वितरण, श्रमिकों का संगठन, दुग्ध विकास, गन्ना, उद्योग, आवास, हथकरघा विकास आदि कार्यक्रम भी सहकारी समितियों के माध्यम से प्रारम्भ हो गए। परिणामस्वरूप, सहकारी कार्यक्रमों का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक हो जाने के कारण निबन्धक, सहकारी समितियों का अधिकार अन्य नौ विभागों यथा गन्ना, उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, आवास, दुग्ध, हथकरघा, मत्स्य, रेशम एवं उद्यान विभाग तक विस्तारित हो गए हैं। प्रदेश में सहकारी समितियों का प्रबन्धन लोकतान्त्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिससे जन सहभागिता को बढ़ावा मिलता है।

प्रदेश में सहकारी समितियों का तीन स्तरीय ढाँचा कार्य कर रहा है। प्रारम्भिक स्तर में न्याय पंचायत स्तर पर गठित प्रारम्भिक कृषि साख समितियां (पैक्स), क्रय–विक्रय प्रारम्भिक समितियां, प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, सहकारी संघ इत्यादि कार्यशील हैं। केन्द्रीय अथवा मध्यम स्तर में जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी विकास संघ, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार इत्यादि कार्यशील हैं। इनका गठन सामान्यतः जिला स्तर पर होता है। शीर्ष स्तर के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक (यूपीसीबी), उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, उत्तर प्रदेश सहाकारी संघ (पीसीएफ), उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस), उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ (पैक्फेड), उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन (पीसीयू), उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ इत्यादि कार्यशील हैं। इनका विस्तार सामान्यतः राज्य स्तरीय होता है।

सारणी-1: भारत और उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों की तुलनात्मक प्रगति

समितियों का विवरण	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी (%)
शहरी सहकारी समितियों की संख्या	8859	328915	**2.69**
सदस्यों की संख्या	5507899	115369266	**4.77**
ग्रामीण सहकारी समितियों की संख्या	31857	519017	**6.14**
सदस्यों की संख्या	14038213	201562844	**6.96**
कार्यात्मक सहकारी समितियाँ	22727	657751	**3.46**
निष्क्रिय सहकारी समितियाँ	17048	141239	**12.07**
परिसमापन के अधीन सहकारी समितियाँ	941	48943	**1.92**
कुल सहकारी समितियों की संख्या	**40716**	**847933**	**4.80**
कुल सदस्यों की संख्या	**19546112**	**316932112**	**6.17**

स्रोत: राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के एनसीडी पोर्टल से 31-12-2025 तक है।

उल्लेखनीय है कि 11 जून 1943 को स्थापित उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन (पीसीएफ) का मुख्य उद्देश्य कृषको को बिचैलियों के शोषण से मुक्त कराते हुए उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं उनको सहकारिता के आधार पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। 20 नवंबर 1944 को स्थापित उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक (यूपीसीबी) एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का अनुसूचित बैंक है जो कृषि विकास, जिला सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त और ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। 12 मार्च, 1959 को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (यूपीएसजीवीबी) की स्थापना प्रदेश के कृषकों को दीर्घकालीन कृषि एवं कृषि आधारित कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करने एवं साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए की गई थी। वर्ष 1965 में उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (यूपीएसएस) की स्थापना उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत एक शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में की गई थी। यह राज्य में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं, कृषि इनपुट और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। 25 नवंबर 1974 को स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ (यूपीआरएनएसएस), जिसे उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ कहा जाता है। यह राज्य में निर्माण कार्यों के लिए जिम्मेदार एक शीर्ष सहकारी संस्था है। इसके द्वारा प्रदेश में 35 निर्माण प्रखण्डों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ निर्माण कार्य संपादित कराए जाते है। उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ की स्थापना मूल रूप से 1972 में श्रमिक सहकारी संघ के रूप में लखनऊ में की गई थी। हालांकि, बाद में वर्ष 2014 में इसका नाम उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ (यूपीसीएलडीएफ) कर दिया गया है। यह संस्था सहकारी, सरकारी और विभिन्न उपक्रमों के निर्माण संबंधी कार्य सदस्य श्रम सहकारी समितियों के माध्यम से कराती है, जिसमें वर्तमान में 335 सहकारी समितियां सदस्य के रूप में शामिल हैं।

2.1. अध्ययन के उद्देश्यः प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया गया है:

1. उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों की तुलनात्मक प्रगति को समझना।
2. उत्तर प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समितियों के प्रदर्शन का अध्ययन करना।
3. उत्तर प्रदेश में क्रय–विक्रय सहकारी समितियों की प्रगति को समझना।
4. उत्तर प्रदेश में प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों की प्रगति को समझना।
5. उत्तर प्रदेश में प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की प्रगति को समझना।
6. उत्तर प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों के प्रदर्शन का अध्ययन करना।
7. उत्तर प्रदेश में सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों के प्रदर्शन का अध्ययन करना।

2. उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के प्रदर्शन :

2.1. उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों की तुलनात्मक प्रगतिः उत्तर प्रदेश में शुरुआत में सहकारी क्षेत्र सिर्फ साख (ऋण) तक सीमित था, लेकिन बाद में उर्वरक वितरण, शीतगृह, उपभोक्ता वस्तुओं के विपणन, दुग्ध विकास, चीनी उद्योग और आवास तक फैल गया है।

सारणी-2: उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार सहकारी समितियों की कार्यशीलता का विवरण

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार समितियों का विवरण	कुल समितियां	कार्यशील समितियां	कार्यशील समितियों का हिस्सा (%)
कृषि एवं संबद्ध सहकारी समिति	1240	718	57.90
कृषि प्रसंस्करण/औद्योगिक सहकारी समिति	1829	115	6.29
उपभोक्ता सहकारी समिति	1004	473	47.11
क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट समिति	2255	1186	52.59
डेयरी सहकारी समिति	16199	7664	47.31
शैक्षिक और प्रशिक्षण सहकारी समितियां	6	6	100.00
मात्स्यिकी सहकारी समिति	1589	1266	79.67
हस्तशिल्प सहकारी समिति	26	0	0.00
हथकरघा वस्त्र और बुनकर सहकारी समिति	1814	886	48.84
आवासन सहकारी समिति	3247	1207	37.17
खादी ग्रामोद्योग समिति	148	148	100.00
श्रमिक सहकारी समिति	551	138	25.05
पशुधन एवं पोल्ट्री सहकारी समिति	19	0	0.00
विपणन सहकारी समिति	1807	892	49.36
विविध ऋण सहकारी समिति	6	6	100.00
विविध गैर क्रेडिट	70	7	10.00
बहुउद्देशीय सहकारी समिति	129	69	53.49
पीएसीएस/एफएसएस/एलएएमपीएस	8439	7765	92.01
रेशम उत्पादन सहकारी समिति	88	87	98.86
सामाज कल्याण और सांस्कृतिक सहकारिता	2	1	50.00
चीनी मिल सहकारी समिति	27	27	100.00
पर्यटन सहकारी समिति	1	1	100.00
परिवहन सहकारी समिति	85	6	7.06
शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)	56	51	91.07
महिला कल्याण सहकारी समिति	28	12	42.86

स्रोत: राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। **टिप्पणी:** उपर्युक्त जिलेवार विवरण उत्तर प्रदेश की कुल 40665 सहकारी समितियों और 22731 कार्यशील समितियों के सापेक्ष दर्शाया गया है, जोकि एनसीडी पोर्टल से 15.11.2025 तक है।

राज्य में जिला स्तर पर जिला सहकारी संघ और शीर्ष सहकारी संस्थाएं क्रियाशील हैं। प्रदेश की सहकारिता में सरकारी भागीदारी के बावजूद, यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर काम करने वाली संस्था है। अब, यह एक व्यापक आंदोलन बन चुका है जिसमें गन्ना, आवास, हथकरघा जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। इस तरह प्रदेश में सहकारिता द्वारा

जन साधारण को बहुमुखी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उदहारण के लिए, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के माध्यम से नियमित भुगतान करने वाले कृषकों को उचित दर पर साख उपलब्ध कराया जाता है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा अपनी शाखाओं के माध्यम से कृषि एवं अकृषि क्षेत्र हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश के नगरीय सहकारी बैंक अपने कार्य क्षेत्र में उपभोक्ता ऋण, आवास ऋण, वाहन ऋण एवं रोजगार ऋण उपलब्ध कराते है। किसानो को बिचैलियों के शोषण से बचाने के लिए उनकी कृषि उपज को सहकारी समिति द्वारा क्रय करके उनको उचित मूल्य दिलाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मूल्य सर्मथन योजनान्तर्गत गेहूं एवं धान की खरीद की जाती है। उर्वरक एवं बीज वितरण के अलावा सहकारी समितियो की वर्तमान भण्डारण क्षमता में वृद्धि किए जाने हेतु अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का सृजन किया जा रहा है। इस तरह, प्रदेश बहुआयामी विकास में सहकारिता की गहरी पैठ कायम है।

सारणी-3: उत्तर प्रदेश में जिलेवार पंजीकृत और कार्यशील सहकारी समितियों का विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	कुल समितियां	कार्यशील समितियां	क्रम संख्या	जिले का नाम	कुल समितियां	कार्यशील समितियां	क्रम संख्या	जिले का नाम	कुल समितियां	कार्यशील समितियां
1	आगरा	1287	616	26	फर्रुखाबाद	498	132	51	महोबा	208	98
2	अलीगढ़	518	307	27	फतेहपुर	714	237	52	मैनपुरी	245	125
3	अम्बेडकर नगर	641	465	28	फिरोजाबाद	303	134	53	मथुरा	532	462
4	अमेठी	347	186	29	गौतम बुद्ध नगर	558	196	54	मऊ	445	176
5	अमरोहा	353	193	30	गाजियाबाद	713	218	55	मेरठ	864	708
6	औरैया	409	104	31	गाजीपुर	859	441	56	मिर्जापुर	633	407
7	अयोध्या	618	409	32	गोंडा	739	445	57	मुरादाबाद	870	507
8	आजमगढ़	1026	686	33	गोरखपुर	788	480	58	मुजफ्फरनगर	420	343
9	बागपत	296	226	34	हमीरपुर	335	247	59	पीलीभीत	381	284
10	बहराइच	539	310	35	हापुर	293	204	60	प्रतापगढ़	525	341
11	बलिया	442	251	36	हरदोई	601	377	61	प्रयागराज	1333	660
12	बलरामपुर	194	133	37	हाथरस	219	163	62	रायबरेली	733	511
13	बांदा	352	169	38	जालौन	589	237	63	रामपुर	379	254
14	बाराबंकी	767	455	39	जौनपुर	687	371	64	सहारनपुर	749	478
15	बरेली	821	533	40	झांसी	695	224	65	संभल	286	185
16	बस्ती	563	401	41	कन्नौज	363	69	66	संत कबीर नगर	217	148
17	भदोही	197	122	42	कानपुर देहात	473	118	67	शाहजहाँपुर	581	435
18	बिजनौर	774	436	43	कानपुर नगर	966	397	68	शामली	173	94
19	बदायूं	524	277	44	कासगंज	146	107	69	श्रावस्ती	237	97
20	बुलंदशहर	717	554	45	कौशाम्बी	470	145	70	सिद्धार्थ नगर	380	196
21	चंदौली	542	265	46	लखीमपुर खेरी	456	351	71	सीतापुर	685	472
22	चित्रकूट	339	193	47	कुशी नगर	350	223	72	सोनभद्र	207	147
23	देवरिया	403	269	48	ललितपुर	343	209	73	सुल्तानपुर	507	309
24	एटा	429	209	49	लखनऊ	1390	718	74	उन्नाव	583	363
25	इटावा	498	103	50	महाराजगंज	373	217	75	वाराणसी	975	399

स्रोत: राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। **टिप्पणी:** उपर्युक्त जिलेवार विवरण उत्तर प्रदेश की कुल 40665 सहकारी समितियों और 22731 कार्यशील समितियों के सापेक्ष दर्शाया गया है, जोकि एनसीडी पोर्टल से 15.11.2025 तक है।

उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों की भारत के साथ तुलनात्मक प्रगति को सारणी–1 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि दिसंबर, 2025 में सहकारी समितियों की कुल संख्या 40716 थी, जो देश की कुल सहकारी समितियों का 4.8 प्रतिशत हैं। प्रदेश की कुल सहकारी समितियों में ग्रामीण और शहरी सहकारी समितियों की संख्या

क्रमशः 31857 और 8859 है, जो देश की ग्रामीण और शहरी सहकारी समितियों का क्रमशः 6.14 और 2.69 प्रतिशत हैं। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में शहरी सहकारी समितियों की सापेक्षिक हिस्सेदारी कम है। यदि सहकारी समितियों की सदस्यता को देखें तो प्रदेश में दिसंबर, 2025 में सहकारी समितियों की कुल सदस्य संख्या 195.46 लाख थी, जो देश की कुल सहकारी सदस्यता का 6.17 प्रतिशत हैं। इसी तरह प्रदेश में ग्रामीण और शहरी सहकारी समितियों की सदस्य संख्या क्रमशः 140.38 लाख और 55.08 लाख है, जो देश की ग्रामीण और शहरी सहकारी सदस्यता का क्रमशः 6.96 और 4.77 प्रतिशत हैं। स्पष्ट है कि प्रदेश में सदस्यता की दृष्टि से भी शहरी सहकारी समितियों की सापेक्षिक हिस्सेदारी कम है।

सारणी–1 से स्पष्ट है कि दिसंबर, 2025 में प्रदेश में कार्यशील समितियों की संख्या 22727 थी, जो प्रदेश की कुल सहकारी समितियों का 55.8 प्रतिशत हैं और ये देश की कुल सहकारी समितियों का 3.46 प्रतिशत हैं। जबकि प्रदेश में निष्क्रिय और परिसमापन के अधीन सहकारी समितियों की संख्या क्रमशः 17048 और 941 हैं, जो प्रदेश की कुल सहकारी समितियों का क्रमशः 41.9 और 2.3 प्रतिशत हैं और ये देश की कुल सहकारी समितियों का क्रमशः 12. 07 और 1.92 प्रतिशत हैं। स्पष्ट है कि प्रदेश में सहकारी समितियों की कार्यशीलता का स्तर बढाने की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार कुल सहकारी समितियों और कार्यशील सहकारी समितियों को सारणी–2 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि शीर्ष 5 सहकारी समितियों वाले क्षेत्रों में क्षेत्र डेयरी, पैक्स (पीएसीएस), आवासन, क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट, कृषि प्रसंस्करण एवं औद्योगिक हैं, जबकि न्यूनतम सहकारी समितियों वाले क्षेत्रों में पर्यटन, समाज कल्याण एवं सांस्कृतिक, विविध साख, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण, पशुधन एवं पोल्ट्री शामिल हैं। यदि प्रदेश में सहकारी समितियों की कार्यशीलता को देखें तो सारणी–2 से स्पष्ट है कि शैक्षिक एवं प्रशिक्षण, खादी ग्रामोद्योग, विविध साख, चीनी मिल, पर्यटन सहकारी क्षेत्रों में शत प्रतिशत सहकारी समितियां कार्यशील हैं। इसके बाद रेशम उत्पादन सहकारी समितियां 98.86, पीएसीएस/एफएसएस /एलएएमपीएस समितियां 92.01, शहरी सहकारी बैंक 91.07, मात्स्यिकी सहकारी समितियां 79.67, कृषि एवं संबद्ध सहकारी समितियां 57.90 प्रतिशत कार्यशील हैं, जोकि देश में सहकारी समितियों के कार्यशीलता के राष्ट्रीय औसत (55.90 प्रतिशत) से अधिक हैं। प्रदेश में सहकारिता के अन्य क्षेत्रों में कार्यशीलता राष्ट्रीय स्तर से कम है, जबकि न्यूनतम कार्यशीलता वाली सहकारी समितियों में पशुधन एवं पोल्ट्री, हस्तशिल्प, कृषि प्रसंस्करण एवं औद्योगिक, परिवहन सहकारी समितियां शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में जिलेवार पंजीकृत और कार्यशील सहकारी समितियों को सारणी–3 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि पंजीकृत सहकारी समितियों के मामले में शीर्ष जिला लखनऊ है, जिसके पास प्रदेश में कुल पंजीकृत सहकारी समितियों का 3.42 प्रतिशत हिस्सा है। इसके बाद क्रमशः प्रयागराज में 3.28, आगरा में 3.16, आजमगढ़ में 2. 52, वाराणसी में 2.40, कानपुर नगर में 2.38, मुरादाबाद में 2.14, मेरठ में 2.12, गाजीपुर में 2.11, बरेली में 2.02 प्रतिशत पंजीकृत हैं और ये प्रदेश में पंजीकृत सहकारी समितियों वाले शीर्ष 10 जिले हैं। जबकि न्यूनतम पंजीकृत सहकारी समितियों वाले 5 जिले क्रमशः कासगंज, शामली, बलरामपुर, भदोही, सोनभद्र हैं। इसी तरह सर्वाधिक कार्यशील सहकारी समितियों वाले शीर्ष 10 जिले क्रमशः लखनऊ, मेरठ, आजमगढ़, प्रयागराज, आगरा, बुलंदशहर, बरेली, रायबरेली, मुरादाबाद और गोरखपुर हैं। जबकि न्यूनतम कार्यशील सहकारी समितियों वाले 5 जिले क्रमशः कन्नौज, शामली, श्रावस्ती, महोबा और इटावा हैं। हालांकि, पंजीकृत सहकारी समितियों के सापेक्ष जिलेवार समितियों की कार्यशीलता को देखे तों सर्वाधिक कार्यशील सहकारी समितियों वाला जिला मथुरा है, जिसकी कुल पंजीकृत सहकारी समितियों में 86.84 प्रतिशत कार्यशील हैं। इसके बाद सापेक्षिक कार्यशीलता मेरठ में 81.94, मुजफ्फरनगर में 81.67, बुलंदशहर में 77.27, लखीमपुर खेरी में 76.97, बागपत में 76.35 प्रतिशत कार्यशील हैं। जबकि न्यूनतम सापेक्षिक कार्यशीलता वाले जिले कन्नौज, इटावा, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद हैं, जिनके पास क्रमशः 19.01, 20.68, 24. 95, 25.43, 26.51 प्रतिशत कार्यशील हैं। इस तरह, प्रदेश में सहकारी समितियों के पंजीकरण और कार्यशीलता दोनों स्तरों पर विचलन बहुत अधिक है।

2.2. प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समितियों का प्रदर्शनः उत्तर प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समितियां (पीएसीएस) जमीनी स्तर कार्यशील गांव आधारित सहकारी ऋण संस्थाएँ हैं, जो अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना का सबसे निचला स्तर बनाती हैं। ये किसानों को सस्ता ऋण (केसीसी सहित) प्रदान करती हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है और कृषि विकास को समर्थन मिलता है। साख सुलभता सुनिश्चित करने के अलावा ये उर्वरक, बीज वितरण, विपणन का काम संभालती हैं। कृषि संबंधी उपकरण बेचती हैं और उचित मूल्य की दुकानें भी चलाती हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यशील पीएसीएस ग्रामीण उधारकर्ताओं और उच्च स्तरीय वित्तपोषण एजेंसियों (जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और नाबार्ड) के बीच अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि, इनमें से कई संस्थाएँ निष्क्रिय हैं, जिनमें कम जमा राशि जुटाना, उच्च बकाया राशि और पंचायतों में सीमित कवरेज जैसी समस्याएँ शामिल हैं।

सारणी-4: उत्तर प्रदेश में मंडलवार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की प्रगति									
विवरण	**समितियों की संख्या**			**समितियों में सदस्यों की संख्या**			**समितियों के अधीन गांव**		
मंडल	**2014-15**	**2019-20**	**2023-24**	**2014-15**	**2019-20**	**2023-24**	**2014-15**	**2019-20**	**2023-24**
आगरा	331	325	320	875870	751295	756218	3246	3210	3203
प्रयागराज	578	565	565	1084388	909680	965273	7000	6038	5173
बरेली	480	472	472	963973	956445	976252	6705	6715	6715
अयोध्या	543	539	538	635181	603434	566989	6881	5834	12391
गोरखपुर	616	616	614	1185696	1166376	1247013	7439	6896	6682
झांसी	177	169	165	523353	388769	537106	2200	2178	2289
कानपुर	446	440	428	746159	710182	788694	4907	4586	3813
लखनऊ	951	958	956	1408470	1538912	1791930	9266	8698	8206
मेरठ	364	515	362	891997	912355	941420	2888	4049	2864
मुरादाबाद	344	336	338	912729	922451	1068495	5990	6107	5872
वाराणसी	584	636	581	797498	817927	850766	8716	9524	8575
आजमगढ़	530	475	502	676143	668737	809135	6176	5709	6239
बस्ती	326	323	328	502734	498095	520926	7068	7076	6773
विन्ध्याचल	200	200	200	288411	286962	327406	3692	2603	2744
सहारनपुर	206	214	213	786435	770436	795109	2141	2123	2133
चित्रकूट	177	175	174	386759	369846	409720	2150	2149	2156
देवीपाटन	320	382	383	221614	448372	419451	4573	4487	3541
अलीगढ़	296	305	311	551406	617012	714972	3334	3321	3028
उत्तर प्रदेश	**7469**	**7645**	**7450**	**13438816**	**13337286**	**14486875**	**94372**	**91303**	**92397**

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका की तालिका-32: मंडल में जनपदवार प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां से आगणित, अर्थ एवं सांख्यिकीय प्रभाग, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश; 2. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता; 3. प्रबंधक, अग्रणी बैंक । **टिप्पणियां:** 1. आगरा मंडल में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा; 2. प्रयागराज मंडल में प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़ 3. बरेली मंडल में बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर; 4. अयोध्या मंडल में अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी; 5. गोरखपुर मंडल में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज; 6. झांसी मंडल में जालौन, झांसी, ललितपुर; 7. कानपुर मंडल में कानपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात; 8. लखनऊ मंडल में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव; 9. मेरठ मंडल में मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर; 10. मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, संभल; 11. वाराणसी मंडल में वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली; 12. आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, बलिया, मऊ; 13. बस्ती मंडल में बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर; 14. विन्ध्याचल मंडल में मिर्जापुर, भदोही (संत रविदास नगर), सोनभद्र; 15. सहारनपुर मंडल में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली; 16. चित्रकूट मंडल में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा; 17. देवीपाटन मंडल में बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती; 18. अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज जनपद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों के अंतर्गत कुल 75 जिले आते हैं। वर्ष 2008 में बना सबसे नवीनतम मंडल अलीगढ़ है, जबकि सबसे बड़े मंडल कानपुर, लखनऊ और मेरठ हैं, जिनमें से प्रत्येक में 6 जिले शामिल हैं।

प्रदेश में मंडलवार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की प्रगति को सारणी–4 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में 7469 प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स) थी, जो घटकर वर्ष 2023–24 में 7450 रह गई। यदि मंडलवार पैक्स की प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक पैक्स वाला मंडल लखनऊ रहा है, जिसके पास प्रदेश की 12.8 प्रतिशत पैक्स हैं। इसके बाद क्रमशः गोरखपुर में 8.2, वाराणसी में 7.8, प्रयागराज में 7.6, अयोध्या में 7.2 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम पैक्स वाले मंडल झांसी और चित्रकूट हैं, जिनके पास प्रदेश के क्रमशः 2.2 और 2.3 प्रतिशत पैक्स हैं। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में पैक्स की सदस्य संख्या 134.39 लाख थी, जो बढ़कर वर्ष 2023–24 में 144.87 लाख हो गई। यदि मंडलवार सदस्यता की प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक पैक्स सदस्यता वाला मंडल लखनऊ रहा है, जिसके पास प्रदेश के 12.4 प्रतिशत पैक्स सदस्य हैं। इसके बाद क्रमशः गोरखपुर में 8.6, मुरादाबाद में 7.4, बरेली में 6.7, प्रयागराज में 6.7 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम पैक्स सदस्यता वाले मंडल विंध्याचल और चित्रकूट हैं, जिनके पास प्रदेश के क्रमशः 2.3 और 2.8 प्रतिशत पैक्स सदस्य हैं।

वर्ष 2014–15 में प्रदेश में पैक्स के अधीन गांवों की संख्या 94372 थी, जो घटकर वर्ष 2023–24 में 92397 रह गए, अर्थात पिछले 10 वर्ष में 1975 गांव पैक्स के कार्यक्षेत्र से हट गए हैं। यदि प्रदेश के कुल गांवों के सापेक्ष पैक्स का कवरेज देखे तो जनगणना, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 97814 गांव थे और कुल गांवों के सापेक्ष वर्ष 2023–24 में पैक्स का कवरेज 94.46 प्रतिशत रहा है। यदि मंडलवार पैक्स के अधीन गांवों की प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में पैक्स के अधीन सर्वाधिक गांवों वाला मंडल अयोध्या (12391) रहा है, जिसके पास प्रदेश के पैक्साधीन 13.4 प्रतिशत गांव हैं। इसके बाद क्रमशः वाराणसी में 9.3, लखनऊ में 8.9, बस्ती में 7.3, बरेली में 7.3 प्रतिशत हैं।

जबकि न्यूनतम पैक्साधीन गांवों वाले मंडल सहारनपुर और चित्रकूट हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास प्रदेश के क्रमशः 2.3 प्रतिशत पैक्साधीन गांव हैं।

सारणी-5: उत्तर प्रदेश में मंडलवार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का प्रदर्शन (लाख रू.)

विवरण	समितियों की अंश पूंजी			समितियों की कार्यशील पूंजी			वर्ष में वितरित अल्पकालीन ऋण		
मंडल	2014-15	2019-20	2023-24	2014-15	2019-20	2023-24	2014-15	2019-20	2023-24
आगरा	3797.9	5618.6	6450.5	37516.1	43657.9	51187.0	35130.3	20620.6	40633.5
प्रयागराज	2093.8	2120.5	3868.5	11848.6	11720.6	45435.6	3095.2	3683.6	5992.8
बरेली	4904.7	6692.6	8438.8	62425.2	69384.4	85875.4	47927.6	44820.8	99500.4
अयोध्या	1706.9	2274.2	2971.5	15370.8	15154.8	16423.6	4895.6	5606.9	10586.0
गोरखपुर	1842.6	1246.4	2244.4	10129.5	5480.6	18082.8	16328.0	3070.2	8975.5
झांसी	3254.9	812.2	17702.5	16827.7	10640.8	115252.2	20550.9	22282.3	163469.3
कानपुर	2284.1	48202.6	54691.4	20716.0	91279.2	5158362.8	14710.1	150716.5	25473.6
लखनऊ	4507.8	3676.5	9043.5	32661.5	228020.8	81914.7	51694.3	17226.0	6826.0
मेरठ	6568.7	16090.5	17725.3	78419.9	213978.0	212637.1	150442.5	186887.2	236666.1
मुरादाबाद	8312.0	16987.7	15031.2	58920.3	141840.1	172299.8	121759.2	373536.2	539310.5
वाराणसी	1580.1	1989.9	1661.6	12316.7	10731.8	8642.4	3651.5	2774.3	4482.8
आजमगढ़	999.0	1121.8	2468.3	4291.1	7989.0	6435.5	674.4	780.2	1650.6
बस्ती	734.0	738.4	772.3	4518.8	4568.1	4540.7	0.0	0.0	426.4
विन्ध्याचल	1749.0	1818.6	3633.0	18709.3	14559.4	15131.4	10363.1	10276.0	14348.4
सहारनपुर	6759.7	10968.2	14450.4	86643.3	145660.7	175172.9	125149.5	275423.2	153589.3
चित्रकूट	1684.2	2030.4	2832.8	10283.9	11466.3	36186.9	8196.4	10803.8	20780.8
देवीपाटन	577.7	620.9	985.3	2552.8	2578.3	3142.4	0.0	0.0	240.6
अलीगढ़	2191.5	3961.5	5062.1	21005.4	25936.7	32591.4	14756.0	16411.5	22337.5
उत्तर प्रदेश	**55548.4**	**126971.2**	**170033.4**	**505156.8**	**1054647.2**	**6239314.5**	**629324.3**	**1144919.2**	**1355290.0**

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका की तालिका-32: मंडल में जनपदवार प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां से आगणित, अर्थ एवं सांख्यिकीय प्रभाग, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश;
2. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता; 3. प्रबंधक, अग्रणी बैंक।

चूंकि किसी सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए एक निश्चित मूल्य का शेयर खरीदना आवश्यक होता है और सदस्यों के यही शेयर समिति की अंश पूंजी कहलाती है। इस तरह सहकारी समितियों की अंश पूंजी उनके सदस्यों द्वारा खरीदे गए शेयरों के माध्यम से जुटाई गई राशि है, जो समिति के स्वामित्व का आधार बनती है। सदस्य समिति की पूंजी में योगदान करते हैं और लोकतांत्रिक रूप से इसे नियंत्रित करते हैं। इस पूंजी पर सदस्यों को सीमित लाभांश मिल सकता है और इसका बड़ा हिस्सा समिति के विकास के लिए साझा संपत्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। सारणी–5 से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में पैक्स की अंश पूंजी 55548.4 लाख रुपए थी, जो 3.06 गुना बढ़कर वर्ष 2023–24 में 170033.4 लाख रुपए हो गई। यदि मंडलवार अंश पूंजी की प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक पैक्स की अंश पूंजी वाला मंडल कानपुर रहा है, जिसके पास प्रदेश की पैक्स अंश पूंजी का 32. 17 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः मेरठ में 10.42, झांसी में 10.41, मुरादाबाद में 8.84, सहारनपुर में 8.50 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम अंश पूंजी वाले मंडल बस्ती और देवीपाटन हैं, जिनके पास प्रदेश की पैक्स अंश पूंजी का क्रमशः 0.45 और 0.58 प्रतिशत हिस्सा है।

किसी सहकारी समिति की कार्यशील पूंजी वह आवश्यक धनराशि है जो उनके दैनिक परिचालन जैसे सदस्यों को ऋण देना, स्टॉक खरीदना, कर्मचारियों को वेतन देना, अल्पकालिक खर्चों को कवर करने के लिए आवश्यक होती है। यह मुख्यतः सदस्यों के शेयर, संचित आय, आरक्षित निधि, बाहरी ऋण आदि से जुटाई जाती है। सारणी–5 से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में पैक्स की कार्यशील पूंजी 505156.8 लाख रुपए थी, जो 12.35 गुना बढ़कर वर्ष 2023–24 में 6239314.5 लाख रुपए हो गई। यदि मंडलवार कार्यशील पूंजी की प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में पैक्स की सर्वाधिक कार्यशील पूंजी वाला मंडल कानपुर रहा है, जिसके पास प्रदेश की पैक्स कार्यशील पूंजी का 82.68 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः मेरठ में 3.41, सहारनपुर में 2.81, मुरादाबाद में 2.76, झांसी में 1.85 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम कार्यशील पूंजी वाले मंडल देवीपाटन और बस्ती हैं, जिनके पास प्रदेश की पैक्स कार्यशील पूंजी का क्रमशः 0. 05 और 0.07 प्रतिशत हिस्सा है।

प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा वितरित अल्पकालीन ऋण किसानों को कृषि कार्यों (बीज, खाद, कीटनाशक आदि) के लिए 12 से 15 महीने की अवधि हेतु दिया जाने वाला फसली ऋण है। यह प्रायः रियायती दर

पर कृषि आवश्यकताओं और पैक्स द्वारा परिभाषित गतिविधियों के लिए प्रदान किया जाता है। सारणी–5 से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में पैक्स द्वारा वितरित अल्पकालीन ऋण 629324.3 लाख रुपए था, जो 2.15 गुना बढ़कर वर्ष 2023–24 में 1355290 लाख रुपए हो गया। यदि मंडलवार वितरित अल्पकालीन ऋण की प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में पैक्स द्वारा वितरित सर्वाधिक अल्पकालीन ऋण वाला मंडल मुरादाबाद है, जिसके पास प्रदेश में पैक्स वितरित अल्पकालीन ऋण का 39.79 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः मेरठ में 17.46, झांसी में 12.06, सहारनपुर में 11. 33, बरेली में 7.34 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम पैक्स के वितरित अल्पकालीन ऋण वाले मंडल देवीपाटन और बस्ती हैं।

2.3. प्रदेश में क्रय–विक्रय सहकारी समितियों की प्रगतिः वर्ष 2024–25 के अनुसार प्रदेश भर में 290 सक्रिय सहकारी क्रय–विक्रय समितियां, 58 जिला संघ और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन (पीसीएफ) कार्यरत हैं, जो प्रदेश भर के ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हुए किसानों को बिचौलियों से बचाकर उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, उर्वरक, बीज और कीटनाशकों का वितरण आदि कार्य करती हैं। इनका मुख्य कार्य कृषि उपज की खरीद, उचित मूल्य पर उर्वरक और बीजों का वितरण कर किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। समितियों के माध्यम से उर्वरक और प्रमाणित बीजों का वितरण किया जा रहा है। ये किसानों को उनकी उपज (जैसे गेहूँ, धान) का सही मूल्य दिलाने के लिए विपणन केंद्र के रूप में काम कर रही हैं। इस तरह, सहकारी क्रय–विक्रय समितियों का लक्ष्य कृषकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराना और एक समावेशी विपणन ढांचा प्रदान करना है। प्रदेश में मंडलवार क्रय–विक्रय सहकारी समितियों के प्रदर्शन को सारणी–6 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में 264 क्रय–विक्रय सहकारी समितियां थी, जो बढ़कर वर्ष 2023–24 में 276 रह गई। यदि मंडलवार क्रय–विक्रय सहकारी समितियों की प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक समितियों वाला मंडल आजमगढ़ रहा है, जिसके पास प्रदेश की 14.49 प्रतिशत क्रय–विक्रय समितियां हैं। इसके बाद क्रमशः लखनऊ में 11.96, कानपुर में 7.25, गोरखपुर में 6.88, प्रयागराज में 6.16 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम समितियों वाले मंडल विन्ध्याचल और देवीपाटन हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास प्रदेश की 2.17 प्रतिशत क्रय–विक्रय सहकारी समितियां हैं।

सारणी-6: उत्तर प्रदेश में मंडलवार क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की प्रगति

विवरण	समितियों की संख्या			समितियों में सदस्यों की संख्या			वार्षिक क्रय विक्रय का मूल्य (हजार रू.)		
मंडल	2014-15	2019-20	2023-24	2014-15	2019-20	2023-24	2014-15	2019-20	2023-24
आगरा	13	13	13	52821	23778	7757	258585	183578	233142
प्रयागराज	16	16	17	74743	68587	68129	33115	14292	311955
बरेली	13	13	13	82620	83284	77591	1502782	548971	1236617
अयोध्या	7	7	7	10197	10492	10104	2908120	54800	78172
गोरखपुर	23	24	19	24138	10212	10226	140240	90488	97427
झांसी	14	14	14	45963	46569	46724	61857	208674	76182
कानपुर	21	20	20	73849	84056	81409	140440	146106	16725792
लखनऊ	31	33	33	41411	37291	37470	368565	3396727	192038
मेरठ	16	19	16	50461	41839	62388	77528	66243	103016
मुरादाबाद	14	14	14	49944	28605	29586	195528	138660	389484
वाराणसी	16	16	16	55556	53803	50852	74347	7027	10971
आजमगढ़	15	20	40	24975	24926	25419	14430	70856	102935
बस्ती	7	6	7	10229	9530	10300	7585	105338	75450
विन्ध्याचल	6	6	6	8353	9906	14794	76993	82964	58229
सहारनपुर	11	9	9	43093	35630	36378	42665	115543	97040
चित्रकूट	11	12	13	42148	19358	17246	37205	121656	96127
देवीपाटन	17	10	6	30119	25531	43540	3769	12507	849129
अलीगढ़	13	13	13	83773	68380	59447	66438	115119	6715040
उत्तर प्रदेश	**264**	**265**	**276**	**804393**	**681777**	**689360**	**6010192**	**5479549**	**27448746**

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका की तालिका-33: मंडल में अन्य सहकारी समितियां से आगणित, अर्थ एवं सांख्यिकीय प्रभाग, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

2. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता।

वर्ष 2014–15 में प्रदेश में क्रय–विक्रय सहकारी समितियों की सदस्यता 8.04 लाख थी, जो घटकर वर्ष 2023–24 में 6.89 लाख रह गई। यदि मंडलवार सदस्यता को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक सदस्यता वाला मंडल कानपुर रहा है, जिसके पास प्रदेश की 11.81 प्रतिशत सदस्यता है। इसके बाद क्रमशः बरेली में 11.26, प्रयागराज में 9.88, मेरठ में 9.05, अलीगढ़ में 8.62 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम क्रय–विक्रय सहकारी समितियों वाले

मंडल आगरा और अयोध्या हैं, जिनके पास प्रदेश के क्रमशः 1.13 और 1.47 प्रतिशत सदस्य हैं। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में क्रय–विक्रय सहकारी समितियों द्वारा किए गए वार्षिक क्रय विक्रय का मूल्य 60101.9 लाख रुपए था, जो 4.57 गुना बढ़कर वर्ष 2023–24 में 274487.5 लाख रुपए हो गया। यदि मंडलवार वार्षिक क्रय विक्रय को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक क्रय विक्रय वाला मंडल कानपुर रहा है, जिसके पास प्रदेश के कुल वार्षिक क्रय विक्रय का 60.93 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः अलीगढ़ में 24.46, बरेली में 4.51, देवीपाटन में 3.09, मुरादाबाद में 1. 42 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम क्रय–विक्रय समितियों वाले मंडल वाराणसी और विन्ध्याचल हैं, जिनके पास प्रदेश के वार्षिक क्रय विक्रय का क्रमशः 0.04 और 0.21 प्रतिशत है।

2.4. प्रदेश में प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों की प्रगतिः उत्तर प्रदेश में नन्द बाबा दुग्ध मिशन और विभिन्न सहकारी योजनाओं के माध्यम से प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के विकास और तीव्र विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार वर्ष 2025–26 में 4,922 नई समितियों के गठन व 169 अकार्यशील समितियों को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे डेयरी किसानों को गाँव स्तर पर ही उचित मूल्य मिल सके। उल्लेखनीय है कि 1000 करोड़ रुपए की लागत से संचालित नन्द बाबा दुग्ध मिशन का उद्देश्य हर गाँव में दुग्ध सहकारी समितियाँ बनाना और दुग्ध उत्पादकों को गाँव में ही उचित मूल्य दिलाना है। उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 5000 करोड़ रुपये के निवेश और दूध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य है। डेयरी फार्मिंग के लिए 25 से 33 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। यह प्रगति प्रदेश को दूध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनाए रखने में मदद कर रही है। फिलहाल प्रदेश में 7094 समितियां सक्रिय रूप से दूध संकलन कर रही हैं। प्रदेश की दुग्ध समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और 7200 से अधिक महिला सदस्य सक्रिय रूप से दूध की आपूर्ति कर रही हैं।

सारणी-7: उत्तर प्रदेश में मंडलवार प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों की प्रगति

विवरण	सहकारी समितियों की संख्या			समितियों की सदस्य संख्या			वार्षिक विक्रय का उत्पादन मूल्य (हजार रू.)		
मंडल	**2014-15**	**2019-20**	**2023-24**	**2014-15**	**2019-20**	**2023-24**	**2014-15**	**2019-20**	**2023-24**
आगरा	835	473	705	37257	19170	29094	123534	372793	12882500
प्रयागराज	656	366	436	26070	31890	17767	513391	503712	200381
बरेली	1329	1197	1104	73816	52368	46669	1034730	5371504	4783481
अयोध्या	1548	1040	1473	83356	50727	68214	689369	1353604	104729086
गोरखपुर	729	384	398	34677	12402	13456	4106300	153662	198804
झांसी	492	410	225	17490	15214	9675	142589	162012	21556
कानपुर	1425	375	110	65187	19043	4830	2323399	181291999	181206850
लखनऊ	1786	1832	1593	73820	73667	75452	1956935	5324729	1472435
मेरठ	1236	1559	1164	48993	61981	60451	3170652	4666751	321455
मुरादाबाद	1785	1639	1024	76627	115355	41799	593074	111519	818627
वाराणसी	696	571	519	33419	25352	22635	718489	6176768	5869784
आजमगढ़	621	473	323	27559	6924	12924	95760	694894	17730
बस्ती	344	236	290	14552	12391	11600	53567	21951	100237
विन्ध्याचल	209	181	193	8086	7164	9711	384233	341748	70457
सहारनपुर	317	237	247	37516	28160	14517	24213485	24201390	48303
चित्रकूट	310	618	493	18785	25397	20327	18379	39767	12030
देवीपाटन	1151	1241	847	50085	50099	32312	216143	126664	63287
अलीगढ़	417	211	257	16152	8862	10498	489138	63400178	10352604
उत्तर प्रदेश	**15886**	**13043**	**11401**	**743447**	**616166**	**501931**	**40843167**	**294315645**	**323169607**

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका की तालिका-33: मण्डल में सहकारी बैंक और सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक से आगणित, अर्थ एवं सांख्यिकीय प्रभाग, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश
2. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता।

प्रदेश में मंडलवार प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों की प्रगति को सारणी–7 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में 15886 प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां थी, जो घटकर वर्ष 2023–24 में 11401 रह गई। यदि मंडलवार दुग्ध सहकारी समितियों की प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक समितियों वाला मंडल लखनऊ रहा है, जिसके पास प्रदेश की 13.97 प्रतिशत दुग्ध सहकारी समितियां हैं। इसके बाद क्रमशः अयोध्या में 12. 92, मेरठ में 10.21, बरेली में 9.68, मुरादाबाद में 8.98 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम समितियों वाले मंडल कानपुर और विन्ध्याचल हैं, जिनके पास प्रदेश के 0.96 और 1.69 प्रतिशत प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां हैं।

वर्ष 2014–15 में प्रदेश में प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्यता 7.43 लाख थी, जो घटकर वर्ष 2023–24 में 5.02 लाख रह गई। यदि मंडलवार सदस्यता को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक सदस्यता वाला मंडल लखनऊ रहा है, जिसके पास प्रदेश की 15.03 प्रतिशत सदस्यता है। इसके बाद क्रमशः अयोध्या में 13.59, मेरठ में 12.04, बरेली में 9.30, मुरादाबाद में 8.33 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम सदस्यता वाले मंडल कानपुर और झांसी हैं, जिनके पास प्रदेश के क्रमशः 0.96 और 1.93 प्रतिशत सदस्य हैं। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा किए गए वार्षिक विक्रय का मूल्य 408431.7 लाख रुपए था, जो 4.57 गुना बढ़कर वर्ष 2023–24 में 3231696.1 लाख रुपए हो गया। यदि मंडलवार वार्षिक विक्रय को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक विक्रय वाला मंडल कानपुर रहा है, जिसके पास प्रदेश के कुल विक्रय का 56.07 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः अयोध्या में 32.41, आगरा में 3.99, अलीगढ़ में 3.20, वाराणसी में 1.82 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम विक्रय वाले मंडल चित्रकूट और आजमगढ़ हैं, जिनके पास प्रदेश के वार्षिक विक्रय का क्रमशः 0.00 और 0.01 प्रतिशत है।

2.5. प्रदेश में प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की प्रगतिः उत्तर प्रदेश में मत्स्य सहकारी समितियों का तेजी से आधुनिकीकरण और विस्तार हो रहा है, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालकों के सामाजिक–आर्थिक स्तर को उन्नत करना है। राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएसएसवाई) और मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 'नील क्रांति' (ब्लू रिवोल्यूशन) को उन्नत करने हेतु समितियों को तकनीकी सहायता, 25 लाख तक की सब्सिडी और 3–स्तरीय संरचना के माध्यम से सुदृढ़ किया जा रहा है।

सारणी-8: उत्तर प्रदेश में मंडलवार मत्स्य सहकारी समितियों की प्रगति

विवरण	सहकारी समितियों की संख्या			समितियों की सदस्य संख्या			वार्षिक विक्रय का उत्पादन मूल्य (हजार रू.)		
मंडल	**2014-15**	**2019-20**	**2023-24**	**2014-15**	**2019-20**	**2023-24**	**2014-15**	**2019-20**	**2023-24**
आगरा	21	16	17	948	647	650	100300	166328	54306
प्रयागराज	78	79	82	4496	4478	4526	2868	8960	5186801
बरेली	19	25	22	881	944	692	2344	7263	175410
अयोध्या	86	89	84	3518	2946	3239	1680595	1833200	190101651
गोरखपुर	111	111	112	7390	29199	29113	63172	1141686	394899
झांसी	54	55	49	2731	2947	2536	2634	26816	2617621
कानपुर	17	20	24	436	750	899	251485	11843614	7482452
लखनऊ	134	136	152	4924	5099	5670	46593	147772	2250375
मेरठ	13	25	29	2298	2531	2661	1430900	1216698	2179597
मुरादाबाद	21	18	22	867	835	1033	2130	2368900	6529210
वाराणसी	60	64	62	5077	5350	5189	1735	19488	3221
आजमगढ़	46	50	54	3182	3219	3246	1298	7360	9138
बस्ती	60	69	69	3649	3392	3607	171815	117374	175025
विन्ध्याचल	35	35	31	16291	1772	1808	490	562986	917116
सहारनपुर	17	29	31	501	798	848	1806666	15267272	19565872
चित्रकूट	86	86	79	3735	3797	3516	11947	68000	412106
देवीपाटन	99	100	109	3766	8496	3396	752868	20231	626973
अलीगढ़	9	9	10	262	282	331	1020	1207	895
उत्तर प्रदेश	**966**	**1016**	**1038**	**64952**	**77482**	**72960**	**6330860**	**34825155**	**238682668**

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका की तालिका-33: मण्डल में सहकारी बैंक और सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक से आगणित, अर्थ एवं सांख्यिकीय प्रभाग, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश 2. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता।

राज्य में मत्स्य पालन के विकास के लिए त्रि–स्तरीय में 'प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समिति' प्रमुख हैं। प्रदेश सरकार निषादराज बोट सब्सिडी योजना के तहत मछुआरों को सब्सिडी और रियायती केसीसी ऋण प्रदान कर रही है। जबकि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रदेश भर में मत्स्यपालन के लिए 9 बड़ी और 48 मध्यम एवं छोटी हैचरी का निर्माण किया गया है। प्रदेश में समितियों के गठन के लिए न्यूनतम 27 सदस्य अनिवार्य हैं, जिसमें 6 महिलाओं का होना आवश्यक है, जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है। मत्स्य जीवी सहकारी समितियां न केवल उत्पादन बढ़ा रही हैं, बल्कि बिचौलियों को खत्म कर मछुआरों को सीधे लाभ पहुँचा रही हैं। इसके बावाजूद, पिछले एक दशक में प्रदेश में मत्स्य सहकारी समितियों की संख्या में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज नहीं हुई है। प्रदेश में मंडलवार प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की प्रगति को सारणी–8 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में 966 मत्स्य सहकारी समितियां थी, जो बढ़कर वर्ष 2023–24 में 1038 हो गई। यदि मंडलवार मत्स्य सहकारी समितियों

की प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक समितियों वाला मंडल लखनऊ रहा है, जिसके पास प्रदेश की 14.64 प्रतिशत प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियां हैं। इसके बाद क्रमशः गोरखपुर में 10.79, देवीपाटन में 10.50, अयोध्या में 8.09, प्रयागराज में 7.90 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम समितियों वाले मंडल अलीगढ़ और आगरा हैं, जिनके पास प्रदेश की 0.96 और 1.64 प्रतिशत मत्स्य सहकारी समितियां हैं।

वर्ष 2014–15 में प्रदेश में प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की सदस्यता 64952 थी, जो बढ़कर वर्ष 2023–24 में 72960 हो गई। यदि मंडलवार सदस्यता को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक सदस्यता वाला मंडल गोरखपुर रहा है, जिसके पास प्रदेश की 39.90 प्रतिशत सदस्यता है। इसके बाद क्रमशः लखनऊ में 7.77, वाराणसी में 7.11, प्रयागराज में 6.20, बस्ती में 4.94 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम सदस्यता वाले मंडल अलीगढ़ और आगरा हैं, जिनके पास प्रदेश के क्रमशः 0.45 और 0.89 प्रतिशत सदस्य हैं। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों द्वारा किए गए वार्षिक विक्रय का मूल्य 63308.6 लाख रुपए था, जो 37.70 गुना बढ़कर वर्ष 2023–24 में 2386826.7 लाख रुपए हो गया। यदि मंडलवार वार्षिक विक्रय को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक विक्रय वाला मंडल अयोध्या रहा है, जिसके पास प्रदेश के कुल वार्षिक विक्रय का 79.65 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः सहारनपुर में 8.20, कानपुर में 3.13, मुरादाबाद में 2.74, प्रयागराज में 2.17 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम विक्रय वाले मंडल अलीगढ़ और वाराणसी हैं।

2.6. प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों का प्रदर्शनः उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में जिला सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वाणिज्य, व्यापार एवं उद्योग धंधों में बेहतर विकास के बावजूद भी प्रदेश की सकल आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 25 प्रतिशत से अधिक है। रोजगार के अवसर सुलभ कराने की दृष्टि से भी कृषि सबसे व्यापक क्षेत्र बना हुआ है।

सारणी-9: उत्तर प्रदेश में मंडलवार जिला सहकारी बैंकों की प्रगति (ऋण करोड़ रू.)

विवरण	सहकारी बैंकों की संख्या			सदस्यों की संख्या			वितरित अल्प & मध्यकालीन ऋण		
मंडल	2014-15	2019-20	2023-24	2014-15	2019-20	2023-24	2014-15	2019-20	2023-24
आगरा	56	60	59	1104	1068	256603	110685	55797	40641
प्रयागराज	100	88	88	42329	1818	183486	11160	12237	7523
बरेली	85	82	82	1303	1837	361529	80645	83802	44526
अयोध्या	80	76	76	8826	4036	133254	13223	10239	11683
गोरखपुर	95	104	66	1273	2360	2143	2277	31343	134
झांसी	46	46	45	705	714	719	180166	24445	31389
कानपुर	76	109	111	200870	167479	145040	21505	44481	8790
लखनऊ	194	195	181	155272	156206	689785	102261	5542234	1827
मेरठ	118	117	115	1370	1466	1280	225351	731334	180807
मुरादाबाद	116	143	128	3409	362512	473362	81527	384469	61983
वाराणसी	74	51	64	2088	2984	36244	4262	2300	11796
आजमगढ़	60	54	55	134080	1690	1721	948	986	968
बस्ती	38	27	25	297792	114598	151003	0	9	12
विन्ध्याचल	33	31	32	74248	74825	52327	23017	25274	286
सहारनपुर	74	83	92	812	896	864	163416	433972	2002
चित्रकूट	47	47	47	607	18869	19642	26161	23862	36179
देवीपाटन	50	20	15	201060	912	366	183	30	8
अलीगढ़	50	50	56	77835	85188	41419	60209	83839	534
उत्तर प्रदेश	**1392**	**1383**	**1337**	**1204983**	**999458**	**2550787**	**1106997**	**7490653**	**441088**

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका की तालिका-34: मण्डल में सहकारी बैंक और सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक से आगणित, अर्थ एवं सांख्यिकीय प्रभाग, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, 2. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, 3. वरिष्ठ प्रबंधक, सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक, 4. प्रबंधक, अग्रणी बैंक।

ऐसे में प्रदेश के किसानों को कृषि उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन जैसे उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण, रसायन एवं कीटनाशक, कृषि यन्त्र आदि हेतु अल्पकालीन ऋण और कृषि पर आधारित उद्योग सेवा एवं व्यवसाय आदि प्रयोजनों के लिये मध्यकालीन ऋण सुलभ कराने में सहकारी बैंकों की भूमिका अग्रणी है। इन बैंकों द्वारा किसानों को उनकी उपज के वैज्ञानिक भण्डारण व विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ दैनिक उपयोग की आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति हेतु वित्तपोषण की व्यवस्था भी की जाती है। वर्ष 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जिन 16 जिला सहकारी बैंकों को चूककर्ता (डिफॉल्टर) घोषित किया था, उनमें से 15 लाभ की स्थिति

में आ गए हैं औए बचे हुए एक को भी मुनाफे में लाने की कोशिश जारी है। प्रदेश में मंडलवार जिला सहकारी बैंकों की प्रगति को सारणी–9 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में शाखाओं सहित 1392 जिला सहकारी बैंक थे, जो घटकर वर्ष 2023–24 में 1337 हो गए। यदि मंडलवार प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक जिला सहकारी बैंकों वाला मंडल लखनऊ रहा है, जिसके पास प्रदेश के 13.54 प्रतिशत जिला सहकारी बैंक हैं। इसके बाद क्रमशः मुरादाबाद में 9.57, मेरठ में 8.60, कानपुर में 8.30, सहारनपुर में 6.88 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम जिला सहकारी बैंकों वाले मंडल देवीपाटन और बस्ती हैं, जिनके पास प्रदेश के 1.12 और 1.87 प्रतिशत जिला सहकारी बैंक हैं।

वर्ष 2014–15 में प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों की सदस्यता 12.05 लाख थी, जो 2.12 गुना बढ़कर वर्ष 2023–24 में 25.51 लाख हो गई। यदि मंडलवार सदस्यता को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक सदस्यता वाला मंडल लखनऊ रहा है, जिसके पास प्रदेश की 27.04 प्रतिशत सदस्यता है। इसके बाद क्रमशः मुरादाबाद में 18.56, बरेली में 14.17, आगरा में 10.06, प्रयागराज में 7.19 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम सदस्यता वाले मंडल देवीपाटन और झांसी हैं, जिनके पास प्रदेश के क्रमशः 0.01 और 0.03 प्रतिशत सदस्य हैं। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों द्वारा वितरित अल्प और मध्यकालीन ऋण 1106997 करोड़ रुपए था, जो घटकर वर्ष 2023–24 में 441088 करोड़ रुपए रह गया। यदि मंडलवार वितरित ऋण को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक वितरण वाला मंडल मेरठ रहा है, जिसके पास प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों के कुल वितरित ऋण का 40.99 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः मुरादाबाद में 14.05, बरेली में 10.09, आगरा में 9.21, चित्रकूट में 8.20 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम वितरण वाले मंडल देवीपाटन और बस्ती हैं।

2.7. प्रदेश में सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों का प्रदर्शनः उत्तर प्रदेश में सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (यूपीएसजीवीबी) अपनी 323 शाखाओं के माध्यम से 13 लाख से अधिक सदस्यों, जिनमें 94 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसान हैं, को दीर्घकालिक ऋण प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं।

सारणी-10: उत्तर प्रदेश में मंडलवार सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों की प्रगति

विवरण	सहकारी बैंकों की शाखाएं			सदस्यों की संख्या			वितरित ऋण (लाख रू.)		
मंडल	2014-15	2019-20	2023-24	2014-15	2019-20	2023-24	2014-15	2019-20	2023-24
आगरा	26	26	26	148709	141556	129303	442079	10973428	86684
प्रयागराज	18	18	18	75806	61154	68526	225821	12393	78358
बरेली	35	35	35	202269	148643	164478	2848999	45794	87705794
अयोध्या	16	16	16	68429	62289	64080	172808	15904	64353
गोरखपुर	14	14	14	56350	68023	65436	201863	166964	4768
झांसी	11	11	11	39755	35508	37094	77008	9011	22545
कानपुर	21	21	21	97811	82930	80243	203798	387561	24670
लखनऊ	41	41	41	131751	139719	147248	606490	8378512	3660
मेरठ	19	20	20	67024	197003	60456	1149652	4162670	116888
मुरादाबाद	26	26	26	108705	99275	85279	673173	407602	124006
वाराणसी	13	13	13	58316	55004	60566	101361	8045	49563
आजमगढ़	14	14	14	68033	60743	62275	91467	1478	50628
बस्ती	6	6	6	36678	16328	10454	100579	32559	942
विन्ध्याचल	6	6	6	35274	23579	32121	79446	3717	670
सहारनपुर	13	13	13	43952	27759	19475	552992	2758568	3160
चित्रकूट	9	9	9	26094	23843	23668	64340	2978	32730
देवीपाटन	13	13	13	85639	79313	86008	171605	61364	98263
अलीगढ़	21	21	21	168162	112316	112563	1502069	341138	2246
उत्तर प्रदेश	**322**	**323**	**323**	**1518757**	**1434985**	**1309273**	**9265550**	**27769686**	**88469928**

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका की तालिका-34: मण्डल में सहकारी बैंक और सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक से आगणित, अर्थ एवं सांख्यिकीय प्रभाग, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, 2. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, 3. वरिष्ठ प्रबंधक, सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक, 4. प्रबंधक, अग्रणी बैंक।

बैंक मुख्य रूप से लघु सिंचाई, कृषि मशीनीकरण, बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री और ग्रामीण आवास जैसी गतिविधियों के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराते हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी निर्माण व आधुनिकीकरण के माध्यम से कृषि उपज बढ़ाना है। प्रदेश में मंडलवार सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों की प्रगति को सारणी–10 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15

में प्रदेश में 322 शाखाओं सहित सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक थे, जो बढ़कर वर्ष 2023–24 में 323 हो गए। यदि मंडलवार प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों वाला मंडल लखनऊ रहा है, जिसके पास प्रदेश के 12.69 प्रतिशत सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक हैं। इसके बाद क्रमशः बरेली में 10.84, आगरा में 8.05, मुरादाबाद में 8.05, कानपुर में 6.50 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों वाले मंडल विन्ध्याचल और बस्ती हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास प्रदेश के 1.86 प्रतिशत सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक हैं।

वर्ष 2014–15 में प्रदेश में सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों की सदस्यता 15.19 लाख थी, जो घटकर वर्ष 2023–24 में 13.09 लाख हो गई। यदि मंडलवार सदस्यता को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक सदस्यता वाला मंडल बरेली रहा है, जिसके पास प्रदेश के सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों की 12.56 प्रतिशत सदस्यता है। इसके बाद क्रमशः लखनऊ में 11.25, आगरा में 9.88, अलीगढ़ में 8.60, देवीपाटन में 6.57 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम सदस्यता वाले मंडल बस्ती और सहारनपुर हैं, जिनके पास प्रदेश के क्रमशः 0.80 और 1.49 प्रतिशत सदस्य हैं। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों द्वारा वितरित ऋण 92655.5 करोड़ रुपए था, जो 9.55 गुना बढ़कर वर्ष 2023–24 में 884699 करोड़ रुपए हो गया।

3. परिणाम एवं परिचर्चाः उत्तर प्रदेश सरकार सहकारी समितियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में विकसित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य अब उन्हें सिर्फ ऋण वितरण तक सीमित न रखकर उन्हें व्यवसाय केंद्र बनाना है, जिससे कृषि उपज की खरीद–बिक्री और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा मिल सके। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से 'स्वयं शक्ति' और 'नंदिनी सहकार' जैसी योजनाओं के तहत महिला–नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राज्य में ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए त्रिस्तरीय सहकारी साख ढांचा सक्रिय है और प्रदेश में सहकारी समितियों ने वर्ष 2017 के बाद से महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें पैक्स (पीएसीएस) का कम्प्यूटरीकरण, ऋण सीमा में वृद्धि और उर्वरक वितरण में सुधार प्रमुख हैं। नेशनल को–ऑपरेटिव डेटाबेस का उपयोग, ई–पीएसीएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कामकाज का कम्प्यूटरीकरण और 'सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क' के जरिए पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समितियां राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। 2017 से इनमें महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जैसे टर्नओवर में वृद्धि, उर्वरक वितरण का सुदृढ़ीकरण, और कंप्यूटरीकरण, जिससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ी है। ये किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए गेहूं और धान की खरीद करती हैं। इसलिए, इनके माध्यम से भंडारण क्षमता का विस्तार किया जा सकता है। इन्हें केवल ऋण ही नहीं, बल्कि उर्वरक, बीज, कीटनाशक वितरण और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से आय बढ़ाने के लिए 'बहुउद्देशीय' बनाया जाना चाहिए ताकि 'सहकार से समृद्धि' के तहत ग्रामीण स्तर पर सहकारी समितियों को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाया जा सके।

उत्तर प्रदेश में क्रय–विक्रय सहकारी समितियां किसानों को बिचौलियों से बचाकर उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और उर्वरक/बीज वितरण में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही हैं। इन्हें 'सहकार से समृद्धि' के तहत गेहूं–धान की सरकारी खरीद, डिजिटल कंप्यूटरीकरण और भण्डारण क्षमता बढ़ाकर विस्तारित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों का गठन और सुदृढ़ीकरण, मछुआरा समुदाय के सामाजिक–आर्थिक उत्थान और राज्य में नीली क्रांति को बढ़ावा देता है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सहायता को सुगम बनाया जाना चाहिए और सब्सिडी व तकनीकी सहायता प्रदान कर सामूहिक विकास के लिए मछली बीज उत्पादन और विपणन में मदद की जा सकती है। इसलिए इनको सक्रिय करने के लिए विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाना चाहिए। इन समितियों में महिलाओं और एससी/एसटी सदस्यों को शामिल करने पर विशेष जोर दिया जा सकता है। समितियों को ऑनलाइन पंजीकरण और पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि इन्हें सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इन कदमों से राज्य में मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढाए जा सकते हैं और मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल दूध उत्पादन में लगभग 14.9 प्रतिशत योगदान देता है और इसको कायम रखने के लिए प्रदेश में प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और विस्तार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैं। हालांकि, सहकारी दुग्ध समितियों को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए 'श्वेत क्रांति 2.0' के तहत 6,600 नई डेयरी समितियां स्थापित की जा रही हैं। वहीं मत्स्य पालन और हथकरघा क्षेत्रों में भी समितियों का चयन कर पुनर्गठन किया जा रहा है। परिणामस्वरूप पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, दुग्ध उत्पादन एक प्राथमिक सहायक व्यवसाय बन गया है, और औसत दूध उत्पादन में सुधार हो रहा है,

हालांकि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमियां मौजूद हैं। सहकारी समितियों से संबद्ध किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकियों और उचित कीमतों से सीधे जोड़ना आवश्यक है, साथ ही ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए नई प्राथमिक दुग्ध समितियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सेवाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में जिला सहकारी बैंक 'वन डिस्ट्रिक्ट–वन कोऑपरेटिव बैंक' के तहत तेजी से डिजिटल और लाभांश–आधारित हो रहे हैं और ग्रामीण वित्तीय समावेशन को निरंतर मजबूत कर रहे हैं। इनके वित्तीय सुदृढ़ीकरण के तहत फैजाबाद, श्रावस्ती, इलाहाबाद, सीतापुर और गोरखपुर जैसे क्षेत्रों के 16 संघर्षरत बैंकों में नई पूंजी डालकर उन्हें सक्रिय किया गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (यूपीसीबी) के नेतृत्व में 1300 से अधिक शाखाओं के साथ सहकारी बैंकिंग का एक मजबूत नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहा है। वर्ष 2024–25 में 50 जिला सहकारी बैंकों ने 162 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ कमाया है। परिणामस्वरूप सहकारी बैंक अब आत्मनिर्भरता और 2047 के विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं।

4. निष्कर्ष एवं सुझावः उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र "सहकार से समृद्धि" के मंत्र के साथ तेजी से प्रगति कर रहा है, जिसमें डिजिटल बैंकिंग और किसान–केंद्रित ऋण सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के तहत 7 चीनी मिलों को ऋण, पीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण और उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की 323 शाखाओं के माध्यम से 94 प्रतिशत लघु–सीमांत किसानों को दीर्घकालिक कृषि ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक अब यूपीआई, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और पीओएस जैसी आधुनिक डिजिटल सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए पैक्स (पीएसीएस) का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और ऑनलाइन सेवाओं में सुधार हो रहा है। सहकारी समितियां अब केवल उर्वरक और बीज वितरण तक सीमित न रहकर भंडारण, गोदाम भंडारण क्षमता, एलपीजी वितरण और सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से काम कर रही हैं। 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' के तहत सहकारी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। इन सुधारों के कारण सहकारी क्षेत्र के लाभ में पांच गुना वृद्धि हुई है।

हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद प्रदेश में सहकारिता का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। सहकारिता का उद्देश्य कृषकों, ग्रामीण कारीगरों, भूमिहीन मजदूरों, कमजोर वर्गों, न्यून आय वाले व्यक्तियों और बेरोजगार आदि को पर्याप्त साधन और उपयुक्त प्रौधोगिकी प्रदान कर एक अच्छा उत्पादक बनाना है। यद्यपि ग्रामीण विकास का लक्ष्य न केवल उत्पादक बढ़ाना है अपितु सभी वर्गों को पूर्ण रोजगार और उनमें विकास प्रक्रिया का न्यायसंगत आबंटन करना है। उत्तर प्रदेश जैसे विकासशील राज्य में जहां मानव शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रोत है और जिसका एक बड़ा हिस्सा समाज का कमजोर वर्ग है। ऐसे में प्रदेश के आर्थिक विकास की सार्थक प्रक्रिया के लिए सहकारिता का व्यापक विकास और विस्तार अपरिहार्य हो जाता है।

फिलहाल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनेकों सहकारी संस्थाएँ कार्य कर रही हैं; परन्तु इनके बारे में आमजन को अधिक जानकारी नहीं है या इन संस्थाओं से उसके द्वारा कार्य कराना उसके वश की बात नहीं है। परिणामस्वरूप, इन संस्थाओं का अधिकाधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र के कुछ सम्पन्न वर्ग के व्यक्तियों को मिला है, जिसके चलते सामान्य ग्रामीण व्यक्तियों की इन संस्थाओं के कार्यों में बहुत रूचि नहीं है। यही स्थिति कमोबेश शहरी क्षेत्रों की सहकारी समितियों के संबंध में भी देखने को मिलती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जन–कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर यह विचार किया जाए कि प्रदेश में इतनी बड़ी मशीनरी, संस्थागत प्रयासों और करोड़ों रूपए के प्रावधान के बावजूद सहकारिता का कार्यक्रम सामान्य ग्रामीणों के लिए लाभप्रद क्यों नहीं हो सका? युवा पीढ़ी क्यों सहकारिता के नाम से आक्रोशित हो जाती है? इसका उत्तर शायद यही है कि प्रदेश के सहकारिता विभाग ने सहकारिता की मूल भावना को ध्यान में रखकर कार्य नहीं किया है और जो कार्य किया है, वह इतना नगण्य है कि सामान्य प्रदेशवासियों का विश्वास अर्जित करने में सक्षम नहीं है। जबकि सहकारिता और उसके उद्देश्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो ढाँचा एवं क्षेत्र है; वह सम्पूर्ण और समावेशी विकास की दृष्टि में सिर्फ सहकारिता का ही कार्यक्षेत्र हो सकता है।

चूंकि उत्तर प्रदेश की अधिकांश आर्थिक व्यवस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास पर आधारित है। इसलिए जरूरी है कि ग्रामीण विकास के लिए सहकारी संस्थाओं और उनके कार्यक्षेत्र को बहुआयामी बनाया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि सहकारी संस्थाओं को ग्राम विकास योजना निर्माण एवं उसके कार्यन्वयन का एक अभिन्न अंग माना जाए। सहकारी संस्थाओं का ग्राम पंचायत और अन्य स्थानीय विकास अभिकरणों से पूर्ण समन्वय स्थापित किया जाए। ग्रामीण विकास की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व सहकारी समितियों को दिया जाए। ग्राम विकास योजना के लिए भी आर्थिक स्रोत के रूप में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को प्रमुख स्थान दिया जाए। सहकारी संस्थाएं गांवों में स्थित विकास प्रक्रिया के सभी प्रकार के अभिकरणों में समन्वय स्थापित करने का उत्तरदायित्व संभालें ताकि

आर्थिक विकास के साथ गांवों का सामाजिक–सांस्कृतिक विकास भी सुदृढ़ हो सके। ऐसे प्रयासों के परिणामस्वरूप सहकारिता प्रदेश के आर्थिक और ग्रामीण विकास में सार्थक भूमिका निर्वहन कर सकती है।

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में सहकारिता की प्रगति बहुत धीमी है। इसलिए, उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के उपाय किए जाए। 'सहकार से समृद्धि' के तहत प्राथमिक समितियों को सशक्त बनाने और युवाओं को जोड़कर नए क्षेत्रों में विस्तार की आवश्यकता है। प्रदेश में सहकारिता की संरचनात्मक मजबूती के लिए 'एक जिला एक सहकारी बैंक' के मॉडल को अपनाया जाए ताकि जिला सहकारी बैंक और समितियां अधिक प्रभावी और आत्मनिर्भर बन सकें। सहकारी समितियों के संचालन में पेशेवर लोगों को शामिल किया जाए और सदस्यों को वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाए। कृषि क्षेत्र के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, विनिर्माण जैसे नए क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं का विस्तार किया जाए और वस्तु सहकारी समितियां गठित की जाएं। किसानों को रियायती ब्याज दर पर साख की उपलब्धता सुनिश्चित कर उर्वरक, बीज के साथ कृषि उत्पादों के विपणन की बेहतर व्यवस्था की जाए। युवा पीढ़ी को सहकारी क्षेत्र में शामिल करने के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जाएं। सरकारी हस्तक्षेप कम कर स्व–नियमन को प्रोत्साहित किया जाए और समय–समय पर प्रभावी मॉनिटरिंग और ऑडिट सुनिश्चित की जाए। हर ग्राम पंचायत में आवश्यकतानुसार नई डेयरी, मत्स्य, या बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का पंजीकरण करवाया जाए। इन उपायों से प्रदेश के सहकारी क्षेत्र की साख, उत्पादकता और सदस्यों की आय में वृद्धि होगी, जिससे 2047 तक 'विकसित उत्तर प्रदेश' के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

स्रोत एवं संदर्भः

1. सिंह, अजीत कुमार (2009)। उत्तर प्रदेश इकॉनमीः पोटेंशियल, कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेज। गिरि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, अलीगंज, लखनऊ, फरवरी 2009, पृष्ठ 1–52।
2. यादव, सुबह सिंह (2010)। सहकारिता विकास में राज्य सहकारी तथा जिला सहकारी बैंकों की भूमिका। बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन, वर्ष–23, अंक–1, अक्टूबर–दिसंबर, 2010, पृष्ठ–56, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई।
3. पांडे, ए एवं राकेश रमन (2012)। फाइनेंशियल इंक्लूजन इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। प्रज्ञानः जर्नल ऑफ़ सोशल एंड मैनेजमेंट साइंसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक मैनेजमेंट, वॉल्यूम –41, नंबर–2, पृष्ठ 125–146।
4. मिश्र, अरविंद नारायण एवं अतुल चन्द्रा (2017)। इकॉनमी ऑफ उत्तर प्रदेश। गुटेनबर्ग बुक्स प्रकाशक, अंग्रेजी संस्करण, 2017, पृष्ठ 01–169 ।
5. मिश्र, अरविन्द नारायण एवं वेदपाल सिंह सरोहा (2019)। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। गुटेनबर्ग बुक्स प्रकाशक, हिंदी संस्करण, अक्टूबर 2019, पृष्ठ 1–259, आईएसबीएन–13ः 978–9386240569
6. पटेल, डॉ. नीलम, डॉ. तनु सेठी (2023)। सहकारिता में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी। कुरुक्षेत्र, वर्ष–69, अंक–3, पृष्ठ–17, जनवरी 2023, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
7. मधुसूदन, गजेन्द्र सिंह (2023)। सहकारिता से ग्रामीण समृद्धि। कुरुक्षेत्र, वर्ष–69, अंक–3, पृष्ठ–44, जनवरी 2023, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
8. शाह, अमित (2023)। सहकार से समृद्धि : योजना से उपलब्धि तक। योजना, वर्ष–67, अंक–7, पृष्ठ–5, जुलाई 2023, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
9. शाह, डॉ. मीनेश सी. (2025)। श्वेतक्रांति 2.0ः डेयरी क्षेत्र का सतत विकास मॉडल। कुरुक्षेत्र, वर्ष–71, अंक–9, पृष्ठ–45, जुलाई 2025, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
10. त्रिपाठी, डॉ. के. के (2025)। एक स्वर, एक लक्ष्य : सहकार से समृद्धि। कुरुक्षेत्र, वर्ष–71, अंक–9, पृष्ठ–11, जुलाई 2025, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
11. नीति आयोग (2025)। उत्तर प्रदेश राज्य का मैक्रो और वित्तीय परिदृश्य। एनसीएईआर–नीति स्टेट्स इकॉनमिक फोरम, स्टेट रिपोर्ट, मार्च, 2025, पृष्ठ 1–119।
12. उत्तर प्रदेश सरकार (2024)। सांख्यिकीय पत्रिका। https://updes.up.nic.in/spiderreportsmandal/initialiseMandalReport.action
13. उत्तर प्रदेश सरकार (2024)। सांख्यिकीय पत्रिका। https://updes.up.nic.in/spideradmin/Hpage1.jsp
14. भारत सरकार (2025)। उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियां, पत्र सूचना कार्यालय, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201697&reg=3&lang=2
15. भारत सरकार (2025)। कार्यशील सहकारी समितियां, पत्र सूचना कार्यालय, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2153402&reg=3&lang=2
16. उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक (यूपीसीबी)। https://www.upcbl.in/purpose.html

आलेख उद्धरित करें:	मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह एवं सिंह, डॉ. अमित कुमार (2026)। उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के प्रदर्शन का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ एकेडमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–1, जनवरी–मार्च, 2026, पृष्ठ 67–81। https://doi.org/10.5281/zenodo.21625748

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत में शहरी सहकारी बैंकों के प्रदर्शन का अध्ययन

राम लखन, रवि मिश्रा, प्रतीक कुमार

शोधार्थी (अर्थशास्त्र), गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** potteras9125@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21626243

सारांश

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) मुख्यतया प्राथमिक सहकारी बैंकिंग संस्थाओं के रूप में शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। वर्ष 1996 तक उन्हें केवल गैर कृषि क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने की अनुमति थी, जो शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में चिन्हित समुदायों के विकास एवं बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु विकसित थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये बैंक जहाँ किसी विशेष समुदाय या व्यवसाय से जुड़े समूहों के विकास हेतु सक्रिय हैं, वहीं विश्वस्तरीय बैंकिंग के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के अथक प्रयास भी कर रहे हैं। अब ये केवल लघु व्यवसाय क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा प्रदान नहीं करते, अपितु विशेष तकनीकी सुविधाओं द्वारा सभी वर्ग के ग्राहको को बैंकिग सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। परिणामस्वरूप इनका कार्यक्षेत्र बढ़ा है, लेकिन समय के साथ इनकी संख्या में कमी परिलक्षित हुई है। पूँजी की अपर्याप्तता, शासन–संबंधी कमजोरियाँ और तकनीकी विषमता जैसी बाधाएँ इनकी स्थिरता पर प्रभाव डालती हैं, परंतु डिजिटल बैंकिंग का प्रसार, सदस्यता आधार में विविधता और नियामकीय समर्थन यूसीबी को भविष्य के लिए अधिक सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करता है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन पिछले एक दशक में भारत के शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय गति, संरचनात्मक परिवर्तनों और उभरते अवसरों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में भारत के शहरी सहकारी बैंकों के वर्ष 2015 से 2025 तक के प्रदर्शन का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 24 जनवरी, 2026 **स्वीकृत:** 27 फरवरी, 2026 **प्रकाशित:** 31 मार्च, 2026

सारणी: 01 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 29

मुख्य शब्द: सहकारिता, यूसीबी, एनपीए, बैंकिंग, सहकारी संस्थाएं, जोखिम, शहरी बैंक।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि: शहरी सहकारी बैंकों का इतिहास 19वीं सदी के अंत से प्रारंभ होता है, जब भारत में ब्रिटेन एवं जर्मनी में सहकारी आंदोलनों से प्रभावित होकर कुछ समुदायों ने एकत्रित होकर प्राथमिक समितियों का गठन किया सहकारिता का सिद्धान्त मूलतः आपसी सहयोग, जनतांत्रिक विधि व्यवस्था एवं निर्णयात्मक कार्य प्रणाली के साथ–साथ समभाव सहित खुले रूप से प्रतिनिधित्व एवं योगदान देने की स्वतंत्रता पर आधारित है। सभी सहकारी संस्थाओं का निर्माण इन्हीं सिद्धान्तों के अनुरूप होता है। प्राथमिक सहकारी समितियां विभिन्न प्रोप्राइटरी फर्मों, पार्टनरशिप फर्मों एवं मिश्रित पूंजी कम्पनियों से भिन्न हैं, क्योंकि सहकारिता का संगठनात्मक ढांचा सामूहिक सहभागिता एवं सामूहिक विकास के सिद्धान्तों पर निर्भर करता है। भारत में प्रथम सहकारी समिति, जो पारस्परिक सहायता प्रदान करने के लिए गठित हुई थी, "अन्योन्या सहकारी मंडल" के नाम से प्रचलित हुई। इसका गठन बड़ौदा राज्य में 1889 में विठ्ठल लक्ष्मण के नेतृत्व में हुआ था। शहरी सहकारी साख समितियां शहरों में छोटे–छोटे समुदायों के रूप में विकसित हुई, जिनका उद्देश्य मुख्यतया लघु बचत राशियों को एकत्रित कर उपभोक्ता ऋण प्रदान करना था। ये धीरे–धीरे मध्य आय वाले वर्गों से बढकर अल्प आय वाले समुदायों में बचत करने हेतु प्रोत्साहित करने के अलावा सामूहिक रूप से उद्योग गठित करने में सहभागी बनी। ये शहरी सहकारी समितियाँ आज शहरी सहकारी बैंकों के रूप में उभर कर आयी हैं और शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा प्रतिस्थापित अल्प एवं मध्य आय वाले समुदायों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। आज शहरी सहकारी बैंकों का पंजीकरण सहकारी समिति एक्ट के अन्तर्गत होता है जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 एवं बैंकिंग (सहकारी समिति) अधिनियम 1965 द्वारा परिचालित होते हैं। शहरी क्षेत्रों में ये बैंक स्वनियोजन, लघु उद्योगों, गृह–निर्माण एवं उपभोग हेतु वैयक्तिक ऋण प्रदान करते हैं।

2. साहित्य की समीक्षा: भारत में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर उपलब्ध साहित्य पिछले पाँच दशकों में निरंतर विकसित हुआ है, जिसमें शोधकर्ताओं ने इनके ऐतिहासिक विकास, वित्तीय प्रदर्शन, संगठनात्मक संरचना, नियामक ढांचा, चुनौतियां और सुधारों को विभिन्न दृष्टिकोणों से व्याख्यायित किया है। यूसीबी पर साहित्य का एक बड़ा हिस्सा यह दर्शाता है कि सहकारी बैंकिंग मॉडल भारतीय शहरी अर्थव्यवस्था में उन वर्गों को वित्तीय पहुँच देता है जिन्हें मुख्यधारा की बैंकिंग अक्सर अपर्याप्त रूप से सेवा प्रदान करती है। किंतु समय के साथ अनेक शोध यह भी उजागर करते हैं कि इस सेक्टर में संरचनात्मक कमियाँ, प्रशासनिक अक्षमताएँ और नियामक जटिलताएँ निरंतर बनी हुई हैं। भारतीय सहकारी बैंकिंग के प्रारंभिक साहित्य में यूसीबी को मुख्यतः "समुदाय–आधारित वित्तीय संस्थान" की संकल्पना के अंतर्गत देखा गया है। प्रारंभिक शोध यह बताते हैं कि सहकारिता सिद्धांतों पर आधारित ये बैंक व्यक्तिगत लाभ के बजाय सामुदायिक आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित थे। परन्तु 1990 के बाद के आर्थिक उदारीकरण ने यूसीबी के लिए प्रतिस्पर्धा की नई परिस्थितियाँ पैदा कीं, जिन पर साहित्य में काफी चर्चा मिलती है। कई अध्ययनों का मत है कि उदारीकृत वित्तीय बाजार के दौर में यूसीबी के पास न तो पर्याप्त पूँजी थी और न ही आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का ढाँचा, जिसके कारण धीरे–धीरे उनका बाज़ार हिस्सा कम होने लगा।

वित्तीय प्रदर्शन पर साहित्य दर्शाता है कि यूसीबी की वित्तीय स्थिति समय के साथ असंगत रही है। कई विद्वानों ने जमा, ऋण वितरण, शुद्ध लाभ और एनपीए जैसे प्रमुख संकेतकों का विश्लेषण किया है। कुमार और भट्ट (2025) के अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ है कि यूसीबी का प्रदर्शन अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में काफी भिन्न रहा है। शोध में पाया गया कि पूँजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंधन क्षमता और प्रशासनिक दक्षता जैसे कारकों का सीधा संबंध इनके वित्तीय परिणाम से है। अध्ययन का एक निष्कर्ष यह है कि छोटे और मध्यम आकार के सहकारी बैंकों को बाजार में बढ़ते प्रतिस्पर्धी दबाव के अनुरूप अपनी रणनीतियों में परिवर्तन करना आवश्यक है। शासन प्रथाएं और नैतिकता पर साहित्य का विस्तार भी काफी गहरा है। चतुर्वेदी और पुराणिक (2024) ने अपने अध्ययन में यूसीबी में नैतिक बैंकिंग आचरण, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी संबंधी मुद्दों की पड़ताल की है। उनका मत है कि यूसीबी का सामाजिक उद्देश्य उन्हें नैतिक आचरण का उदाहरण बनाना चाहिए, परन्तु व्यवहार में शासन की कमियों के कारण कई यूसीबी गंभीर परिचालन जोखिम का सामना करती हैं। अध्ययन में यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि धोखाधड़ी रोकथाम तंत्र अपर्याप्त हैं और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तंत्र की आवश्यकता है।

कुछ साहित्य इस बात पर केंद्रित है कि नियमन और पर्यवेक्षण यूसीबी के भविष्य निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐतिहासिक शोध से पता चलता है कि यूसीबी सेक्टर लंबे समय तक "दोहरा विनियमन" के तहत संचालित हुआ, जहाँ एक ओर आरबीआई पर्यवेक्षी शक्ति रखता था और दूसरी ओर राज्य सहकारिता विभाग प्रशासनिक अधिकार रखते थे। अनेक विद्वानों का मत है कि यह दोहरा ढाँचा जवाबदेही के स्पष्ट निर्धारण को बाधित करता रहा। इसके कारण न केवल पर्यवेक्षी अंतराल बने रहे, बल्कि शासन की विफलताएँ भी समय–समय पर सामने आईं। प्रसिद्ध समिति रिपोर्टें जैसे व्यास समिति, माधव राव समिति, आर. गांधी समिति आदि ने इस मुद्दे की ओर संकेत किया है, जिन्हें विभिन्न शोधों में उद्धृत किया गया है।

साहित्य यह भी बताता है कि 2010 के बाद आरबीआई ने यूसीबी के लिए निगरानी प्रणाली को अधिक तर्कसंगत और कठोर बनाया। स्तर–आधारित नियामक ढांचा, पूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम आधारित पर्यवेक्षण जैसे सुधारों ने इस क्षेत्र को अधिक उत्तरदायी बनाया है। यूसीबी पर नवीनतम साहित्य यह मानता है कि ये सुधार परिवर्तनकारी क्षमता रखते हैं, परंतु उनका वास्तविक प्रभाव यूसीबी के आंतरिक प्रबंधन और संसाधनों की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। गोपाकुमारन नायर और सह–लेखकों (2025) ने अनुपालन जागरूकता और कर्मचारी–स्तर की जवाबदेही पर एक विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है। अध्ययन बताता है कि अधिकांश यूसीबी में नियमों का औपचारिक अनुपालन तो होता है, परंतु कर्मचारियों की भूमिका अक्सर "प्रक्रियात्मक अनुपालन" तक सीमित रहती है। अनुपालन को यदि एक नैतिक और संगठनात्मक मूल्य के रूप में नहीं अपनाया जाता, तो शासन सुधार स्थायी नहीं हो सकते। इस प्रकार के अध्ययनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि नियम तभी प्रभावी बनते हैं जब संस्थान उन्हें केवल कानून के भय से नहीं, बल्कि आंतरिक प्रतिबद्धता के साथ अपनाते हैं।

साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तकनीकी अपनाना और डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित है। कई सामयिकी रिपोर्टों और शोध पत्रों में यह रेखांकित है कि यूसीबी की तकनीकी तत्परता काफी कम रही है। डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा और फिनटेक प्रतिस्पर्धा जैसे क्षेत्रों में यूसीबी पिछड़ती दिखाई देती हैं। शोध यह भी बताता है कि तकनीक में निवेश की कमी, कुशल एचआर की अनुपलब्धता तथा बढ़ते साइबर खतरे इस सेक्टर के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। इन शोधों का निष्कर्ष है कि यूसीबी यदि डिजिटल बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में टिके रहना चाहती हैं, तो उन्हें मजबूत आईटी ढांचा विकसित करना होगा। कई अध्ययनों का तर्क है कि वाणिज्यिक बैंक की तुलना में यूसीबी स्थानीय अर्थव्यवस्था से अधिक जुड़ी होती हैं, जिसके कारण क्रेडिट वितरण में उनका योगदान विशेष रूप से मूल्यवान

है। इसी आधार पर कई विद्वान यह मानते हैं कि यूसीबी का भविष्य उनके समुदाय आधारित मॉडल को मजबूत करने पर निर्भर है।

नए साहित्य में यूसीबी के संरचनात्मक कमजोरियों पर काफी ध्यान दिया गया है। कई शोधों में यह पाया गया है कि छोटे आकार, सीमित पूँजी, उच्च एनपीए अनुपात और जोखिम विविधीकरण की कमी जैसे कारक यूसीबी के लिए दीर्घकालिक वहनीयता खतरे में डालते हैं। कई केस स्टडी जैसे पीएमसी बैंक संकट, रुपी बैंक का पतन आदि शोधकर्ताओं द्वारा शासन से संबंधित विफलताओं के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इसके आधार पर साहित्य यह संकेत देता है कि यदि पर्यवेक्षण और आंतरिक नियंत्रण मजबूत नहीं होंगे, तो यूसीबी की विश्वसनीयता पर पुनः संकट आ सकता है। कई साहित्य यह भी बताते हैं कि यूसीबी में विलय और पुनर्गठन एक व्यावहारिक समाधान के रूप में उभर कर सामने आए हैं। आरबीआई द्वारा कई कमजोर यूसीबी के विलय को मंजूरी देना या पर्यवेक्षी कार्रवाई लेना यह दर्शाता है कि सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए समेकन की आवश्यकता है। कई विद्वानों ने इस कदम को आवश्यक माना है, जबकि कुछ शोध यह भी चेतावनी देते हैं कि समेकन केवल संरचनात्मक सुधारों की कमी छिपाने का साधन नहीं होना चाहिए।

अंततः साहित्य का समग्र संदेश यह है कि शहरी सहकारी बैंक न तो पूरी तरह कमजोर संस्थान हैं और न ही अप्रासंगिक, बल्कि वे ऐसे संगठन हैं जो अपने समुदायों में अद्वितीय भूमिका निभाते हैं, परंतु उनकी क्षमता तभी उभर सकती है जब शासन, पूंजीगत मजबूती, डिजिटल तत्परता और पर्यवेक्षी ढाँचे को अधिक सुदृढ़ किया जाए। विभिन्न शोध यह भी सुझाव देते हैं कि यूसीबी को भविष्य के बैंकिंग परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक पेशेवर प्रबंधन, जोखिम–आधारित सोच और ग्राहक–केंद्रित नवाचार अपनाने होंगे। इस प्रकार, उपलब्ध साहित्य स्पष्ट करता है कि यूसीबी पर शोध केवल उनकी समस्याओं पर केंद्रित नहीं है, बल्कि यह उनके संभावित विकास मार्ग, सुधारों की दिशा और भविष्य की बैंकिंग प्रणाली में उनकी प्रासंगिकता पर भी गहन चर्चा करता है। यह साहित्य समीक्षा इस बात का आधार तैयार करती है कि आगामी शोध में किन अंतराल को भरने की आवश्यकता है और कौन–से प्रश्न अभी भी व्यापक अध्ययन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

3. अनुसंधान पद्धतिः वर्तमान अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित एक वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध है, जिसका मुख्य उद्देश्य 2015 से 2025 के दशक में भारत के शहरी सहकारी बैंकों के विकास, प्रदर्शन, संरचनात्मक परिवर्तनों और चुनौतियों का व्यवस्थित आकलन करना है। यूसीबी से संबंधित आँकड़े मुख्यतः सरकारी एवं नियामक निकायों द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं, इसलिए इस विषय के लिए द्वितीयक डेटा सर्वाधिक उपयुक्त, विश्वसनीय और तुलनीय स्रोत प्रदान करता है।

अध्ययन में प्रयुक्त आंकड़े अधिकृत और प्रामाणिक स्रोतों से संकलित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, आरबीआई की भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति, बुनियादी सांख्यिकीय रिटर्न, यूसीबी सांख्यिकीय सारणियां, नियामकीय सर्कुलर और पर्यवेक्षण रिपोर्टें, शहरी सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय संघ (एनएएफसीयूबी) की वार्षिक रिपोर्टें, भारत सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय विवरण, यूसीबी पर आधारित समीक्षित शोध–पत्र, कार्यपत्र, नीति दस्तावेज़ और मान्यता प्राप्त संस्थानों के अध्ययन, विभिन्न चयनित वर्षों की यूसीबी की वार्षिक रिपोर्टें आदि। इन स्रोतों का चयन आंकड़ों की प्रामाणिकता, उपलब्धता, निरंतरता और शोध प्रयोजन से प्रासंगिकता के आधार पर किया गया है।

3.1. अध्ययन की अवधिः प्रस्तुत शोध में 2015 से 2025 तक के 10 वर्षों को विश्लेषण अवधि के रूप में निर्धारित किया गया है। यह अवधि इसलिए चुनी गई है क्योंकि इसे यूसीबी क्षेत्र के लिए संक्रमण और पुनर्गठन का दशक माना जाता है, जिसमें संरचनात्मक सुधार, जोखिम–प्रबंधन, पर्यवेक्षणीय कड़ाई, डिजिटल अपनापन और समेकन जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

3.2. अध्ययन की प्रकृतिः अध्ययन की प्रकृति दोहरे वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक स्वरूप की है। वर्णनात्मक जैसे यूसीबी क्षेत्र की संरचना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नीतिगत परिवर्तनों और संस्थागत ढांचे का विवरण आदि। जबकि विश्लेषणात्मक जैसे सांख्यिकीय प्रवृत्तियों के आधार पर प्रदर्शन का मूल्यांकन आदि। मुख्य विश्लेषण संख्यात्मक परिवर्तन, जमा, ऋण, कुल संपत्ति, एनपीए की प्रवृत्ति जैसे संकेतकों पर केंद्रित है।

3.3. अध्ययन की सीमाएँः यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक डेटा पर आधारित है। अतः निष्कर्ष आँकड़ों की उपलब्धता और सटीकता पर निर्भर हैं। कुछ वर्षों में यूसीबी के लिए प्रकाशित आँकड़ों में असंगतता या अंतराल संभव है। शोध केवल चयनित 10 वर्षों तक सीमित है; इससे बाहर के दीर्घकालिक परिवर्तन शामिल नहीं हैं।

4. यूसीबी के प्रदर्शन का विश्लेषणः भारत की सहकारी बैंकिंग प्रणाली आज भी देश के वित्तीय तंत्र का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जहां कृषि सहकारी संस्थाएं दशकों से औपचारिक ऋण का

प्रमुख स्रोत रही हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) ने निम्न एवं मध्यम आय वर्ग, सूक्ष्म उद्यमियों और स्थानीय व्यापारियों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में विशिष्ट भूमिका निभाई है। यूसीबी की संरचना सहकारी सिद्धांतों जैसे सदस्य–स्वामित्व, लोकतांत्रिक प्रबंधन और सामूहिक लाभ आदि पर आधारित है, जो इन्हें पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों से अलग और अधिक सामुदायिक बनाता है।

पिछले एक दशक (वर्ष 2015 से 2025) के दौरान भारत की बैंकिंग प्रणाली में व्यापक परिवर्तन और तकनीकी नवाचार देखने को मिले हैं। डिजिटल भुगतान, फिनटेक मॉडल, जोखिम प्रबंधन के नए मानदंड और आरबीआई द्वारा कड़े नियामकीय सुधारों ने बैंकिंग संचालन के स्वरूप को बदल दिया है। इन परिवर्तनों का प्रत्यक्ष प्रभाव यूसीबी पर भी पड़ा, जिन्हें अपनी पारंपरिक कार्यप्रणालियों को आधुनिक बैंकिंग आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना पड़ा है। इस दशक में यूसीबी के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह रहा कि वे प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिंग वातावरण में अपनी प्रासंगिकता कैसे बनाए रखें?

आरबीआई द्वारा इस दौरान कई महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप किए गए, जैसे सुदृढ़ीकरण और समेकन नीति, उन्नत पर्यवेक्षण ढांचा, पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का सख़्त अनुपालन, जोखिम ऑडिट, साइबर सुरक्षा ढांचे का विकास आदि। इन सुधारों ने यूसीबी क्षेत्र को अधिक स्थिर, पारदर्शी और विनियमित बनाने में योगदान दिया। हालाँकि, इन सुधारों के साथ कई छोटे और वित्तीय रूप से कमजोर यूसीबी के लिए अनुपालन क्षमता एक चुनौती बनकर उभरी, जिसके कारण विलय, लाइसेंस रद्दीकरण या परिचालन सीमाएं बढ़ी हैं। फिर भी, यह दशक पूर्णतः नकारात्मक नहीं रहा है। आंकड़े बताते हैं कि यूसीबी की संचयी जमा, अग्रिम, और कुल परिसंपत्ति में निरंतर वृद्धि हुई है, यानी बैंकों की संख्या घट सकती है, परन्तु क्षेत्र का आर्थिक आकार और दायरा बढ़ता रहा है। इससे संकेत मिलता है कि अनुभवहीन या कमजोर संस्थाएं धीरे–धीरे बाहर हो रही हैं और सुदृढ़ संस्थाएं आगे बढ़कर बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति को मजबूत कर रही हैं। टियर–I और टियर–II श्रेणी के बड़े यूसीबी ने पूँजी गठन, टेक्नोलॉजी अपनाने और जोखिम प्रबंधन में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि छोटे यूसीबी अभी भी कार्यकुशलता, डिजिटलीकरण और मानव संसाधन विकास के मोर्चे पर संघर्षरत हैं।

सारणी-1: शहरी सहकारी बैंकों के प्रदर्शन का विवरण

वर्ष	कुल यूसीबी	जमा (लाख करोड़ रु.)	ऋण (लाख करोड़ रु.)	परिसंपत्तियाँ (लाख करोड़ रु.)	सकल एनपीए (प्रतिशत)
2015	1579	3.53	2.24	4.68	6.02
2016	1574	3.92	2.45	5.03	6.10
2017	1562	4.43	2.61	4.70	7.10
2018	1551	4.56	2.81	5.00	7.20
2019	1544	4.84	3.01	5.30	7.30
2020	1539	5.01	3.06	6.15	9.90
2021	1534	5.26	3.12	6.20	12.1
2022	1514	5.31	3.15	6.30	9.70
2023	1502	5.33	3.29	6.80	8.80
2024	1472	5.55	3.47	7.07	7.30
2025	1457	5.84	3.70	7.38	6.20

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य।

यूसीबी के महत्व को केवल संख्यात्मक वृद्धि से नहीं मापा जा सकता। ये बैंक शहरी मध्यमवर्ग, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई), महिला उद्यमियों, दैनिक कारोबारियों तथा स्व–रोज़गार समुदाय को ऋण की पहुंच प्रदान करते हैं। ऐसे समूह, जो कई बार वाणिज्यिक बैंकों की कठोर ऋण नीतियों के दायरे में नहीं आते, उन्हें यूसीबी अपेक्षाकृत सरल प्रक्रियाओं और स्थानीय समझ के साथ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। इस तरह, यूसीबी शहरी अर्थव्यवस्था के जीवंत और अनौपचारिक क्षेत्रों को औपचारिक वित्तीय ढांचे से जोड़ने का कार्य करते हैं और यह भूमिका पिछले दशक में अधिक प्रासंगिक हुई है। हालांकि, बैंकिंग क्षेत्र में चुनौतियां अभी भी व्यापक हैं। उदाहरण के लिए, एनपीए प्रबंधन, साइबर जोखिम, पूँजीकरण की सीमाएँ, शासन ढांचे की कमजोरियाँ, डिजिटल प्रतिस्पर्धा आदि। लेकिन नीतिगत सुधारों, तकनीकी निवेश और प्रबंधकीय क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों ने यूसीबी क्षेत्र के लिए एक नई दिशा भी प्रस्तुत की है। मौजूदा दौर यूसीबी के लिए एक संक्रमण बिंदु है, जहाँ इन्हें सहकारी मूल्यों और आधुनिक बैंकिंग प्रथाओं का संयोजन स्थापित करना पड रहा है।

वर्ष 2015 से 2025 का दशक भारत के शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए संक्रमण, पुनर्गठन और चुनिंदा मजबूती का समय रहा है। आँकड़ों से स्पष्ट है कि यह क्षेत्र एक समान रफ्तार से न तो बढ़ा, न ही पीछे हटा है। बल्कि यह सहकारी बैंकों की संरचना, संचालन, वित्तीय प्रदर्शन पर नियामकीय हस्तक्षेप, बाजार–संरचना और आंतरिक गवर्नेंस की गुणवत्ता जैसी प्रवृत्तियों को सामने लाता है। सारणी–1 में शहरी सहकारी बैंकों के प्रदर्शन को दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2015 में यूसीबी की कुल संख्या 1579 थी, जो घटकर वर्ष 2025 में 1457 रह गई। यह एक निर्णायक संरचनात्मक बदलाव की ओर संकेत करता है। सामान्य स्थिति में किसी बैंकिंग क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या का गायब होना संकट का संकेत माना जाता है, लेकिन यूसीबी के मामले में यह परिघटना शोधन प्रक्रिया की तरह दिखाई देती है। जिन बैंकों की पूंजी पर्याप्तता स्थिति कमजोर थी, जिनका प्रबंधन शिथिल था या जो नियामकीय मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, वे समय के साथ या तो विलय हुए या फिर कार्यमुक्त हुए हैं। इसका सकारात्मक पक्ष यह रहा कि बचे हुए यूसीबी अपेक्षाकृत बेहतर वित्तीय अनुशासन और नियंत्रण की ओर उन्मुख हुए हैं। जबकि नकारात्मक पक्ष यह रहा कि शहरी क्षेत्रों में छोटे सहकारी बैंकों का स्थानीय पहुँच तंत्र कुछ स्थानों पर सीमित हुआ है।

यूसीबी के प्रदर्शन का दूसरा संकेतक जमाओं में वृद्धि है। वर्ष 2015 में 3.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 5.84 लाख करोड़ रुपए पहुँचना इस बात का प्रमाण है कि सहकारी बैंकों के प्रति जनता का विश्वास स्थिर बना हुआ है। यह इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि इसी अवधि में व्यावसायिक बैंकों की डिजिटल शाखाएँ और भुगतान तंत्र तेजी से बढ़े हैं। इसके बावजूद, यूसीबी ने अपनी सामुदायिक पकड़ और स्थानीय संबंधों के आधार पर जमा आकर्षित करना जारी रखा है। जमा वृद्धि यह भी दर्शाती है कि यूसीबी अब भी उन उपभोक्ताओं का आधार बनाए हुए हैं जो व्यक्तिगत संपर्क, सुलभता और स्थानीय बैंकिंग सेवाओं को अधिक प्राथमिकता देते हैं।

यूसीबी के प्रदर्शन का तीसरा संकेतक ऋण वितरण है, जिसने शोध दशक में सबसे धीमी रफ्तार दर्ज की है। इनके द्वारा वर्ष 2015 में 2.24 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए, जो मामूली बढ़कर वर्ष 2025 में 3.70 लाख करोड़ रुपए तक ही पहुँचे हैं। इसकी तुलना जमा वृद्धि से करें, तो स्पष्ट दिखता है कि सहकारी बैंकों ने ऋण विस्तार से अधिक सुरक्षा और जोखिम–नियंत्रण को प्राथमिकता दी है। यह प्रवृत्ति एक प्रकार से यूसीबी की जोखिम उठाने की कमजोर क्षमता को उजागर करती है। वर्ष 2010 के बाद कई यूसीबी में धोखाधड़ी और प्रबंधन–स्तर की विफलताएँ उजागर हुईं, जिसके चलते आरबीआई ने ऋण प्रक्रिया को सख्त किया और बैंकों ने सतर्क रुख अपनाया है। इसका परिणाम यह हुआ कि जमा तो बढ़ती रही, लेकिन ऋण वृद्धि थम सी गई। यह स्थिति क्षेत्र की वित्तीय मध्यस्थता की क्षमता पर प्रश्नचिह्न भी लगाती है, क्योंकि बैंकिंग का मूल उद्देश्य जमा को उत्पादक ऋण के रूप में रूपांतरित करना ही है।

यूसीबी के प्रदर्शन का चौथा प्रमुख संकेतक परिसंपत्तियों की वृद्धि है। वर्ष 2015 में यूसीबी की परिसंपत्तियाँ 4. 68 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 7.38 लाख करोड़ रुपए होना पहली नज़र में शानदार प्रदर्शन लगता है। लेकिन इस वृद्धि की संरचना बताती है कि ऋण विस्तार धीमा रहा है, जबकि परिसंपत्तियों की वृद्धि मुख्य रूप से सुरक्षित निवेशों, सरकारी प्रतिभूतियों और वैधानिक तरलता अनुपात के तहत रखी गई होल्डिंग्स से आई है। इसका अर्थ है कि परिसंपत्तियों का विस्तार वास्तविक आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह निवेश प्रधान और सुरक्षित पोर्टफोलियो के बढ़ने का परिणाम है। यह प्रवृत्ति स्थिरता तो देती है, लेकिन विकास की गति को सीमित करती है।

यूसीबी के प्रदर्शन का अंतिम संकेतक एनपीए है, जिसमें मामूली सुधार देखा गया। वर्ष 2015 में 6.02 प्रतिशत से 2021 में कोरोना काल के कारण 12.10 प्रतिशत तक एनपीए बढ़ा, जो संकेत देता है कि इस अवधि में ऋण गुणवत्ता पर तनाव था। लेकिन 2025 तक सकल एनपीए 6.20 प्रतिशत पर आ गया, जो धीमे सुधार का संकेत है। हालांकि, यह सुधार उतना मजबूत नहीं है कि इसे स्थायी उपलब्धि कहा जा सके। इसकी मुख्य वजहें ऋण निगरानी प्रणाली की तकनीकी कमजोरी, पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं की धीमी रफ्तार और कई सहकारी बैंकों में अब भी मौजूद शासन–संबंधी कमजोरियां हैं। फिर भी यह प्रवृत्ति एक आशा पैदा करती है कि यदि नियामकीय सुधार और जोखिम प्रबंधन में सुधार जारी रहे, तो एनपीए स्तर भविष्य में कम हो सकता है।

सारणीबद्ध संकेतकों से स्पष्ट है कि वर्ष 2015 से 2025 का दशक यूसीबी के लिए "कम संख्या लेकिन अधिक नियंत्रण, जमा वृद्धि लेकिन सीमित ऋण विस्तार, और विस्तारित परिसंपत्तियां लेकिन औसत गुणवत्ता" जैसी मिश्रित प्रवृत्तियों का दशक रहा है। यह क्षेत्र न तो पूरी तरह संकट में था और न ही तीव्र विकास में; बल्कि यह अपनी संरचनात्मक कमियों को पहचानने और धीरे–धीरे उन्हें सुधारने का रहा है। ऐसे में, यदि सहकारी बैंक डिजिटल तकनीक, सुदृढ़ प्रबंधन, जोखिम–आधारित ऋण नीति और शासन–सुधार को अपनाते हैं, तो यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में अपने योगदान और प्रदर्शन को मजबूत कर सकता है।

5. यूसीबी की संरचनात्मक चुनौतियां: पिछला (2015–25) दशक यूसीबी के लिए उपलब्धियों के साथ–साथ कई संरचनात्मक और परिचालन चुनौतियों का काल भी रहा है। यह चुनौतियां न केवल प्रशासनिक और वित्तीय सीमाओं से उत्पन्न हुईं, बल्कि बदलते बैंकिंग परिवेश ने भी इन्हें और जटिल बनाया है। संक्षेप में, इनमें परिलक्षित प्रमुख चुनौतियां निम्न प्रकार रहीं हैं:

1. सबसे गंभीर चुनौती शासन और प्रबंधन की संरचनात्मक कमजोरी रही है। सहकारी मॉडल का मूल विचार सामूहिक स्वामित्व पर आधारित है, परंतु व्यवहार में यह मॉडल आंतरिक राजनीति, गुटबाजी और गैर–पेशेवर प्रबंधन की ओर मुड़ गया। कई यूसीबी में निदेशक मंडल की नियुक्ति चुनावी प्रतिस्पर्धा का रूप लेती गई, जिसके आगे वित्तीय अनुशासन, जोखिम–विश्लेषण और प्रबंधन की दक्षता पीछे छूट गई। निर्णय लेने की प्रक्रिया विशेषज्ञता से नहीं, बल्कि स्थानीय सामाजिक–राजनीतिक प्रभावों से निर्देशित होती रही, जिसने ऋण गुणवत्ता, निरीक्षण प्रक्रियाओं और निगरानी व्यवस्था को कमजोर किया।
2. दूसरा, इनका जोखिम प्रबंधन का तंत्र न केवल अपर्याप्त था, बल्कि कई मामलों में लगभग औपचारिक ही रह गया। ऋण मूल्यांकन के आधुनिक मानकों, पूर्व चेतावनी प्रणालियों और ऋण वसूली तंत्र की उपस्थिति सीमित रही। यही कारण है कि दशक के आरंभिक वर्षों में बढ़ता हुआ एनपीए स्तर केवल आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम नहीं था, बल्कि यह जोखिम विश्लेषण की कमजोर क्षमता, निगरानी की कमी और ऋण अनुशासन में ढिलाई का संयुक्त प्रभाव था। यूसीबी की बड़ी संख्या में क्रेडिट पोर्टफोलियो पारंपरिक विश्वास–आधारित ऋण मॉडल पर चलते रहे, जो बदलते वित्तीय माहौल में टिक नहीं पाए।
3. पूंजी आधार की अपर्याप्तता भी चुनौती रही है, जिसने पूरे सहकारी बैंकिंग ढांचे को विकास प्रतिबंधित अवस्था में ला खड़ा किया है। प्रतिस्पर्धी बैंकिंग वातावरण, बढ़ते अनुपालन मानक और तकनीक की बढ़ती लागत के बीच यूसीबी के पास पूंजी जुटाने के लिए वही सीमित पारंपरिक साधन उपलब्ध रहे, जिन पर वे दशकों से निर्भर थे। यह पूंजी संरचना उन्हें जोखिम उठाने, तकनीकी उन्नयन और शाखा विस्तार जैसे आवश्यक निवेशों से दूर ले गई। कई यूसीबी के लिए नियामकीय पूंजी–मानक स्वयं एक चुनौती बन गए, जिससे उनकी परिचालन क्षमता भी सीमित हो गई।
4. तकनीकी पिछड़ापन इनकी सबसे निर्णायक संरचनात्मक बाधाओं में से एक था। जब देश तेज़ी से डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल भुगतान और डेटा–आधारित वित्तीय सेवाओं की ओर बढ़ रहा था, यूसीबी का एक बड़ा हिस्सा अब भी परंपरागत कागजी प्रक्रियाओं, सीमित डिजिटल ढांचे और कमजोर साइबर–सुरक्षा प्रणालियों पर निर्भर था। कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) का सार्वभौमिक अपनाना भी असमान रहा। परिणामस्वरूप, सहकारी बैंक युवा ग्राहकों, छोटे व्यवसायों और डिजिटल लेनदेन–आधारित उपभोक्ताओं से दूरी बनाते गए, जबकि प्रतिस्पर्धात्मक संस्थाएं तेजी से आगे बढ़ती रहीं।
5. नियामकीय बोझ और अनुपालन की जटिलता भी एक गहन चुनौती बनकर उभरी है। आरबीआई द्वारा अपनाई गई जोखिम–आधारित निगरानी, एकीकरण–नीतियां और सख्त पारदर्शिता मानकों ने क्षेत्र की कमजोर संस्थाओं को और अधिक दबाव में डाल दिया। मजबूत यूसीबी इससे लाभान्वित हुईं, लेकिन छोटे और वित्तीय रूप से सीमित बैंकों पर अनुपालन की लागत और तकनीकी अपेक्षाएं बोझ बन गईं। परिणामस्वरूप, कई संस्थाएं विलय या बंदी की स्थिति में पहुंच गईं।
6. इनमें एक संरचनात्मक समस्या संगठनात्मक और भौगोलिक सीमायें भी रही हैं। सीमित कार्यक्षेत्र, स्थानीय सदस्य–आधारित संरचना और परंपरागत व्यापार मॉडल यूसीबी को विस्तार एवं नवाचार की दौड़ में पीछे छोड़ता रहा। जहाँ बड़े बैंक राष्ट्रीय और डिजिटल स्तर पर विस्तारित हो रहे थे, वहीं यूसीबी अपने स्थानीय क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ सकीं। इस सीमितता ने उन्हें बाज़ार में उभरते नए अवसरों जैसे सूक्ष्म उद्यम ऋण, डिजिटल भुगतान और डेटा–आधारित वित्तीय उत्पाद आदि से दूर कर दिया है।
7. मानव संसाधन और कौशल विकास का अभाव भी इनकी कार्यप्रणाली में निर्णायक रहा है। बैंकिंग अब जोखिम–विश्लेषण, साइबर–सुरक्षा, डेटा मूल्यांकन और डिजिटल प्रक्रियाओं की विशेषज्ञता पर आधारित है, लेकिन यूसीबी में प्रशिक्षित, तकनीक–सक्षम और पेशेवर मानव संसाधन की उपलब्धता सीमित रही। इससे संचालन की दक्षता, ग्राहक सेवा और जोखिम प्रबंधन तीनों ही प्रभावित हुए।

समग्र रूप से, 2015–2025 का दशकीय प्रदर्शन दर्शाता है कि यूसीबी की चुनौतियां केवल संचालनात्मक नहीं थीं, बल्कि उनकी जड़ें उनके संस्थागत ढांचे में गहराई तक मौजूद थीं। शासन, पूंजी, तकनीक और जोखिम प्रबंधन जैसे स्तंभ मजबूत न होने के कारण यह क्षेत्र अपनी वास्तविक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सका। यदि आने वाले वर्षों में इन संरचनात्मक आयामों पर निर्णायक सुधार लागू किए जाते हैं, तभी यूसीबी वित्तीय समावेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रभावी रूप से जारी रख पाएंगी।

6. शहरी सहकारी बैंकों की प्रमुख उपलब्धियां: पिछले (2015–2025) दशक में यूसीबी ने सीमित संसाधनों, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कठोर नियामकीय वातावरण के बावजूद कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इस अवधि में यूसीबी न केवल बैंकिंग संचालन को स्थिर बनाए रखने में सहायक रहीं, बल्कि यूसीबी की संस्थागत क्षमता, स्थानीय विश्वसनीयता और सामुदायिक भूमिका को भी मजबूत करती रहीं हैं।

6.1. जमा आधार का निरंतर विस्तार: पूरे दशक में यूसीबी का जमा आधार लगातार बढ़ा है, जो इस बात का संकेत है कि शहरी समुदायों में इन संस्थाओं पर भरोसा बना रहा है। निजी बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की प्रतिस्पर्धा के बावजूद यूसीबी ने अपनी पहुँच, स्थानीय जुड़ाव और व्यक्तिगत सेवा के दम पर जमाकर्ताओं को आकर्षित किया है।

6.2. ऋण प्रवाह का स्थिरीकरण और स्थानीय व्यवसायों को समर्थन: यूसीबी ने छोटे व्यापारियों, सूक्ष्म उद्यमों और सेवा–क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को नियमित ऋण–सहायता प्रदान की है। यह स्थिर ऋण–प्रवाह स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था, विशेषकर ऐसे ग्राहकों के लिए जिन्हें बड़े बैंक प्रायः प्राथमिकता नहीं देते हैं।

6.3. परिसंपत्ति गुणवत्ता में नियंत्रित सुधार: यद्यपि संरचनात्मक सीमाएं बनी रहीं हैं, अधिकांश यूसीबी ने सकल एनपीए अनुपात को नियंत्रित स्तर पर रखा। यह उपलब्धि आंतरिक ऑडिट, जोखिम निगरानी तंत्र और नियामकीय अनुपालन में सुधार के कारण संभव हो सकी। सीमित तकनीक और विश्लेषणात्मक संसाधनों के बीच यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

6.4. डिजिटल बैंकिंग और तकनीकी संक्रमण का सुदृढ़ीकरण: बीते दशक में यूसीबी ने कोर बैंकिंग समाधान, डिजिटल भुगतान प्रणाली और यूपीआई आधारित सेवाओं को अपनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह तकनीकी उन्नयन परिचालन दक्षता बढ़ाने और ग्राहक सेवा को आधुनिक बनाने में निर्णायक साबित हुआ है।

6.5. शासन–व्यवस्था और नियामकीय सुधारों का सकारात्मक प्रभाव: आरबीआई द्वारा लागू की गई कठोर शासन–संबंधी मानकों जैसे बोर्ड संरचना, अनुपालन और ऑडिट व्यवस्था आदि ने यूसीबी के संचालन में पारदर्शिता और पेशेवरता को बढ़ाया। उन्नत शासन ढांचा इस क्षेत्र की सबसे स्थायी उपलब्धियों में शामिल है।

6.6. पूँजी पर्याप्तता का संरक्षण: पूंजी जुटाने की सीमाओं के बावजूद अधिकांश यूसीबी ने सीआरएआर को अनिवार्य स्तर से ऊपर बनाए रखा है। सदस्यता विस्तार, लाभांश नीति में संयम और आंतरिक संसाधनों के उपयोग ने पूंजी–स्थिरता सुनिश्चित की है।

6.7. सेवामुखी और समुदाय–केंद्रित बैंकिंग की निरंतरता: बड़े बैंकों के तकनीक–आधारित विस्तार के बीच यूसीबी ने अपनी पहचान जैसे व्यक्तिगत सेवा, तेज निर्णय, स्थानीय समझ आदि को बरकरार रखा है। यही कारण है कि कई शहरों में ये अब भी विश्वसनीय और सुगम बैंकिंग विकल्प बने हुए हैं।

7. सुझाव एवं अनुशंसाएं: यूसीबी की लाभप्रदता और प्रदर्शन को सुधारने के लिए निम्नलिखित सुझावों को अपनाया जा सकता है:

1. यूसीबी की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक है कि प्रबंधन स्तर पर पेशेवर क्षमता को प्राथमिकता दी जाए। बोर्ड नियुक्तियों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त कर, दक्षता–आधारित चयन प्रक्रिया लागू करनी चाहिए। विशेषकर बड़े यूसीबी में जोखिम प्रबंधन, ऑडिट और अनुपालन के लिए अलग–अलग स्वतंत्र समितियों का गठन एक अनिवार्य सुधार के रूप में उभरता है।
2. हाल के दशक में एनपीए और संपत्ति की गुणवत्ता से संबंधित चुनौतियों ने स्पष्ट कर दिया है कि पारंपरिक ऋण मूल्यांकन प्रणालियां अपर्याप्त हैं। इसलिए यूसीबी को डेटा–आधारित क्रेडिट स्कोरिंग, पोर्टफोलियो तनाव परीक्षण और पूर्व–चेतावनी प्रणाली अपनाने की दिशा में नियामक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। इससे उधार पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में दीर्घकालिक सुधार संभव होगा।
3. यूसीबी का प्रदर्शन बताता है कि ये वर्ष 2015–25 में कई परिचालन कठिनाइयों से गुज़रे हैं। इसलिए सुझाव है कि एक केंद्रीभूत पुनर्गठन तंत्र स्थापित किया जाए, जिसके अंतर्गतः त्वरित विलय, परिसंपत्ति स्थानांतरण, प्रबंधन परिवर्तन जैसे विकल्पों का उपयोग कर कमजोर बैंकों को समयबद्ध तरीके से स्थिर किया जा सके।
4. नीतिगत स्तर पर प्रयास होना चाहिए कि शहरी सहकारी बैंक निम्न–मध्यम आय वर्ग, छोटे कारोबारी और अनौपचारिक क्षेत्र को लक्षित वित्तीय सेवाएं प्रदान करें। इसके लिए विशेष पुनर्वित्त योजनाएं और लक्षित क्रेडिट कार्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं, जो यूसीबी को अपने मूल सामाजिक उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद दे सकें।
5. बैंकों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी वित्तीय स्थिति, जोखिम एक्सपोज़र और शासन प्रथाओं से संबंधित सूचनाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हों। नियमित और संरचित प्रकटीकरण न केवल निवेशकों बल्कि सदस्यों और जमाकर्ताओं के विश्वास को भी मजबूत करेंगे।

6. यूसीबी को बदलते वित्तीय परिदृश्य के अनुरूप कर्मियों के प्रशिक्षण पर निरंतर ध्यान देना चाहिए। डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा, उन्नत लेखा पद्धतियों और ग्राहक सेवा में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। इससे बैंकिंग सेवा की गुणवत्ता और परिचालन क्षमता दोनों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

निष्कर्षः उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अध्ययन अवधि में कुल यूसीबी की संख्या 1579 से घटकर 1457 रह गई, जो क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और नियामकीय कसौटी के दबाव को इंगित करता है। इसके विपरीत, जमा 3.53 से बढ़कर 5.48 लाख करोड़ रुपये और कुल परिसंपत्तियाँ 4.68 से बढ़कर 7.38 लाख करोड़ रुपये हो गईं, जो बताता है कि ग्राहक भरोसा और परिचालन विस्तार लगातार बना रहा। ऋण–विस्तार अपेक्षाकृत धीमा रहा, 2.24 से केवल 3.70 लाख करोड़ रुपये तक, जबकि सकल एनपीए 6.02 प्रतिशत से बढ़कर कोरोना काल मे 12.1 प्रतिशत हुआ परंतु उसके बाद घटकर लगभग 6.20 प्रतिशत तक आया, जो जोखिम–प्रबंधन में क्रमिक सुधार का संकेत देता है। हालांकि, पूँजी की अपर्याप्तता, शासन–संबंधी कमजोरियाँ और तकनीकी विषमता जैसी बाधाएँ अब भी क्षेत्र की स्थिरता पर प्रभाव डालती हैं, लेकिन डिजिटल बैंकिंग का प्रसार, सदस्य–आधार में विविधता और नियामकीय समर्थन यूसीबी को भविष्य के लिए अधिक सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करता है।

कुल मिलाकर, विगत वर्षों में कुछ शहरी सहकारी बैंक कमजोर और अलाभप्रद हो गये है, इसलिए शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिम आ गया है। इन बैंकों के पास पूंजीगत निधियों को एकत्र करने के अवसरों की कमी है क्योंकि ये न तो शेयरों के सार्वजनिक निर्गम निकाल सकते है और न ही सदस्यों को प्रीमियम पर शेयर जारी कर सकते है। शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण भाग के पास पेशेवर कौशल की कमी है तथा वह सूचना प्रौद्योगिकी, आधुनिक बैंकिंग प्रणाली तथा वित्तीय उत्पादों में हो रही तीव्र प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में असमर्थ है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे बैंक है जो कमजोर हैं तथा उन्हें वित्तीय समर्थन की आवश्यकता है। शहरी सहकारी बैंकों की संगठनात्मक संरचना, उनका लघु आकार तथा सीमित परिचालन क्षेत्र भी उनके कमजोर पड़ जाने की संभावनाओं में वृद्धि करते हैं। इसके अलावा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणालियों में हुई प्रगति को देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि पेशेवराना अंदाज में अपने संचालन के लिए ये अपनी सेवाओं का दायरा विस्तृत करें तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं की तरह सेवा उपलब्ध करायें, जिसके लिए शीर्ष शहरी सहकारी बैंक का गठन ही एक मात्र हल है।

स्रोत एवं संदर्भः

1. कुमार, एस., और भट्ट, आर. (2025)। भारतीय क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन और इसका प्रभावः एक उभरता सिद्धांत। सहयोगी प्रबंधन समीक्षा, 41(1), 76–89।
2. चतुर्वेदी, ए., और पुराणिक, एम. (2024)। आर्किटेक्चर की क्षमता और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिकाः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था जर्नल, 32(4), 112–128।
3. चतुर्वेदी, जे., और पुराणिक, एम. (2024). लखनऊ में शहरी सहकारी बैंकिंगः धोखाधड़ी की रोकथाम और नैतिक बैंकिंग प्रथाओं के लिए सामाजिक आवश्यकता के बीच संतुलन। शोधकोशः जर्नल ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, 5(3), 1167–1174। https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i3.2024.4052
4. गोपाकुमारन नायर, आर., कुमार, एस., और मेनन, ए. (2025)। संस्था संस्थानों की वित्तीय संस्थाएं और प्रामाणिक समुच्चय के उभरते आयामः एक तुलनात्मक अध्ययन। भारतीय वित्त एवं वित्त समीक्षा, 41(1), 54–72.
5. नायर बी. जी, अलमेलु के एवं कार्तिक ए. (2025)। शहरी सहकारी बैंकों में अनुपालन संस्कृतिः चुनौतियाँ और रणनीतियाँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स स्टडीज, 12(6), 195–202। https://doi.org/10.14419/9hc6ar42
6. कुमारा, एच.एम.जी., और भट, एस. (2025)। शहरी सहकारी बैंकों का विश्लेषण–वित्तीय सफलता के लिए रणनीतिकरण और योजना। ईपीआरए जर्नल्स https://doi.org/10.36713/epra19636
7. आरबीआई (2023). सहकारी बैंकिंग विकास रिपोर्ट. भारतीय रिजर्व बैंक।
8. शहरी सहकारी बैंकों पर समिति। (2015)। आर. गांधी समिति की रिपोर्ट, यूसीबी क्षेत्र सुधार। भारतीय रिजर्व बैंक।
9. भारतीय रिज़र्व बैंक। (2016–2025)। भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति (वार्षिक रिपोर्ट)। भारतीय रिज़र्व बैंक।
10. पाण्डेय, चेतना (2010)। शहरी सहकारी बैंकों का संगठन एवं कार्यप्रणाली। बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन, वर्ष–23, अंक–1, अक्टूबर–दिसंबर, 2010, पृष्ठ–79, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई।
11. वाधवा, मंजुला (2023)। सहकारिता क्षेत्र के विकास में सरकार और बैंकों की भूमिका। योजना, वर्ष–67, अंक–7, पृष्ठ–70, जुलाई 2023, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
12. बंसल, विनय (2010)। भारत में शहरी सहकारी बैंक समस्याएं और समाधान। बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन, वर्ष–23, अंक–1, अक्टूबर–दिसंबर, 2010, पृष्ठ–89, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई।
13. मिश्रा, अरविंद कुमार (2023)। सूचना प्रौद्योगिकीः सहकारिता का नया दौर। कुरुक्षेत्र, वर्ष–69, अंक–3, पृष्ठ–32, जनवरी 2023, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।

14. सिंह, नरेन्द्रपाल एवं लोकेन्द्र सिंह (2010)। शहरी सहकारी बैंकों का वर्तमान एवं भविष्यः सुधार की आवश्यकता। बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन, वर्ष–23, अंक–1, अक्टूबर–दिसंबर, 2010, पृष्ठ–99, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई।
15. शाजी, के. वी. (2025)। 'पैक्स' के तकनीकी सशक्तीकरण से साझा समृद्धि को बढ़ावा। कुरुक्षेत्र, वर्ष–71, अंक–9, पृष्ठ–18, जुलाई 2025, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
16. भारतीय रिज़र्व बैंक (2015–2025)। भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी। भारतीय रिज़र्व बैंक।
17. भारतीय रिज़र्व बैंक (2015–2025)। भारत में सहकारी बैंकों की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट। भारतीय रिज़र्व बैंक।
18. भारतीय रिज़र्व बैंक (2020)। शहरी सहकारी बैंकों के लिए दिशानिर्देश। भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र।
19. भारत सरकार (2015)। शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट (प्रारंभिक समिति)। भारत सरकार।
20. वित्त मंत्रालय (2018–2023)। सहकारी बैंकिंग सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट। भारत सरकार। https://www.finmin.nic.in
21. शहरी सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय संघ। (2015–2025)। वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट। एनएएफसीयूबी।
22. जोशी, वी., और चव्हाण, आर. (2021)। भारत में शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन और एनपीए पैटर्न। जर्नल ऑफ कोऑपरेटिव स्टडीज, 54(2), 112–125।
23. मेहता, एस. (2019)। भारत की शहरी सहकारी बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक बाधाएँ। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 54(33), 52–59।
24. नारंग, जी. (2022)। सहकारी बैंकों का डिजिटल परिवर्तनः रुझान और चुनौतियाँ। इंडियन जर्नल ऑफ बैंकिंग स्टडीज, 9(1), 45–61।
25. शेखर, के.सी., और शेखर, एल. (2020)। बैंकिंग सिद्धांत और अभ्यास (12वां संस्करण)। विकास पब्लिशिंग हाउस।
26. कुमार, ए. (2020)। भारत में सहकारी बैंकों की संरचना और वित्तीय स्थिरता पर अध्ययन। सहकार प्रकाशन, नई दिल्ली
27. कुमारी, एस. (2020)। भारत में शहरी सहकारी बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता का विश्लेषण। आर्थिक–वित्तीय अध्ययन पत्रिका, 12(3), 44–58।
28. सिंह, आर. एवं वर्मा, पी. (2019)। शहरी सहकारी बैंकों में तकनीकी उन्नयन और डिजिटल संक्रमण की चुनौतियाँ। बैंकिंग एवं वित्त समीक्षा, 7(2), 15–27।
29. नाबार्ड (2024)। सहकारी वित्तीय संस्थानों का प्रदर्शनः एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई।

आलेख उद्धरित करें:	लखन, रामय मिश्रा, रवि एवं कुमार, प्रतीक (2026)। भारत में शहरी सहकारी बैंकों के प्रदर्शन का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–1, जनवरी–मार्च, 2026, पृष्ठ 82–90। https://doi.org/10.5281/zenodo.21626243

Bundelkhand Journal of Academic Research

An Analytical Study of Fintech Utilisation and Digital Development in Primary Agricultural Credit Societies

Rachit Jaiswal[1] Dr. Abhilash Kumar Srivastava[2]

1. Assistant Professor (Commerce), Goswami Tulsidas Government Post Graduate College, Karwi, Chitrakoot, Uttar Pradesh. **2. Associate Professor (Commerce),** Atarra Post Graduate College, Atarra, Banda, Uttar Pradesh. (**Corresponding Author:** rachitjaiswal4@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21626381

Abstract

Primary Agricultural Credit Societies (PACS) are the basic level of the short-term cooperative lending framework in India. PACS, historically reliant on manual methods, has encountered operational inefficiencies, transparency issues, and limited outreach. Recent fintech-led digitization efforts, notably the Government of India's PACS computerization budget plan of ₹2,516 crore, later revised to ₹ 2,925.39 crore, seek to digitally transform more than 63,000 societies, later revised to 79630 PACS, using Enterprise Resource Planning (ERP) systems and integrated digital platforms. This study analytically evaluates the current extent of fintech adoption and digital transformation in PACS, using secondary data from government publications, NABARD reports, and digital payment statistics. The results demonstrate substantial advancements in digital onboarding and fintech use, enhanced operational transparency, and greater connectivity to national payment systems. However, inequalities persist across states and levels of infrastructure readiness.

Article Info			
	Received: 21 Feb, 2026	**Accepted:** 10 March, 2026	**Published:** 31 March, 2026
	Table: 07	**Figures & Graphs:** 00	**Sources & Ref.:** 36
	Keywords: FinTech, PACS, Digitalisation, ERP, Computerisation, Agri. Credit.		

1. Introduction: Co-operatives are member-owned enterprises, operated by and for the people they serve, to achieve collective goals. Profits are either retained by the firm or distributed to its members. The International Co-operative Alliance (ICA) defines a cooperative as an autonomous group of individuals who voluntarily organize to fulfill their shared economic, social, and cultural goals and aspirations through a jointly owned and democratically governed enterprise. Calvert (1959) described cooperation as "a form of organization in which individuals voluntarily associate as equals to promote their economic interests."

The idea of cooperation is ancient and supports both family and societal life. Cooperative principles are essential characteristics that define cooperation as a form of association. The cooperative principle is a method for organising and executing cooperative initiatives, which is an essential and fundamental consequence of the ideals or objectives of the cooperative movement (Karve, 1968).

Based on the recommendations of a committee established by the Government, chaired by Edward Law, the Cooperative Credit Societies Act became law on 25th March 1904 to put an end to the exploitation by moneylenders. The praiseworthy initiative was recognized as a pivotal moment in economic and social history. It promises to address numerous issues faced by rural

populations, enhancing both moral and financial standing while establishing the basis for a new social order.

The cooperative movement was established as the leading socio-economic movement worldwide. It has played a substantial role in poverty alleviation, job creation, and social integration in the country. The cooperative movement in India has established a strong presence across multiple sectors. It has also provided significant support for the economic and social development of the general population. Cooperatives primarily focus on agricultural loans, the sale of agricultural products, and the provision of fertilizers, pesticides, and other vital commodities.

The Cooperative Banking Structure has a distinctive role in India's Rural Credit Management System. They have made significant progress in rural credit. Over the years, they have consistently been the primary institutional agency, characterized by an extensive network, broad coverage, and outreach to the most remote areas of the country. The short- and medium-term Cooperative Banking Structure comprises a three-tier system: State Cooperative Banks (SCBs) at the state level, District Central Cooperative Banks (DCCBs) at the district level, and Primary Agricultural Credit Societies (PACS) at the village level. The All India Federation of SCBs, located in Mumbai, serves as an advisory entity. The framework lacks uniformity nationwide. The long-term Cooperative Banking Structure comprises a two-tier system, consisting of the Central Land Development Bank (CLDB) at the state level and Primary Land Development Banks (PLDB) at the taluk level. A Primary Agriculture Credit Society (PACS) is the basic form and smallest cooperative credit organization in India. It functions at the grassroots level, specifically within gram panchayats and villages, and engages directly with rural agricultural borrowers.

1.1 PACS: In the Short-Term Cooperative Credit Structure (STCCS), Primary Agriculture Credit Societies (PACS) are the third tier. The remaining two categories include District Central Cooperative Banks (2nd tier) and State Cooperative Banks (1st tier). National Agricultural and Rural Bank NABARD has implemented the Core Banking Solutions (CBS) platform for most StCBs and DCCBs, providing advanced technology-based banking capabilities to clients. However, PACS have been primarily unsupported by technology.

PACS, owned by farmers and rural artisans, promote savings, mutual aid, access to financing, and services such as input supply, storage, and sale of agricultural products. Through direct financing, DCCBs link to PACS. The primary responsibility of StCBs is to control and coordinate DCCB funds. The widespread reach of PACS among Small and Marginal Farmers (SMFs) makes them a crucial source of agricultural credit. The goal is to develop cooperatives as thriving businesses that offer a range of services to members, leveraging technology to meet their needs. The short-term cooperative lending system includes three levels. The Primary Agriculture Lending Cooperative (PACS) is the lowest level and the first point of contact for assistance. The 105,066 PACS in India operate in 251,872 Gram Panchayats (GPs), according to the National Cooperative Database (NCD), and cover 90.8% of the rural network. It also gives out 13.40% of all rural loans. PACS at the local level not only provides farmers with loans but also supports other activities, such as purchasing fertilizers and inputs and selling their crops. The prime minister's recent declaration that "No commercial bank branch can ever come close to providing the kind of services a Primary Agriculture Credit Society (PACS) can" underscores the importance of PACS as a financial intermediary. Because cooperatives are a matter of state law, each state's laws govern PACS. However, NABARD oversees most of its activities.

1.2. Objectives of the study: The Main objectives of the present research study are as follows:

a. To assess the current state of Fintech adoption and the computerisation of PACS in India.
b. To measure the level of digital infrastructure and technological readiness in PACS.

c. To evaluate the extent to which fintech tools (e-payments, mobile banking, core banking systems, digital lending platforms, etc.) are being utilised in PACS operations.

2. Literature Review: A literature review is a critical summary and evaluation of existing scholarly sources on a specific topic. It helps map the current state of knowledge, find gaps in past studies, and prove why new research is needed.

2.1 FinTech: Fintech refers to the use of technology in the financial sector to efficiently deliver a wide range of financial services to a large number of users. In recent years, fintech has grown rapidly. Fintech has introduced new ideas to the financial sector (M. A. Chen, Q. Wu, and B. Yang, 2019) and transformed banking worldwide. Governments worldwide have enacted numerous regulations and laws to support the growth of fintech (J. Wonglimpiyarat, 2017). Fintech is a key part of making sure that everyone in the economy can access financial services. Information technology is critical to improving financial inclusion by bridging the gap between information and access. The constant rise in the number and size of digital transactions has created several opportunities for Indian fintech start-ups to enter the digital payment market (A. P. & S. 2019). Fintech companies use user-friendly, secure technologies and reduce their overall costs of doing business. Fintech services have changed how Indian banks conduct business (C. Vijai, 2019). Fintech companies offer a wide range of services, including loans, getting capital, deposits, payments, clearing and settlement, investment management, insurance, cloud computing, data analytics, and more. (A. V. Thakor, 2020). Fintech has the potential to transform finance and profoundly influence the funding of MSMEs in India. Fintech crowdfunding has emerged as an innovative approach to supporting small enterprises (M. Maiti, 2018). These results indicate that fintech has significant potential to improve PACS operations and processes. The Fintech industry, by contrast, faces challenges. There are numerous problems in India's fintech sector, including low levels of financial literacy, privacy and security concerns, inadequate infrastructure in rural regions, user distrust, the digital divide, and varying levels of technical maturity. Policy and regulatory constraints are hindering the growth of India's fintech sector. (S. Buteau, 2021; P.P. Krishna & K. Anusha, 2019).

2.2 PACS: Vijayakumar J. J. and Sukumar S. (2014) examine the number of primary agricultural cooperative societies, the number of members, the amount of money they borrow, the number of loans they disburse, and the number of borrowers. From 2003-04 to 2012-13, India experienced significant growth. Basic agricultural cooperative organizations play a significant role in facilitating farmers' access to financial services and in improving agriculture in India.

Singh R. I., Singh R. P., and Singh A. K. (2000) contended that the services rendered by cooperatives, including both credit and non-credit assistance to farmers, expedite the development of the rural economy, especially among underprivileged groups, by promoting financial mobilization within the agricultural sector. The study shows that cooperative agencies are more important than commercial banks for providing loans. The research concluded that cooperative groups are very accessible to farmers requiring credit services.

The study by Abhiman Das, Manjusha Senapathi, and Joice John (2009) showed that rural farmers have had much easier access to institutional credit throughout the years. At the same time, the role of informal organizations, such as moneylenders, as sources of credit has decreased. The research demonstrates that direct agricultural loans have a considerable and favorable impact on agricultural productivity, yielding immediate effects.

4. Research Methodology: This study employs a descriptive and analytical research design to assess the extent of fintech adoption and digital advancement among Primary Agricultural Credit

Societies (PACS). Secondary data from Coopratives.com, the NCD portal, the Reserve Bank of India, the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), government policy papers, journals, and other key fintech reports were used in the analysis. The research examines variables such as digital payment systems, core banking solutions, mobile banking utilization, loan-processing digitization, and indicators of financial inclusion. To interpret the data, we use statistical methods such as percentages, correlation, and regression analyses, as required and as data availability permits. The results are intended to demonstrate the extent to which digitisation and fintech adopted by PACShow affect PACS's operational efficiency, transparency, accessibility, and overall digital transformation.

5. Digitisation and Computerisation of PACS: PACS is a systemically important type of agricultural credit-providing organization, as it serves a large number of Small and Marginal Farmers (SMFs) at the grassroots level. Moreover, there is a perceived necessity to cultivate cooperatives as dynamic commercial entities by empowering them to offer diverse services to their members through technological support to meet members' needs. The Government of India (GoI) takes several steps to improve the functioning and transparency of PACS, of which digitisation and computerisation are among the most important. With a view to making PACS self-sufficient in line with the "Atmanirbhar Bharat Abhiyaan," the Government of India (GoI) on June 29, 2022, approved a Centrally Sponsored Project to computerize Primary Agricultural Credit Societies for five years, from 2022-23 to 2026-27.

5.1 Objectives of the Project: Some of the goals and objectives of this project are as follows:

I. To make PACS more efficient, accountable, and open, and to boost profits.
II. To ensure that business operations are accurate and consistent, accounting will be conducted with entries made at the point of transaction and reported through standardized processes using the Common Accounting System (CAS) and the Management Information System (MIS).
III. To turn PACS into multi-service organizations that offer a range of services, especially to members and to people living in rural areas, including farming and related activities, as well as financial and non-financial services.
IV. To connect PACS with higher-level organizations and government agencies in agriculture, banking, and rural development so that information can spread to the people.
V. To use PACS's unique advantage, their exclusive member base, to make and offer customized goods and services that will improve the social and economic situations of rural India.
VI. To ensure that the right groups receive the appropriate amounts of money and subsidies through Direct Benefit Transfer.
VII. To provide PACS with the tools needed to offer banking services at home, making it easier for people to access the financial assistance they need.
VIII. To support PACS in using digital acceptance tools, including Point of Sale (POS), mobile POS (mPoS), QR Code Readers, the Green Pin solution, and BHIM. PACS-run businesses like fertilizer stores and seed processing plants use Aadhaar Pay devices and other similar technologies to make transactions without cash or paper.
IX. To bring financial services to villages and areas that don't have financial services.

5.2 Project Cost: Primarily, the total cost of the project is estimated at ₹2516.00 crore, later revised to 2925.39 crore to be shared as under:

Agency	Cost share (₹ Crore)
Government of India (60.73%)	1796.28
State Govt. (29.25%)	877.11
NABARD (10.02%)	252
Total	**2925.39**

5.3 Phasing of the Project: The table below outlines a five-year implementation plan for the computerization of Primary Agricultural Credit Societies (PACS). It specifies how many PACS will be computerized each year and the duration of maintenance and support.

Phasing	Year	Total No. of PACS to be computerized	Maintenance and hand-holding support
Year I	2022-23	13,000	Handholding support of total 5 years from 2022-23 to 2026-27.
Year II	2023-24	20,000	
Year III	2024-25	30,000	
Year IV	2025-26		
Year V	2026-27		
		Total	**63,000***
* Later, the total number of PACS covered under this computerisation project is revised to 79,630 PACS.			

The project is designed to computerize 63,000 PACS in three implementation phases (2022–23 to 2024–25). The remaining two years (2025–26 and 2026–27) are primarily dedicated to maintaining the digital infrastructure and providing technical and operational support, ensuring that the computerized systems function effectively and are sustainably adopted by all PACS.

The secondary data in Table 1: Funds allocated for PACS Computerisation, shows that of the central government's share of 1796.28 crores, only 759.36 crores (42.27%) have been released in the last 4 years. Of which 686.47 crores were utilised for the said purpose, and the balance remains unutilised in various state government funds (72.89 crores). NABARD released 165.92 crore (64.66%) of its 252 crore share. The institutions have not released the full shares in accordance with the project outlay, while the deadline has already passed.

Table-1: Funds allocated for PACS Computerisation (Rs. In Crore)

States/UTs	Amount released in FY 2022-23	Total Expenditure incurred in 2022-23	Amount released in FY 2023-24	Total Expenditure incurred in 2023-24	Amount released in FY 2024-25	Total Expenditure incurred in 2024-25	Amount released in FY 2025-26	Total Expenditure incurred in 2025-26	Fund Untilised = Total Amount Released - Total Expenditure
Maharashtra	87.95	0	33.65	71.88	0	39.38	0	5.32	5.02
Rajasthan	23.78	0	43.3	44.05	11	25.6	0	2.26	6.17
Gujarat	0	0	58.3	7.39	22.19	58.48	0	7.95	6.67
Uttar Pradesh	11.28	0	42.3	24.1	0	15.13	0	3.99	10.36
Karnataka	40.25	0	15.39	36.67	0	2.69	0	1.27	15.01
Madhya Pradesh	33.23	0	25.42	43.47	0	8.88	0	2.02	4.28
Tamil Nadu	33.2	0	12.48	25.78	0	17.34	0	0	2.56
Bihar	32.95	0	0	4.48	14.66	32.43	0	6.07	4.63
West Bengal	30.54	0	0	6.45	0	6.35	0	17.74	0
Punjab	25.52	0	0	10.2	0	10.8	0	0.74	3.78
Andhra Pradesh	14.93	0	3.74	0	14.54	28.15	0	5.06	0
Chhattisgarh	14.86	0	0	4.51	10.21	18.28	0	2.28	0
Himachal Pradesh	9.56	0	7.32	13.13	3.09	3.74	0	3.07	0.03
Jharkhand	10.99	0	0	5.45	15.1	12.82	0	0	7.82

Haryana	4.85	0	2.44	0	0	7.09	0	0	0.2
Uttarakhand	0	0	3.69	0	0	0.29	0	0.24	3.16
Assam	6.41	0	2.45	6.41	6.39	5.71	0	3.08	0.05
J&K	5.25	0	1.52	5.25	1.85	2.21	0	1.16	0
Tripura	2.95	0	1.13	3.55	3.03	2.55	0	0.26	0.75
Manipur	2.55	0	0	0	0	2.09	0	0.36	0.1
Nagaland	0.36	0	2.46	0.64	1.6	3.77	0	0	0.01
Meghalaya	1.23	0	0	1.03	0	0.23	1.11	0	1.08
Sikkim	1.18	0	0.9	1.59	0.79	0.45	0	0.18	0.65
Goa	0.32	0	0.13	0.3	0.44	0.21	0	0.06	0.32
Andaman & Nicobar	0	0	0.69	0	0	0.62	0	0	0.07
Puducherry	0.44	0	0.17	0.41	0	0.07	0	0.13	0
Mizoram	0.27	0	0	0.21	0.44	0.34	0	0.04	0.12
Arunachal Pradesh	0.15	0	0.12	0.21	0.09	0.08	0	0	0.07
Ladakh	0	0	0.12	0	0	0.02	0	0	0.1
DNH&DD	0	0	0	0	0.12	0.06	0	0.05	0.01
Total	**395**	**0**	**257.71**	**317.14**	**105.54**	**305.89**	**1.11**	**63.44**	**72.89**

(Source: Author's calculation with the help of https://www.cooperation.gov.in/en/rs-parliament-questions unstarred question no. 328 dated 23 July, 2025

The secondary data in Table 2: PACS Computerisation Project Status (As on 30th June 2025) indicates a steady 82% increase in the overall digital transformation of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) over the past four years. In 15 states, almost 100% computerisation was achieved within the stipulated time frame. Only two states have less than 50% computerisation of PACS, of which Odisha has recently joined the project. The proportion of PACS connected to core banking infrastructure increased significantly during the period. Government-led computerisation initiatives and integration with cooperative banking networks were also undertaken in parallel.

Table-2: PACS Computerization Project Status (As on 30th June 2025)

S. No	States	Approved PACS	ERP On boarded	Percentage
1	Chhattisgarh	2,028	2,028	100 %
2	Uttarakhand	670	670	100%
3	ANI	46	46	100%
4	Ladakh	10	10	100%
5	DNH&DD	4	4	100%
6	Tamil Nadu	4,532	4,531	100%
7	J&K	537	536	100%
8	Maharashtra	12,000	11,954	100%
9	Assam	583	579	99%
10	Bihar	4,495	4,460	99%
11	Andhra Pradesh	2,037	2,021	99%
12	Punjab	3,482	3,408	98%
13	Gujarat	5,754	5,627	98%
14	Sikkim	107	103	96%
15	Puducherry	45	43	96%
16	Meghalaya	112	99	88%
17	Haryana	710	609	86%
18	Madhya Pradesh	5,188	4,428	85%
19	Rajasthan	7,468	5,900	79%
20	Arunachal Pradesh	14	11	79%
21	Goa	58	45	78%
22	Tripura	268	207	77%

23	West Bengal	4,167	3,145	75%
24	Manipur	232	175	75%
25	Karnataka	5,682	3,765	66%
26	Himachal Pradesh	1,789	965	54%
27	Uttar Pradesh	5,686	3,048	54%
28	Mizoram	49	25	51%
29	Jharkhand	2,797	1,414	51%
30	Nagaland	231	64	28%
31	Odisha	2,711	0	0%
	Total	**73,492**	**59,920**	**82%**
Source: Rajya Sabha Parliament Questions | Ministry of Cooperation unstarred question no. 331 dated 23 July, 2025				

The data indicate that the PACS Computerization Project has progressed significantly at the national level, with 82% of approved PACS onboarded by June 2025. However, the implementation has been uneven across states. While several states have completed or nearly completed ERP onboarding, others—particularly Nagaland and Odisha—lag considerably behind. These disparities suggest differences in administrative preparedness, digital infrastructure, technical capacity, and implementation efficiency. Strengthening support, infrastructure, and monitoring in low-performing states will be essential for achieving the project's objective of universal computerization of PACS across India.

The e-PACS platform enables integration with banks, District Central Cooperative Banks (DCCBs), NABARD systems, and other Government portals, and can also enable PACS to function as Common Service Centres, thereby expanding digital access for rural citizens.More than 47,918 PACS are equipped and trained to operate Common Service Centers (CSCs) to deliver more than 300 e-services, including banking, insurance, electricity bill payments, health services, and legal services, to unserved rural citizens. 36,592 PACS are designated as Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Kendras (PMKSK) to provide fertilizers, pesticides, and various other agri inputs to farmers under one roof. So far, 762 PACS have received Store Codes from PMBI and are ready to function as Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras (PMBJK) to ensure the availability of quality generic medicines to rural citizens at affordable prices.

PACS are established as central hubs for facilitating benefits from various schemes in rural areas, including the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Kendra (PMKSK), interest subvention, fertilizer and seed distribution, Public Distribution System (PDS) outlets, LPG/Petrol/Diesel dealerships, custom hiring, PM Jan Aushadhi Kendras, Common Service Centres, and integration with state-specific portals such as the Bhulekh portal (in U.P. and M.P.), e-KYC and e-Uparjan (M.P.), e-Crop, CCRC (Andhra Pradesh), and additional schemes from other states, as well as with Cooperative Banking systems. A standardised, cloud-enabled national-level software has been deployed across all PACS to ensure transparency, audit readiness, timely reporting, and integration with Cooperative Banking.

Following the computerisation of PACS, PACS are now enabled for Online member registration, Digital loan applications and sanction workflows, SMS alerts, online passbooks, and Digital records of crop loans, gold loans, input distribution and recovery transactions etc.

6. Limitations of the Study: In this study, we explore fintech and digitalisation in PACS. This study provides meaningful insights into fintech utilisation and digital development in Primary Agricultural Credit Societies (PACS); several limitations must be acknowledged to contextualise the findings. Limited access to standardised secondary data from PACS restricted the conduct of deeper quantitative and comparative analyses.

Conclusion: This study examined the use of fintech and digital technologies within Primary Agricultural Credit Societies (PACS) in India's rural financial system. PACS are important for financial inclusion, agricultural credit delivery, and the transformation of the rural economy. They are grassroots cooperative institutions that the Reserve Bank of India regulates and the National Bank for Agriculture and Rural Development guides.

Fintech integration, such as digital payment systems, core banking solutions, Aadhaar-enabled services, mobile banking platforms, and data-driven credit evaluation tools, has made PACS more efficient, open, and accessible. Digitalization has made it easier to manage loans, maintain records, monitor transactions, and track money movements in real time. Interoperability with national digital infrastructure, such as the National Payments Corporation of India ecosystem, has improved last-mile connectivity and enhanced access to formal financial services for small and marginal farmers.

The research nonetheless indicates that structural and institutional problems persist. The implementation of fintech is slow due to challenges related to infrastructure, digital literacy, cybersecurity, technical competence, and organizational resistance to change. Disparities in digital readiness across regions indicate that implementation strategies should be tailored to local contexts rather than adhering to conventional policy guidelines.

The results suggest that the adoption of fintech in PACS represents a major change process, not merely a means of modernizing technology. For digital transformation to be sustainable, we need to establish robust capabilities, stricter policies and regulations, and sustained financial support. For digital integration to be safe and accessible to everyone, governments, cooperative federations, fintech companies, and local stakeholders must collaborate. Last but not least, digital development driven by fintech strengthened Primary Agricultural Credit Societies and helped more people in rural areas access financial services.

References:

1. Chen, M. A., Wu, Q., & Yang, B. (2019). How Valuable Is FinTech Innovation? In Review of Financial Studies (Vol. 32, Issue 5, pp. 2062–2106). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/rfs/hhy130
2. J., & S, S. (2014). Role of Primary Agricultural Cooperative Credit Societies in Financial Inclusion and Agricultural Development. Indian Streams Research Journal, 4(11).
3. Singh, R., Singh, R., & Singh, A. (2000). Role of Cooperatives in agricultural financing: A case study of Basti District, U. P. Indian Cooperative Review, 28.
4. P. A., & S. (2019). Fintech: Ushering In A Digital Revolution. In International Journal of MultiDisciplinary Research (Vol. 3, Issue 2).
5. Das, A., Senapathi, M., & John, J. (2009). Impact of Agriculture Credit on Agriculture Production: An Empirical Analysis in India. Reserve Bank of India Occasional Papers, 30(2).
6. Thakor, A. v. (2020). Fintech and banking: What do we know? Journal of Financial Intermediation, 41. https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833
7. Senapati, S. and Bhatia, A. (2018) A Study on the Contributions of PACS towards Inclusive Growth of Rural Economy. Theoretical Economics Letters, 8, 2818-2829.
8. Buteau, S. (2021). Roadmap for digital technology to foster India's MSME ecosystem opportunities and challenges. CSI Transactions on ICT, 9(4), 233–244. https://doi.org/10.1007/s40012-021-00345-4
9. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2223294&reg=3&lang=2
10. https://www.cooperation.gov.in/en/rs-parliament-questions
11. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2158335&reg=3&lang=2
12. https://cooperatives.gov.in/en/home/cooperative-sector-wise-list-reports/sector/1
13. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2077945&reg=3&lang=2#:

Cite the article:	Jaiswal Rachit and Srivastava, Dr. Abhilash Kumar (2026). An Analytical Study of Fintech Utilisation and Digital Development in Primary Agricultural Credit Societies. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-1, January–March 2026, Pp.91–98. https://doi.org/10.5281/zenodo.21626381

Bundelkhand Journal of Academic Research

Cooperative Development and Education in India: A Study of Institutional Growth, Capacity Building and Socio-Economic Impact

Dr. Updesh Chhimwal[1], Lokesh Kumar[2]

1. **Assistant Professor (English),** Government Raza P.G. College Rampur, Uttar Pradesh.
2. **Assistant Professor (Mathematics),** Government Raza P.G. College Rampur, Uttar Pradesh.

(**Corresponding Author:** lokeshkumarnbd@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21626500

Abstract

The cooperative movement in India has emerged as a significant institutional mechanism for promoting inclusive economic development, social equity, and democratic participation. Cooperatives play a vital role in sectors such as agriculture, dairy, credit, housing, and fisheries, particularly benefiting small producers, marginal farmers, and economically weaker sections. This research paper examines the relationship between cooperative development and cooperative education in India, emphasizing how education and training influence governance, efficiency, and sustainability of cooperatives. The study adopts a mixed-methods approach, combining qualitative analysis of policy documents, institutional reports, and cooperative education frameworks with quantitative survey data collected from cooperative members across selected Indian states. The findings reveal that cooperative education significantly enhances member participation, leadership quality, financial transparency, and operational performance. However, challenges such as inadequate training infrastructure, uneven access to education, and limited integration of modern management practices persist. The study highlights the need for institutionalized and continuous cooperative education, supported by government agencies, cooperative federations, and academic institutions. By linking education with cooperative development outcomes, this paper contributes to the existing literature and offers policy recommendations aimed at strengthening the cooperative sector in India. Strengthening cooperative education is essential for ensuring sustainable development, empowering members, and reinforcing the democratic ethos of cooperatives in a rapidly changing socio-economic environment.

Article Info			
	Received: 19 Feb, 2026	**Accepted:** 12 March, 2026	**Published:** 31 March, 2026
	Table: 04	**Figures & Graphs:** 00	**Sources & Ref.:** 06
	Keywords: Cooperative, Education, Capacity Building, Participation, Social Equity.		

1. Introduction and Background: The cooperative movement in India represents one of the most enduring and widespread forms of collective economic organization. Rooted in principles of mutual aid, democratic governance, and equitable distribution of benefits, cooperatives have historically served as instruments of socio-economic transformation, particularly in rural and agrarian regions. The formal cooperative movement in India began with the enactment of the Cooperative Credit Societies Act of 1904, introduced during the colonial period to address rural indebtedness and exploitative lending practices (Bedi & Singh, 2018). Since independence, cooperatives have expanded across diverse sectors, including agriculture, dairy, sugar, fisheries,

housing, handlooms, and banking. India's cooperative sector today encompasses over 8.5 lakh cooperative societies with a membership exceeding 290 million, making it one of the largest cooperative movements globally (Government of India, 2021). Cooperatives such as AMUL in the dairy sector and Primary Agricultural Credit Societies (PACS) in rural finance demonstrate the transformative potential of collective enterprise when supported by sound institutional frameworks and member participation.

Despite their scale and reach, many cooperatives in India struggle with issues such as weak governance, political interference, poor financial management, and low member awareness. These challenges often stem from inadequate education and training of cooperative members, leaders, and employees. Cooperative education, therefore, plays a crucial role in strengthening the institutional capacity of cooperatives and ensuring their sustainability. Cooperative education refers to the systematic process of imparting knowledge about cooperative principles, values, laws, management practices, and democratic functioning. It includes formal education programs, training workshops, extension activities, and awareness campaigns aimed at empowering members and leaders. International cooperative principles, particularly the fifth principle—"Education, Training, and Information"—underscore the importance of education as a foundation for cooperative success (International Cooperative Alliance [ICA], 2020).

This research paper explores the interrelationship between cooperative development and education in India. It examines how education contributes to improved governance, member participation, and economic performance, while also identifying gaps and challenges in the current cooperative education framework.

2. Materials and Methods: The study adopts a mixed-methods research design, integrating qualitative and quantitative approaches to provide a comprehensive understanding of cooperative development and education in India. This approach enables triangulation of data and enhances the reliability of findings.

2.1. Research Design: The study adopts a "mixed-methods research design", integrating qualitative and quantitative approaches to provide a comprehensive understanding of cooperative development and education in India. This approach enables triangulation of data and enhances the reliability of findings.

2.2. Data Sources: Primary data were collected through a structured questionnaire administered to 400 cooperative members across five Indian states: Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, and West Bengal. These states were selected to represent regional diversity and varying levels of cooperative development. The questionnaire focused on: Awareness of cooperative principles and laws; Participation in cooperative education and training programs; Member involvement in governance and decision-making; Perceived impact of education on cooperative performance. Whereas Secondary data were obtained from: Government reports and policy documents; Publications of the National Cooperative Union of India (NCUI); Reports from the Ministry of Cooperation; Government of India

Academic journals, books, and conference proceedings.

2.3. Sampling Technique: A **stratified random sampling method** was used to ensure representation from different types of cooperatives, including agricultural, dairy, and credit cooperatives. Respondents included ordinary members, elected board members, and cooperative employees.

2.4. Data Analysis: Quantitative data were analyzed using descriptive statistics such as percentages, mean scores, and cross-tabulations. Qualitative data from policy documents and open-

ended survey responses were analyzed using thematic analysis to identify recurring patterns related to education and development outcomes.

3. Results and Findings:

3.1. Status of Cooperative Education: The findings reveal that approximately 62% of respondents had participated in at least one cooperative education or training program.

Table 1: Distribution of Respondents by Type of Cooperative

Type of Cooperative	Number of Respondents	Percentage
Agricultural Cooperatives	160	40.0
Dairy Cooperatives	120	30.0
Credit Cooperatives	90	22.5
Other Cooperatives (Housing, Handloom, etc.)	30	7.5
Total	**400**	**100.0**

However, participation levels varied significantly across regions and types of cooperatives. Dairy cooperatives reported higher training exposure compared to agricultural credit societies. The table shows that agricultural and dairy cooperatives dominate the sample, reflecting their widespread presence and importance in India's cooperative structure.

Table 2: Participation of Members in Cooperative Education Programs

Participation Level	Number of Respondents	Percentage
Regular Participation	148	37.0
Occasional Participation	100	25.0
Rare Participation	72	18.0
No Participation	80	20.0
Total	400	100.0

Nearly 62% of respondents reported regular or occasional participation in education programs, indicating moderate outreach but also highlighting the need to expand access.

Table 3: Impact of Cooperative Education on Member Awareness

Awareness Indicator	Educated Members (%)	Non-Educated Members (%)
Knowledge of Cooperative Principles	78	41
Awareness of Rights and Duties	82	45
Participation in General Body Meetings	74	38
Confidence in Decision-Making	69	33

Educated members consistently demonstrate higher awareness and participation, confirming the positive role of cooperative education in strengthening democratic functioning.

Table 4: Perceived Governance Quality and Education

Governance Indicator	High Education Exposure (%)	Low Education Exposure (%)
Transparency in Accounts	71	39
Fair Election Practices	68	35
Accountability of Management	73	42
Conflict Resolution	66	31

Cooperatives with higher education exposure show better governance outcomes, particularly in transparency and accountability.

3.2. Impact on Member Awareness and Participation: Members who had received cooperative education demonstrated significantly higher awareness of: Cooperative principles and values; Rights and responsibilities of members; Procedures for elections and decision-making; Educated members were more likely to attend general body meetings, vote in elections, and question management decisions, indicating stronger democratic participation.

3.3. Governance and Leadership Outcomes: Cooperatives with regular training programs reported: Better record-keeping and financial transparency; improved leadership skills among board members; reduced internal conflicts and disputes; Statistical analysis showed a positive correlation between frequency of education programs and perceived governance quality.

3.4. Operational and Economic Performance: Respondents from cooperatives with structured education initiatives reported: Improved efficiency in service delivery; higher member satisfaction; Better adoption of modern practices such as digital accounting and marketing; Case studies revealed that cooperatives linked with institutions like NCUI and agricultural universities were more resilient during economic shocks.

3.5. Challenges in Cooperative Education: Despite positive outcomes, several challenges were identified: Inadequate funding for education and training; Shortage of qualified trainers; Irregular and one-time training programs; Limited use of digital and online learning platforms

These constraints limit the long-term impact of cooperative education initiatives.

4. Discussion: The findings reaffirm the central role of education in cooperative development, consistent with international cooperative theory and empirical studies. Education acts as a catalyst for empowering members, strengthening democratic governance, and improving economic performance. The uneven distribution of educational opportunities, however, creates disparities in cooperative effectiveness across regions and sectors. The study highlights the need for moving beyond ad hoc training toward institutionalized, continuous learning systems. Integrating cooperative education into formal curricula, leveraging digital platforms, and fostering partnerships with academic institutions can address existing gaps.

Conclusion: This research concludes that cooperative education is a critical determinant of successful cooperative development in India. Education enhances member awareness, promotes democratic participation, strengthens governance, and improves operational efficiency. While India possesses a vast cooperative network, its potential can only be fully realized through sustained investment in education and capacity building. Policymakers should prioritize cooperative education by allocating dedicated funding, strengthening institutions like NCUI, and encouraging innovation in training delivery. Cooperative federations and leaders must view education not as an expense but as a strategic investment in sustainability. Strengthening cooperative education will ensure that cooperatives continue to serve as engines of inclusive growth, social justice, and economic democracy in India.

References:

1. Bedi R, & Singh S. (2018). Cooperative movement in India: Growth and challenges. Indian Journal of Agricultural Economics, 73(3), 356–368.
2. Government of India (2021) Annual report on cooperative development Ministry of Cooperation.
3. International Cooperative Alliance (2020). Cooperative identity, values and principles ICA Publications.
4. National Cooperative Union of India. (2019). Education and training in cooperatives. NCUI.
5. Singh, P. & Kaur, H. (2020) Role of cooperative education in strengthening governance. International Journal of Cooperative Studies, 11(2), 45–60.
6. World Bank. (2017). Enhancing cooperative performance in developing economies. World Bank Publications.

Cite the article:	Chhimwal, Dr. Updesh and Kumar, Lokesh (2026). Cooperative Development and Education in India: A Study of Institutional Growth, Capacity Building and Socio-Economic Impact. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-1, January–March 2026, Pp.99–103. https://doi.org/10.5281/zenodo.21626500

Bundelkhand Journal of Academic Research

Digital Payments and Financial Inclusion in India: Assessing the Role and Preparedness of Cooperative Banks in the UPI Era

Dristi Jaiswal[1], Dr. Neelam Maurya[2]

1. **Research Scholar,** Dr. Rammanohar Lohiya Avadh University, Ayodhya, Uttar Pradesh.
2. **Research Supervisor (Associate Professor),** Rajkiya Post Graduate College, Musafirkhana, Amethi, Uttar Pradesh. (**Corresponding Author:** jaiswaldristi@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21626612

Abstract

The rise of digital payment has transformed the financial landscape of India over the past decade. Among these developments, the Unified Payments Interface (UPI) introduced in 2016 by the National Payments Corporation of India (NPCI), has popped up as a key driver of digital transactions and financial inclusion. At the same time, cooperative banks—particularly urban and rural cooperative banks—continue to play an important role in serving semi-urban and rural populations that remain partially integrated into the formal financial system. This paper aims to study the role and awareness of cooperative banks in India within the changing UPI ecosystem. The paper aims to study the structure of cooperative banks and their contribution to financial inclusion, and the technological, regulatory, and the difficulties they face in adapting to UPI-led digital transformation. This paper is entirely based on secondary data drawn from reports of the Reserve Bank of India, NABARD, Ministry of Finance, and the World Bank, the study gives a descriptive assessment of digital payment growth and institutional readiness. It draws that while cooperative banks possess strong local outreach and trust-based relationships, their readiness for full digital integration varies significantly. Issues relating to technologies, cyber security awareness, and compliance capacity remain a challenge. The paper concludes with policy suggestions aimed at strengthening cooperative banks' digital capabilities to ensure inclusive and sustainable participation in India's rapidly changing digital payment ecosystem.

Article Info			
	Received: 25 Feb, 2026	**Accepted:** 14 March, 2026	**Published:** 31 March, 2026
	Table: 00	**Figures & Graphs:** 00	**Sources & Ref.: 0**6
	Keywords: Financial Inclusion, Cooperative, UPI, Digital Banking, transformation.		

1. Introduction: The Indian financial system has undergone a remarkable transformation in the last decade, particularly with the rapid growth of the digital payment system. The increasing use of mobile technology, internet connectivity, and policy support for a less-cash economy has transformed the way individuals and business houses conduct financial transactions.

Digital payments are no longer limited to urban and corporate users; they are gradually becoming part of everyday financial activity across semi-urban and rural areas as well. A major turning point in this evolution was the launch of the Unified Payments Interface (UPI) by the National Payments Corporation of India. UPI enabled real-time, low-cost, and user-assessable fund transfers through mobile devices, thus simplifying cashless transactions for millions of users. As highlighted in various reports of the Reserve Bank of India, UPI has become one of the fastest-

growing digital payment systems in the country. Its interoperability and ease of use have contributed notably to expanding access to formal financial services.

At the same time, financial inclusion has remained a central policy objective in India. The government and the banking regulator have routinely underlined the need to ensure that banking services reach underserved sections of society, including low-income households, small farmers, micro-entrepreneurs, and informal workers. According to the World Bank, India has made remarkable progress in expanding access to bank accounts in recent years, particularly after the introduction of large-scale inclusion initiatives. However, access alone does not guarantee active usage, and digital platforms are increasingly seen as a means to deepen financial inclusion.

In this context, cooperative banks occupy a unique place within the Indian banking structure. These institutions, including urban cooperative banks and rural cooperative credit institutions, have historically served local communities and played an important role in extending credit and basic banking services to segments that may not be adequately covered by commercial banks. Their strong local presence and community-based model provide them with certain advantages in promoting inclusive banking. At the same time, the digitalization led by UPI brings both opportunities and challenges for these institutions.

The growing dominance of UPI in retail payments underlines important questions regarding the readiness of cooperative banks to integrate effectively into this digital ecosystem. Issues related to technical underpinnings, regulatory compliance, cyber security awareness, and operational capability become especially relevant. Therefore, this study wants to examine the role of cooperative banks in supporting digital financial inclusion and to assess their readiness in the UPI era, based on secondary data and institutional reports.

1.1. Objectives of the study: The Main objectives of the present research study are as follows:

1. To examine the growth and expansion of digital payment systems in India, particularly the rise of UPI as highlighted in reports of the Reserve Bank of India (RBI) and the National Payments Corporation of India (NPCI).
2. To analyse the role of cooperative banks in promoting financial inclusion, especially in rural and semi-urban areas, using insights from reports of NABARD and other published documents.
3. To examin the extent of integration of cooperative banks with the UPI framework, and to compliment with the opportunities created by digital payment systems for coorporatives.
4. To evaluate the consciousness of cooperative banks in terms of technological framework, regulatory compliance, cybersecurity awareness, and operational capability in adapting to the digital payment environment.

2. Growth of Digital Payments in India:

The rise of digital payments in India has been one of the most important developments in the country's financial sector in the past decade. With increasing mobile penetration, expansion of internet connectivity, and strong policy support for a less-cash economy, digital payments have steadily replaced traditional cash-based payments in many segments of the economy. According to reports of the Reserve Bank of India, digital payment volumes have shown consistent growth year after year. The RBI's Digital Payments Index reflects sustained improvement in payment infrastructure, performance, and consumer adoption. This growth has been pushed by variations such as mobile banking, Immediate Payment Service (IMPS), Aadhaar Enabled Payment System (AePS), card networks, and prepaid payment instruments.

The most transformative development in recent years has been the rapid expansion of the Unified Payments Interface (UPI), introduced by the National Payments Corporation of India. Since its launch, UPI has grown from a relatively small payment platform into the dominant retail digital payment system in India. According to recent RBI and NPCI reports, UPI contributes a prominent share of total digital transaction volumes in the country. The system allows real-time fund transfers between bank accounts through mobile applications, making transactions quick, low-cost, and accessible to a wide range of users.

One of the major reasons for UPI's growth has been its interoperability and simplicity. One can link more than one bank account to a single mobile application and carry on transactions without sharing detailed bank information. The unification of UPI with popular mobile applications and QR code-based payment systems has made it popular among small merchants and micro-enterprises.

Its rise has further contributed in financial inclusion by uplifting active usage of bank accounts. Earlier, financial inclusion efforts focused mainly on opening accounts. With the expansion of digital payment gateways, account holders are increasingly able to use their accounts for daily transactions, remittances, bill payments, and small-value purchases. This shift from access to active participation marks an important stage in the financial inclusion process.

3. Cooperative Banks in India; Structure and Role in Financial Inclusion: Cooperative banks form an important component of India's banking system, particularly in extending financial services to rural, semi-urban, and lower-income segments. Unlike commercial banks, cooperative banks operate on the principle of mutual assistance and democratic management, where members are both customers and shareholders. Their structure is formed with the aim to promote community-based banking and local development.

The cooperative banking structure in India is broadly divided into two segments: urban cooperative banks (UCBs) and rural cooperative credit institutions. Rural cooperative institutions follow a three-tier structure in many states—State Cooperative Banks at the apex level, District Central Cooperative Banks at the intermediate level, and Primary Agricultural Credit Societies at the grassroots level. These institutions primarily focus on agricultural credit, small loans, and local financial needs. Urban cooperative banks, on the other hand, cater mainly to small traders, self-employed individuals, and middle-income households in urban and semi-urban areas.

As per the reports of the Reserve Bank of India, cooperative banks perform a crucial role in strengthening financial inclusion by offering savings accounts, credit facilities, and basic banking services to customers who may not be fully served by commercial banks. As they are familiar with community conditions which enables them to reach sections of society that are often untouched from mainstream banking channels. Over the years, government initiatives focus at expanding formal banking coverage have indirectly strengthened the importance of cooperative banks. Through participation in government-sponsored schemes and rural credit programs, these institutions have facilitated access to institutional finance for farmers, small businesses, and low-income households.

The structure of cooperative banks has certain limitations which can be like variations in governance quality, capital adequacy, and digital framework across states affect their performance. When we compare it to large commercial banks, cooperative banks most of the time operate with limited financial and technological resources. These structural characteristics become particularly crucial in the context of digital transformation and unification with modern payment systems such as UPI.

4. UPI Integration and Cooperative Banks; Opportunities and Challenges: The sudden growth of the Unified Payments Interface (UPI), developed by the National Payments Corporation of India, has drastically changed the structure of retail payments in India. As digital payments increasingly become the preferred mode of transaction, cooperative institutions must align themselves with this evolving framework to remain competitive and relevant. UPI ecosystem is both a strategic opportunity and a structural challenge for cooperative banks.

4.1. Opportunities:

- **Preparedness of Cooperative Banks in the UPI Ecosystem:** There are various factors which shapes the readiness of cooperative banks to operate effectively within the UPI ecosystem. To assess the readiness of cooperative banks needs to examine the technology stack, regulatory compliance, cyber security readiness, and financial as well as operational capability.
- **Regulatory Compliance:** Regulatory compliance is both a necessary condition for digital participation and a practical challenge for resource-constrained institutions.
  Cooperative banks must comply with prudential norms, reporting requirements, and digital transaction guidelines. Regulatory supervision has strengthened in recent years, particularly after amendments to banking regulation laws affecting cooperative institutions. The RBI has enhanced oversight mechanisms to ensure greater financial discipline and risk management within cooperative banks.
- **Technological Readiness:** In rural areas, issues such as inadequate internet connectivity and limited digital literacy among customers further affect effective utilization of UPI services. Technological infrastructure is the laying stone of participation in digital payment systems. It requires amalgamation with robust core banking solutions, real-time payment processing capabilities, secure APIs, and mobile banking interfaces. Many urban cooperative banks have adopted Core Banking Systems (CBS), the level of digital maturity differs significantly across institution. Recent policy emphasis by the Reserve Bank of India has encouraged cooperative banks to strengthen their IT systems. However, smaller banks often face constraints in upgrading legacy systems due to limited financial resources.
- **Cyber security Concerns:** Cooperative banks must implement strong encryption standards, fraud detection systems, and periodic security audits .The expansion of digital payments comes with the exposure to cyber risks. In comparison with large commercial banks corporative banks have less access to fraud detection and cybercrimes.
- **Financial and Operational Capacity:** Financial strength influences digital readiness. Upgrading IT infrastructure, training employees, and maintaining secure systems involve considerable expenditure.

4.2. Key Issues and Constraints: While cooperative banks have significant potential to contribute to digital financial inclusion, their transition into the UPI-driven payment ecosystem is not without limitations. Several structural, operational, and institutional constraints continue to affect their performance and long-term sustainability in the digital environment.

1. **Structural Weaknesses in Governance:** Cooperative banks are member-driven institutions and are often influenced by local leadership and state-level policies it is one of the consistent issues in the cooperative banking sector. Regulatory oversight has strengthened under the supervision of the Reserve Bank of India, governance reforms at the institutional level remain uneven across states in some cases, and governance challenges such as political interference, weak board oversight, and limited professional management affect decision-making efficiency.

2. **Limited Capital Base:** Compared to commercial banks, cooperative banks typically operate with a smaller capital base and lower profitability margins. Digital integration requires investment in IT infrastructure, cyber security systems, staff training, and compliance mechanisms. For financially constrained banks, allocating resources toward digital expansion may compete with core lending activities. Limited access to external capital markets further restricts their ability to raise funds for modernization. As a result, digital upgrades often proceed gradually rather than through large-scale transformation.
3. **Technological Gaps and Digital Literacy:** Not all cooperative banks have fully integrated Core Banking Systems or advanced mobile banking platforms. System downtime, transaction delays, and interoperability issues can affect customer confidence.
4. **Cyber security and Fraud Risks:** The increasing use of digital platforms has led to rising concerns about fraud and cybercrime. Cooperative banks may lack dedicated cyber security departments or advanced monitoring tools. This exposes them to operational risks and potential reputational damage.
5. **Dual Regulatory Structure:** Rural cooperative institutions operate under a dual regulatory framework involving both state authorities and central regulators, with supervisory support from NABARD. Coordination between regulatory bodies is essential to ensure smooth digital integration. Delays in approvals, compliance clarifications, or policy implementation can affect the pace of modernization.
6. **Competition from Commercial Banks and Fintech Firms:** The digital payments ecosystem is highly competitive. Large commercial banks and fintech companies offer seamless mobile applications, customer support, and innovative payment features. Cooperative banks must compete with these institutions despite having relatively limited resources. If cooperative banks are unable to provide comparable digital services, customers—especially younger and urban users—may shift toward alternative platforms. This could gradually reduce the relevance of cooperative institutions in certain segments.

5. Government & RBI Initiatives Supporting Digital Inclusion: The expansion of digital payments in India has been supported by coordinated efforts from the Government of India and financial regulators. These initiatives aim to strengthen digital infrastructure, improve access to formal banking services, and promote secure electronic transactions. Cooperative banks, as part of the formal financial system, are direct beneficiaries of these policy measures.

1. **Policy Push towards Digital Payments:** Government of India has actively promoted digital transaction platforms, including the Unified Payments Interface (UPI), developed by the National Payments Corporation of India. 2016 was a major turning point in India's digital payment journey was the policy emphasis on a less-cash economy .Digital payment campaigns, incentives for merchants, and awareness programs have expanded the use of QR-based payments and mobile banking services.
2. **Financial Inclusion Initiatives:** The foundation for digital inclusion was laid through large-scale financial inclusion programs. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) significantly increased the number of basic savings bank accounts, especially among rural

and low-income populations. Although PMJDY accounts are primarily associated with commercial banks, cooperative banks have also contributed to expanding account coverage in certain regions. In addition, the expansion of Aadhaar-based identification and mobile connectivity has strengthened the JAM (Jan Dhan–Aadhaar–Mobile) framework. This integration has facilitated direct benefit transfers and digital payments, thereby increasing transaction activity in newly opened accounts.

3. **Regulatory Strengthening of Cooperative Banks:** The Reserve Bank of India has undertaken several measures to enhance the stability and governance of cooperative banks. Amendments to banking regulation laws have increased RBI's supervisory powers over urban cooperative banks. Strengthened oversight improves confidence in the sector and encourages modernization, including digital integration.RBI has also issued guidelines on cyber security frameworks, digital transaction security, grievance redress mechanisms, and IT governance. These guidelines aim to ensure that cooperative banks adopting UPI services maintain adequate operational and security standards.
4. **Capacity Building and Technological Support:** Institutional support from NABARD has been particularly important for rural cooperative institutions. NABARD provides supervisory assistance, capacity-building programs, and technological guidance. Training programs focused on digital banking operations, risk management, and financial inclusion help strengthen institutional readiness. Government initiatives promoting digital literacy, such as awareness campaigns in rural areas, indirectly support cooperative banks by encouraging customers to adopt electronic payment modes.

6. Findings: The analysis of secondary data from reports of the Reserve Bank of India, National Payments Corporation of India, NABARD, and other institutional sources indicates several important findings regarding digital payments and the role of cooperative banks in the UPI era.

1) **Rapid Growth of UPI and Digital Transactions:** The expansion of smart phones, internet connectivity, and digital literacy has contributed in the rapid growth of UPI and digital transactions. As per the reports published by RBI and various other institutions UPI has emerged as the dominant retail digital payment system in India. Transaction volumes and values have increased consistently over the past few years, reflecting growing public trust and widespread adoption.
2) **Uneven Participation of Cooperative Banks:** There is a disparity in participation of cooperative banks in the UPI ecosystem. Many smaller rural cooperative institutions face infrastructural and financial constraints that slow down their digital transition whereas, larger urban cooperative banks appear to be relatively better integrated into digital platforms.
3) **Regulatory Reforms Strengthening Stability:** Recent regulatory reforms have strengthened supervisory oversight over cooperative banks. Enhanced powers granted to the RBI and improved compliance requirements have increased institutional accountability. This regulatory strengthening creates a more stable environment for digital expansion. However, compliance costs and operational adjustments required to meet digital security standards remain challenging for smaller institutions.

7. Suggestions & Policy Recommendations: On analyzing the secondary sources of institutional reports and policy documents, several measures can be suggested to strengthen the role and preparedness of cooperative banks in the UPI-driven digital payment ecosystem.

1. **Strengthening Technological Infrastructure:** In order to contribute more to strengthen the Indian financial system whereas smaller rural institutions require continued support and modernization. Cooperatives have limited capital base which restrict them to modernize their structure in order to tackle this a shared technology model may be more feasible.
2. **Enhancing Capacity Building and Training:** Digital transformation requires skilled human resources it is not just confined to technology. To utilize the human resource provisions for regular training programs for managerial staff and operational employees to improve their understanding of digital banking operations, cybersecurity protocols, and grievance redress mechanisms.
3. **Improving Governance and Professional Management:** In order to get long-term digital sustainability strengthening governance structures is essential for cooperative banks. Cooperative banks should adopt more professional management practices, transparent decision-making processes, and clear accountability mechanisms
4. **Strengthening Cyber security Frameworks:** As digital transactions increasing comes higher exposure to cyber risks are also increasing proportionately. Cooperative banks must implement strong cyber security frameworks, including multi-factor authentication, transaction monitoring systems, and regular security audits.
5. **Promoting Inclusive Digital Outreach:** Cooperative banks should leverage their strong local presence to promote digital inclusion among farmers, self-help groups, and small traders. Introducing simplified mobile interfaces, multilingual support, and assisted digital services at branch levels can make UPI adoption more accessible. Special focus should be placed on bridging the digital divide in rural and semi-urban areas by integrating digital literacy initiatives with banking outreach programs.

Conclusion: Unified Payments Interface (UPI), has drastically changed the country's financial landscape. Digital transactions have extentd their roots to rural areas not just confined to urban areas.Their reach to rural areas have transformed the meaning of financial inclustion is not just confined to opening bank accouts but also covers their active usage.

Cooperative banks occupy an important but transitional role in this evolving framework. Cooperatives have already played an important role in promoting inclusive banking by serving small borrowers, farmers, micro-entrepreneurs, and low-income households. Their community based approach, localized structure and rural outreach have significantly contributed to expand access to formal financial services.

The shift towards digital payment systems comes with both opportunities and challenges. On one hand integration of the UPI ecosystem provides cooperative banks the possibility of improving service efficiency, enhancing customer convenience, and strengthening their relevance in a competitive banking environment. On the other hand concerns like structural constraints such

as limited capital, governance variations, technological gaps, and cyber security affect their pace of digital adaptation.

According the reports from reports of the Reserve Bank of India, National Payments Corporation of India, and NABARD indicates that while progress has been made, readiness across cooperative institutions remains uneven. Smaller rural institutions require continued support and modernization, whereas larger urban cooperative banks show relatively stronger integration. To conclude this cooperative banks are not peripheral to India's digital transformation; rather, they are integral to achieving inclusive digital growth.

References

1. Reserve Bank of India. (2023). Annual report 2022–23. https://www.rbi.org.in
2. Reserve Bank of India. (2023). Report on trend and progress of banking in India 2022–23. https://www.rbi.org.in
3. National Payments Corporation of India. (2023). UPI product statistics. https://www.npci.org.in
4. NABARD. (2023). Annual report 2022–23. https://www.nabard.org
5. Ministry of Finance. (2023). Economic survey 2022–23. Government of India. https://www.indiabudget.gov.in
6. World Bank. (2022). Global Findex Database 2021. https://www.worldbank.org

=====

Cite the article:	Jaiswal, Dristi and Maurya, Dr. Neelam (2026). Digital Payments and Financial Inclusion in India: Assessing the Role and Preparedness of Cooperative Banks in the UPI Era. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-1, January–March 2026, Pages 104-111. https://doi.org/10.5281/zenodo.21626612

Bundelkhand Journal of Academic Research

Development of Cooperation for the Creation of Prosperity for All in the Country

Jay Nath Sharma1, Dr. Shakti Singh2

1. **Research Scholar,** Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi, Uttar Pradesh.
2. **Professor,** Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi, Uttar Pradesh.

(**Corresponding Author:** jaynath041@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21626730

Abstract

Inclusive and sustainable development has emerged as a central objective of public policy in the twenty-first century. In a developing and demographically diverse nation like India, prosperity cannot be confined to aggregate economic growth alone; rather, it must reflect equitable distribution, social justice, and community empowerment. Cooperative development offers a participatory and democratic model of economic organization that integrates social responsibility with economic efficiency. Rooted in principles of voluntary membership, democratic governance, and shared ownership, cooperatives provide an alternative institutional framework capable of promoting inclusive growth. This paper critically examines the role of cooperative institutions in creating prosperity for all sections of society. It traces the historical evolution of the cooperative movement in India, evaluates its sectoral contributions in agriculture, dairy, banking, and women-led self-help groups, and assesses contemporary reforms aimed at modernization and digital transformation. The study further analyzes structural challenges such as governance inefficiencies, political interference, inadequate professionalization, and technological gaps. The paper argues that cooperative development represents not merely an economic model but a transformative socio-economic strategy capable of reducing inequality, strengthening rural livelihoods, and promoting participatory democracy. Through institutional reforms, capacity building, technological integration, and collaborative partnerships, cooperatives can play a decisive role in advancing national prosperity and inclusive development.

Article Info			
	Received: 28 Feb, 2026	**Accepted:** 15 March, 2026	**Published:** 31 March, 2026
	Table: 00	**Figures & Graphs:** 03	**Sources & Ref.:** 13
	Keywords: Cooperative, Inclusive Growth, Empowerment, Social Equity, Model.		

1. Introduction: Economic development in contemporary discourse extends beyond the narrow measurement of gross domestic product (GDP). While economic growth remains essential, the true test of development lies in its inclusiveness and sustainability. In societies characterized by socio-economic disparities, growth without equitable distribution can intensify inequality and social fragmentation. Therefore, the concept of "prosperity for all" implies that every citizen, regardless of geographical location, gender, caste, or economic status, should have access to opportunities, resources, and institutional support.

India's development journey reflects both remarkable progress and persistent inequalities. Rapid economic growth over the past decades has coexisted with rural distress, unemployment, and regional disparities. In this context, cooperative development emerges as a strategic instrument for democratizing economic resources and strengthening grassroots participation.

The cooperative model is grounded in the philosophy of collective action and mutual benefit. Unlike purely capitalistic enterprises driven primarily by profit maximization, cooperatives balance economic goals with social objectives (International Cooperative Alliance [ICA], 2020). They promote economic democracy by ensuring that members participate in decision-making and share the benefits generated by the enterprise.

Historically, cooperatives in India have played a significant role in agricultural credit, dairy production, sugar manufacturing, and rural banking. The dairy cooperative revolution led by visionary leadership demonstrated that collective organization of small producers can transform entire sectors (Kurien, 2005). Similarly, the expansion of self-help groups has empowered millions of rural women economically and socially.

This paper aims to explore how cooperative development can function as a comprehensive strategy for achieving prosperity for all. It examines conceptual foundations, historical evolution, sectoral contributions, contemporary challenges and policy reforms necessary for strengthening cooperative institutions in India.

2. Conceptual and Theoretical Foundations of Cooperative Development: Cooperative development is rooted in the broader theories of economic democracy and social capital. Economic democracy advocates participatory control over production and distribution systems, while social capital emphasizes networks of trust, cooperation, and collective action.

According to the International Cooperative Alliance (2020), a cooperative is "an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs through a jointly owned and democratically controlled enterprise." This definition highlights three critical dimensions:

1. **Voluntary Association:** Membership is open and non-discriminatory.
2. **Democratic Governance:** Decision-making follows the principle of one member one vote.
3. **Economic Participation:** Members contribute equitably to capital and share in surplus distribution.

From a developmental perspective, cooperatives integrate efficiency with equity. Traditional capitalist firms may generate profits efficiently but often concentrate wealth. State-owned enterprises may focus on welfare but sometimes lack efficiency and responsiveness. Cooperatives combine the strengths of both systems—market participation with social responsibility (Gulati, 2010).

Moreover, cooperative institutions generate social capital by fostering trust, mutual support, and collective responsibility. Communities organized through cooperatives often exhibit stronger resilience during economic crises, as collective pooling of resources reduces vulnerability. Thus, cooperative development serves not merely as an organizational form but as a socio-economic philosophy promoting shared prosperity.

3. Historical Evolution of the Cooperative Movement in India: The cooperative movement in India has a century-long history shaped by colonial policies, post-independence planning, and contemporary reforms.

3.1. Colonial Foundations: The Cooperative Credit Societies Act of 1904 was enacted to address rural indebtedness caused by exploitative moneylending practices (Narang, 2016). This legislation laid the foundation for organized rural credit institutions. The Cooperative Societies Act of 1912 expanded the movement to include non-credit activities such as production and marketing.

3.2. Post-Independence Expansion: After independence, cooperative development became central to planned economic strategies. The Five-Year Plans emphasized rural credit expansion, agricultural marketing, and industrial cooperatives (Government of India, 2013). Cooperatives were considered instruments of socio-economic transformation capable of reducing rural poverty.

3.3. Operation Flood and Sectoral Success: Operation Flood, initiated in the 1970s, revolutionized the dairy sector through a cooperative model linking producers to consumers (Kurien, 2005). This initiative enhanced rural incomes and ensured national self-sufficiency in milk production. Similarly, cooperative sugar mills in Maharashtra and cooperative banks in several states strengthened rural industrialization and credit access.

3.4. Constitutional Recognition: The 97th Constitutional Amendment Act (2011) granted constitutional status to cooperative societies, emphasizing autonomy, democratic functioning, and professional management (Government of India, 2011). This recognition signified the state's commitment to strengthening cooperatives as pillars of inclusive development.

4. Sectoral Contributions of Cooperative Institutions:

4.1. Agriculture and Rural Economy: Agriculture employs a significant portion of India's workforce. However, small and marginal farmers often face challenges such as fragmented landholdings, inadequate credit, and market volatility. Cooperative societies address these issues by pooling resources and providing institutional support (Srinivas, 2019). Primary Agricultural Credit Societies (PACS) facilitate short-term and medium-term credit. Marketing cooperatives enable farmers to bypass intermediaries, ensuring fair prices. Input supply cooperatives provide fertilizers, seeds, and equipment at affordable rates. Collectively, these mechanisms enhance productivity, stabilize incomes, and reduce rural vulnerability.

4.2. Dairy Cooperatives: The dairy cooperative model exemplifies the transformative potential of collective organization. By aggregating milk from small producers and ensuring fair procurement prices, cooperatives improved rural incomes and nutritional security. Women's participation in dairy cooperatives has been particularly significant. Access to independent income sources has enhanced their bargaining power within households and communities.

4.3. Cooperative Banking and Financial Inclusion: Financial exclusion remains a barrier to inclusive growth. Cooperative banks serve as grassroots financial institutions bridging the gap between formal banking systems and rural populations (Narang, 2016). They provide agricultural loans, small business financing, and savings facilities. By promoting financial literacy and access, cooperative banks contribute to poverty reduction and entrepreneurship.

4.4. Self-Help Groups and Women Empowerment: The SHG movement represents a decentralized cooperative model focused on women's empowerment. Through collective savings and credit mechanisms, SHGs enable women to undertake micro-enterprises and enhance household income (Srinivas, 2019). Beyond economic benefits, SHGs foster leadership skills, social awareness, and collective decision-making, contributing to broader social transformation.

5. Cooperative Development and Inclusive Prosperity: Inclusive prosperity requires reducing inequality, enhancing employment, and ensuring social mobility. Cooperative institutions advance these objectives through:

- **Employment Generation:** Local enterprises create jobs within communities.
- **Income Stability:** Collective marketing reduces price fluctuations.
- **Social Equity:** Shared ownership ensures equitable distribution.
- **Regional Balance:** Rural-based cooperatives reduce urban migration pressures.
- **Community Development:** Surplus reinvestment supports education, healthcare, and infrastructure.

By democratizing economic participation, cooperatives convert beneficiaries into stakeholders, strengthening sustainability and resilience.

6. Contemporary Reforms and Digital Transformation: Globalization and technological advancements require modernization of cooperative institutions. Digital transformation enhances efficiency and transparency. The Ministry of Cooperation has emphasized digitization of PACS, transparent auditing, and professional management (Ministry of Cooperation, 2022). Digital payment systems, online procurement platforms, and data-driven management systems reduce corruption and improve accountability. Technological adoption also enables integration with national supply chains and global markets.

7. Challenges and Structural Constraints: Despite achievements, several constraints persist:

- Weak governance and managerial inefficiencies.
- Political interference affecting democratic functioning.
- Limited professional training.
- Inadequate technological infrastructure.
- Financial sustainability concerns.

Overcoming these challenges requires systemic reforms and policy support.

8. Policy Recommendations:

1. **Strengthening Autonomy:** Ensuring democratic elections and transparent audits.
2. **Professionalization:** Recruitment of trained managers and financial experts.
3. **Digital Infrastructure:** Comprehensive digitization initiatives.
4. **Capacity Building:** Continuous education and training programs.
5. **Public–Private Partnerships:** Leveraging private expertise while preserving cooperative identity.
6. **Youth Engagement:** Encouraging entrepreneurship within cooperative frameworks.

9. Cooperative Development and National Vision: The concept of "prosperity for all" aligns with participatory governance and social justice. Cooperative development supports national goals of inclusive growth, rural revitalization, and social harmony. By empowering marginalized communities and reducing inequalities, cooperatives strengthen democratic foundations and economic resilience.

Conclusion: Cooperative development offers a balanced pathway toward inclusive and sustainable prosperity. It combines economic efficiency with social responsibility and democratic participation. While historical achievements demonstrate its potential, contemporary reforms must address governance, technology, and professional management challenges. A strengthened cooperative sector can significantly contribute to national prosperity, equitable growth, and social

transformation. In the pursuit of development that benefits all citizens, cooperation remains both a practical strategy and a moral commitment.

References:

1. Government of India. (2011). *The Constitution (97th Amendment) Act*. Ministry of Law and Justice.
2. Government of India. (2013). *Report of the High Level Committee on Cooperatives*. Ministry of Agriculture.
3. Gulati, A. (2010). Cooperative movements in India: Growth and performance. *Economic and Political Weekly*, 45(12), 74–82.
4. International Cooperative Alliance. (2020). *Cooperative identity, values & principles*. ICA Publications.
5. Kurien, V. (2005). India's dairy revolution: Overview and perspectives. *Indian Journal of Agricultural Economics*, 60(1), 1–14.
6. Ministry of Cooperation. (2022). *Annual report on cooperative reforms*. Government of India.
7. Narang, S. (2016). Challenges and prospects of cooperative institutions in India. *Journal of Cooperative Studies*, 51(3), 15–29.
8. Srinivas, K. (2019). Role of cooperatives in rural development: Indian context. *Rural Development Journal*, 8(2), 45–58.

=====

Cite the article:	Sharma, Jay Nath and Singh, Dr. Shakti (2026). Development of Cooperation for the Creation of Prosperity for All in the Country. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-1, January–March 2026, Pages 112-116. https://doi.org/10.5281/zenodo.21626730

Bundelkhand Journal of Academic Research

Scope and Research Areas of the Journal

Agricultural Sciences

Agricultural Biotechnology, Agricultural Chemistry, Agricultural Diversification, Agricultural Education, Agricultural Economics, Agricultural Geography, Agricultural Philosophy, Agricultural Marketing, Dairy and Animal Science, Agricultural Engineering, Agricultural Policy, Multidisciplinary Agriculture, Agronomy & Horticulture, Agroecology, Agrophysics, Biological Engineering, Entomology, Plant Sciences, Environmental Sciences, Fisheries Science, Food Science & Technology, Forestry, Soil Science, Veterinary Sciences, Water Resources and any other allied Subjects of Agricultural Sciences.

Arts and Humanities

Archaeology, Architecture, Art, Asian Studies, Classics studies, Cultural studies, Dance, Film, Radio, Television, Folklore, History, History of Science, Humanities, Multidisciplinary, Language and Linguistics, Literary Reviews, Literary Theory and Criticism, Literature, Medieval and Renaissance Studies, Music, Philosophy, Poetry, Religion studies, Theatre, Physical Education and Sports Science, Textiles and Apparel Designing and any other allied Subjects of Arts and Humanities.

Biological Sciences

Biodiversity Conservation, Biology, Miscellaneous Biology, Ecology, Evolutionary Biology, Botany, Developmental Biology, Entomology, Limnology, Marine & Freshwater Biology, Mycology, Ornithology, Reproductive Biology, Zoology and any Other Allied Subjects of Biological Sciences.

Chemical Sciences

Applied Chemistry, Multidisciplinary Chemistry, Analytical Chemistry, Inorganic & Nuclear Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry, Crystallography, Electrochemistry, Polymer Science, Spectroscopy, Biochemistry & Microbiology and any other allied Subjects of Chemical Sciences.

Commerce and Management

Management Accounting, Business Planning, Advertising, Banking & Insurance, Accounting System, Financial Markets, Institutions & Financial Services, Industrial Laws, Organizational Behaviour, Human Resource Management, Cost Accounting, Business Mathematics, Management Applications, Computer Applications, Auditing & Corporate Governance, Financial Management, Entrepreneurship, Collective Bargaining, Negotiation Skills, E-Filing of Returns, Cyber Crimes & Laws, E-Commerce, Training & Development, Marketing & E-Marketing, Personal Tax Planning, Environmental Studies, Business Communication, Financial Accounting, Corporate Accounting, Business Laws, Corporate Laws, E-Filing of Returns, Cyber Crimes & Laws, Taxation, Tax Law & Practice, Management like Strategic, Sales, Marketing, Public Relations, Operations, Supply Chain, Procurement, Financial & Accounting, Human Resources, Information Technology, Research & Development, Engineering, Programme, Project, Risk, Quality, Innovation, Design, Facility, Knowledge and any other allied Subjects of Commerce and Management.

Engineering and Technology

Automation & Control Systems, Aerospace Engineering, Computer Science, Artificial Intelligence, Cybernetics, Hardware & Architecture, Information Systems, Interdisciplinary SCI, Software Engineering, Construction & Building Technology, Energy & Fuels, Multidisciplinary Engineering, Biomedical

Engineering, Environmental Engineering, Chemical Engineering, Industrial Engineering, Manufacturing Engineering, Marine Engineering, Civil Engineering, Ocean Engineering, Petroleum Engineering, Electrical & Electronic Engineering, Mechanical Engineering, Geological Engineering, Ergonomics, Nanoscience & Nanotechnology, Instruments & Instrumentation, Operations Research & Management Science, Materials Science, Paper & Wood, Ceramics, Biomaterials, Characterization, Testing, Coatings & Films, Composites, Textiles, Multidisciplinary Materials Science, Metallurgy & Mining, Robotics, Remote Sensing, Imaging Science & Photographic Technology, Telecommunications, Transportation, Transportation Science & Technology, Mining & Mineral Processing, Architecture, Industrial Design and any other allied Subjects of Engineering and Technology.

Medical and Health Sciences

Anatomy &Morphology, Biochemical Research Methods, Biochemistry & Molecular Biology, Cell & Tissue Engineering, Biophysics, Biotechnology & Applied Microbiology, Cell Biology, Medicinal Chemistry, Cytology & Histology, Genetics & Heredity, Mathematical & Computational Biology, Immunology, Microbiology, Microscopy, Neurosciences, Parasitology, Pharmacology & Pharmacy, Physiology, Allergy, Andrology, Anesthesiology, Biological Psychology, Oncology, Cardiac & Cardiovascular System, Critical Care Medicine, Clinical Psychology, Emergency Medicine, Dentistry Oral, Surgery & Medicine, Dermatology, Substance Abuse, Psychology Educational, Health Care Sciences & Services, Endocrinology & Metabolism, Gastroenterology & Hepatology, Geriatrics & Gerontology, Gerontology, Haematology, Psychology Developmental, Infectious Diseases, Psychology Applied, Integrative & Complementary Medicine, Medical Ethics, Medicine Legal, Medical Informatics, Medical Laboratory Technology, Medicine General & Internal, Medicine Research & Experimental, Clinical Neurology, Neuroimaging, Nursing, Obstetrics & Gynaecology, Ophthalmology, Orthopedics, Otorhinolaryngology, Pathology, Paediatrics, Rehabilitation, Psychiatry, Respiratory System, Rheumatology, Radiology Nuclear Medicine & Medical Imaging, Sport Sciences, Surgery, Toxicology, Transplantation, Tropical Medicine, Urology & Nephrology, Peripheral Vascular Disease, Virology, Ayurveda, Home Science, Homoeopathy, Physiotherapy, Audiology & Speech-Language Pathology, SIDDHA, Unani, Public Health, Hospital Administrations, Forensic Science, Yoga, Optometry.

Physical Sciences

Geochemistry & Geophysics, Physical Geography, Geology, Multidisciplinary Geosciences, Meteorology & Atmospheric Sciences, Mineralogy, Oceanography, Paleontology, Acoustics, Astronomy & Astrophysics, Thermodynamics, Applied Mathematics, Mathematics, Nuclear Science & Technology, Optics, Applied Physics, Fluids & Plasmas Physics, Atomic, Molecular & Chemical, Atomic, Molecular & Chemical, Multidisciplinary Physics, Condensed Matter Physics, Nuclear Physics, Particles & Fields Physics, Mathematical Physics, Statistics & Probability, Theoretical High Energy Physics, Interdisciplinary Applications Mathematics and any other allied Subjects of Physical Sciences.

Social Sciences

Anthropology, Business, Cultural Studies, Communication, Criminology and Penology, Demography, Economics, Education and Research, Environmental Studies, Ergonomics, Ethics, Ethnic Studies, Family Studies, Finance, Geography, Gerontology, Health Policy and Services, History, Hospitality, Sport & Tourism, Industrial Relations and Labour, Library and Information Science, International Relations, Law, Linguistics, Management, Nursing, Planning and Development, Political Science, Psychiatry, Psychology & Applied Psychology, Public Administration, Public, Environmental and Occupational Health Rehabilitation, Social Issues, Biomedical Social Sciences, Interdisciplinary Social Sciences, Mathematical Social Sciences, Social Work, Sociology, Transportation, Urban Studies, Feminist Studies, and any other allied Subjects of Social Sciences.

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research

लेखकों द्वारा आलेख प्रेषण हेतु दिशानिर्देश

प्रस्तुतीकरण दिशानिर्देश (Submission Guidelines)

बीजेएआर उन मौलिक योगदानों का स्वागत करता है जो कहीं अन्यत्र प्रस्तुत, प्रकाशित या प्रकाशन के लिए स्वीकृत नहीं हुए हैं। योगदानकर्ताओं को लेख प्रस्तुत करने वाले ईमेल में इसकी जानकारी देनी होगी। योगदानकर्ताओं से अनुरोध है कि वे बीजेएआर की स्टाइल शीट का पालन करें। सभी योगदानों के साथ निम्नलिखित अनुपालन होने चाहिए:

आलेख सारांश 150-200 शब्द

मुख्य शब्द 5 से 6

लेखक का नाम, ईमेल पता और पत्राचार के लिए संपर्क नंबर, प्रत्येक लेखक के लिए वर्तमान पदनाम और संबद्धता का विवरण देते हुए एक-पंक्ति का लेखक नोट। हम लेखक नोट में प्रदत्त ईमेल पता शामिल करते हैं। योगदानकर्ताओं को साहित्यिक चोरी और अत्यधिक आत्म-संदर्भों से सावधान किया जाता है। सामग्री की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आंकड़े, ग्राफ़ और तालिकाओं का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। सभी पूरक फ़ाइलें जैसे आंकड़े, तालिकाएँ, मानचित्र आदि, जहाँ तक संभव हो, MS Office (Word/Excel) या अन्य संपादन योग्य प्रारूपों में प्रदान की जानी चाहिए।

बीजेएआर संपादकीय टीम किसी आलेख को किसी विशिष्ट अनुभाग में, जैसा उचित समझे, स्थान देने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

लेखों की प्राप्ति की सूचना ईमेल द्वारा एक संदर्भ संख्या के साथ दी जाती है जिसका उपयोग वेबसाइट पर आपके योगदान को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। यदि योगदानकर्ताओं को योगदान के एक सप्ताह के भीतर पावती प्राप्त नहीं होती है, तो उनसे अनुरोध है कि वे हमें gayatripublication2025@gmail.com पर लिखें।

हमें प्राप्त होने वाले लेखों की शीघ्र प्रक्रिया पूरी करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। मासिक रूप से प्राप्त होने वाले लेखों की संख्या को देखते हुए, किसी लेख को प्रकाशन के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लेने में दो महीने तक का समय लग सकता है। प्रकाशन के लिए स्वीकृत लेखों को स्वीकृति की तिथि से मुद्रित रूप में प्रकाशित होने में एक महीने तक का समय लग सकता है।

शोध समीक्षाएँ (शब्द: 2000-2500): बीजेएआर द्वारा पुस्तक और समीक्षाओं को भी प्रकाशन के लिए विचार किया जा सकता है, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 2500 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अंतर्दृष्टि आलेख (शब्द: 4000-5000): इस खंड में शैक्षणिक परिघटनाओं के नवीन और केंद्रित विश्लेषण पर विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परिप्रेक्ष्य आलेख (शब्द: 4000-5000): इस खंड में मौजूदा विद्वत्ता और समकालीन घटनाओं पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले आलेखों को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विशेष आलेख (शब्द: 7000 तक): इस खंड के लिए शैक्षणिक, विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में मूल, अप्रकाशित शोध पत्र स्वीकार किए जाएँगे, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 7000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी विशेष आलेखों की पीयर समीक्षा की जाती है।

शोध आलेख (शब्द: 6000-7000): इस खंड के लिए शैक्षणिक, विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में प्रारंभिक शोध को कवर करने वाले मौलिक लेखों पर विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 7000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी विशेष आलेखों की पीयर समीक्षा की जाती है।

कॉपीराइट

1. बीजेएआर में प्रकाशित सभी आलेखों का कॉपीराइट बीजेएआर या उस संगठन का होगा जहाँ लेखक कार्यरत है, जैसा कि लेखक की रोजगार शर्तों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
2. बीजेएआर को लेखकों द्वारा अपने आलेखों को अन्य प्रकाशनों के लिए पुनः प्रकाशित या संशोधित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालाँकि, पुनः प्रकाशित आलेखों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि लेख का एक संस्करण सबसे पहले बीजेएआर में प्रकाशित हुआ था। इसमें मूल बीजेएआर आलेखों के URL के साथ प्रकाशन विवरण भी शामिल होना चाहिए।
3. लेखक/लेखकों की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकाशित आलेखों या उसके किसी भाग का किसी भी रूप में पुनरुत्पादन नहीं किया जाना चाहिए। लेखक/लेखकों की स्वीकृति की एक सॉफ्ट कॉपी बीजेएआर को भेजी जानी चाहिए।

सामान्य निर्देश (General Instructions)

1. बीजेएआर में प्रकाशनार्थ प्रेषित किये जाने वाला शोध पत्र मौलिक एवं अप्रकाशित होना चाहिए। शोध पत्र ई-मेल द्वारा द्वारा प्रेषित करना चाहिए।
2. लेखक को शोध पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र अवश्य संलग्न करना होगा कि यूजीसी/एमएचआरडी के मानकानुरूप यह शोध पत्र उसका मौलिक, अप्रकाशित शोध पत्र है, एवं इसमें किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं है।
3. यदि शोध पत्र में मुख्य शोधकर्ता के साथ अन्य नाम भी हैं, तो उन्हें भी मौलिकता और साहित्यक चोरी का प्रमाण पत्र देना होगा। शोध पत्र के साथ प्लैगरिज्म रिपोर्ट भी संलग्न की जानी चाहिए।
4. शोध पत्र प्राप्त होने के उपरांत संबंधित शोधार्थी के पास ई-मेल द्वारा शोध पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाएगी।
5. शोध पत्र प्राप्त होने के उपरांत संपादक मण्डल द्वारा उसे संबंधित विषय के विशेषज्ञ (रीव्यूवर) के पास ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा, जिसका विषय विशेषज्ञ द्वारा विधिवत् मूल्यांकन, परीक्षण और संशोधन किया जाएगा, तदुपरांत संपादक मण्डल के पास प्रकाशनार्थ प्रेषित किया जाएगा।
6. विषय विशेषज्ञ / संपादक मण्डल के पास शोध पत्र के प्रकाशन और संशोधन का पूर्ण अधिकार होगा। कोई भी शोध पत्र संपादक मण्डल / रीव्यू पैनल द्वारा पूर्णतः मूल्यांकन के उपरांत ही प्रकाशनार्थ स्वीकृति किया जायेगा।
7. पूर्णतः स्वीकृति के उपरांत ही शोधार्थी को संबंधित शोध आलेख का स्वीकृति संदेश निर्दिष्ट ई-मेल पर प्रेषित किया जायेगा। हालांकि, शोध पत्र के प्रकाशन, कापी राइट एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों में प्रधान संपादक एवं संपादक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
8. शोध पत्र में व्यक्त विचार, शोध बिंदु, संदर्भ हेतु पूर्णतः शोधार्थी की जिम्मेदारी होगी। किसी भी प्रकार से संपादक मण्डल का उसमें कोई सरोकार नहीं होगा। शोध-पत्र भेजने के बाद उसे प्रकाशित करने हेतु किसी भी तरह का दबाव स्वीकार्य नहीं होगा।

9. शोध पत्र को निम्नलिखित रूप में ई-मेल द्वारा प्रेषित करें:

i. टंकण विधि A4 साईज में 1 इंच चारो तरफ छोड़कर ऑटो लीडिंग, पेज नंबरिंग सहित माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी भी वर्जन में टाइप करके भेजें एवं आवास का पता, संस्था का पता, दूरभाष एवं ईमेल आईडी अवश्य लिखें।

ii. हिंदी माध्यम के शोध पत्र का सामान्य लेखन Kruti Dev 010 के फांट साइज 14 और मुख्य हेडिंग 16 जबकि शोध शीर्षक 24 में होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम के शोध पत्र का सामान्य लेखन Times New Roman के फांट साइज 12 और मुख्य हेडिंग 14 जबकि शोध शीर्षक 24 में होना चाहिए।

iii. कीवर्डस, स्रोत एवं संदर्भ, शोध सारांश आदि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

iv. स्रोत एवं संदर्भ विधिवत निर्दिष्ट उद्धरण स्टाईल में रख कर उनका स्पष्ट उल्लेख करें। शोध पत्र में स्रोत एवं संदर्भ का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। स्रोत एवं संदर्भों की स्पष्टता के अभाव में शोध पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

10. आप शोध पत्र प्रेषित करें : gayatripublication2025@gmail.com

शोध पत्रों के प्रकाशन एवं प्रेषण की आवृत्ति

बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर) त्रैमासिक शोध जर्नल है, जिसका प्रकाशन वर्ष में चार बार होता है। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंक प्रकाशन एवं आलेख संग्रहण का विवरण निम्न प्रकार है:

बीजेएआर के अंक	प्रेषण की तिथि	प्रकाशन
जनवरी-मार्च	10 मार्च तक	अप्रैल के अंत में
अप्रैल-जून	10 जून तक	जुलाई के अंत में
जुलाई-सितंबर	10 सितंबर तक	अक्टूबर के अंत में
अक्टूबर-दिसंबर	10 दिसंबर तक	जनवरी के अंत में

*****

Bundelkhand Journal of Academic Research

एक सामान्य शोध पत्र का मॉडल प्रारूप
(A Model Format for a normal Research Paper)

शोध पत्र का शीर्षक
(Title of the Research Paper)

प्रथम लेखक^1, द्वितीय लेखक^2, और तृतीय लेखक^3

^1 पहले संस्थान का नाम (Name of First Institution) Email Id

^2 दूसरे संस्थान का नाम (Name of Second Institution) Email Id

^3 तीसरे संस्थान का नाम (Name of Third Institution) Email Id

सारांश (Abstract)

यहां 150-200 शब्दों में अपने शोध का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

मुख्य शब्द (Keywords): 5 से 6 मुख्य शब्द दिए जाने चाहिए जो शोध विषय की केंद्रीय अवधारणाओं को दर्शाते हों। ये पहचान, खोज और सूचकांकन योग्य होने चाहिए ताकि पाठक और शोधार्थी प्रासंगिक शोध को खोजने और अनुक्रमित (index) करने के लिए इनका उपयोग कर सकें। मुख्य शब्द के रूप में संज्ञा शब्द होने चाहिए, उपपद और क्रिया शब्द प्रयोग नहीं होने चाहिए।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि (Introduction and Background)

1.1. उप-शीर्षक (Subheading)

1.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

1.1.2.

- ❖ यहां शीर्षक एवं विषय से संबंधित आवश्यक आधारभूत ज्ञान का परिचय दें।
- ❖ विषय का परिचय और इसका महत्व बताएं।

- ❖ समीक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख करें।
- ❖ पृष्ठभूमि जानकारी और संदर्भ प्रदान करें।

2. सामग्री एवं विधि (Materials and Methods)

यहां आंकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन करना है।

(Here is to analyse and interpret the data)

2.1. उप-शीर्षक (Subheading)

2.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- ❖ यहां सामग्री और विधि का विवरण दें।
- ❖ शोध की सम्पूर्ण क्रियाविधि का वर्णन करें ।
- ❖ ध्यान रहे यह लेखन इस प्रकार किया जाए कि कोई भी शोधकर्ता इस विधि को पढ़ कर सरलता पूर्वक इस शोध-क्रियाविधि को स्वयं भी दोहरा सके।

सारणी-1: सारणी का शीर्षक या नाम
(Table 1: Title or Name of Table)

उपशीर्षक **(Subtitle)**	उपशीर्षक **(Subtitle)**	उपशीर्षक **(Subtitle)**
तथ्य या आंकड़े (Data or Figures)	तथ्य या आंकड़े (Data or Figures)	तथ्य या आंकड़े (Data or Figures)

3. परिणाम एवं प्राप्तियां (Results and Findings)

3.1. उप-शीर्षक (Subheading)

3.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- ❖ शोध-पत्र के इस भाग को प्रयास पूर्वक एक तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ❖ तथ्यों, अभिकथनों एवं कारणों का एक सरल प्रवाह होना चाहिए और इन सभी के लिए उचित संदर्भ भी प्रदान किए जाने चाहिए।
- ❖ शोध के उद्देश्य के अनुसार आंकड़ों के विश्लेषण और निर्वचन से क्या प्राप्त हुआ है, इसका संक्षेप में प्रस्तुतीकरण किया जाना चाहिए।

4. चर्चा एवं बहस (Discussion and Debate)

4.1. उप-शीर्षक (Subheading)

4.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- ❖ इस भाग में पिछले भाग में वर्णित परिणामों के बारे में गूढ विश्लेषण और विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा की जानी चाहिए।

- परिणाम एवं प्राप्तियों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध के उद्देश्य के अनुसार परिणाम एवं प्राप्तियों में निहित समस्याओं और चुनौतियों की चर्चा की जानी चाहिए।
- इस भाग में भी तथ्यों, अभिकथनों एवं कारणों का एक सरल प्रवाह होना चाहिए और इन सभी के लिए उचित संदर्भ भी प्रदान किए जाने चाहिए ।
- मुख्यतः साहित्य की समीक्षा में चिन्हित खोजों और वर्तमान लिखित साहित्य में छोड़े गए विषयों/रिक्तियों की पहचान को भी रेखांकित किया जा सकता है।

5. सुझाव एवं अनुशंसाएं (Suggestions and Recommendations)

5.1. उप-शीर्षक (Subheading)

5.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- इस भाग में पिछले भाग 4 और 5 में वर्णित परिणाम, प्राप्तियों एवं चर्चा के सापेक्ष आगे बढ़ने का उचित रास्ता (The way forward) क्या है, पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा की जानी चाहिए।
- परिणाम एवं प्राप्तियों में निहित समस्याओं और चुनौतियों के औचित्यपूर्ण समाधान की चर्चा की जानी चाहिए।
- भावी शोध के विषयों और उप-विषयों का सुझाव दिया जा सकता है।

6. निष्कर्ष (Conclusion)

- आपके द्वारा प्रस्तुत शोधपत्र में किए गए प्रमुख खोजों और उनकी प्रासंगिकता का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
- विषय के महत्व एवं औचित्य को पुनः प्रस्तुत कीजिए।
- 4 से 6 वाक्यों में अपने प्रस्तुत शोध के परिणाम एवं निष्कर्षों की महत्ता को विषय के संदर्भ में बताइए।

7. स्रोत एवं संदर्भ (Sources and References)

- स्रोत एवं संदर्भ के उद्धरण का स्वरूप दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।
- प्रस्तुत शोध पत्र में प्रयुक्त सभी मुख्य कार्यों की स्रोत एवं संदर्भ सूची प्रदान कीजिए।
- यह संदर्भ शोध-आलेख में उचित स्थानों पर पाठ्य के रूप (इन-टेक्स्ट) में भी लिखे जाने चाहिए।
- स्रोत एवं संदर्भ के उद्धरण का स्वरूप ग्रंथसूची, उद्धरण एवं संदर्भ शैली के उदाहरण में देखा जा सकता है:

परिशिष्ट (Appendices)

- परिशिष्ट A (Appendix A)
- परिशिष्ट B (Appendix B)

*****

Bundelkhand Journal of Academic Research

ग्रंथसूची, उद्धरण एवं संदर्भ शैली के उदाहरण

(Bibliographic, Citation and Referencing Styles Examples)

स्रोत एवं संदर्भ के उद्धरण का स्वरूप निम्नलिखित होना चाहिए:

लेखक का नाम एवं उपनाम

(Name and Surname of the Author)

लेखक	नाम एवं उपनाम
एकल लेखक (डॉ. गजेन्द्र सिंह मधुसूदन)	<उपनाम>, <नाम का आरंभिक अक्षर>. <मध्य नाम का अक्षर>. **उदाहरण: मधुसूदन, जी. एस.**
दो लेखक (डॉ. राजेश कुमार पाल एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1>, <प्रथम का आरंभिक नाम1>. <प्रथम का मध्य नाम1>. एवं <उपनाम2>, <द्वितीय का आरंभिक नाम2>. <द्वितीय का मध्य नाम2>. **उदाहरण: पाल, आर. के. एवं सिंह, ए. के.**
दो से अधिक लेखक (डॉ. अतुल कुमार कुशवाहा, डॉ. क्रांति भूषण मौर्य,....., एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1>, <प्रथम का आरंभिक नाम1>. <प्रथम का मध्य नाम1>., <उपनाम 2>, <द्वितीय का आरंभिक नाम2>. <द्वितीय का मध्य नाम2>., . . . , एवं <उपनाम n>, <n का आरंभिक नाम n>. < n का मध्य नाम n>. **उदाहरण: कुशवाहा, ए. के., मौर्य, के. बी.,..., एवं सिंह, ए. के.**

खंड, अंक एवं पृष्ठ संख्या

(Volume, Issue and Page Numbers)

दस्तावेज़	वॉल्यूम, अंक एवं पृष्ठ संख्या
एकल पृष्ठ	वॉल्यूम <खंड संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: वॉल्यूम-02, पृष्ठ -15।**
कई पृष्ठ	वॉल्यूम <खंड संख्या>, पृष्ठ <प्रारंभिक पृष्ठ संख्या> - <अंतिम पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: वॉल्यूम-04, पृष्ठ 75-81।**
जर्नल / पत्रिका या इसी तरह के पीरियडिकल्स	<वॉल्यूम संख्या> (<इश्यू संख्या >): < प्रारंभिक पृष्ठ संख्या> – <अंतिम पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: 12(6): 103–120।** **अथवा** वॉल्यूम <खंड संख्या> अंक (<अंक संख्या>), <प्रारंभिक पृष्ठ संख्या> - <अंतिम पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: वॉल्यूम-12, अंक-6, पृष्ठ 103–120।**

कुछ दस्तावेजों की ग्रंथसूची एवं उद्धरण शैलियाँ
(Bibliographic and citation styles of some documents)

Document		लेखक-वर्ष आधारित उद्धरण शैलियाँ
Book	Format	**<लेखक> (<दिनांक>) । <पुस्तक का शीर्षक>। <प्रकाशक>, <पता>, <संस्करण संख्या> संस्करण, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>, आईएसबीएन : <आईएसबीएन संख्या>।**
	Example	1. झिंगन, एम. एल. (2008)। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। वृंदा पब्लिकेशन्स, मयूर विहार नई दिल्ली, पांचवां पुनर्मुद्रित संस्करण, 2008, पृष्ठ 1-670, आईएसबीएन: 8187125640। 2. पुरी, वी. के., मिश्र, एस. के. एवं गर्ग, भारत (2022)। भारतीय अर्थव्यवस्था। हिमालया पब्लिशिंग हाउस, गिरगांव मुम्बई, चौंतीसवाँ संस्करण, 2022, पृष्ठ 1-700, आईएसबीएन: 9789355964274।
Book chapter	Format	**<लेखक> (<दिनांक>) । <अध्याय का शीर्षक> । <संपादक> में, संपादक (संपादकों), <पुस्तक का शीर्षक>, <प्रकाशन श्रृंखला> का खंड <खंड संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>, <आईएसबीएन> । <प्रकाशक>, <पता> ।**
	Example	1. मधुसूदन, जी. एस एवं बघेल, एच. के. (2022)। डिजिटल अर्थव्यवस्था के फायदे और चुनौतियां: एक अवलोकन। गुप्ता, दिनेश कुमार (संपादक), ट्रांसफार्मिंग इंडिया: विजन एवं चैलेंजेज़, मार्च, 2022, पृष्ठ 69-90, आईएसबीएन: 9789391550592। एन. बी. पब्लिकेशन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। 2. मधुसूदन, जी.एस. एवं सिंह, एस. नाथ (2024)। भारत में फसल बीमा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अनुभवों का एक अध्ययन। सिंह, सी.बी., सिंह, एस.एन., लाल, अंकिता जे., फुरकान, मो., सोनी, शिखा (संपादक), सामाजिक विज्ञान एवं सतत भविष्य: 2023 और उसके बाद के लिए अंतर्दृष्टि एवं परिप्रेक्ष्य, पहला प्रकाशन, पृष्ठ 69-90, आईएसबीएन:9789363895065, कुणाल बुक्स पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली।
Seminar/Conference proceedings	Format	**<लेखक> (<दिनांक>) । <लेख का शीर्षक> । <सम्मेलन का शीर्षक> में, वॉल्यूम <वॉल्यूम संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>, <सम्मेलन का स्थान> । <प्रकाशक>, <पता>।**
	Example	1. मधुसूदन, जी. एस (2023)। भारत में डिजिटल तकनीक से शिक्षा के बढ़ते अवसर और चुनौतियां। ऑनलाइन शिक्षण और उच्च शिक्षा में, वॉल्यूम-2, पृष्ठ 07–15, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिंदकी, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। आइडियलिस्टिक जर्नल ऑफ़ एडवांस्ड रिसर्च इन प्रोग्रेसिव स्पेक्ट्रम्स (आईजेएआरपीएस)। आईजेएआरएमएस पब्लिकेशन, 221 एमआईजी फेज-2, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। 2. मधुसूदन, जी. एस एवं सिंह, अमित के. (2025)। आत्मनिर्भर भारत के सपने के रूप में ग्रामीण पर्यटन की राष्ट्रीय रणनीति का मूल्यांकन। ग्रामीण पर्यटन: विकास, रोजगार और संभावनाएं में, विशेषांक वॉल्यूम: जनवरी–मार्च 2025, पृष्ठ 247-254, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। त्रैमासिक पत्रिका शोध धारा। शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान प्रकाशक, उरई (जालौन) उत्तर प्रदेश।
Dictionary and Thesaurus	Format	**<लेखक> (<दिनांक>)। <दस्तावेज का शीर्षक>। <प्रकाशक>, <पता>, <संस्करण संख्या> संस्करण, वॉल्यूम <वॉल्यूम संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>।**
	Example	1. सीएएलडी (2009)। कैम्ब्रिज एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी (सीएएलडी)। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया प्रा. लि., तीसरा संस्करण, पृष्ठ 101–102।

		2. सहाय, आर. एन. एवं कुमार, एस. (2018)। ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश-इंग्लिश-हिंदी डिक्शनरी। ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दूसरा संस्करण, वॉल्यूम-1, पृष्ठ-73।
Encyclopaedia	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक >) । <टॉपिक का शीर्षक >। <संपादक> संपादक (कों) में, <एनसाइक्लोपीडिया का शीर्षक>, <संस्करण संख्या> संस्करण, वॉल्यूम <वॉल्यूम संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>। <प्रकाशक>, <पता>।**
	Example	1. लिंडग्रेन, एच. सी. (2001)। स्टीरियोटाइपिंग। द कोर्सिनी इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंस, वॉल्यूम-4 में पृष्ठ 617–618 । विली, न्यूयॉर्क। 2. पेटिंगिल, जूनियर, ओ. एस. (1980)। फाल्कन और फाल्कनरी। वर्ल्ड बुक इनसाइक्लोपीडिया में पृष्ठ 150–155। वर्ल्ड बुक, शिकागो।
Journal/ Magazine/ Newspaper	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>) । <लेख का शीर्षक> । <पत्रिका का शीर्षक>, <वॉल्यूम संख्या> (<इश्यू नंबर>), <पृष्ठ संख्या>, आईएसएसएन: <आईएसएसएन नंबर>। डीओआई:< डीओआई >**
	Example	1. मधुसूदन, गजेन्द्र सिंह (2023)। संक्रमणशील समाज की पीड़ा: सहजीवन। शोध धारा, अक्तूबर–दिसंबर, 2023, पृष्ठ 173-184, आईएसएसएन: 09753664। DOI:10.5281/zenodo.16640430 2. मधुसूदन, जी. एस. एवं सिंह, एस. एन. (2024)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति और प्रदर्शन का एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च (आईजेएसडीआर), वॉल्यूम-9, अंक-11, नवंबर-2024, पृष्ठ 487- 497, आईएसएसएन: 24552631। DOI:10.5281/zenodo.16642460
Technical report	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>) । <लेख का शीर्षक>। तकनीकी रिपोर्ट <रिपोर्ट संख्या>, <विभाग>, <संस्थान>, <पता>।**
	Example	1. नाबार्ड (2022)। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर और चेंगलपट्टू जिलों में सतत खारे पानी की एक्वाकल्चर के लिए कोस्टल वाटरशेड बेस्ड सरफेस और सबसरफेस सैलिनिटी मैपिंग और मॉडलिंग। टेक्निकल रिपोर्ट एनआरएस-27, डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड रिसर्च, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई। 2. घोष, डी. एवं कोठारी, आर. (2012)। पॉपुलेशन ह्यूरिस्टिक्स फॉर द कॉरिडोर एलोकेशन प्रॉब्लम। टेक्निकल रिपोर्ट W.P. नंबर 2012-09-02, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद, भारत।
Thesis (Master)	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>) । <थीसिस का शीर्षक> । मास्टर थीसिस, <विभाग>, <संस्थान>, <पता> ।**
	Example	1. कुमार, प्रतीक (2024) । किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का एक अध्ययन: चित्रकूट जिले के विशेष सन्दर्भ में। मास्टर थीसिस, अर्थशास्त्र विभाग, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट। 2. कुमार, रवि (2020)। इम्पैक्ट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। एम.एससी. (एजी) थीसिस, एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर कॉलेज, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़)।
Thesis (PhD)	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>)। <थीसिस का शीर्षक>। पीएचडी थीसिस, <विभाग>, <संस्थान>, <पता> ।**
	Example	सिंह, गजेन्द्र (2025)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों पर प्रभाव बांदा जनपद के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन। पीएचडी थीसिस, बैंकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग, बुन्देलखण्ड

		विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश।
Website/ webpage	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>) । <डॉक्यूमेंट का शीर्षक> । <यूआरएल> से <दिनांक> को लिया गया** *अगर पब्लिकेशन की तारीख मौजूद नहीं है, तब 'कोई तारीख नहीं' लिखा जा सकता है।
	Example	1. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (30 सितंबर 2025)। भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएँ, 2023। 20 अक्टूबर 2025 को https://www.ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-adsi.html से लिया गया 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (30 जून, 2025)। फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। 23 अक्टूबर, 2025 को https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/FSReports.aspx से लिया गया

पाठ में संदर्भ

(In-text reference)

लेखक	पाठ में संदर्भ
एकल लेखक (डॉ. गजेन्द्र सिंह मधुसूदन)	<उपनाम>, < वर्ष > **उदाहरण: (मधुसूदन, 2024)**
दो लेखक (डॉ. राजेश कुमार पाल एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1> और <उपनाम2>, < वर्ष > **उदाहरण: (पाल एवं सिंह, 2023)**
दो से अधिक लेखक (डॉ. अतुल कुमार कुशवाहा, डॉ. क्रांति भूषण मौर्य,....., एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1> आदि, < वर्ष > **उदाहरण: (कुशवाहा एवं अन्य, 2025)**

Bundelkhand Journal of Academic Research

Aims of the BJAR

The primary aim of the BJAR journal is to facilitate the dissemination of high-quality, peer-reviewed research findings, fostering the advancement of knowledge across various academic disciplines. BJAR journal provide a trusted platform for scholars to publish original research, review articles, and scholarly insights. BJAR journal serve as a platform for disseminating research, encouraging interdisciplinary dialogue, and validating scholarly work through rigorous, transparent review processes. Key aims and objectives typically include:

Dissemination of Knowledge: Sharing empirical, theoretical, and applied research findings with a global community.

Quality Assurance: Maintaining credibility through strict peer-review processes, often double-blind, to ensure academic merit.

Promoting Innovation: Encouraging novel ideas, methodologies, and critical perspectives in academic research.

Creating Research Forums: Building a dedicated space for scholars to engage with specific topics, facilitating expert discussion and debate.

Archiving Advancements: Documenting the progress of a specific field over time to support future research.

Platform for Scholarly Discussion: provide a venue for scholarly debate, enabling researchers to build upon, critique, and validate previous studies.

Peer Review and Quality Control: By employing a rigorous peer-review process, journals ensure the credibility, accuracy, and validity of the published research, preventing the spread of false information.

Bundelkhand Journal of Academic Research

About BJAR

BJAR a Quarterly Peer Reviewed, Open Access, Referred, Bi-lingual (Hindi & English) International Journal of Academic Research. BJAR follows the UGC's Suggestive Parameters for selecting peer-reviewed journals. Key Parameters for the BJAR are as under:

Suggestive Parameters	Policy and Guidelines
Frequency of publication	The Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR) is a quarterly research journal published four times a year. The March, June, September, and December issues are published. BJAR Issues: **January-March, April-June, July-September, October-December**
Language	Bilingual (Hindi and English)
Starting year	2025 **(First Issue: July-September, 2025)**
Subject	Multidisciplinary Subjects
Format of publication	Print Version
Publisher details (Name and Complete address)	Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan (GSPS), 226, Krishna Nagar, Atarra, District-Banda, Uttar Pradesh: 210201 E-mail: gayatripublication2025@gmail.com Mobile: 8750184716
Transparent Review Policy	Transparent review policy and publication process.
Website Certified Domain	https://bjar.in/index.php/BJAR/en
Open Access or Subscription-Based Policy	It is an open-access, peer- reviewed journal. All articles are freely accessible online.
Archival Policy	All the previous issues are maintained/made available.
Editorial Board Composition	Provided Subject expertise, with eminent academician's /scientists/ researchers.
Efficient Editorial/ Review Process	Efficient Editorial board members available and mentioned Rigorous peer review, compliance with reviewers' recommendations, and clear timelines.
Aims, Objectives, and Scope	BJAR's aims is to publish and synthesize, communicate and interpret the results of recent research study in the academic field, in order to advance the dissemination of valid knowledge and to foster innovation and development. The focus area and Scope of the journal is to publish scholarly articles in all Academic Disciplines.
Subject Areas	The focus area of the journal is to publish scholarly articles in all Academic Disciplines (such Agricultural Sciences, Arts and Humanities, Biological Sciences, Chemical Sciences, Commerce

	and Management, Engineering and Technology, Medical and Health Sciences, Physical Sciences, Social Sciences and other academic fields). The journal that encourages Interdisciplinary and Transdisciplinary dialogue on emerging knowledge.
Article Processing Charges (APC)	Transparent fee structure such as: The Journal is a free, open-access journal dedicated to global knowledge sharing. All articles are freely accessible worldwide. To maintain high-quality publishing, a modest Article Processing Charge (APC) of Rs.1000 applies only to accepted articles. There are no submission fees. In line with open-access principles, APCs are usually covered by research grants or supporting institutions. This fee supports essential services such as manuscript processing, online hosting, archiving, and publication certification. The APC includes expert peer review, professional formatting, publication, plagiarism screening and an official publication, ensuring high-quality and credible research dissemination.
Publishing Timeline	Two Months average Time from Submission to Publication such as: Submission to First Decision: 7 Days Submission to Acceptance: 45 Days Acceptance to Publication: 15 Days
Acceptance Rate	Estimation of the acceptance rate will be published in the future.
Academic Contribution	Published Articles are demonstrate motivation, advancement of existing knowledge, and applicability for policymaking.
Conformity to Journal Scope	Published Articles are align with the journal's stated aims and objectives.
Bibliographic Data & Literature Citation	Accurate and standardized referencing
Font & Design	Professional layout and readability
Infographics & Exhibits	High-quality visuals and supplementary materials
Citation Record	Journal articles cited in reputable databases
Print Continuum (if applicable)	The Journal is published in both print and online versions. Its continuity is maintained through regular quarterly online issues.
Online Availability	Full-text articles available online
Quality of Website	Well-maintained, regularly updated, and user-friendly.
Multilingual Availability	Multilingual Availability: Relevant for the Indian context, with content available in Indian languages. Most of the published articles are available in multiple languages.
Ethical Guidelines for Authors	Clear guide lines for ethical publishing practices
Plagiarism Prevention	The journal not accept more than standard limits 10% similarity score except for literature review.
Conflict of Interest Disclosure	No conflicts between governance, editorial board members, reviewers, and authors; any potential conflicts must be disclosed.

ISSN: 3139-5260
BJAR (https://bjar.in) | January-March | 2026 | Volume-2 | Issue-1

BUNDELKHAND JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

Published by:
Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan,
Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201
In collaboration with:
Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi,
Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

बुन्देलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च